REPRODUCTIVE HEALTH *matters*

रिप्रोडक्टिव हैल्थ मैटर्स

Issue 10, 2017

अंक 10, 2017

an international journal on sexual and reproductive health and rights

यौनिकता: राजनीति और अधिकार

crea

Sexuality, sexual rights and sexual politics
RHM in Hindi
Issue # 10, 2016
ISSN: 0968-8080 (Print)

Hindi edition published by:
CREA
Founded in 2000, CREA is a feminist human rights organisation based in New Delhi, India. It is one of the few international women's rights organisations based in the global South, led by Southern feminists, which works at the grassroots, national, regional, and international levels. Together with partners from a diverse range of human rights movements and networks, CREA works to advance the rights of women and girls, and the sexual and reproductive freedoms of all people. CREA advocates for positive social change through national and international fora, and provides training and learning opportunities to global activists and leaders through its Institutes.

Edition
Coordinated by:
Shalini Singh

Production Support :
Richa Silakari

Advisor for selection of articles:
Rupsa mallik , CREA, Delhi

Translation and review by:
Sunita Bhaduria
Sominder Kumar
Nidhi Agarwal
Paroma Sadhana

Cover Photo:
Photo by: Charlotte Anderson
Cover photo features girls from the Kishori Manch (collective of adolescent girls) formed and facilitated by CREA's partner organisation, Grammonnati Sansthan, Mahoba Uttar Pradesh, India as part of the It's My Body : Advancing Sexual and Reproductive Health and Rights using sports.

Design and typesetting:
Ashima Graphics

With support from:
Reproductive Health Matters, UK, and other donors to CREA

To get free copies of RHM Hindi issues, contact:
CREA
7 Jangpura B, Mathura Road
New Delhi 110014, India
Tel: 91 11 24377707, 24378700, 24378701
Fax: 91 11 24377708
Email: crea@creaworld.org

RHM Hindi can also be downloaded for free from www.creaworld.org

Papers in this issue are from:
Reproductive Health Matters (RHM)
Volume 23, Issue 46, November, 2015

©Reproductive Health Matters 2016

RHM is a Registered Charity in England and Wales, No. 1040450
Limited Company Registered
ISSN 0968-8080

RHM is indexed in:
Medline
PubMed
Current Contents
Popline
EMBASE
Social Sciences Citation Index

For submission of papers:
Shirin Heidari, Editor

For any other queries:
Pathika Martin
E-mail: pmartin@rhmjournal.org.uk

Guidelines available at:
www.rhmjournal.org.uk
RHM is part of the Elsevier Health Resource
Online: www.rhm-elsevier.com

RHM editorial office:
Reproductive Health Matters (RHM)
444 Highgate Studios
53-79 Highgate Road
London NW5 1TL, UK
Phone: 44-20-7267 6567
Fax : 44-20-7267 2551

REPRODUCTIVE HEALTH *matters*

रिप्रोडक्टिव हैल्थ मैटर्स

Issue 10, 2017

अंक 10, 2017

यौनिकता: राजनीति और अधिकार

crea

Content

Editorial 5

1. **Sexual rights and bodily integrity as human rights** 7
   Shirin Heidari

2. **Sexuality, sexual politics and sexual rights** 17

3. **Sexual health , human rights and laws** 33
   WHO, Human Reproduction Program, 2015: Bookshelf

4. **Sexual rights as human rights: a guide to authoritative sources and principles for applying human rights to sexuality and sexual health** 37
   Jane Cottingham and Sofia Gruskin Alice M. Miller, Eszter Kismödi,

5. **“Sexuality? A million things come to mind”: reflections on gender and sexuality by Chilean adolescents** 59
   Anna K.-J. Macintyre, Adela R. Montero Vega and Mette Sagbakken

6. **Advocating for sexual rights at the UN: the unfinished business of global development** 73
   Saida Ali, Shannon Kowalski and Paul Silva

7. **Sound and Fury – engaging with the politics and the law of sexual rights** 82
   Alice M. Miller, Sofia Gruskin, Jane Cottingham and Eszter Kismödi

8 **Facing negative reactions to sexuality education through a Multicultural Human Rights framework** 95
   Vera Paiva and Valeria N. Silva

विषय सूची

प्रस्तावना 5

1. **मानव अधिकारों के रूप में यौन अधिकार और शारीरिक अखंडता** 7
   शिरीन हैदरी

2. **यौनिकता, यौनिक राजनीति और यौनिक अधिकार** 17

3. **यौन स्वास्थ्य, मानव अधिकार और कानून** 33
   विश्व स्वास्थ्य संगठन, मानव प्रजनन कार्यक्रम, 2015

4. **मानव अधिकारों के रूप में यौन अधिकार : यौनिकता और यौन स्वास्थ्य के लिए मानव अधिकार को लागू करने के लिए आधिकारिक सूत्रों और सिद्धांतों के लिए एक गाइड** 37
   ऐलिस एम. मिलर, एस्टर किसमोडी, जेन कॉटिन्घम, सोफ़िया ग्रस्किन

5. **''यौनिकता? लाखों बातें दिमाग में आती हैं'': जेन्डर और यौनिकता पर चिली के किशोर युवाओं की सोच** 59
   ऐना के–जे मैकिटायर, ऐडेला आर मोन्टेरो वेगा, मैटे सैगबाकेन

6. **संयुक्त राष्ट्र में यौनिक अधिकारों की पैरवी : वैश्विक विकास के अधूरे काम को पूरा करना** 73
   सायदा अली, शैनोन कोवाल्स्की, पॉल सिलवा

7. **विरोध के स्वर और रोष – यौन अधिकारों की राजनीति और कानून को समझना** 82
   ऐलिस एम. मिलर, सोफ़िया ग्रस्किन, जेन कॉटिन्घम, एस्टर किसमोडी,

8. **एक बहु–सांस्कृतिक मानवाधिकार ढाँचे के माध्यम से यौनिकता शिक्षा के प्रति नकारात्मक प्रतिक्रियाओं का सामना करना** 95
   वेरा पाइवा, वेलेरिया एन. सिल्वा

प्रस्तावना

वर्ष 2000 में स्थापित क्रिया, नई दिल्ली में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय नारीवादी मानव अधिकार संस्था है। एक महिला अधिकार संस्था के रुप में क्रिया समुदाय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। मानव अधिकार समूह के विभिन्न सहभागियों के साथ मिलकर क्रिया मुख्यतः महिलाओं और लड़कियों के अधिकार को बढ़ावा देने, महिला अधिकार और महिलाओं के विरूद्ध हिंसा, यौनिकता, यौन एवं प्रजनन अधिकार व स्वतंत्रता तथा सामाजिक न्याय के मुद्दों पर कार्य करती है। क्रिया महिलाओं और लड़कियों की क्षमता वृद्धि में सहयोग करती है ताकि वे अपने अधिकारों की माँग करें और उन्हें प्राप्त कर सकें। यह कार्य सामाजिक आंदोलन को प्रभावित कर तथा स्थानीय, प्रांतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेटवर्क स्थापित कर, प्रशिक्षण तथा पैरवी के द्वारा किया जाता है।

2006 में हिंदी में शुरू हुआ आर.एच.एम. अभी भी एक अनोखा प्रस्तुतिकरण बना हुआ है। सिद्धांत और व्यवहार दोनों को मिलाकर महिलाओं और युवाओं से जुड़ी यौन स्वास्थय, यौन अधिकार और प्रजनन स्वास्थय के मुद्दों पर अभी भी कोई किताब नज़र नहीं आती है जो हिन्दी में नए लेख और सिद्धांतों से हमें जोड़े रखे। क्रिया की कोशिश है कि सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हिंदी भाषी साथियों और एक्टिविस्टों को नए सिद्धांत और लेख लगातार मिलते रहें ताकि भाषा, जानकारी हासिल करने और कार्य में रुकावट ना बने।

क्रिया के तरफ से हिंदी आर.एच.एम. का दसवाँ अंक आपके साथ बांटते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्रिया के लिए इस अंक का बहुत महत्व है क्योंकि इसमें शामिल किए गए सभी लेख यौनिकता के मुद्दे से जुड़े हैं जो कि क्रिया के कार्य का मुख्य क्षेत्र है। इस अंक में कुल आठ लेख दिए गए हैं जो यौनिकता और जीवन के अन्य मुद्दों से यौनिकता के जुड़ाव को देखते हैं। दिए गए विभिन्न लेखों के माध्यम से हम यह देखेंगे कि किस तरह से व्यक्तिगत मुद्दा होते हुए भी यौनिकता का राजनीतिकरण किया गया है; और किस तरह मानव अधिकार और कानून उसे प्रभावित करते हैं।

वर्तमान वातावरण में यौनिकता और उससे जुड़े मुद्दे उठाना और उनपर बातचीत करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। बदलते वातावरण में जहाँ हर तरफ सूचनाओं का आदान–प्रदान हो रहा है वहीं यह भी आवश्यक महसूस होता है कि ये जानकारियां सही समय पर सही लोगो के पास पहुँचें। कई बार जानकारी इतनी अधिकता में मिल रही है कि उसकी विश्वनीयता भी खतरे में पड़ जाती है। नैतिकता के आधार पर कई नियंत्रण लगते जा रहे हैं। इस अंक में दिए गए सभी आठ लेखों का चुनाव इसी आधार पर किया गया है कि ये वर्तमान वातावरण में हम सभी को नए मुद्दों से जोड़े और इनपर चल रहे कार्यों से परिचित कराएं।

सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन एक धीमी प्रक्रिया है और इसको बदलने में तनाव भी पैदा होता है। परंतु यदि युवाओं को व्यापक यौनिकता शिक्षा से जोड़ा जाए तो इस परिवर्तन को बहुत हद तक सरल बनाया जा सकता है।

इस अंक में दिए गए संपादिकीय में लेखिका ने कहा है कि यौनिकता एक राजनीतिक मुद्दा है, हालाँकि इसे बिलकुल व्यक्तिगत मुद्दा माना जाता है। इस अंक में यह कई तरह से स्पष्ट होता है कि यौनिकता राजनीतिक और निजी दोनों क्षेत्रो में सत्ता के अधीन है। यौन स्वास्थय, मानव अधिकार और कानून से जुड़े लेख इस बात को और उजागर करते हैं कि किस तरह कानून समाज के नियमों को निर्धारण करता है और मानव अधिकारों को हम कानून व्यवस्था में कैसे देखते हैं। किस तरह असमानता और भेदभाव के कारण यह देखा जा सकता है कि किसके यौन स्वाथ्य की आवश्यकता पूरी हो सकती है और कौन अपने मानव अधिकारों को प्राप्त कर सकता है। सत्ता ये निर्धारित करती है कि किसे यौन व प्रजनन अधिकार मिलेगा और किस हद तक मिलेगा।

दिए गए लेख यह भी बताते हैं कि यौन अधिकारों के कई पहलुओं पर बात करने और पैरवी के लिए किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों से कितनी सहमति बनी है और पैरवी को आगे कैसे बढ़ाया जाए यह जानना भी आवश्यक है। एक तरफ यौन अधिकारों को वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई है तो दूसरी तरफ कई तरह के नियंत्रण भी जन्मे हैं। व्यापक यौन शिक्षा अभी भी विश्व के कई देशों में सिर्फ कागज़ पर ही है। जहाँ एच.आई.वी. की बात हो तो यौन शिक्षा आवश्यक है परंतु शिक्षा कार्यक्रम में शामिल करना मंजूर नहीं है। कई कानूनों के माध्यम से इस मुद्दे पर बात करना गैर–कानूनी बना दिया गया है। हाल ही के समय में भारत में यौनिक मुद्दों पर बच्चों की सहमति की उम्र में बदलाव कर सभी 18 साल से कम उम्र की जनसंख्या को बच्चों की परिभाषा में डाला गया है जिससे यौनिकता से जुड़ी शिक्षा को लेकर भी कई मुद्दे पैदा हुए हैं।

माता–पिता और राज्य दोनों ही यौन शिक्षा को नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। इसी मुद्दे पर यौन शिक्षा के लिए पाईवा और सिल्वा का लेख बहु–संस्कृति मानव अधिकार दृष्टिकोण के उपयोग का वर्णन करता है और बताता है कि देश की रुढ़ीवादी सोचवाली पृष्ठभूमि में यौन शिक्षा के विरोध से कैसे निपटा जा सकता है।

आशा है आप सभी को ये अंक भी पिछले सभी अंको की तरह पसंद आएगा और आप इसे अपने कार्यों में और शोध में उपयोग करेंगी। क्रिया में आर.एच.एम. के लेखों को कई तरह से उपयोग किया जाता है। सभी हिन्दी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनेक लेखों का उपयोग कर चर्चा आयोजित की जाती है। कई लेखों से जुड़े मुद्दों को हम अपने कार्यक्रम डिजाईन करने में उपयोग करते हैं तो कई लेखों को पढ़कर उनपर चर्चा कर अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने में उपयोग करते हैं। आप सभी इसे उपयोग करें और किसी भी सुझाव के लिए क्रिया को लिखें व अपना फीडबैक भी बांटे। इस अंक की और प्रतियों के लिए क्रिया से अवश्य संपर्क करें।

© Reproductive Health Matters.
All Rights reserved.
ISSN 0968-8080
Reproductive Health Matters 2015;23(46):1–6
Doi: 10.1016/j.rhm.2015.12.001

मानव अधिकारों के रूप में यौन अधिकार और शारीरिक अखंडता

शिरीन हैदरी
निदेशक एवं संपादक, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मैटर्स, लंदन, यूके / जेनेवा, स्विटज़रलैंड
पत्राचार : SHeidari@rhmjournal.org.uk

यौनिकता एक राजनीतिक संघर्ष है और जैसा कि इस अंक में एक लेखिका ने कहा है कि यह ''एक तरफ दमन और खतरे के बीच तो दूसरी ओर शोषण, खुशी और एजेंसी के बीच फंसी हुई है'' (मुहांगुज़ी)। हालाँकि यौनिकता को अंतरंग और व्यक्तिगत विषय माना जा सकता है, लेकिन यह अक्सर निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों में सत्ता संबंधों के अधीन है, और इसका अत्यधिक राजनीतिकरण हुआ है। अधिकार प्राप्त मानवाधिकार समुदायों द्वारा यौन अधिकारों की रूपरेखा तैयार करने के लिए यौनिकता और यौन स्वास्थ्य से संबंधित मामलों की एक विस्तृत जानकारी और समझ के लिए मानव अधिकार मानकों को लागू किया गया है, और इन अधिकारों का सम्मान करने और पूर्ति करने के जनस्वास्थ्य लाभ निर्विवाद हैं। फिर भी, यौनिकता और यौन स्वास्थ्य से संबंधित मामलों पर राजनीतिक वार्ता विवादास्पद और ध्रुवीकृत रहती है। आर.एच.एम. का यह अंक, यौनिकता, यौन अधिकार और यौन राजनीति पर केन्द्रित है, जिसमें व्यापक विश्लेषण, दृष्टिकोण और साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं, जो यौन स्वास्थ्य और मानव अधिकारों के बीच के संबंध को उजागर करते हैं, और सभी प्रकार के यौन रुझान या जेन्डर विविधता वाले व्यक्तियों को यौन स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्य स्तर हासिल करने में आने वाली चुनौतियों और अवसरों के बारे में हमारी जानकारी को बढ़ाते हैं।

यौन अधिकारों की बढ़ती हुई वैश्विक मान्यता

इस वर्ष, मिलेनियम विकास लक्ष्यों (एम.डी.जी.) का स्थान, अधिक महत्वाकांक्षी और दूरगामी सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) के एजेंडे ने ले लिया है। इसका श्रेय पैरोकारों के अथक प्रयासों को जाता है जिनकी वजह से यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और कुछ हद तक प्रजनन अधिकारों, एम.डी.जी. की तुलना में एस.डी.जी. के लक्ष्यों में स्वास्थ्य (लक्ष्य 3) और जेन्डर समानता (लक्ष्य 5) को दिए गए अधिक महत्व को मिला है। जनसंख्या और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 1994 की कार्यवाही योजना और 1995 के बीजिंग कार्यवाही मंच के परिणामों के आधार पर, नए एस.डी.जी. में परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य और एच.आई.वी./एड्स से संबंधित एकीकृत लक्ष्य रखे गए हैं। लेकिन जहाँ इन लक्ष्यों को स्थापित करने की समावेशी और पारदर्शी प्रक्रिया की सराहना की गई है, वहीं यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों (एस.आर.एच.आर.) पर अपने संकीर्ण सोच के लिए इनकी आलोचना भी की गई है।[1,2] इस एजेंडे में जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व मौजूद नहीं है, वह है– यौन रुझान और जेन्डर अभिव्यक्ति, व्यापक यौन शिक्षा या सुरक्षित और कानूनी गर्भ समापन की सुविधा सहित यौनिकता और यौन स्वास्थ्य के कई पहलुओं के संबंध मे यौन अधिकारों पर स्पष्ट और प्रगतिशील भाषा।[3]

इस वर्ष के आरंभ में प्रकाशित विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) की ताजा रिपोर्ट ''सेक्शुअल हेल्थ ह्यूमन राइट्स एंड द लॉ (यौन स्वास्थ्य, मानव अधिकार और कानून)''[4] के लिए यौनिकता, यौन स्वास्थ्य और मानव अधिकारों के बीच अंतर्संबंधों का व्यापक वर्णन करने का एक प्रगतिशील प्रयास है। यह

यौन स्वास्थ्य की प्राप्ति, अर्थात् सम्मान और मानव अधिकारों के संरक्षण के माध्यम से किसी ज़ोर–ज़बरदस्ती, भेदभाव और हिंसा के बिना एक सुखद, भरपूर और सुरक्षित यौन जीवन के महत्व पर ज़ोर देती है। हालाँकि यह यौन अधिकारों के अपनी खुद की परिभाषा (बॉक्स 1) के इस्तेमाल से संकोच करती है, इसमें स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि किस प्रकार सहमतिपूर्ण वयस्क यौन व्यवहार को सीमित करने वाले प्रतिबंधात्मक कानूनों का –सूचना, शिक्षा और सेवाओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने; भेदभाव, या असमानता से रक्षा करने, या निजता और गोपनीयता के अधिकार की रक्षा करने में असफल रहने से – स्वास्थ्य और जीवन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है और मानव अधिकारों का उल्लंघन होता रहता है। यह रिपोर्ट, राज्यों को अपने नागरिकों की यौन स्वास्थ्य ज़रूरतों को पूरा करने संबंधी अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुरूप अपने कानून और नीतियां बनाने के लिए प्रेरित करती है।[5]

डब्ल्यू.एच.ओ. की रिपोर्ट उन अनेक अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज़ों में से एक है, जो यौनिकता और यौन स्वास्थ्य, अर्थात्, यौन अधिकारों के मानव अधिकार पक्ष को मान्यता प्रदान करते हैं। अन्य उदाहरण हैं – संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त की हाल की रिपोर्ट, जो यौन रुझान और जेन्डर पहचान के आधार पर भेदभाव और हिंसा की निंदा करती है,[6] और अनेक संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों द्वारा एक अभूतपूर्व संयुक्त बयान, जिसमें राज्यों को गैर–विषमलैंगिक प्रामाणिक यौन अभिव्यक्ति, यौन रुझान और जेन्डर पहचान वाले लोगों के विरुद्ध हिंसा और भेदभाव समाप्त करने की ज़िम्मेदारी लेने के लिए कहा गया है।[7] इसी तरह के अन्य प्रयास भी इसी दिशा में प्रेरित कर रहे हैं; यू.एन. एड्स की नई रणनीति में यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों पर अधिक बल दिया गया है, इसमें यह स्वीकार किया गया है कि एच.आई.वी. की महामारी को केवल तभी खत्म किया जा सकता है, जब लोग अधिकारों का पूरी तरह प्रयोग कर सकें।[8] इस वर्ष के शुरू में डब्ल्यू.एच.ओ. द्वारा जारी और इस अंक में कूपर इत्यादि द्वारा वर्णित, यौनिकता से संबंधित संक्षिप्त संचार के दिशानिर्देशों का उद्देश्य, खराब यौन स्वास्थ्य के बोझ को कम करने और यौन स्वास्थ्य के अधिकाधिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में यौनिकता और यौन स्वास्थ्य के अधिक समग्र दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना है। इसी तरह, रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण (11वें संस्करण) में प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य यौनिकता और यौन स्वास्थ्य से संबंधित विषयों पर अधिक ध्यान देना है। उदाहरण के लिए, ''जेन्डर पहचान विकार (जेन्डर आइडेन्टिटी डिसऑर्डर)'' को ''मानसिक और व्यवहार संबंधी विकारों (मेन्टल एंड बिहैव्यिरल डिसऑर्डर्स)'' की श्रेणी से हटाने और इसे ''यौन स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां (कंडीसन्श रिलेटेड टू सेक्शुअल हेल्थ)'' नामक एक नए अध्याय के अंतर्गत ''जेन्डर असमरूपता (जेन्डर इन्कॉन्ग्रुएन्स)'' के रूप में डालने का प्रस्ताव, यौन आत्मनिर्णय के आधार पर जेन्डर अभिव्यक्ति को जेन्डर पहचान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। (इस अंक में कोटलर इत्यादि देखें)।

बॉक्स 1. यौन अधिकार संबंधी विश्व स्वास्थ्य संगठन की मान्य परिभाषा

मौजूदा मानव अधिकारों को यौनिकता और यौन स्वास्थ्य पर लागू करने से यौन अधिकार बनते हैं। यौन अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण के ढाँचे के भीतर, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करते हुए, अपनी यौनिकता को पूर्ण करने एवं व्यक्त करने तथा यौन स्वास्थ्य का लाभ उठाने के सभी लोगों के अधिकारों का संरक्षण करता है।

यौन स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण अधिकारों में निम्न शामिल हैं:

- व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, स्वायत्तता और सुरक्षा का अधिकार

- समानता और भेदभाव न किए जाने का अधिकार
- यातना या क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सज़ा से मुक्त रहने का अधिकार
- निजता का अधिकार
- स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्य मानक (यौन स्वास्थ्य सहित) और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार
- शादी करने और परिवार बनाने तथा इच्छुक जीवन साथी की स्वतंत्र और पूर्ण सहमति के साथ शादीशुदा जीवन में प्रवेश करने और शादी में एवं विघटन के समय समानता का अधिकार
- अपने बच्चों की संख्या और दो बच्चों के जन्म के बीच अंतर तय करने का अधिकार
- सूचना और शिक्षा का अधिकार
- विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार
- अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए प्रभावी उपचार का अधिकार

डब्ल्यू.एच.ओ., 2006, 2010 में अपडेट किया गया।

http://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual_health/sh_definitions/en/

इन मामलों से पता चलता है कि किस प्रकार संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकाय, अन्य बातों के साथ–साथ, यौन रुझान और जेन्डर पहचान, विकलांगता, जाति, लिंग और उम्र की परवाह किए बिना, यौनिकता और यौन स्वास्थ्य से संबंधित अधिकारों को मान्यता प्रदान करने, सम्मान करने और उन्हें पूरा करने के लिए सदस्य राज्यों पर कुछ दबाव बनाने के लिए सतर्क कदम उठा रहे हैं। हालाँकि, ''यौन अधिकार'' शब्द पर अंतर्राष्ट्रीय आम सहमति बनना अभी बाकी है।

संयुक्त राष्ट्र के सतर्क उपायों के साथ–साथ सिविल सोसाइटी संगठनों द्वारा यौन अधिकारों का सम्मान, और यौनिकता और यौन स्वास्थ्य को प्रजनन में उनकी भूमिका से परे, मानव अधिकार के रूप में मान्यता को बढ़ावा देने के लिए माँग बढ़ी है। उदाहरण के लिए, इस वर्ष अगस्त में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपने 32वें अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आम सहमति से वयस्क यौन कर्म को अपराध नहीं मानने की माँग करते हुए यौन कर्मियों के मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक नीति का प्रस्ताव रखा। जनता द्वारा कई मोर्चों से आक्रमण और यौन उद्योग के हाथों की कठपुतली बनने के झूठे आरोपों के बावजूद, ऐमनेस्टी इंटरनैशनल के सदस्यों ने यह फैसला किया कि समाज में सबसे अधिक वंचित और भेदभावग्रस्त समूहों में से एक के मानव अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नीतिगत बहस के हाशिए से आगे बढ़ना चाहिए।[9] यौन कर्मी संघों द्वारा बयान की गई इस स्थिति को अनेक मानव अधिकार संगठनों और जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों ने, दंडात्मक कानून के हानिकारक परिणामों के मौजूद साक्ष्य– विशेष रूप से जिस तरह अपराधीकरण, एच. आई.वी. की रोकथाम के प्रयासों में बाधक है, के साथ समर्थन प्रदान किया।[10]

यह तथ्य कि सेक्स और यौनिकता को राजनीतिक रंग दिया जाता है, यही कारण है कि एस.डी.जी. में और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों की राजनीति में यौन अधिकारों पर चुप्पी है, भले ही इन अधिकारों का यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के साथ गहरा संबंध है, और उन्हें सार्वभौम रूप से स्वीकार्य मानव अधिकार के मानकों में शामिल किया गया है। सिल्वा इत्यादि ने अपनी व्याख्या में इस आलोचना को शामिल किया है और विवादास्पद अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं पर प्रकाश डाला है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि किस प्रकार रूढ़िवादी सदस्य राज्य, यौन अधिकारों पर सार्वभौम आम सहमति की दिशा में प्रगति को धीमा करते हैं। मिलर इत्यादि ने अपनी व्याख्या में, यौन अधिकारों के विरोधियों द्वारा दिए गए तर्कों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया है, जिसमें

नैतिक, सांस्कृतिक और मूल्य आधारित विरोध से हटकर मानवाधिकार की भाषा का प्रयोग प्रदर्शित होता है, जहाँ कुछ अधिकारों को दूसरों से अधिक महत्व दिया जाता है। अपनी व्याख्या के साथ–साथ, लेखकों ने अपने शोधपत्र ''सेक्शुअल राइट्स ऐज ह्यूमन राइट्सः ए गाइड टू अथॉरिटेटिव सोर्सेज़ एंड प्रिंसिपल्स फॉर अप्लाइंग ह्यूमन राइट्स टू सेक्षुऐलिटि एंड सेक्शुअल हेल्थ (मानव अधिकारों के रूप में यौन अधिकार : यौनिकता और यौन स्वास्थ्य के लिए मानव अधिकार को लागू करने के लिए आधिकारिक सूत्रों और सिद्धांतों के लिए एक गाइड)'' में इस क्षेत्र में प्रगति को कमज़ोर करने वाली रुढ़िवादी ताकतों का मुकाबला करने के लिए एक टूल प्रस्तुत किया है। यह गाइड हमें मानवाधिकार संधियों और उनके निगरानी निकायों; अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय न्यायालयों के फैसलों और राजनीतिक घोषणाओं की जानकारी प्रदान करती है, जो यौन अधिकारों का आधार बनती हैं।

देश स्तर पर प्रगति और चुनौतियां

ज़मीनी स्तर पर भी प्रेरणादायक प्रगति हुई है। दुनिया भर के ट्रॉंसजेंडर लोग अपने अधिकारों का दावा कर रहे हैं। जैसा कि इस अंक में गेट के कथन से स्पष्ट है कि माल्टा में ऐतिहासिक जेन्डर पहचान, जेन्डर अभिव्यक्ति और यौन विशेषता अधिनियम (जी.आई.जी.ई.एस.सी. आई.) को स्वीकृति प्रदान कर, जेन्डर पहचान के आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता प्रदान किया जाना, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है।[11] जननांग सर्जरी और नसबंदी से प्रतिबंध हटाए जाने पर कानूनी रोक है, जो चिंता का एक प्रमुख विषय रहा है, और माल्टा राज्य पर ट्रॉंसजेंडर लोगों के आत्मनिर्णय और मानव अधिकारों का सम्मान और रक्षा करने के दायित्वों को कानूनी रूप से बाध्यकारी कई देशों और स्थानों में अभी भी यह अनिवार्य है। जब आयरलैंड में किसी चिकित्सा प्रमाणपत्र या राज्य के अधिकारियों द्वारा किसी अन्य प्रक्रिया के बिना लोगों को कानूनन अपना जेन्डर चुनने की अनुमति देने संबंधी एक कानून लाया गया तब ट्रॉंसजेंडर लोगों के अधिकारों को मान्यता प्राप्त हुई, और डेनमार्क, माल्टा और अर्जेंटीना के बाद आयरलैंड ऐसा प्रगतिशील कानून लाने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया।[12] 2014 में उच्चतम न्यायालय के फैसले, जिसमें उन्हें तीसरे जेन्डर के रूप में कानूनी दर्ज़ा प्रदान किया गया था,* के अनुपालन में भारत की संसद द्वारा भी ट्रॉंसजेंडर लोगों का समान संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक विधेयक अधिनियमित किए जाने की आशा है, और इस प्रकार यह बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल जैसे इस क्षेत्र के दूसरे देशों के साथ शामिल हो जाएगा, जो तीसरे जेन्डर को कानूनी मान्यता प्रदान करते हैं।#

दुनिया भर के लोगों ने भी 2015 में वैवाहिक समानता का कानून बनाने वाले देशों की धीरे–धीरे बढ़ती संख्या का उत्सव मनाया। एक जनमत संग्रह के बाद, आयरलैंड समलैंगिक विवाह को कानूनन वैध बनाने वाला पहला देश था,[13] और मैक्सिको और यू.एस. में उच्चतम न्यायालय के फैसलों ने समलैंगिक–विवाह को प्रभावी ढंग से वैध बनाया।[14,15]

दुनिया के कुछ हिस्सों में होती हुई क्रमशः कानूनी प्रगति सुरक्षित आशावाद के लिए आधार प्रदान करती है। हालाँकि, या तो युद्ध के एक हथियार के रूप में या उनके वास्तविक या कथित यौन रुझान और जेन्डर पहचान और यौनिकता से जुड़े अन्य मामलों के आधार पर, महिलाओं एवं लड़कियों के साथ–साथ पुरुषों और लड़कों के विरुद्ध यौन हिंसा की भयावहता अभी भी हमारी दुनिया की एक दुखद वास्तविकता है। कई देशों

*http://www.nytimes.com/2014/04/26/opinion/transgender- workers, are subject to rape and sexual and rights-in-india.html?_r=0.

#https://www.hrw.org/news/2015/08/10/dispatches-nepalstransgender-passport-progress.

में होमो और ट्रॉंसफ़ोबिक कानून और नीतियों (जैसे कि रूस का समलैंगिक विरोधी प्रचार कानून और युगांडा का लंबित समलैंगिकता विरोधी बिल) द्वारा कलंक और भेदभाव को बढ़ावा देना और एल.जी.बी.टी.क्यू.आई. समुदाय के सदस्यों के ख़िलाफ़ हिंसा भड़काया जाना जारी है। पिछले सात वर्षों के दौरान, 1,731 ट्रॉंसजेंडर और जेन्डर–विविध लोगों को मार दिया गया है[$$] जो संभवतः बहुत कम करके बताया गया आंकड़ा है।

युवतियों के स्वास्थ्य, जीवन, सुरक्षा और समाज में पूर्ण भागीदारी करने के सीमित अवसर होने के जोख़िमों के बावजूद महिलाओं का खतना और जबरन विवाह की व्यापक प्रथा आज भी जारी है। महिलाओं के यौन अधिकारों का विरोध जारी है। जहाँ आयरलैंड और माल्टा की यौन रुझान और जेन्डर पहचान सबंधी उनके प्रगतिशील कानूनों के लिए प्रशंसा की जाती है, वहीं अभी भी महिलाओं के सुरक्षित और कानूनी गर्भ समापन पर रोक जारी है, और माल्टा एकमात्र यूरोपीय देश है, जहाँ गर्भ समापन पर पूरी तरह प्रतिबंध है। निकारागुआ और अल साल्वाडोर जैसे अनेक देशों में हानिकारक प्रतिबंधक गर्भ समापन कानून लागू है, अल साल्वाडोर में तो गर्भपात होने पर महिलाओं को जेल में डाल दिया जाता है।[16] और साथ ही कई देशों (अभी–अभी पोलैंड और स्पेन) में कानूनी गर्भ समापन पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। इस बीच करीब 20 मिलियन महिलाएं हर साल गर्भ समापन कराना चाहती हैं, और सुरक्षित और कानूनी प्रक्रियाओं के अभाव में हज़ारों मर रही हैं, और मातृ मृत्यु दर और रुग्णता अभी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य की चिंता का विषय बनी हुई है। (विभिन्न व्यवस्थाओं में महिलाओं की एस.आर.एच.आर. ज़रूरतों पर इस विषय में फ़ोस्टर इत्यादि, समर इत्यादि और बेयर्ड के शोध पत्र भी देखें)। यह पूछने लायक है कि समलैंगिक विवाह को अधिक मान्यता (ठीक ही) क्यों मिल रही है, जबकि सबके लिए सुरक्षित गर्भ समापन के अधिकारों के लिए संघर्ष अभी भी जारी है, जो 'यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों के भीतर और उनके बीच विषमता' को दर्शाता है।[17] काथा पॉलिट का एक आकर्षक प्रस्ताव हैः कि जहाँ समलैंगिक शादी का संबंध प्यार से है और यह किसी डूब रही संस्था (विवाह की संस्था) में नई जान ला सकती है, वहीं गर्भ समापन, महिलाओं की यौन स्वतंत्रता के बारे में है, जहाँ सेक्स को प्रजनन से अलग रखने और कड़े रुढ़िवादियों को चुनौती देने से है।[18]

महिलाओं की यौनिकता पर यह नियंत्रण, और उनकी स्वायत्तता और अपने शरीर पर आत्म–निर्णय के प्रति सम्मान के न होने के हानिकारक परिणाम मिलने जारी हैं। जेन्डर असमानता और हानिकारक जेन्डर व्यवस्था के कारण महिलाओं, विशेष रूप से उप–सहारा अफ़्रीका की युवतियों, को एच.आई.वी. की महामारी का भारी बोझ लगातार ढोना पड़ रहा है।[19] लेस्बियन, ट्रॉंसजेंडर महिलाएं और यौन कर्मियों के साथ–साथ महिलाएं और लड़कियां बलात्कार और यौन एवं जेन्डर आधारित हिंसा का सामना कर रही हैं, और दुनिया के कुछ हिस्सों में वे ज़बरदस्ती और कम उम्र में विवाह, या एफ़. जी.एम.– जिसकी चर्चा बेरेर की व्याख्या में की गई है, जो ग्रेट ब्रिटेन में एफ.जी.एम. विरोधी नए कानून के नतीजों का विश्लेषण करती है, जैसी हानिकारक प्रथाओं का शिकार बन रही हैं। और जहाँ प्रजनन आयु की महिलाओं को जेन्डर–आधारित और यौन हिंसा की अधिक शिकार माना जाता है, वहीं अधिक उम्र की महिलाओं की ज़रूरतों और जोख़िमों को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए – यह इस अंक में क्रॉकेट और कूपर द्वारा अपने लेख में उठाई गई प्रमुख चिंता है।

बलात्कार को युद्ध के एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाना जारी है। रवांडा, सिएरा लियोन, लाइबीरिया, पूर्व यूगोस्लाविया, नेपाल, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ कांगो में संघर्ष के दौरान हज़ारों महिलाओं के साथ बलात्कार किए जाने सहित युद्ध के

$$ ट्रांस मर्डर मॉनिटरिंग (टीएमएम) परियोजना।

दौरान दंड के भय के बिना बड़े पैमाने पर यौन हिंसा का अपराध किए जाने की पुष्ट सूचना मौजूद है। हाल ही में, दक्षिण सूडान, सोमालिया, नाइजीरिया, अफ़गानिस्तान, इराक और सीरिया में यौन हिंसा और हमले की जानकारी मिली है, जिसके लिए दएष (इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लेवंत (आई.एस.आई.एल.)), अल–शबाब और बोको हरम जैसे क्रूर और बर्बर समूहों सहित विभिन्न अपराधियों को ही नहीं बल्कि सैनिकों को भी ज़िम्मेदार ठहराया गया है। सशस्त्र संघर्ष के दौरान, पुरुषों और लड़कों के विरुद्ध यौन हिंसा को भी राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका उनके शारीरिक, यौन और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है।[19] जहाँ पुरुषों और लड़कों के यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार की छिटपुट खबरें मिलती रही हैं – वहीं अबू गरेब की घटनाएं अभी भी मेरे मन में ज्वलंत हैं – कुछ हद तक जेन्डर संबंधी रूढ़ियों और पुरुषत्व के पारंपरिक ढाँचे के कारण इनको (ख़बरों को) अत्यंत अनदेखा कर दिया जाता है, और इस बारे में बहुत कम कहा गया है। इस अंक में वाईषट के एक शोधपत्र में इज़रायली अधिकारियों द्वारा फिलिस्तीनी पुरुषों के साथ यौन दुर्व्यवहार को दर्ज किया गया है, जो ऐसे साहित्य की वृद्धि में योगदान करता है, जो इन मानव अधिकार उल्लंघनों की व्यापकता और प्रकृति पर प्रकाश डालता है।

संकट और संघर्षपूर्ण परिस्थितियां, खराब यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के जोख़िम को बढ़ाती हैं, और पुरुषों एवं लड़कों के साथ–साथ महिलाओं और लड़कियों को यौन हिंसा और दुर्व्यवहार का ख़तरा अधिक होता है, विशेषकर जब वे विस्थापित होती हैं। जर्नल के इस अंक में संघर्ष और संकटपूर्ण व्यवस्था में यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार (एस.आर.एच.आर. इन कन्फ़्लिक्ट एंड क्राइसिस सेटिंग्स) (खंड 16 संख्या 31) विषय पर भी लेख देखें, जिनमें ऐसे दृष्टिकोण और विश्लेषण शामिल हैं, जो आज भी प्रासंगिक हैं[Π] यूरोप में शरण माँगने वाले लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस आबादी की यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य ज़रूरतों को पूरा करने की तत्काल आवश्यकता है। कीग्नेर्ट और गीयू ने यूरोपीय संघ की सीमाओं के अंदर यौन हिंसा को रोकने और पीड़ितों को देखभाल और सहायता प्रदान करने हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए यूरोपीय संघ की कानूनी व्यवस्था की कमियों के साथ–साथ, यूरोप में आगमन के बाद भी शरणार्थियों और शरण चाहने वालों के जोख़िम में वृद्धि को उजागर किया है। संकट और संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में व्यापक यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसे प्राथमिकता के आधार पर किए जाने की ज़रूरत है।

यौनिकता राजनीतिक है लेकिन यह व्यक्तिगत भी है

जर्नल के इस अंक में, जहाँ अधिकांश शोधपत्र यौन अधिकारों के राजनीतिक पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित करते हैं और इन अधिकारों के उल्लंघन के परिणामों के बारे में बताते हैं, वहीं दो शोधपत्र, पहला मुहान्गुज़ी द्वारा यूगांडन वीमेन्स एजेंसी इन सीकिंग सेक्शुअल प्लेज़र (यूगांडा की महिलाओं की एजेंसी जिसमें वे यौन आनंद ढूंढ सकें) और दूसरा, किगुवा द्वारा ब्लैक एमएसएम इन साउथ अफ़्रीका (दक्षिण अफ़्रीका में काला एमएसएम) अंतरंग संबंधों में यौन शक्ति और खुशी के ताजे वर्णन प्रस्तुत करते हैं, जिनमें अपनी यौन इच्छाओं और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यौन कृत्य करने में पुरुषों और महिलाओं की अलग–अलग एजेंसी पर प्रकाश डाला गया है।

हालाँकि, यौनिकता से जुड़े व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों के बीच के संघर्ष को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। अल फ़ेकी ने अपनी व्याख्या, ''द अरब बेड

[Π]http://www.rhmelsevier.com/issue/S0968-8080(08)X1631-3.

स्प्रिंग? सेक्शुअल राइट्स इन ट्रबल्ड टाइम्स एक्रॉस द मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ़्रीका (मध्य–पूर्व और उत्तरी अफ़्रीका में संकट के समय में यौन अधिकार)'' में अरब देशों में हाल में हुए राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों की पृष्ठभूमि में, जिसने नए रास्ते खोल दिए हैं, भले ही वे अनिश्चित हैं, यौनिकता और प्रतिकूल यौन और जेन्डर भूमिकाओं के प्रति बदलते नज़रिए का वर्णन किया है।

अनुकूल राजनीतिक परिवेश और एक सुरक्षात्मक कानूनी ढाँचा, यौन अधिकारों की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षाएं हैं; परंतु, वे अपने–आप में काफ़ी नहीं हैं। केवल यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कानून और नीतियों को लागू किया जाए, जो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है – बल्कि यौन अधिकारों की उन्नति और उनकी पूर्ति के लिए सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्य एवं विचारों में बदलाव आने चाहिए। इसे इस अंक के कई शोधपत्रों में प्रदर्शित किया गया है, जैसे पॉटीट इत्यादि के साथ–साथ स्टॉलमैन इत्यादि जिसमें लेसोथो के एल.जी.बी.टी.आई. लोगों के खिलाफ़ स्वास्थ्य कर्मियों, उनके परिजनों और समुदाय के अन्य सदस्यों द्वारा किए गए भेदभाव और शारीरिक और यौन हिंसा के वर्णन प्रस्तुत किए हैं और एच.आई.वी. जोख़िम के बढ़े खतरे के साथ–साथ स्वास्थ्य और जीवन पर उनके हानिकारक प्रभाव को दर्शाते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि लेसोथो में वर्ष 2012 से समलैंगिक कृत्यों को अपराध नहीं माना जाता है, कलंक का यह उच्च स्तर बना हुआ है।

सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन, धीमी प्रक्रियाएं हैं, जिन्हें कुछ हद तक युवाओं को व्यापक यौन शिक्षा के माध्यम से हासिल किया जा सकता है। लेकिन अक्सर, माता–पिता और स्कूल, दोनों के साथ–साथ राज्यों द्वारा भी यौन शिक्षा का विरोध और प्रतिरोध किया जाता है। पाइवा और सिल्वा, ब्राज़ील में अनचाहे गर्भधारण और एच.आई.वी. की रोकथाम पर ध्यान केन्द्रित करते हुए यौन शिक्षा के लिए एक बहु–सांस्कृतिक मानव अधिकार दृष्टिकोण के उपयोग का वर्णन करते हैं, ताकि देश में हावी रूढ़िवादी सोच वाली पृष्ठभूमि के खिलाफ़ यौन शिक्षा के विरोध से निपटा जा सके। मैकिन्टायर इत्यादि ने अपने शोधपत्र में चिली के सैंटियैगो में किशोरों में यौनिकता, यौन विविधता और जेन्डर समानता के प्रति दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। हालाँकि अध्ययन में इस व्यवस्था के अंतर्गत युवाओं में यौन और जेन्डर विविधता के प्रति अधिक 'स्वीकृति' और 'सहिष्णुता' को दर्शाया गया है, इसमें यह भी दर्शाया गया है कि जेन्डर भूमिकाओं और गैर–समलैंगिक मान्यताओं के पारंपरिक महत्व की जड़ें कितनी गहरी हैं। मानवाधिकार ढाँचे के भीतर व्यापक यौन शिक्षा, जेन्डर विविधता की स्वीकृति और समर्थन और जेन्डर समानता की ओर प्रयास के महत्व को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह युवाओं को अपने यौन रुझान का पता लगाने; लड़कियों (और लड़कों) को अपने यौन रुझानों, पसंदों और व्यवहार के लिए समान सम्मान करने और उसकी माँग करने हेतु सशक्त बनाने और यौन शोषण एवं हिंसा से समान संरक्षण के लिए एक सुरक्षित और सहयोगी परिवेश प्रस्तुत करने; और अंत में उन्हें ज़िम्मेदार और स्वस्थ यौन संबंधों पर जानकारी–आधारित निर्णय लेने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

अगला अंक

जैसा कि रिचर्ड पार्कर ने कहा है, कि ''यौन स्वास्थ्य की राह (और मैं इसमें प्रजनन स्वास्थ्य को भी जोड़ना चाहूँगी) यौन अधिकारों के लिए संघर्ष पर टिकी है''।[20] आर.एच.एम. जर्नल के इस अंक में व्यापक स्वास्थ्य और विकास हासिल करने में यौन अधिकारों के महत्व पर ज़ोर दिया गया है। इस अंक में दुनिया के विभिन्न हिस्सों से प्रस्तुत विश्लेषण, दृष्टिकोण और साक्ष्य, यौन स्वास्थ्य और मानव अधिकारों के बीच सबंध के बारे में हमारी समझ को अधिक व्यापक बनाने के साथ ही इस बात को रेखांकित करते हैं कि ''यौनिकता को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ढाँचे से अलग रखकर या यौनिकता को सार्थक करने वाले सांस्कृतिक और वैचारिक मान्यताओं का संदर्भ दिए बिना नहीं समझा जा सकता है।''[20]

शिरीन हैदरी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मैटर्स, 2017

प्राइड 2014 रैली, युगांडा में कंपाला के पास एन्टेबे में विक्टोरिया झील के किनारे।
यह रैली गोपनीय तरीके से उस समय आयोजित की गई थी, जब युगांडा के संवैधानिक न्यायालय द्वारा
अगस्त 2014 में प्रक्रियात्मक खामियों (मतदान के लिए पर्याप्त सांसद नहीं थे) के आधार पर समलैंगिकता विरोधी अधिनियम को अमान्य करने का फैसला सुनाया जाना था।

इसके आधार पर, पत्रिका के अगले अंक में 'यौन एवं जेन्डर आधारित हिंसा – यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों के लिए बाधा' विषय पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। हम आशा करते हैं कि प्रस्तुतियों में व्यापक विषय शामिल होंगे, जो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मूल कारणों और प्रभाव के बारे में हमारी जानकारी में वृद्धि करेंगे और ट्रॉंस – एवं जेन्डर अनुरूप व्यवहार न करने वाले लोगों के खिलाफ़ हिंसा, यौन हिंसा उत्तरजीविता संबंधी पुरुष अनुभव, और शारीरिक अखंडता और स्वायत्तता के लिए इंटरसेक्स लोगों के संघर्ष सहित, कम अध्ययन किए गए और कम उठाए गए विषयों पर आगे प्रकाश डालेंगे।

आभार

मैं इस संपादकीय की समीक्षा करने और प्रतिक्रिया देने के लिए एज़्टर किसमोडी, क्रिस्टीना ज़ामपास पथिका मार्टिन और लिसा हॉलगार्टेन की आभारी हूँ।

संदर्भ

1. Starrs A. A Lancet Commission on sexual and reproductive health and rights: going beyond the Sustainable Development Goals. Lancet, 2015;386.
2. Hawkes S. Sexual health: a post-2015 palimpsest in global health? Lancet Global Heal, 2015; 2(7): e377–e378. http:// dx.doi.org/10.1016/S2214-109X(14)70036-1([Internet]. Hawkes. Open Access article distributed under the terms of CC BY; Available from:).
3. Joint Statement by UN human rights experts, the Rapporteur on the Rights of Women of the Inter-American Commission on Human Rights and the Special Rapporteurs on the Rights of Women and Human Rights Defenders of the African Commission on Human and People. [Internet] Available from:. http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx? NewsID=16490&Lang ID=E.
4. World Health Organization. Sexual Health, human rights and the law. 2015. (Geneva, Switzerland).
5. Khosla R, Say L, Temmerman M. Sexual health, human rights, and law. In: . Lancet, 386(9995). Elsevier Ltd., 2015. p.725–726 ([Internet], Available from: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0140673615614490).
6. Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. Discrimination and violence against individuals based on their sexual orientation and gender identity, 2015. (Geneva, Switzerland).
7. ILO, OHCHR, UNDP, UNESCO, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNODC, UN Women, WFP W and U. UN statement: Ending Violence And Discrimination Against Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender And Intersex People. [Internet]. Geneva, Switzerland. Available from:. http://www.who. int/reproductivehealth/publications/gender_rights/lgbtir32 un-statement/en/.
8. UNAIDS Joint United Nations Programme on HIV/AIDS. UNAIDS Strategy 2016-2021: On the fast-track to end AIDS. 2015. (Geneva, Switzerland).
9. Amnesty International. Decision On State Obligations To Respect, Protect, And Fulfil The Human Rights Of Sex Workers [Internet]. The International Council decision. Available from:. https://www.amnesty.org/en/policy-on- state-obligations-to-respect-protect-and-fulfil-the-human- rights-of-sex-workers/.
10. UNAIDS Joint United Nations Programme on HIV/AIDS. The Gap Report. Geneva: UNAIDS, 2014.
11. Malta. The Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics Act. [Internet] Available from:. http://tgeu.org/ gender-identity-gender-expression-sex-characteristics-act-malta-2015/. 2015.
12. Transgender Europe. Ireland adopts progressive Gender Recognition Law. [Internet] Available from:. http://tgeu.org/ ireland-adopts-progressive-gender-recognition-law/.
13. Sexuality Policy Watch. Same-sex marriage becomes legal in Ireland. [Internet] Available from:. http://sxpolitics.org/same-sex-marriage-becomes-legal-in-ireland/13684.
14. Sexuality Policy Watch. Mexico Supreme Court Legalizes Gay Marriage. [Internet] Available from:. http://sxpolitics.org/mexico-supreme-court-legalizes-gay-marriage/13003.
15. Supreme Court of The United States. Obergefell et al. v. Hodges, Director, Ohio Department of Health, et al. [Internet]. Available from http://www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/14-556_3204.pdf.
16. Amnesty International. El Salvador: Separated Families, Broken Ties: Women Imprisoned For Obstetric Emergencies And The Impact On Their Families. 2015.

17. Miller AM, Roseman MJ. Sexual and reproductive rights at the United Nations: frustration or fulfilment? Reprod Health Matters, 2011;19 (38):102–118.

18. Pollitt K. There's a reason gay marriage is winning, while abortion rights are losing. The Nation.

19. United Nations. Report of the Secretary-General on Conflict-related sexual violence to the Security Council. English, 2015.

20. Parker RG. Sexuality, Health, and Human Rights. [Internet] American Journal of Public Health, 2007;97(6): 972–973(Jun, Available from: http://ajph.aphapublications. org/doi/ abs/10.2105/AJPH.2007.113365).

© Reproductive Health Matters.
All Rights reserved.
ISSN 0968-8080
Reproductive Health Matters 2015;23(46):197–207

यौनिकता, यौनिक राजनीति और यौनिक अधिकार

यौनिक अधिकारों की अवधारणा के विकास की ऐतिहासिक समीक्षा

यौनिक अधिकारों पर लिखे गए विभिन्न लेखों और घोषणाओं तथा 1975 में यौनिक स्वास्थ्य के मुद्दे पर पहली बार शुरु हुई इस चर्चा में शामिल संस्थाओं को परखने के आधार पर, यह लेख वर्णन करता है कि समय के साथ ''यौनिक अधिकारों'' का मुद्दा किस तरह बढ़ा और उभरा है। शुरुआती दौर में, जब यौनिक स्वास्थ्य के मुद्दे का विकास हो ही रहा था, उस समय प्रजनन स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाने लगा, उदाहरण के लिए, परिवार नियोजन और महिलाओं के खिलाफ़ हिंसा तथा भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष। दूसरे चरण में, 1990 के बाद से, मानव अधिकार के मुद्दे यौनिक स्वास्थ्य के मुद्दे से जुड़ गए, जिससे ''यौनिक अधिकारों'' को मान्यता मिलने लगी। इनके बारे में, अन्य दस्तावेज़ों के अलावा यौनिक और प्रजनन अधिकार पर आई.पी.पी.एफ़. चार्टर (1996) और 1997 में यौनिक अधिकारों पर सैक्सौलजी के विश्व संघ की घोषणा में भी लिखा गया। हालाँकि शुरुआती प्रयास मुख्य रूप से विषमलैंगिक महिलाओं और पुरुषों के यौनिक स्वास्थ्य पर केन्द्रित रहे, लेकिन हाल में शुरु हुए तीसरे चरण में यौन रुझान और जेन्डर पहचानों के आधार पर भेदभाव के खिलाफ़ पैरवी बढ़ रही है, जैसे कि यौन रुझान और जेन्डर पहचानों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानूनों को लागू करने के लिए योग्यकर्ता सिद्धांत। लेकिन अभी भी काफ़ी चुनौतियाँ बाकी हैं। यौनिक अधिकारों को कानूनी दृष्टिकोण से सुरक्षा और बढ़ावा देने के उपकरण के रूप में वैधीकृत करने से पहले इन्हें मानव अधिकार के क्षेत्र शामिल करना ज़रूरी है। यौन अधिकार अभी भी प्रजनन अधिकारों के विषय से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाए हैं, जो कि, एक ओर महत्वपूर्ण तो है, लेकिन गैर–प्रजननकारी यौन संबंधों को इससे बाहर रखा गया है। अंत में, हाल में एल.जी.बी.टी. अधिकारों और यौन रुझान तथा जेन्डर पहचानों पर आधारित भेदभाव के खिलाफ़ जिस संघर्ष की शुरुआत हुई है, उससे पता चलता है कि किस तरह विषमलैंगिक मुद्दे अभी भी यौनिक स्वास्थ्य व यौनिक अधिकारों के मुद्दे पर हावी हैं। लेखक इस बात को पहचानते हैं कि जेन्डर पहचानों की विविधता और तरलता यौनिकता के मुद्दों की जगह ले रही है।

यौन कर्मियों के मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए ऐम्नेस्टी इंटरनैशनल का वक्तव्य

अगस्त 2015 में, ऐम्नेस्टी इंटरनैशनल की अंतर्राष्ट्रीय परिषद बैठक ने अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड को यौन कर्मियों के अधिकारों पर एक नीति तैयार करने और अपनाने के लिए अधीकृत किया। प्रस्ताव में सुझाव दिया गया है कि ऐम्नेस्टी इंटरनैशनल एक ऐसी नीति तैयार करेगा जो सहमति–पूर्वक यौन कर्म के हर पहलू के गैर–अपराधीकरण का समर्थन करती हो। यह नीति सभी देशों से आह्वान करेगी कि यौन कर्मियों को शोषण, देह व्यापार और हिंसा से पूरी और समान कानूनी सुरक्षा मिले। इस विवादास्पद निर्णय के पीछे यह तर्क था कि विश्व भर में यौन कर्मियों पर हर समय शोषण का खतरा मंडराता रहता है, क्योंकि वे समाज के हाशिए पर जीते हैं, जो कि अक्सर ''गैर–कानूनी'' जीवन के दायरे में आता है।

इसके कई सबूत हैं कि यौन कर्मियों को भेदभाव, मारपीट, बलात्कार और शोषण का सामना करना पड़ता है – कभी–कभी तो रोज़ाना की ज़िंदगी में – और उन्हें मूलभूत स्वास्थ्य या आवासीय सुविधाएं भी प्राप्त नहीं होती। लेकिन जब यह खबर आई कि ऐम्नेस्टी

इंटरनैशनल ने यौन कर्मियों के अधिकारों पर नीति तैयार करने पर चर्चाएं शुरु कर दी हैं, तो सनसनी फैल गई और ''यौन कर्म की एक मानव अधिकार'' के रूप में पैरवी करने के लिए ऐम्नेस्टी इंटरनैशनल की निंदा की जाने लगी। ऐम्नेस्टी इंटरनैशनल ने सहमति–पूर्ण वयस्क यौन कर्म, जिसमें ज़बरदस्ती, शोषण या दुरुपयोग शामिल न हो, के सभी पहलुओं के गैर–अपराधीकरण की पैरवी करने का निर्णय लिया है। इसका आधार वे सबूत और यौन कर्मियों के खुद के अनुभव हैं कि अपराधीकरण के कारण वे सुरक्षित नहीं हैं। यौन कर्म और देह व्यापार के बीच अंतर है, और देह व्यापार में जिस प्रकार मानव अधिकारों का हनन होता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत आपराधिक होना ही चाहिए। वह महिला जो देह व्यापार का शिकार बनती है, जिसे यौन संबंध बनाने के लिए मज़बूर किया जाता है, वह ''यौन कर्मी'' नहीं है, और उसे हर हाल में सुरक्षा दी जानी चाहिए। यौन कर्मियों की प्राथमिकता है कुछ महत्वूपर्ण मानव अधिकारों को संबोधित करना, जैसे कि हिंसा का खतरा, चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता और एच.आई.वी. की रोकथाम, भेदभाव और सामाजिक अधिकारहीनता, जिनके कारण यौन कर्मियों पर शोषण का खतरा बना रहता है। यह यौन कर्म पर किसी भी प्रकार की नैतिक आपत्ति से ज़्यादा ज़रूरी है। ऐम्नेस्टी इंटरनैशनल का दृढ़ विश्वास है कि जो लोग यौन कर्मियों का शोषण या बलात्कार करते हैं, उन्हें सज़ा ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसे कानून जो ''वेश्यालय'' चलाने या यौन कर्म को ''बढ़ावा'' देने जैसे कामों को आपराधिक मानते हैं, उनके कारण अक्सर यौन कर्मियों को ही हिरासत में लेकर उन्हें ही सज़ा दी जाती है।

गैर–अपराधीकरण का ध्यान उन सब अपराधों को पकड़ने जो केवल यौन कर्मियों का अपराधीकरण करते हैं, या उन्हें जोखिम में डालते हैं, पर केन्द्रित करने के बजाय शोषण, बलात्कार और देह व्यापार के कृत्यों से निपटने के कानून पर पुनः ध्यान केन्द्रित करने पर है।

सकारात्मक यौनिकता और जननांग विकृति से गुज़रने वाली महिलाएं

जब महिलाओं के जननांगों को काटने से जुड़ी यौनिकता संबंधी चर्चाएं घोषणा करती हैं कि यौनिकता बहुमुखी मुद्दा है और इसका आधार कई प्रकार के मानसिक और सामाजिक पहलू हैं, लेकिन अध्ययनों में अभी तक जननांगों की स्थिति से हटकर कोई खास प्रयास नहीं किए हैं। तर्क दिया जाता है कि यौनिकता के संबंध में पश्चिम में, यौन संभोग उत्तेजना के दौरान पुरुष और स्त्रियों के जननांग किस प्रकार बर्ताव करते हैं, उभार, चरम आनंद और समाधान पर केन्द्रित किया जा रहा है। यह लेख इस तर्क को चुनौती देता है कि जिन महिलाओं के जननांगों को काटा गया हो, उनके यौन अनुभव में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाता है। इस लेख में कई ऐसे लेखों के उदाहरण दिए गए हैं जो यौन कार्यों में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर का तर्क देते हैं, परंतु संकेत देते हैं कि कटे हुए जननांगों वाली और बिना कटे जननांगों वाली महिलाओं के बीच बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। लेखक विवादास्पद रूप से तर्क देते हैं कि अगर जननांगों को काटना यौन सुख प्राप्ति के लिए उतना ही विनाशकारी होता जितना कि दावा किया जाता है, तो यह सांख्यिकीय अंतर और ज़्यादा होना चाहिए था (हालाँकि अध्ययन कितने लोगों पर किया गया, या किन स्थितियों में किया गया यह स्पष्ट नहीं किया गया है)। उनके अनुसार, ''यौन इच्छा'', ''कामेच्छा'', ''यौनिक संतुष्टि'' और ''यौनिक समस्याएं'' ऐसी अवधारणाएं हैं जिनके पीछे कोई विशेष परिकल्पना नहीं की गई है। स्वीडन में महिलाओं के साथ किए गए इंटरव्यू, जो प्राथमिक रूप से इथियोपिया, एरिट्रिया और सोमालिया से हैं, के आधार पर लिखे इस लेख में तर्क दिया है कि महिलाओं को उनकी यौनिकता की हानि होने का अहसास स्वीडन में महिला जननांग विकृति पर आम स्तर पर हो रही चर्चाओं के कारण होता है। इसलिए अफ्रीकी लड़कियों और महिलाओं – जिनके जननांगों को पहले से ही काटा जा चुका है – के यौन खुशहाली के लिए उन्हें दिए जा रहे सार्वजनिक संदेशों

के बारे में ठीक से सोच–विचार करना अनिवार्य है। युवा महिलाओं को जानकारी दी जा सकती है कि बचपन में जननांग काटे जाने के बाद भी उनके यौन सुख प्राप्त करने की अच्छी संभावना है।

महिला जननांग विकृति की ओर एक यौनिक अधिकार दृष्टिकोण

क्लिनिक में आई महिला जननांग विकृति से गुज़र चुकी महिलाओं के अनुभवों के आधार पर, लेखक तर्क देते हैं कि जिन महिलाओं के जननांगों को काटा गया हो, उन्हें सर्जरी से टिटनी (क्लिटोरिस) दोबारा बनावाने से ज़्यादा बहुमुखी सहयोग की ज़रूरत है, जिसमें एक ही समय पर चिकित्सकीय, मनोवैज्ञानिक और यौन–विज्ञान (सैक्सोलोजिकल) देखरेख शामिल है। इस लेख में किए गए दावों के सबूत में लेखकों ने उन महिलाओं की केस स्टडी दी हैं जिनके जननांगों को काटा गया है। लेखकों के क्लिनिक अनुभवों के आधार पर वे कहते हैं कि जननांगों के काटे जाने के बाद महिलाओं पर सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव जननांग कटने से जुड़ी मनोवैज्ञानिक पीड़ा, उस समय की छवियों की याद आने, उसे नकारने, शर्म और कलंकित करने वाली बातों से पड़ता है। अन्य प्रकार की यौनिक मनोवैज्ञानिक पीड़ा, जैसे कि बालपन में यौन शोषण और जबरन विवाह का भी प्रभावित महिलाओं के यौन जीवन पर असर पड़ता है।

एच.आई.वी. पॉज़िटिव किशोरों में एच.आई.वी. रोकथाम के लिए सकारात्मक कार्यक्रम तैयार करना, केन्या और युगान्डा

उच्च संक्रमण संभावित क्षेत्रों में एच.आई.वी. के साथ जी रहे किशोरों के लिए तुरंत सकारात्मक रोकथाम कार्यक्रम तैयार करना बहुत ज़रूरी है। एक मौजूदा सबूत–आधारित हस्तक्षेप जिसमें सीमित संसाधनों के परिवेश में प्राथमिक एच.आई.वी. रोकथाम में सफलता दिखाई दी, उसे केन्या और युगान्डा में एच.आईवी. के साथ जी रहे किशोरों के लिए एक सकारात्मक रोकथाम कार्यक्रम में कुछ बदलाव के साथ अपनाया गया। इस नए कार्यक्रम में जो पहलू शामिल किए गए वे थे : लक्षित पॉज़िटिव समूह की ज़रूरतों को समझना (सुरक्षित यौन संबंध, जननक्षमता संबंधी मुद्दे); संभावित हस्तक्षेपों के साहित्य की समीक्षा ;सांस्कृतिक संबद्धता (पालन करने, एच.आई.वी. संबंधित कलंक, एच.आई.वी. के बारे में बताना, सुरक्षित यौन संबंध जैसे विषयों को जोड़ने के द्वारा हस्तक्षेप के पीछे के कारण को सुधारना) सुनिश्चित करने के लिए गुणात्मक शोध करना ; अपनाए गए कार्यक्रम को किसी जगह परखना; और पहली बार लागू किए गए क्षेत्र में उसकी प्रक्रिया का आंकलन करना। कुछ समय बाद किए गए प्रक्रिया आंकलन में पाया गया कि 13–17 वर्षीय एच.आई.वी. पॉज़िटिव किशोरों के लिए यह नया कार्यक्रम सही भी था और उन्हें स्वीकार्य भी।

यौनिक अधिकार और नए मीडिया वातावरण

हाल में की गई एक समीक्षा में 10–17 वर्षीय किशोरों द्वारा ऑनलाइन यौन संबंधी जानकारी लेने या अनुभव करते समय उनके सामने आए खतरों और अवसरों को जाँचा गया। समीक्षा में कहा गया है कि, उत्तर अमरीका में केन्द्रित अध्ययनों में ज़्यादा ज़ोर खतरों पर दिया जाता है, न कि अवसरों पर। ऑनलाइन और ऑफलाइन खतरों का आपस में काफी अधिक जुड़ाव है, जहाँ जो युवा खतरे में हैं, वे ज़्यादातर उम्र में बड़े होते हैं, अक्सर खतरे मोल लेते रहते हैं, या उनके परिवार में या आंतरिक रिश्तों में परेशानियां होती हैं। 9–12 वर्ष का आयु वर्ग ऑनलाइन व्यवहार में और अधिक खतरे वाले व्यवहारों में बढ़ोतरी की महत्वपूर्ण अवस्था का सूचक है। युवाओं द्वारा जानकारी व संचार की तकनीकों का यौनिक प्रायोजन के लिए इस्तेमाल करने से संबंधित ज़्यादातर समस्याएं असमान जेन्डर स्रक्रियाताओं, यौन आचरण पर जेन्डर से जुड़े दबावों और समकक्षों, स्कूलों, माता–पिता या मीडिया से

जानकारी या सहमति के बारे में चर्चा के निम्न स्तर से जुड़ी होती हैं। इसके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है कि आखिर अल्पसंख्यक, संवेदनशील और जोखिम की संभावना वाले युवाओं को कुछ विशिष्ट ऑनलाइन या ऑफलाइन खतरे कैसे और क्यों होते हैं। समीक्षा में कुछ संभावित अवसरों के बारे में बताया गया है, जैसे कि सभी के लिए ऑनलाइन यौन जानकारी उपलब्ध कराया जाना, लेकिन खासकर गरीब, एल.जी.बी.टी. और बेघर युवाओं के लिए। यह स्पष्ट नहीं है कि काफ़ी बड़ी संख्या में जो बच्चे और युवा अश्लील वीडियो आदि देखते हैं, वे उसे यौन स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के एक ज़रिए के रूप में देखते हैं कि नहीं। दो पक्षों के बीच विवाद है जिनमें एक का मानना है कि युवाओं को यौन अभिव्यक्ति का अधिकार होना चाहिए और दूसरा पक्ष, जिसका मानना है कि बच्चों को संभावित खतरनाक ऑनलाइन व्यवहारों से बचाना चाहिए। यह स्पष्ट नहीं है कि सहमति के बारे में युवा क्या सोचते हैं, उन्हें क्या सिखाया जा रहा है, और वे ''सैक्स्टिंग'' (यौन प्रेरित संदेश भेजना) और तस्वीरें भेजने के संदर्भ में सहमति को कैसे समझते हैं। संभवतः लड़कियों से ऑनलाइन सेक्स की ज़्यादा माँग की जाती है, लेकिन अक्सर कोई चिंताजनक बात होने पर किसी वयस्क को बताने की संभावना भी लड़कियों की ही ज़्यादा रहती है। लड़कों के सामने आने वाले खतरों के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। इस चर्चा के लिए उम्र, सहमति और युवाओं के अनुभवों पर और ज़्यादा अध्ययन की ज़रूरत है। इस रिपोर्ट में कई सुझाव दिए गए हैं, जिनमें बच्चों की भागीदारी और उनकी आवाज़ को मौका देने पर ज़ोर दिया गया है।

एल.जी.बी.टी.आई. बच्चों के यौनिक अधिकार

यूनिसेफ़ द्वारा जारी किए गए एक स्थिति स्पष्ट करने वाले दस्तावेज़ में 18 वर्ष की उम्र से कम के बच्चों के एल.जी.बी.टी.आई. मुद्दों पर स्पष्टीकरण दिया गया है, जो कहता है कि सभी बच्चों – उनका वास्तविक या माना जाने वाला यौन रुझान और जेन्डर पहचान चाहे जो भी हो – को सुरक्षित और स्वस्थ बचपन का अधिकार है, जिसमें उनके साथ कोई भेदभाव न हो। यही सिद्धांत सभी बच्चों पर लागू होता है चाहे उनके माता पिता का यौन रुझान और जेन्डर पहचान कोई भी हो। एल.जी.बी.टी.आई. माता–पिता के बच्चे, और वे बच्चे जो खुद की पहचान एल.जी.बी.टी.आई. के रूप में करते हैं या अपनी जेन्डर पहचान को अभी समझ ही रहे हैं, उन्हें स्कूलों, अस्पतालों, खेलकूद की टीमों और कई अन्य स्थानों पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उन्हें परिवार, समुदाय या समाज द्वारा त्यागे या स्वीकार न किए जाने; जबदस्ती शादी कर दिए जाने; हत्या किए जाने सहित घृणा–आधारित हिंसा का शिकार बनने, और उचित जीवन कौशल शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध न होने के कारण स्वास्थ्य के जोखिम होने का खतरा होता है। हाँलाकि यह दस्तावेज़ प्रमुख रूप से यूनिसेफ़ के कर्मचारियों के लिए तैयार किया गया है, इसमें एक सकारात्मक माहौल बनाने के मूल तत्व दिए गए हैं, जो इस प्रकार भेदभाव को बढ़ावा देने वाले कानूनों, खासकर समलैंगिकता विरोधी कानूनों को रद्द करते हुए ऐसे कानूनों की रचना करते हैं जिससे एल.जी.बी.टी.आई. युगलों और उनके बच्चों के पारिवारिक रिश्तों को कानूनी मान्यता मिलती है; बच्चों को शोषक, हिंसक और यौन शोषण करने वाले वयस्कों से कानूनी सुरक्षा मिलती है; विषमलैंगिक और समलैंगिक संबंधों में सहमति देने की उम्र में समानता; और चर्चाओं में बच्चों को शामिल किए जाने की जगह मिलती है।

एल.जी.बी.टी.आई.क्यू. किशोरों को समर्थन का मज़बूतीकरण

अल्प और मध्य आय वाले देशों की उन संस्थाओं को, जो पहले से ऐसे किशोरों के साथ काम कर रही हैं जो अपनी पहचान लेस्बियन, गे, बाइसेक्शुअॅल, ट्रॉंस्जेन्डर या इंटरसेक्स (एल.जी.बी.टी.आई.) के रूप में करते हैं, या अभी अपनी यौन रुझान/जेन्डर पहचान को समझने की प्रक्रिया में हैं (क्यू.), को सुझाव दिए जाते हैं कि वे लंबे समय में सहयोग कैसे प्रदान कर सकती हैं। यह

जाँच परिणाम 100 संसाधनों, प्लैन इंटरनैशनल स्टाफ़ व अन्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ किए गए 41 साझेदार इंटरव्यू और कार्यशालाओं से प्राप्त जानकारी की समीक्षा के आधार पर तैयार किए गए। रिपोर्ट में ज़मीनी स्तर पर रचनात्मक रूप से लागू किए गए कार्यक्रमों के उदाहरण भी दिए गए हैं। इसमें आह्वान किया गया है कि एल.जी.बी.टी.आई.क्यू. किशोरों के लिए विशिष्ट कार्यक्रम लागू करने में बहु–मुखी पद्धति का उपयोग किया जाना चाहिए, जहाँ उन्हें लागू करना सुरक्षित हो, और साथ ही एक क्षमतावर्धक कानूनी और नीतिपरक माहौल तैयार किया जाए, तथा समुदाय के बीच सकारात्मक रवैये को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए सभी संस्थाओं में चल रहे कार्यक्रमों तथा पैरवी के काम में यौन रुझान और जेन्डर पहचान संबंधी मुद्दों को एकीकृत रूप से संबोधित किया जाए। दस्तावेज़ में यह सुझाव भी दिया गया है कि युवा संस्थाएं सार्वजनिक स्तर पर एल.जी.बी.टी.आई.क्यू. किशोरों के अधिकारों पर अपनी संस्थागत सोच को स्पष्ट करें। इसमें ''कोई नुकसान न पहुँचाए'' सिद्धांत को नोट किया गया है, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया है कि यह कुछ न करने का बहाना नहीं बनना चाहिए।

यौनिकता शिक्षा के क्षेत्र में प्रमाण और अभ्यास

व्यापक यौनिकता शिक्षा का विभिन्न देशों का विश्लेषण, समीक्षाओं, कार्यक्रमों के मूल्यांकन और स्थिति विश्लेषणों पर आधारित है। जाँच परिणाम व्यापक यौनिकता शिक्षा के पहलुओं, प्रभाविता, गुणवत्ता और देश–स्तरीय फैलाव का सार बताते हैं। कार्यक्रमों के अंतर्गत जेन्डर, सत्ता, और अधिकारों पर ज़ोर देने वाले सबूतों और नीति आधारित तर्कों पर प्रकाश डाला गया है। व्यापक यौनिकता शिक्षा में उपयोग होने वाले विभिन्न शब्दों की जाँच की गई है, और उसके साथ उन कार्यक्रमों की जो युवाओं को जेन्डर, सत्ता और अधिकारों के विषय पर गंभीरता से सोचने के लिए सक्रियता से जोड़ते हैं, और वे त्वरित यौनिक स्वास्थ्य से बढ़कर और ज़्यादा उद्देश्यों (कंडोम का उपयोग, यौन संचारित रोगों का प्रसार) को प्रभावित करते हैं। सत्ता से संबंधित उदाहरण हैं जल्दी शादी कर दिया जाना, यौन संबंधों में ज़बरदस्ती, अपने अंतरंग साथी द्वारा हिंसा, समलिंगी लोगों के प्रति अकारण भय जनित धमकाना, लड़कियों के अधिकार, स्कूल में सुरक्षा, यौन कर्म के लिए देह व्यापार, और जेन्डर नियम। प्राथमिक प्रमाण दर्शाते हैं कि जेन्डर, सत्ता और अधिकारों पर ज़ोर देने से सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं होते। ''व्यापक यौनिकता शिक्षा के प्रति सशक्तिकरण दृष्टिकोण'' के साथ काम करने की ज़रूरत है, जो युवाओं को सशक्त करने का उद्देश्य रखती हो, खासकर लड़कियों और अधिकारहीन युवाओं का, जिससे कि वे अपने रिश्तों में अपने आप को दूसरे के बराबर समझ सकें, अपने स्वास्थ्य की खुद सुरक्षा कर सकें, और समाज में सक्रियता से अपनी भागीदारी दे सकें। लेकिन यह साबित करने के लिए कि वास्तव में सशक्तिकरण पर ज़ोर देने वाले कार्यक्रमों से ही समस्या का हल निकलेगा, और अधिक अध्ययनों की ज़रूरत है।

बाल यौन शोषण, यौनिक अधिकार और नारीवाद

वर्तमान नीति, मुख्यधारा संस्कृति, और ज़्यादातर शैक्षिक अध्ययन यौन हिंसा को एक ऐसा कृत्य मानते हैं जिसके पीछे कई कारण, प्रतिमान, और परिणाम हो सकते हैं, जो कि हिंसा का शिकार हुए व्यक्ति की उम्र पर निर्भर हैं। इसके अलावा, हाल में नारीवादी दृष्टिकोण से बाल यौन शोषण को संबोधित करने के विषय पर छपे एक लेख के अनुसार, बलात्कार और यौन हिंसा पर नारीवादी अध्ययनों में ज़्यादातर नाबालिगों को नज़रंदाज़ किया गया है। लेखक ने बाल यौन शोषण और नारीवादी दृष्टिकोण को जोड़कर देखा है, और तर्क दिया है कि बाल यौन शोषण, किशोरों के यौनिक अधिकारों से जुड़े जटिल सवालों, और यौनिक हिंसा के संबंध में परिभाषाएं निर्धारित करने और उसे संबोधित करने में सरकार की भूमिका को परखते समय जेन्डर

और यौनिकता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। कई मुद्दों, जैसे कि किशोरों के वयस्कों के साथ यौनिक संबंध पर जेन्डर का भी प्रभाव होता है। दूसरी ओर, आम धारणा कि पुरुष यौनिकता चुनाव और कामुक गतिविधियों से घिरी रहती है, इसके कारण पुरुषों को अपने बचपन के अनुभवों में उनकी सहमति न होना दिखाई नहीं दे पाता। लेकिन बच्चे, छोटे या बड़े, काफ़ी अलग होते हैं, उन्हें अक्सर कानूनों में उस श्रेणी में शामिल कर दिया जाता है, जिसमें सहमति की उम्र से पहले यौन संबंध बनाए जाने को अपराध माना जाता है, फिर चाहें यौन संबंध आपसी सहमति से ही क्यों न बने हों। उदाहरण के लिए, दक्षिण अफ़्रीका, जहाँ बड़ी उम्र के दो राजी किशोर यदि सहमति से यौन संबंध बनाते हैं, तो तकनीकी तौर पर वे कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। बलात्कार और अंतरंग साथी द्वारा हिंसा के मामलों में नाबालिगों पर होने वाली यौन हिंसा को ज़रूर शामिल किया जाना चाहिए। यौन हिंसा के मामलों में न केवल जेन्डर संबंधी सत्ता, बल्कि उम्र संबंधी सत्ता पर भी ध्यान देना चाहिए, यह मानते हुए कि बच्चे और किशोर ऐसे समूह हैं जो ढाँचागत रूप से असमान हैं और उन पर वयस्कों का नियंत्रण और प्रभुत्व रहता है।

मध्य पूर्वी देशों और उत्तरी अफ़्रीका में जेन्डर पहचान और यौनिकता पर पुनर्विचार

जेन्डर और शरीर संबंधी शोध के विषय पर एक नई पत्रिका, खोल का पहला अंक यौनिक पहचानों और महिलाओं के यौन अनुभवों तथा क्वीयर पहचानों पर भाषा तथा राजनीति के प्रभावों पर केन्द्रित है। लेखकों का चुनाव, जो कि ज़्यादातर क्षेत्र के विद्यार्थी और कार्यकर्ता हैं, के ज़रिए कोशिश की गई है कि कार्यकर्ताओं की आवाज़ और आगे बढ़े और अनुभवों के प्रकाशन के तरीकों में बदलाव आए।

पत्रिका के एक लेख में तहर्रुश – एल – जिन्सी (जिसका मतलब होता है यौन हिंसा) शब्द के अलग–अलग अर्थ तथा उपयोग को जाँचा गया है। यह एक ऐसा तथ्य है जिसे आम तौर पर इजिप्ट में स्वीकारा नहीं जाता। वर्ष 2000 से 2012 के बीच, 233 अनोखी पोस्ट्स से इकट्ठी की गई ऑनलाइन जानकारी दर्शाती है कि इस क्षेत्र में वर्ष 2006 तक बच्चों के साथ बलात्कार और शोषण सार्वजनिक स्तर पर भारी चिंता का विषय रहा। अक्तूबर 2006 में, इजिप्ट की पोस्ट्स में एक बदलाव आया, जिसका संबंध कायरो में एक सार्वजनिक प्रदर्शन, अरब स्प्रिंग के बाद हुई यौन हिंसा की घटना से है, जिसके बाद से इजिप्ट में तहर्रुश शब्द का इस्तेमाल सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं के साथ यौन शोषण के लिए किया जाने लगा। इससे पहले, इजिप्शियन सेन्टर फ़ॉर विमेन्स राइट्स ने सड़कों पर रोज़मर्रा होने वाले यौन शोषण को खत्म करने के लिए एक अभियान शुरु किया था, जिसका नाम था तहर्रुश, और इस अभियान को कुछ अन्य लोगों ने 2011 की इजिप्शियन क्रांति के बाद भी जारी रखा। इस दौरान लगातार चर्चा पेंचीदा बनी रही क्योंकि तहर्रुशप को यौन हिंसा और बलात्कार के और ज़्यादा हिंसक स्वरूप से जोड़ा जाने लगा, वो हिंसा जो अब और भी ज़्यादा नज़र में आने लगी थी। तहर्रुश शब्द के गंभीर प्रकार की यौन हिंसा से ऐसे जुड़ाव तहर्रुश के पिछले अर्थों से मेल खाते हैं, लेकिन इसके कारण आम तौर पर लोग इस बात को मानने से इंकार करने लगे कि तहर्रुश का मतलब रोज़मर्रा में होने वाले यौन शोषण से भी है, जो कि यौन शोषण विरोधी कार्यकर्ता स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। तहर्रुश की अवधारणा की सीमाओं पर अस्पष्टता इस तथ्य पर सार्वजनिक विरोध को दोबारा पैदा करने में मदद करती है कि रोज़मर्रा होने वाले यौन शोषण बलात्कार और यौन हिंसा के जितना ही गंभीर है।

चित्र : दोनों चित्रों में कायरो, इजिप्ट के एक समृद्ध इलाके, ज़ामालेक में एक पुल के नीचे लिखे भित्ती चित्र को दर्शाया गया है; बायें पर एक महिला है और अरबी में लिखा है ''कोई शोषण नहीं', इस फोटो को 23 जून 2012 को खींचा गया; और दायें वाली फोटो एक दूसरे व्यक्ति ने 6 नवंबर 2012 को ली, जिसमें महिलाओं को पीछे से कोई छू रहा है।

धर्म, जेन्डर और यौनिकता

जून 2015 में, एक कार्यशाला में अफ़्रीकी धर्म गुरुओं को जेन्डर, यौनिकता और मानव अधिकार के विषयों पर क्षमता वर्धन के लिए एकत्रित किया गया, जिससे कि वे अपने धार्मिक समुदायों में बदलाव की प्रक्रिया चला सकें और यौनिक तथा जेन्डर आधारित हिंसा, ट्रॉंसफ़ोबिया और होमोफ़ोबिया के खिलाफ़ तथा महिला अधिकारों के समर्थन की एक आवाज़ के रूप में उभर कर आएं। ज़्यादातर भागीदारों ने अपनी पहचान ईसाई या मुसलमान बताई। एक रिपोर्ट में सभी प्रमुख चर्चाएं और सीखें दी गई हैं, जिसे बदलाव की पैरवी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, सभी प्रतिभागियों ने यौनिकता और जेन्डर विविधता पर ध्यान केन्द्रित किया, जैसे कि ''काले'' और सफ़ेद'' के बीच किया जाता है। इसका उपयोग ज़रूरत से ज़्यादा सरलीकृत दो ही सत्यों को मानने वाली धारणाओं को चुनौती देने के लिए किया जा सकता है, जो भिन्नता और अन्यत्व संबंधी मुख्यधारा सोच का निर्माण करती हैं। चर्चा का ज़्यादातर ज़ोर संस्कृति, परंपरा और धर्म की भिन्नताओं पर केन्द्रित रहा, जो अक्सर पुरुषत्व को फायदा पहुँचाती हैं, और नारीत्व को एक निचला दर्जा देते हुए हिंसा पर आधारित होती हैं। रिपोर्ट में कोई सिफ़ारिशें नहीं दी गई हैं लेकिन धर्म गुरुओं और धार्मिक संस्थाओं में काम करने वाले लोगों द्वारा आगे कार्यवाही करने के लिए संभावित दिशाएं दी गई हैं।

विकलांगता के साथ जी रहे लोगों की यौनिकता और यौनिक अधिकार

सक्रियतावाद के कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें विकलांगता के साथ जी रहे लोगों ने संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में विकलांगता को मुख्यधारा में लाने के लिए इस्तेमाल किया। इस लेख में सकारात्मक उदाहरणों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है, लेकिन योनिक अधिकारों पर चर्चा बढ़ने से जो नए विवाद पैदा हुए हैं, उन पर भी प्रकाश डाला गया है। विकलांगता और यौनिकता पर शिक्षा व सार्वजनिक क्षेत्र में जो चर्चाएं रही हैं, उनमें ज़्यादातर विकलांगता के साथ जी रहे लोगों को या तो अलैंगिक माना गया है, या फिर विकृत और अतिकामुक। 1960 के बाद से, विकलांगता आंदोलन ने इन विचारों को चुनौती दी, जिसकी शुरुआत अमरीका में आज़ादी से जीने से हुई और बाद में यौन अभिव्यक्ति और पसंद भी इसमें जुड़े। इनमें ही एक शुरुआती प्रयास कैलिफ़ोर्निया विश्वविद्यालय में यौनिकता एवं विकलांगता केन्द्र था जहाँ सेक्स थेरेपिस्ट आकर सलाह दे सकते थे और 'सेक्स सरोगेट्स' के साथ संपर्क करने में मदद कर सकते थे। दूसरे देशों, जैसे कि डेनमार्क और नीदरलैन्ड्स में सामाजिक कार्यकर्ता विकलांग लोगों से पूछते हैं कि क्या उन्हें अपनी यौनिकता के संबंध में किसी प्रकार की मदद चाहिए , और अगर वे चाहें तो यह कार्यकर्ता यौन सहयोगियों या यौन कर्मियों द्वारा कुछ मुलाकातों के के लिए आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। कुछ समूह मनोभ्रंष (डिमेनश्या) और सीखने की विकलांगता के साथ जी रहे लोगों के लिए यौन सहमति के दिशानिर्देश तैयार कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इस दृष्टिकोण पर सवाल उठा रहे हैं, जिनका दावा है कि कानूनी मान्यता प्राप्त यौन कर्म पितृसत्तात्मक संस्कृति का परिणाम है, जहाँ पुरुषों की इच्छाओं को पाला जाता है और पुरुषों को उनके यौनिक अधिकारों और पसंद के मामले में ज़्यादा वर्चस्व दिया जाता है। यौन संबंध बनाने के अधिकार, जिसमें यौन संबंधों के लिए पैसे देना शामिल है, की चर्चा में सहमति से जुड़े मुद्दों के संदर्भ में मानसिक क्षमता, विकलांग लोगों की जबरन नसबंदी, संस्थानों में रहने वाले विकलांग लोगों के यौन संबंध बनाने और यौन शोषण से मुक्त रहने के अधिकार और एल.जी.बी.टी. विकलांग लोगों के अधिकारों जैसे मुद्दों पर भी गौर किया जाना चाहिए। इस लेख के अंत में एक विकलांग शिक्षाविद के कथन को दोहराया गया है, जिसने कहा कि ''विकलांगता और अपंगता यौनिकता को प्रबल कर सकती है और जेन्डर तथा यौनिकता के हमारे मानक नियमों को बाधित कर सकती है। विकलांग शरीर हमें अपनी सोच को तय से बाहर, यौन क्रिया (लिंग योनि) जो हॉलीवुड का यौन संबंधों के प्रति एकमात्र नज़रिया है, से बाहर सोचने का मौका देता है। ''

इंटरसेक्स लोग और मानव अधिकार

काउंसिल ऑफ़ यूरोप के मानव अधिकार कमिश्नर ने हाल ही में एक दस्तावेज़ जारी किया जिसमें विश्व जिस तरह से महिला और पुरुष के द्विआधारी सेक्स और जेन्डर की सीमित श्रेणीबद्धता में व्यवस्थिति है उसकी आलोचना की गई है, और साथ ही इस दस्तावेज़ में इंटरसेक्स लोगों के लिए चिकित्सा सेवाओं के नैतिक और मानव अधिकार पहलुओं पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया है। इस दस्तावेज़ में सिफ़ारिश की गई है कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सकीय श्रेणियों पर पुनर्विचार किया जाए जिनमें जननांगों की बनावट में भिन्नताओं को एक विकृति की नज़र से देखा जाता है, जिससे कि इंटरसेक्स लोगों के मानव अधिकारों के हनन को रोका जा सके; आधिकारिक दस्तावेज़ों में इंटरसेक्स लोगों को कानूनी मान्यता दी जाए; समान बर्ताव और घृणा अपराधों के कानूनों में इंटरसेक्स लोगों को भी शामिल किया जाए; और मानव अधिकार आयोगों तथा बाल लोकपालों द्वारा इंटरसेक्स बच्चों से संपर्क बनाया जाए। इसके अलावा इसमें माँग रखी गई है कि यूरोपीय सदस्य देश इंटरसेक्स लोगों के चिकित्सकीय रूप से अनावश्यक ''सामान्यीकरण'' उपचारों पर रोक लगाएं, विशेषकर जब ये उपचार संबंधित व्यक्ति पर ज़बरदस्ती या उनकी स्वतंत्र तथा पूरी तरह सूचित

सहमति के बिना किए जा रहे हों। इस दस्तावेज़ में इंटरसेक्स लोगों के साथ किए जाने वाले भेदभाव से सुरक्षा बढ़ाने, आधिकारिक दस्तावेज़ों में उनके सेक्स को मान्यता दिए जाने और न्याय तक पहुँच बढ़ाने के सुझाव भी दिए गए हैं।

ट्रांसजेंडर लोगों के लिए व्यापक देखरेख सेवाएं, एशिया पेसिफ़िक और लेटिन अमरीका

इन दो प्रकाशनों में एशिया पेसिफ़िक और लेटिन अमरीका तथा कैरिबियन क्षेत्रों के ट्रांसजेंडर लोगों के व्यापक स्वास्थ्य और मानव अधिकार मुद्दों को बढ़ावा देने के लिए कानूनी, नीतिगत और व्यावहारिक समस्याओं को संबोधित किया गया है। इनमें बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार मानकों, क्षेत्रीय वचनबद्धताओं का संक्षिप्त विवरण दिया गया है, और साथ में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित किया गया है। ट्रांसजेंडर लोगों को जिन स्वास्थ्य और मानव अधिकार मुद्दों का सामना करना पड़ता है उन पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें हिंसा, भेदभाव, आम स्वास्थ्य ज़रूरतों (एच.आई. वी. और अन्य यौन संक्रमण, नशीले पदार्थों के उपयोग और मानसिक स्वास्थ्य), जेन्डर–पुष्टि सेवाएं और कानूनी जेन्डर मान्यता पर विशेष ज़ोर दिया गया है। इन दोनों दस्तावेज़ों में ट्रांसजेंडर वयस्को और ट्रॉंसजेन्डर तथा तय जेन्डर को ना मानने वाले लोगों, की स्वास्थ्य ज़रूरतों के लिए सहयोग देने के लिए चिकित्सकीय परामर्श भी दिया गया है। दस्तावेज़ों के अंत में कई स्पष्ट नीति सुझाव दिए गए हैं : ट्रांसजेंडर लोगों के स्वास्थ्य और जेन्डर मान्यता के अधिकारों को बेहतर बनाना, और भेदभाव तथा हिंसा से मुक्ति सुनिश्चित करना। दोनों दस्तावेज़ों में बहुत से उदाहरण दिए गए हैं जो ज़्यादातर ट्रांसजेंडर लोगों द्वारा शुरु किए गए प्रयासों से सकारात्मक प्रथाओं को उजागर करते हैं। उच्च स्तरीय प्राथमिक नीति विचारों में, निम्न शामिल हैं: अध्ययन, पैरवी और नीति क्षेत्रों में ट्रांसजेंडर लोगों की भागीदारी; भेदभाव हटाने और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच बेहतर बनाने के लिए कदम उठाना; ट्रॉंसजेन्डर लोगों के खिलाफ़ होने वाली हिंसा के लिए व्यापक तरीके अपनाना; और कानूनी जेन्डर मान्यता को बढ़ावा देना।

ट्रांसजेंडर पुरुषों के गर्भधारण के अनुभव

अमरीका में किए गए इस प्रतिनिध्यात्मक (क्रॉस–सेक्शनल) अध्ययन में ट्रांसजेंडर पुरुषों का सर्वेक्षण किया गया जो गर्भधारण कर चुके थे और उन्होंने महिला–से–पुरुष जेन्डर रूपांतरण के बाद बच्चे को जन्म दिया। मार्च से दिसंबर 2013 के बीच किए गए एक वेब सर्वेक्षण से आंकड़े इकट्ठे किए गए। 41 जवाब देने वालों, जो सभी खुद को ट्रांसजेंडर पुरुष कहते थे, ने जनसांख्यिकी, हारमोन उपयोग, प्रजनन, गर्भधारण अनुभव, और जन्म देने के अनुभवों के बारे में सवालों के जवाब दिए। गर्भधारण से पहले, 61 प्रतिशत ने टेस्टोस्टेरोन का उपयोग किया था। गर्भधारण के समय औसत उम्र 28 वर्ष थी। 88 प्रतिशत का गर्भधारण अपने ही अंडाशयों से प्राप्त अंडों से हुआ। आधी संख्या को गर्भपूर्व सेवा डॉक्टरों से प्राप्त हुई और 78 प्रतिशत ने जन्म अस्पताल में दिया। गुणात्मक अध्ययन में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की जानकारी का निम्न स्तर और गर्भवती ट्रांसजेंडर पुरुषों की अलग प्रकार की ज़रूरतें, तथा ट्रांसजेंडर पुरुषों को गर्भावस्था के दौरान सहयोग के संसाधनों की चाह – जैसे मुद्दे शामिल किए गए। हालाँकि संख्या काफ़ी कम है, लेकिन यह अध्ययन दर्शाता है कि ट्रांसजेंडर पुरुष सामाजिक, चिकित्सकीय, और कभी दोनों रूप से बदलाव के बाद भी गर्भधारण कर रहे हैं और इसलिए ट्रांसजेंडर–विशिष्ट सेवाओं तथा उपचारों की ज़रूरत है।

यौन रुझान और जेन्डर पहचान आधारित हिंसा और भेदभाव खत्म करने के लिए कानून

लोगों के खिलाफ़ उनके यौन रुझान और जेन्डर पहचान के आधार पर होने वाली हिंसा और भेदभाव पर संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार के उच्च आयुक्त द्वारा दी गई एक हाल की रिपोर्ट में 2011 की विएना उद्घोषणा और कार्यवाही के कार्यक्रम के बाद की स्थिति की जाँच की गई है। इस रिपोर्ट का ध्यान हिंसा और भेदभाव से निपटने के लिए अपनाई गई अच्छी प्रक्रियाओं को लोगों के साथ बांटने केन्द्रित है, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानूनों और मानकों और सरकारों तथा मानव अधिकार संस्थानों द्वारा की गई पेशकश को लागू किया गया हो। इनमें कुछ सकारात्मक उदाहरण भी हैं, जहाँ देशों ने गैर–भेदभावकारी और घृणा अपराध कानूनों को अपनाया है या और सशक्त किया है, इंटरसेक्स लोगों के लिए कानूनी सुरक्षाएं लागू की हैं, समलैंगिक–विरोधी कानून रद्द किए हैं, ट्रॉंसजेन्डर लोगों के सहयोग के लिए कदम उठाए हैं और समलैंगिक विवाह या सिविल यूनियन को मान्यता दी है, जिसके लिए पुलिस, स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण और स्कूलों में यौनिकता शिक्षा शुरु की है। 2011 की रिपोर्ट के बाद से सभी क्षेत्रों में एल. जी.बी.टी. और इंटरसेक्स मानव अधिकार अधिवक्ता और ज़्यादा मुखर तथा दृश्य हो गए हैं। लेकिन समग्र तस्वीर का विवरण ऐसे ही दिया गया है, जो कि ''सभी क्षेत्रों में एल.जी.बी.टी. तथा इंटरसेक्स लोगों के खिलाफ़ हिंसक शोषण, उत्पीड़न और भेदभाव व्यापक है और जारी है'', जिसके बढ़ावे में माफी मिली हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक कोई ऐसा समर्पित मानव अधिकार तंत्र नहीं बन पाया है जिसमें एल.जी.बी.टी. और इंटरसेक्स लोगों की मानव अधिकार स्थिति को संबोधित करने का व्यवस्थित और व्यापक दृष्टिकोण हो। सिफ़ारिशें राष्ट्रीय कानून लाने और देश के एल.जी. बी.टी. कार्यकर्ताओं से और अधिक चर्चा करने पर केंन्द्रित हैं।

समलैंगिक लोगो की भर्ती और रूपांतरण उपचार के सबूतों की समीक्षा

युगान्डा में वर्ष 2014 में समलैंगिक–विरोधी कानून पास होने से पहले, राष्ट्रपति मुसेवेनी ने मनुष्यों में

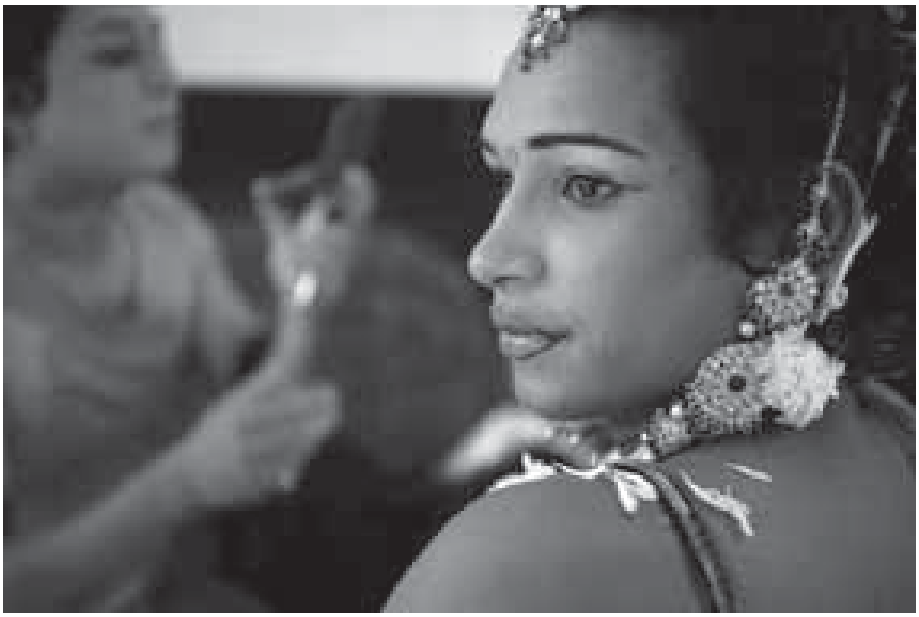

मेन हु हैव सेक्स विथ मेन प्रोग्राम में पुरुष अपनी पहचान के साथ दक्षिणी दिल्ली के नाज़ सेंटर में।

समलैंगिकता की शुरुआत के सबूतों की समीक्षा करवाई। इसका दस्तावेज़ ''साईन्टिफ़िक स्टेटमेन्ट फ़्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ़ हैल्थ ऑन होमोसेक्शुॲलिटी'', 10 फरवरी 2014, का लक्ष्य इस प्रश्न का उत्तर देना था कि क्या समलैंगिकता का कोई वैज्ञानिक/अनुवांशिक आधार है और क्या समलैंगिकता को सीखा या भुलाया जा सकता है। रिपोर्ट में उनके द्वारा उपयोग की गई कार्यप्रणाली के बारे में कुछ नहीं लिखा है और दोनों वैज्ञनिकों ने विरोध में समीक्षा करने वाली समिति से यह कहते हुए इस्तीफ़ा दे दिया था, कि रिपोर्ट में समिति के जाँच परिणामों को सही तरीके से पेश नहीं किया गया है। फिर भी, राष्ट्रपति मुसेवेनी ने विधेयक को कानून बना दिया। इसके जवाब में, इन सबूतों को जाँचने वाली समिति ने कहा कि समलैंगिकता ''पैदा'' करना संभव नहीं है, कि तथाकथित रूपांतरण चिकित्सा के सफल होने के कोई प्रमाण नहीं हैं और इससे एल.जी.बी.टी. किशोरों और वयस्कों को नुकसान ही पहुँचा है। सबूत स्पष्ट दर्शाते हैं कि समलैंगिकता कोई ''चुनाव'' नहीं है और इसे ''सीखा'' नहीं जा सकता। यह दस्तावेज़ उन लोगों के लिए उपयोगी है जो प्रस्तावित समलैंगिकता–विरोधी ''प्रचार'' कानून को चुनौती दे रहे हैं।

भारत और वियतनाम में लेस्बियन, गे, बाइसेक्शुॲल और ट्रॉंसजेन्डर को मान्यता दिए जाने का संघर्ष

भारत में लेस्बियन और गे पुरुषों को कानूनी रूप से एक अपराधी के रूप में जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है, जबकि वियतनाम में लेस्बियन और गे पुरुषों को कुछ कानूनी और सामाजिक मान्यता मिली है। एक लेख जिसमें इन दोनों देशों, जहाँ सक्रिय लेस्बियन, गे, बाईसेक्शुॲल और ट्रॉंस्जेन्डर प्रतिक्रिया मौजूद है, में भिन्नताएं और समानताएं परखी गई हैं। यह लेख कानूनी दस्तावेज़ों, द्वितीय स्रोतों और दिल्ली व हनोई शहरों में 2012 और 2013 में किए गए मानवजाति विज्ञान अध्ययन पर आधारित है। दोनों देशों में, नागरिक संस्थाओं ने एल.जी.बी.टी. लोगों के साथ काम करने के लिए एच.आई.वी. रोकथाम को ही प्रमुख ज़रिया बनाया। भारत में, संस्कृति अनुरूप एच.आई.वी. रोकथाम कार्यक्रम लागू करने के प्रयास में कई श्रेणियों को मान्यता दिए जाने की प्रक्रिया की गई, जैसे कि कोथी (प्राप्त करने वाला सहभागी) और पंथी (देने वाला सहभागी)। नागरिक संस्थाओं ने संगठित होकर भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को यह तर्क देते हुए चुनौती दी कि यह धारा सुरक्षित सेक्स और एच.आई.वी. रोकथाम कार्यक्रमों को लागू करने में बाधक है। वियतनाम में, एच.आई.वी. को समलैंगिकता से जुड़ा हुआ ही समझा जाता था, और ज़्यादातर संस्थाओं का एल.जी.बी.टी. पर ध्यान कुछ हद तक फोर्ड फाउन्डेशन की आर्थिक सहायता से आकर्षित हुआ। एच.आई.वी. संक्रमण सरकारी नियंत्रण के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया कि वे एच.आई.वी और एल.जी.बी.टी. मुद्दों पर काम करने वाली संस्थाओं के गठन और गतिविधियों को कैसे नियंत्रित करें, और इसके कारण संस्थाओं की संख्या में तीव्र वृद्धि हो गई। इनमें से कुछ तो सिर्फ़ इस मुद्दे के लिए अचानक बड़ी मात्रा में उपलब्ध आर्थिक सहयोग लेने के लिए ही बनाई गईं, और कुछ एच.आई.वी. रोकथाम काम की आड़ में जेन्डर और यौनिकता के मुद्दों पर काम कर रही हैं। एच.आई.वी. संक्रमण के कारण गैर–विषमलिंगी यौनिकता के स्वरूपों के बारे में संस्थागत मूल्यों पर भी सवाल उठने लगे, क्योंकि इन मूल्यों को यौनिक और प्रजनन स्वास्थ्य की राह में बाधा के रूप में देखा जा रहा था। इसके परिणामस्वरूप, समुदाय–आधारित संगठनों को एल.जी.बी.टी. मान्यता के मुद्दे पर लोगों को संगठित करने का मौका मिल गया, हालाँकि दोनों ही देशों में आर्थिक सहयोग की दृष्टि से बेहद सरलीकृत श्रेणियां बन गई हैं, जैसे कि कोथी और पुरुषों के साथ सेक्स करने वाले पुरुष, ऐसी श्रेणियां जो कि एल.जी.बी.टी. समुदाय की भिन्नताओं को नहीं दर्शातीं।

यौनिकता, निर्धनता और राजनीति, रवान्डा

रवान्डा के अपेक्षाकृत प्रगतिशील एल.जी.बी.टी. दृष्टिकोण और रवान्डा के नागरिक समाज पर उसके प्रभावों को इस केस स्टडी में जाँचा गया है, जिसमें मई व जून 2014 में किगाली और पूर्वी सीमा के शहर रुबावू में लोगों से अनौपचारिक चर्चाएं और इंटरव्यू तथा प्रतिभागी अवलोकन को आधार बनाया गया। राजनीतिक व्यवहारिकता के चलते रवान्डा की सरकार ने न तो एल.जी.बी.टी. अधिकारों के पक्ष में और न ही विरोध में कोई दृष्टिकोण अपनाया है। पड़ोसी देशों के मुकाबले, एक ज़ोरदार केन्द्रीकृत राजनैतिक व्यवस्था के चलते राष्ट्रपति के लिए लोकमत लेना ज़रूरी नहीं। लेकिन ''पहचान'' के विषय पर लोक चर्चा न करना और उससे जुड़े सामाजिक कलंक का मतलब है कि राजनीतिज्ञ एल.जी.बी.टी. अधिकारों पर रवान्डा के ''प्रबुद्ध'' दृष्टिकोण पर प्रचार से बचना चाहते हैं। लेकिन, एक सम्मिलित नीतिगत ढाँचे और भेदभावपूर्ण कानून न होते हुए भी, यौन रुझान और जेन्डर पहचान संबंधी सामाजिक कलंक और शर्म के कारण एल.जी.बी.टी. लोगों का कई स्तरों पर सामाजिक और आर्थिक शोषण होता है, जैसे कि शिक्षा, रोज़गार, आवास और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में। इस प्रकार का शोषण ज़्यादातर अदृश्य रहता है क्योंकि यह रवान्डा में संवेदनशीलता की मान्यता–प्राप्त श्रेणियों से बाहर है। जहाँ यह नागरिक समाज कार्यकर्ताओं को नीति स्तर पर काम करने से रोकता है, वहीं इसके कारण एल.जी.बी.टी. पैरवी प्रयासों के लिए एक सुरक्षित राजनीतिक जगह भी उपलब्ध रही है, जिसमें वे स्थापित और बढ़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर केन्द्रित हैं, जिनमें व्यापक मानव अधिकार मुद्दों और उनके प्रमुख आर्थिक सहयोग मुद्दों पर प्रभाव, जैसे कि सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और यौनिक तथा प्रजनन स्वास्थ्य, पर ज़्यादा ध्यान नहीं है। स्वास्थ्य, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के पारंपरिक कार्यक्षेत्रों से आगे बढ़कर काम करने की ज़रूरत स्पष्ट है, खासकर अगर इन प्रयासों को लंबे समय के लिए सशक्त और सहयोग देना है। इस अध्ययन में सरकारों और नागरिक संस्थाओं के लिए सिफ़रिशें भी दी गई हैं, जो यौन रुझान और जेन्डर पहचान के आधार पर सामाजिक कलंक और आर्थिक अधिकारहीनता पर पहले से चले आ रहे पैरवी प्रयासों को सशक्त करने पर ज़ोर देती हैं।

यौनिकता, यौनिक अधिकार और आर्थिक अवसर, नेपाल

नवंबर 2013 से जून 2014 के बीच काठमांडू में किए गए एक अध्ययन के आधार पर, इस केस स्टडी में अल्पसंख्यक जेन्डर और यौनिकताओं के संदर्भ में सामाजिक–आर्थिक अवसरों और बहिष्कार के बीच के रिश्ते को जाँचा गया है। इसमें उन लोगों की सामाजिक–आर्थिक अधिकारहीनता और अवसरों के अनुभवों का वर्णन किया गया है, जिन्होंने इनका सामना किया या तो फिर उनका निर्माण किया। यह लोग अपने आप को यौनिकता और जेन्डर की सामाजिक मानक परंपराओं से अलग समझते हैं। प्रतिभागियों को यौनिकता और जेन्डर भिन्नता से जुड़ी आजीविका रणनीतियों के बहुमुखी विकल्प दिए गए। इनमें से कुछ रणनीतियों को यौनिक और जेन्डर अल्पसंख्यकों के लिए चलाए जा रहे समुदाय–आधारित सहयोग कार्यक्रमों के तहत लागू किया हुआ पाया गया, जबकि कुछ की परिकल्पना स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने के रूप में की गई थी, या फिर चुनाव के विकल्प या आर्थिक अवसर न होने के कारण अनुभव की गई। केस स्टडी साबित करती है कि यौनिक और जेन्डर भिन्न्ता ही हमेशा आर्थिक अवसरों को प्रभावित नहीं करती, क्योंकि बहुत से लोग अपनी समलैंगिक पसंद और रिश्तों या जेन्डर–भिन्न अभिव्यक्तियों को छिपा कर रखते हैं। जवाब देने वालों ने बताया कि भेदभाव के कारण अक्सर स्कूल छोड़ देना पड़ता है या स्कूल में अच्छे परिणाम नहीं आते, लेकिन केस स्टडी में यह भी पता लगा कि पारंपरिक पारिवारिक और सामाजिक अपेक्षाओं से मुक्ति के कारण आर्थिक अनुरूपण के लिए मौके भी खुलते हैं, क्योंकि अब परिवार के लिए पैसा कमाने की ज़िम्मेदारी

का बोझ नहीं रहता। रिपोर्ट में यौनिक और जेन्डर अल्पसंख्यकों को प्रभावित करने वाले कानूनी और सामाजिक भेदभाव पर ध्यान दिया गया है, खासकर अपराध संहिता के नए प्रारूप का, जिसमें 'अप्राकृतिक यौन संबंधों' को आपराधिक बनाने का प्रावधान शामिल है। कई सिफ़ारिशें की गई हैं जिनका ज़ोर यौनिक और जेन्डर अल्पसंख्यकों के लिए लक्षित आर्थिक और आजीविका उपायों पर है।

कलंक और भेदभाव की परतों को एल.जी.बी.टी.आई. पैरवीकार कैसे संबोधित कर सकते हैं

यौन रुझान और जेन्डर पहचान तथा अभिव्यक्ति के विरुद्ध अपराध कई अन्य प्रकार के दमन के संदर्भ में नज़र आते हैं, जैसे कि वंश, जातीयता, विकलांगता, उम्र और वर्ग। जिन एल.जी.बी.टी.आई. लोगों को अलग–अलग प्रकार के दमन का सामना करना पड़ता है, वे अक्सर इसकी पहचान नहीं कर पाते कि किस प्रकार के दमन से उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है – इस प्रकार के दमन अलग–अलग क्षेत्रों में महसूस किए जाते हैं। इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि कार्यकर्ता इस प्रकार के उल्लंघनों और भेदभाव को संबोधित करने के लिए अलग–अलग क्षेत्रों में प्रयास करें। अलग–अलग समूहों के आधार पर विश्लेषण करने का आशय यह दर्शाना नहीं है कि एक समूह दूसरे से ज़्यादा प्रताड़ित या बेहतर हैं, बल्कि महत्वपूर्ण भिन्नताएं और समानताएं उजागर करना है जिससे कि भेदभाव को खत्म किया जा सके और ऐसी शर्तें लागू की जा सकें जो सभी लोगों को उनके मानव अधिकार दे सकें। जो उदाहरण दिए गए हैं, उनमें गे और ट्रॉंसजेन्डर लोगों (ज़्यादातर युवा और बच्चे) का बड़ा समूह है, जो न्यू किंग्स्टन, जमैका के एक तूफ़ान नाले में रहते हैं। इस संदर्भ में, हालाँकि उन पर होने वाले कुछ उल्लंघनों को घृणा–अपराध कानूनों के माध्यम से सुलझाया जा सकता है, लेकिन बेघर एल.जी.बी.टी.आई. युवाओं के व्यवस्थित शोषण को बदलने के लिए ढाँचागत सहयोग में बदलाव करने की ज़रूरत है। इसी प्रकार, अमरीका में, कई अध्ययन दर्शाते हैं के अल्पसंख्यक जातीय समूहों के द्वारा एल.जी.बी.टी.आई. पुरुष और महिलाओं के खिलाफ़ ज़्यादा शोषण होने की संभावना रहती है। इसमें भी अलग–अलग समूह, जैसे कि जेन्डर, जेन्डर पहचान, वर्ग, जातीयता, गतिविधियां और बेघर होना, ट्रॉंस महिलाओं को और ज़्यादा संवेदनशील बना देता है, जिन्हें आवास, रोज़गार और स्वास्थ्य देखरेख सेवाएं प्राप्त करने में बहिष्कार का सामना करना पड़ता है, और साथ ही शारीरिक और यौनिक हिंसा का भी। अंतर अनुभागीय (अलग–अलग समूहों के अनुसार) तरीके से सोचना पैरवीकारों को साथ काम करने और अलग–अलग आंदोलनों के साथ सहयोग करने, जैसे कि महिला, श्रमिक, विकलांगता के साथ जी रहे लोग, पर्यावरण, आदिवासी तथा प्रवासी लोगों के अधिकारों को प्रेरित कर सकता है।

दक्षिण अफ़्रीका में एल.जी.बी.टी.आई. अधिकार

दो तिहाई से ज़्यादा अफ़्रीकी देशों में समलैंगिकता अभी भी अपराधिक होने के चलते, लिखित सामग्री की समीक्षा प्रासंगिक भी है और सामयिक भी। इस समीक्षा में दक्षिण अफ़्रीका में एल.जी.बी.टी.आई. मानव अधिकारों की स्थिति को जाँचा गया है, और इसका उद्देश्य है कि क्षेत्र में सूचित कार्यक्रम तैयार करने के लिए सबूतों और वैज्ञानिक नींव बनाने में योगदान करे। हालाँकि कानूनी माहौल काफ़ी अलग–अलग हैं, जहाँ दक्षिण अफ़्रीका महाद्वीप का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ लोगों को यौन रुझान और जेन्डर पहचान अधिकार दिए गए हैं, बाकी देशों में समलैंगिकता या तो स्पष्ट रूप से गैर–कानूनी है, या साधारण कानूनों के अनुसार गैर–कानूनी है। एक जुड़ाव जो अक्सर देखा गया है, वह है धर्म, यौनिकता और होमोफ़ोबिया के बीच, जो कि मान्यता या समझ विकसित करने के रास्ते में बाधक भी है और संभावित कार्यक्षेत्र भी। हिंसा का खतरा निरंतर रहता है, जहाँ कुछ देशों में तो तीन में से एक लेस्बियन महिला बलात्कार की रिपोर्ट करती है। यौन रुझान, जेन्डर

पहचान और अभिव्यक्ति को इस प्रकार समझना बेहद ज़रूरी है कि उनके मिलन और अलगाव के पीछे छोटी–छोटी भिन्नताएं होती हैं, और किस प्रकार यह समय के साथ चुनौतीपूर्ण माहौल के अनुकूल बनने के लिए बदलती रहती हैं। समलैंगिकता के अपराधीकरण के परिणामस्वरूप, लक्षित स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम लागू नहीं हो पाते। विकट एच.आई.वी. असुरक्षा सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौती है, लेकिन एक भी राष्ट्रीय एच.आई.वी. नीति में महिलाओं के साथ सेक्स करने वाली महिलाओं (WSW) को लक्ष्य नहीं बनाया गया है, जबकि इसके पर्याप्त सबूत हैं कि क्षेत्र की दस में से एक WSW ने खुद एच.आई.वी संक्रमित होने की रिपोर्ट दी है। हालाँकि आम लोगों में एच.आई.वी. संक्रमण की दरों में गिरावट आ रही है, लेकिन ऐसा पुरुषों के साथ सेक्स करने वाले पुरुषों (MSM) में नहीं हो रहा। अगर वास्तव में इस क्षेत्र में प्रगति करनी है, तो कार्यक्रमों को इस मिथ्या को तोड़ना होगा कि मानव अधिकार चर्चाओं की आड़ में पश्चिमी आर्थिक सहयोग संस्थाएं ''क्वीयर साम्राज्यवाद'' फैलाना चाहती हैं। स्थानीय एल.जी.बी.टी.आई. समूहों के लिए सतत रूप से धनराशि उपलब्ध होनी चाहिए।

पुरुषों के साथ सेक्स करने वाले पुरुषों के साथ काम करने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का संवेदनशीलता प्रशिक्षण

केन्या उप–सहारा अफ़्रीका में वर्ष 2011 से 2014 के बीच किए गए MSM अध्ययनों के प्रकाशित साहित्य की एक प्रणालीबद्ध समीक्षा के आधार पर पुरुषों के साथ सेक्स करने वाले पुरुषों के साथ काम करने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए निःशुल्क ऑनलाइन आठ–अध्यायों वाला प्रशिक्षण अपडेट किया गया। इस समीक्षा में पहले बनाए गए आठ अध्यायों के उद्देश्यों के आधार पर आंकड़ों को श्रेणीबद्ध किया गया। अगर आंकड़े किसी भी श्रेणी में नहीं बैठ रहे थे, तो नए अध्यायों का सुझाव दिया गया। उप–सहारा अफ़्रीका में किए गए अध्ययनों में से जो 142 डैड अध्ययन चुने गए, उनमें से 34 में अध्याय अपडेट करने की ज़रूरत पड़ी, एक अध्ययन में वर्तमान विषय–वस्तु (सामग्री) को चुनौती दी गई और 107 अध्ययनों ने पहले से मौजूद विषय–वस्तु (सामग्री) की पुष्टि की। सहायक प्रजनन तकनीकों की अनुपालना और समुदाय की भागीदारी पर नए अध्याय बनाए गए। अध्ययन से पता चला कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के रवैये और व्यवहारों को बेहतर बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, पहले से चले आ रहे ऑनलाइन पाठ्यक्रम की एक समीक्षा ने दर्शाया कि प्रशिक्षण के तीन माह बाद स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में होमोफ़ोबिया काफ़ी कम हुआ और उनकी जानकारी के स्तर में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई। केन्या से प्राप्त गुणात्मक जानकारी दर्शाती है कि जिन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को डैड संवेदनशीलता प्रशिक्षण मिला, उन्हें अपने सहकर्मी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की ओर से कलंक का सामना करना पड़ा। लेख में उन अध्ययनों पर प्रकाश डाला गया है जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवेदनशीलता प्रशिक्षण के लिए लाभकारी हैं।

संदर्भ

1. Giami A. Sexuality, health and human rights: The invention of sexual rights. Sexologies 2015;24(3);105 - 13. Doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.sexol.2015.07.002.
2. Murphy C. Sex workers' rights are human rights. Amnesty International news, 14 August 2015.https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/08/sexworkers-rights-are-human-rights/
3. Johnsdotter S, Essén B. Culture and sexual scripts in and out of Africa: understanding FGC in relation to sexuality. Paper presented at Management of Women with FGM/C: 1st International Consultation, University Paris-1Pantheon Sorbonne & School for Advanced Studies in Social Sciences, France, 27 - 28 January 2015. http://www.researchgate.net/ profile/ Birgitta_ Essen/ publication/ 271642816_ Culture_ and_ sexual_scripts_in_and_out_of_Africa_Understand

ing_FGC_in_relation_to_sexuality_University_Paris1_Pantheon_Sorbonne_School_for_Advanced_Studies_in_Social_Sciences_France_27-28_January_2015/links/54ce1f5d0cf29ca810f9e503.pdf

4. Beltran L, Fall S, Antonetti-N'Diaye F. Excision: entre clinique et droits humains (English abstract). Sexologies 2015;24(3):122 - 7. Doi: http://dx.doi.org/10.1016/j. sexol.2015.05.001.

5. Nöstlinger C, Loos J, Bakeera-Kitaka S, et al. Translating primary into 'positive' prevention for adolescents in Eastern Africa. Health Promotion International 2015;online publication, 4 June 2015. Doi: http://dx.doi.org/10.1093/heapro/dav044.

6. Livingstone S, Mason J. Sexual rights and sexual risks among youth online: a review of existing knowledge regarding children and young people's developing sexuality in relation to new media environments. London School of Economics, September 2015. https://www.crin.org/sites/default/files/attachments/enacso_review_on_sexual_rights_and_sexual_risks_among_online_youth.pdf

7. UNICEF. Eliminating discrimination against children and parents based on sexual orientation and/or gender identity. UNICEF Position Paper 9, November 2014. http://didiri.org/files/5614/1630/4492/009_PP_Sexual_Identification_Gender_Identity_12Nov14v3.pdf

8. Strengthening support to LGBTIQ adolescents. Policy report on the rationale and scope for strengthening support to adolescents who are lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex or questioning. Plan UK and Plan Sweden, May 2015. http://www.plan-uk.org/assets/Documents/pdf/PLAN_UK_LGBT_Report.pdf

9. Haberland N, Rogow D. Sexuality education: emerging trends in evidence and practice. Journal of Adolescent Health 2015;56(1, Supplement):S15 - 21. Doi: http://dx. doi.org/10.1016/j.jadohealth. 2014.08.013.

10. Whittier N. Where are the children? Theorizing the missing piece in gendered sexual violence. Gender & Society 2015;online publication 22 October 2015. Doi: http://dx.doi.org/10.1177/0891243215612412.

11. Sayegh G. Rethinking intersections, rethinking contexts: writing in times of dissent. Khol: a journal for gender and body research 2015;1(1):2 - 4. http://gsrc-mena.org/kohl/wp-content/uploads/2015/06/Rethinking-Intersections-Rethinking-Contexts.pdf

12. Abdelmonem A. Reconceptualizing sexual harassment in Egypt: a longitudinal assessment of el-Taharrush el-Ginsy in Arabic online forums and anti-sexual harassment activism. Khol: a journal for gender and body research 2015;1(1):24 - 41. http://gsrc-mena.org/kohl/wp-content/uploads/2015/06/Reconceptualizing-Sexual-Harassment-in-Egypt.pdf.

13. Marks B, Charles T, Mills E, et al. Religion, gender and sexuality workshop report,1 - 5 June 2015. IDS Evidence Report No 162, Sexuality, Poverty and Law, November 2015. http://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/123456789/7134/ER162_ReligionGenderandSexualityWorkshopReport.pdf?sequence=1

14. Quarmby K. Sex, lives and disability: What can disabled bodies teach us about sex, and why should we listen? Mosaic.com, 5 March 2015. http://mosaicscience.com/story/sex-disability

15. Agius S. Human rights and intersex people. Issue paper published by the Council of Europe Commissioner for Human Rights, April 2015. https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2768767&SecMode=1&DocId=2282716&Usage=2

16. Health Policy Project, Asia Pacific Transgender Network, UNDP. Blueprint for the provision of

comprehensive care for trans people and trans communities in Asia and the Pacific, 2015. http://www. healthpolicyproject.com/pubs/484_APTBFINAL.pdf

17. Pan American Health Organisation. Blueprint for the provision of comprehensive care for trans persons and their communities in the Caribbean and other anglophone countries, 2014. http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&Itemid=270&gid=28439&lang=en

18. Light AD, Obedin-Maliver J, Sevelius JM, et al. Transgender men who experienced pregnancy after female-to-male gender transitioning. Obstetrics & Gynecology 2014;124(6):1120 - 7. Doi: http://dx.doi.org/10.1097/AOG.0000000000000540.

19. Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. Follow-up to and implementation of the Vienna Declaration and Programme of Action: Discrimination and violence against individuals based on their sexual orientation and gender identity. UN General Assembly, A/HRC/29/23. 4 May 2015. http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/29/23&referer=/english/&Lang=E (English version. Also available in French, Spanish, Russian, Chinese, Arabic).

20. Beyrer C. Evidence review on LGBT issues: Recruitment, conversion therapy, sexual orientation and gender identity. Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, April 2014. http://www.jhsph.edu/research/centers-andinstitutes/center-for-public-health-and-humanrights/resources/articles/

21. Horton P, Rydstrøm H, Tonini M. Contesting heteronormativity: the fight for lesbian, gay, bisexual and transgender recognition in India and Vietnam. Culture, Health & Sexuality 2015;17(9):1059 - 73. Doi:http://dx.doi.org/10.1080/13691058.2015.1031181.

22. Haste P, Gatete TK. Sexuality, poverty and politics in Rwanda, IDS Evidence Report 131. Institute for Development Studies, April 2015. http://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/123456789/6062/1/ER131_SexualityPovertyandPoliticsinRwanda.pdf

23. Coyle D, Boyce P. Same-sex sexualities, gender variance, economy and livelihood in Nepal: exclusions, subjectivity and development. IDS Evidence Report 109, 2015. http://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/123456789/5773/ER109_Samesex Sexualities GenderVarianceEconomyand LivelihoodinNepal.pdf?sequence=1

24. D'Elio F. Intersectionality in LGBTI Advocacy. Paper prepared as part of the 2015 ILGA Report on State-Sponsored Homophobia, May 2015. http://sexualrightsinitiative.com/2015/thematicareas - of - work/sexual - orientation - and - genderidentities - and - expressions/intersectionality-in-lgbtiadvocacy-2/#more-2084

25. Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex (LGBTI) human rights in Southern Africa: a contemporary literature review. The DiDiRi Collective, December 2014. http://didiri.org/files/6914/2253/0974/LGBTI_Human_Rights_in_Southern_Africa-A_Contemporary_Literature_Review.pdf

26. http://www.marps-africa.org

27. Dijkstraa M, van der Elsta EM, Michenia M, et al. Emerging themes for sensitivity training modules of African healthcare workers attending to men who have sex with men: a systematic review. International Health 2015;7(3):151 - 62. Doi: http://dx.doi.org/10.1093/inthealth/ihu101.

© Reproductive Health Matters.
All Rights reserved.
ISSN 0968-8080
Reproductive Health Matters 2015;23(46):193–195
Doi: 10.1016/j.rhm.2015.11.013

यौन स्वास्थ्य, मानव अधिकार और कानून

विश्व स्वास्थ्य संगठन, मानव प्रजनन कार्यक्रम, 2015
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/175556/1/9789241564984_eng.pdf?ua=1

जन स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी और अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकार कानून में व्यापक शोध की समीक्षा के आधार पर तैयार की गई इस रिपोर्ट से पता चलता है कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अलग–अलग देश किस प्रकार मानव अधिकार मानकों के अनुरूप कानूनी और अन्य तंत्रों के माध्यम से यौन स्वास्थ्य का समर्थन कर सकते हैं और करते हैं। यह विभिन्न तंत्र मानव अधिकार मानकों और देशों के स्वयं मानव अधिकार दायित्वों के साथ तालमेल में हैं।

इस रिपोर्ट में जिन आठ विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है, वे हैं: लिंग के आधार पर भेदभाव न किया जाना; यौनिकता/यौन गतिविधियों को दंडित किया जाना; शादी और परिवार के संबंध में राज्य विनियमन; जेन्डर पहचान/अभिव्यक्ति; हिंसा; यौन स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, उपयोगिता, स्वीकार्यता और गुणवत्ता; यौनिकता और यौन स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी, शिक्षा और अभिव्यक्ति; तथा सेक्स वर्क।

यह रिपोर्ट यह सबूत पेश करती है कि किस प्रकार भेदभाव और असमानता ने इस बारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि लोग यौन स्वास्थ्य हासिल कर सकते हैं और उसे बनाए रख सकते हैं या नहीं। उनका तर्क है कि यौन स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्य मानक हासिल करने का इस बात से घनिष्ठ संबंध है कि लोगों के मानव अधिकारों का किस हद तक सम्मान, संरक्षण और पूर्ति की जाती है। यह यौनिकता एवं यौन स्वास्थ्य और राष्ट्रीय कानूनों से संबंधित मानव अधिकारों के मानक स्थापित करता है, जो इन अधिकारों को कार्यवाही का रूप देते हैं।

नीचे कुछ अंश, कार्यकारी सारांश से लिए गए हैं।

कानून महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वे समाज के नियमों को निर्धारित करते हैं, और यौन–स्वास्थ्य संबंधी नीतियों, कार्यक्रमों और सेवाओं के कार्यान्वयन के लिए एक ढाँचा प्रदान कर सकते हैं। वे मानव अधिकारों की गारंटी प्रदान कर सकते हैं, लेकिन वे सीमाएं भी निर्धारित कर सकते हैं। दोनों ही तरह से कानूनों और नियमों का यौन स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्य मानक के उपयोग पर असर पड़ता है। मानव अधिकारों के मानकों के साथ कानूनों के तालमेल से विभिन्न क्षेत्रों एवं आबादियों में यौन स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जा सकता है, जबकि मानव अधिकारों के मानकों के विपरीत कानूनों से बढ़ते नकारात्मक असर देखे गए हैं। उदाहरण के लिए, यदि यौनिकता की उद्देश्यपरक और व्यापक जानकारी का प्रसार करने वाले कानूनों को सभी के लिए लागू किया जाए तो लोगों को यह जानकारी होगी कि क्या उनके यौन स्वास्थ्य का संरक्षण या नुकसान करता है, जिसमें यह भी शामिल है कि लोग ज़रूरत पड़ने पर, अधिक जानकारी, परामर्श और उपचार लेने के लिए कहाँ और कैसे पहुँच सकते हैं। दूसरी तरफ़, जो कानून महिलाओं और किशोरों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग में बाधक हैं – उदाहरण के तौर पर, सेवाओं के लिए तीसरे पक्ष के प्राधिकार की ज़रूरत और ऐसे कानून जो सहमति से किए गए कुछ प्रकार के यौन व्यवहार को अपराध मानते हैं, लोगों को अपनी ज़रूरत की जानकारी प्राप्त करने या सेवाओं का उपयोग करने में कठिनाई पेश कर सकते हैं, जिन्हें हासिल करना उनका अधिकार है।

इस रिपोर्ट में यौन स्वास्थ्य, मानव अधिकारों और कानून के बीच संबंध को दर्शाया गया है। जन स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी और अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकार कानून में व्यापक शोध की समीक्षा के आधार पर तैयार की गई इस रिपोर्ट से पता चलता है कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अलग–अलग देश, किस प्रकार मानव अधिकार मानकों के अनुरूप कानूनी और अन्य तंत्रों के माध्यम से यौन स्वास्थ्य का समर्थन कर सकते हैं और करते हैं। यह विभिन्न तंत्र मानव अधिकार दायित्वों के साथ तालमेल में हैं। यह कार्यकारी सारांश, पूरी रिपोर्ट में प्रस्तुत अनेक उदाहरणों में से चुने गए कुछ उदाहरण प्रस्तुत करता है।

सेवाओं के लिए कानूनी और नियामक बाधाओं को हटाना

यौनिकता से संबंधित अनेक बीमारियाँ हैं जो दुनिया भर की बीमारियों पर एक बड़ा बोझ हैं। इसलिए यौन स्वास्थ्य की अनेक समस्याओं के लिए उपयुक्त स्वास्थ्य सेवाएँ सुलभ होना आवश्यक है। इसके साथ–साथ, स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्य मानक के अधिकार की परिभाषा और व्याख्या में विभिन्न प्रकार की सुविधाओं, वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया गया है, जो उपलब्ध, सुलभ, स्वीकार्य और अच्छी गुणवत्ता की होनी चाहिए। इन आयामों को अभी भी कई स्थानों पर पूरा किया जाना बाकी है, और यह अक्सर प्रत्यक्ष कानूनी बाधाओं के साथ–साथ एक अपर्याप्त कानूनी ढाँचे की वजह से है। सेवाओं के उपयोग की कानूनी बाधाओं के अनेक उदाहरण हैं, जिसमें आपातकालीन गर्भनिरोधक की उपलब्धता की मनाही या प्रतिबंध, अथवा डॉक्टरों के अलावा अन्य स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा सेवा प्रदानगी पर प्रतिबंध होना शामिल है। अनेक देशों में इसे चुनौती दी गई और आवश्यक दवाएँ और सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए संशोधित किया गया है।

सेवाएँ कैसे प्रदान की जाती हैं

क्योंकि यौनिकता और यौन व्यवहार से संबंधित मुद्दे, लोगों के निजी जीवन से जुड़े हुए विषय हैं और कई मामलों में इन्हें संवेदनशील माना जा सकता है, इसलिए उदाहरण के तौर पर, सेवाएँ प्रदान करने में निजता (प्राइवेसी), गोपनीयता और जानकारी आधारित निर्णय लेने की गारंटी विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। जहाँ ये गारंटियाँ नहीं दी गई हैं, वहाँ लोग अपने लिए ज़रूरी सेवाओं का उपयोग नहीं करेंगे, जिससे उनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ेगा। उदाहरण के लिए, किशोर अक्सर उन सेवाओं का उपयोग करने से बचते हैं, जहाँ गोपनीयता की गारंटी नहीं है और जिनके लिए माता–पिता की अनुमति लेनी ज़रूरी है। इस विषय के महत्व को स्वीकार करते हुए और मानव अधिकार के मानकों को ध्यान में रखते हुए, कुछ देशों ने प्राइवेसी, गोपनीयता और जानकारी आधारित निर्णय की गारंटी को कानून में शामिल किया है।

जानकारी और शिक्षा का सुलभ होना

लोगों को अपने स्वास्थ्य की रक्षा और यौन एवं प्रजनन जीवन के बारे में जानकारी आधारित निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए यौनिकता और यौन स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी और शिक्षा पर पहुँच होना आवश्यक है। इस बात के सबूत हैं कि इस तरह की जानकारी पर पहुँच होना और इसके साथ–साथ व्यापक यौन शिक्षा का सुलभ होना, जो न केवल जानकारी उपलब्ध कराता है, बल्कि व्यक्तिगत बातचीत का कौशल भी विकसित करता है – का संबंध, सकारात्मक स्वास्थ्य परिणामों से है। जिन कानून और नियमों में यौनिकता सूचना और जानकारी के विशिष्ट विषय शामिल नहीं होते हैं, या कुछ लोगों को यौनिकता जानकारी की पहुँच से बाहर रखा जाता है, वे यौन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समुदायों ने वयस्कों और

किशोरों, दोनों के लिए यौनिकता जानकारी और व्यापक यौनिकता शिक्षा प्रदान करने वाले राज्यों के महत्व पर बल दिया है। और विशेष रूप से यह भी कहा है कि राज्यों को वैज्ञानिक रूप से सही यौन स्वास्थ्य की जानकारी पर रोक लगाने या यौन शिक्षा एवं जानकारी सहित स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी जानकारी को जानबूझकर न देने या गलत प्रस्तुत करने से बचना चाहिए। कुछ राज्यों ने कानून बनाए हैं जिनमें शिक्षा के अधिकार के माध्यम से यौनिकता संबंधी जानकारी और शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान हैं; और दूसरों में, उदाहरण के तौर पर, गर्भसमापन सेवाओं के बारे में जानकारी पर प्रतिबंध को क्षेत्रीय स्तर पर सफलतापूर्वक चुनौती दी गई है।

दांडिक कानून का उपयोग

सभी कानूनी प्रणालियाँ हानिकारक व्यवहार को रोकने, मुकदमा चलाने और सज़ा देने और लोगों को नुकसान से बचाने के लिए दांडिक कानून का इस्तेमाल करती हैं। हालाँकि, कई देशों में कुछ यौन और प्रजनन स्वास्थ्य जानकारी और सेवाओं को उपलब्ध नहीं कराने, एच.आई.वी. संचरण और सक्षम व्यक्तियों के बीच आम सहमति से होने वाले अनेक व्यवहारों, जिनमें –विवाह के बाद यौन संबंध बनाना, समलैंगिक यौन व्यवहार और सहमति से सेक्स वर्क शामिल हैं – को दंडित करने के लिए भी दांडिक कानून का इस्तेमाल किया जाता है। इन व्यवहारों और कार्यों के अपराधीकरण से यौन स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य पर भी कई तरह के नकारात्मक असर होते हैं। जिन व्यक्तियों के आम सहमति से किए गए यौन व्यवहार को दंडनीय अपराध समझा जाता है, वे कलंकित किए जाने या गिरफ़्तार किए जाने और मुकदमा चलाए जाने के डर से इसे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों से छिपाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके कारण, अपने व्यवहार या स्वास्थ्य की स्थिति पर नकारात्मक प्रतिक्रिया के डर से लोग स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग से मुकर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप, यौन–संचारित रोगों (एस.टी.आई.) का इलाज न होना, और असुरक्षित गर्भ समापन जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ पैदा हो सकती हैं। कई परिस्थितियों में, जो लोग स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करते हैं, वे स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा भेदभाव और दुर्व्यवहार किए जाने की शिकायतें करते हैं। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार समुदाय यौन और प्रजनन स्वास्थ्य जानकारी और सेवाओं के प्रावधान के गैर–अपराधीकरण और एच.आई.वी. संचरण और सक्षम व्यक्तियों के बीच होने वाली आम सहमति से अनेक यौन व्यवहारों के लिए दंड को हटाने की माँग करते रहे हैं। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रीय अदालतों ने स्वास्थ्य पर संभावित विपरीत प्रभावों को मान्यता प्रदान करने सहित भेदभावपूर्ण दांडिक कानूनों को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

जेन्डर पहचान और अभिव्यक्ति

किसी कलंक, भेदभाव, बहिष्कार और हिंसा के बिना अपनी जेन्डर पहचान को निर्धारित और व्यक्त करने में सक्षम होना, स्वास्थ्य और बेहतर जीवन, और मानव अधिकारों के उपयोग का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कानून में और वास्तविकता में, लोगों द्वारा अपनी खुद की पहचान के जेन्डर के अनुसार जीने की संभावना का उनके समग्र जीवन पर एक लाभदायक असर पड़ता है, जिसमें स्वास्थ्य, सामाजिक और अन्य सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम होना भी शामिल है। सम्मान, सुरक्षा और मानव अधिकारों की पूर्ति के लिए ज़रूरी होता है कि किसी को भी उसकी जेन्डर की कानूनी पुष्टि के लिए किसी सर्जरी, नसबंदी या हार्मोन थेरेपी सहित किसी तरह की चिकित्सा प्रक्रिया से गुज़रने या तलाक के लिए मज़बूर न किया जाए। ऐसे अनेक राष्ट्रीय कानून, जिनमें पहले पहचान (जेन्डर) बदलने के लिए ऐसी प्रक्रियाओं की ज़रूरत बताई गई थी, उन्हें चुनौती दी गई है और संशोधित किया गया है या मानव अधिकार के मानकों के अनुरूप नए कानून बनाए गए हैं।

यौन और यौनिकता से संबंधित हिंसा

यौन और यौनिकता संबंधी हिंसा के सभी रूपों का स्वास्थ्य और रहन–सहन पर अनेक तरह के विपरीत असर पड़ता हैं। उदाहरण के लिए, हिंसक रिश्तों के साथ जी रहे लोग, सीधे तौर पर मज़बूरी में या ज़बरदस्ती सेक्स किए जाने के कारण या गर्भनिरोधकों एवं कंडोम का नियमित रूप से इस्तेमाल करने के लिए बात करने में असमर्थ होने के कारण, यौन और प्रजनन विकल्प के चयन में असमर्थ हो सकते हैं। यह, उन्हें अनचाहे गर्भधारण (महिलाओं को) और एच.आई.वी. सहित यौन रोगों के जोख़िम में डालता है। गर्भावस्था के दौरान अंतरंग साथी द्वारा हिंसा किए जाने से गर्भपात, गर्भ समापन, मृत शिशु जन्म, समय से पूर्व प्रसव और जन्म के समय कम वजन का शिशु होने की संभावना बढ़ जाती है।

कानून यौन स्वास्थ्य पर किस तरह असर डालता है, इसका एक उदाहरण है, बलात्कार की कानूनी व्याख्या, जिसे ऐतिहासिक रूप से किसी पुरुष द्वारा किसी महिला के साथ, जो उसकी पत्नी नहीं है, बलपूर्वक या उसकी इच्छा के विरुद्ध लिंग को योनि में प्रवेश करते हुए संभोग के रूप में जाना जाता है। इस तरह की परिभाषा के तहत, जिन महिलाओं का उनके पतियों द्वारा बलात्कार किया जाता है, जिन महिलाओं का गुदा बलात्कार किया जाता है, या पुरुष और ट्रॉंसजेंडर व्यक्ति कानूनन यह दावा नहीं कर सकते हैं कि उनका बलात्कार किया गया है। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक कानून में बलात्कार को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है, जिसमें किसी भी सेक्स या जेंडर के व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध किए गए विभिन्न आक्रामक कृत्यों को शामिल किया गया है और यह मान्यता प्रदान की गई है कि सभी परिस्थितियों में वैवाहिक जीवन में बलात्कार, एक अपराध है। पिछले एक दशक में इन मानव अधिकारों के मानकों के अनुरूप कई राष्ट्रीय कानूनों में संशोधन किया गया है। इससे सभी (अविवाहित लड़कियों और महिलाओं, पुरुषों, लड़कों और ट्रॅंसजेंडर व्यक्तियों) के लिए ज़रूरी स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग के साथ ज़रूरी प्रक्रिया और समाधान, जो स्वास्थ्य में एक भूमिका निभाता है, को बल मिला है।

निष्कर्ष

राज्यों की ज़िम्मेदारी है कि वे यौन स्वास्थ्य पर विपरीत असर डालने वाले अपने कानूनों और नियमों को मानव अधिकार कानूनों और मानकों के अनुरूप बनाएँ। यौन स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सेवाओं के उपयोग में बाधाओं को दूर करना और यौन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले कानूनों और नियमों को स्थापित करना, ऐसे कार्य हैं जो विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा वर्ष 2004 में अपनाई गई विष्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक प्रजनन स्वास्थ्य रणनीति के अनुरूप हैं।

© Reproductive Health Matters.
All Rights reserved.
ISSN 0968-8080
Reproductive Health Matters 2015;23(46):16–30
Doi: 10.1016/j.rhm.2015.11.00716

मानव अधिकारों के रूप में यौन अधिकार : यौनिकता और यौन स्वास्थ्य के लिए मानव अधिकार को लागू करने के लिए आधिकारिक सूत्रों और सिद्धांतों के लिए एक गाइड

ऐलिस एम. मिलर,[ए] एस्टर किसमोडी,[बी] जेन कॉटिन्घम,[सी] सोफ़िया ग्रस्किन[डी]

ए सह–निदेशक, ग्लोबल हल्थ जस्टिस पार्टनरशिप ऑफ़ द येल लॉ स्कूल एंड स्कूल ऑफ़ पब्लिक हेल्थ, येल लॉ स्कूल, न्यू हेवन, सीटी, यू.एस.ए.। संपर्कः alice.miller@yale.edu

बी यौनिकता, जेन्डर, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और मानव अधिकार की अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार वकील, जिनेवा, स्विटज़रलैंड

सी स्वतंत्र परामर्शदाता, जिनेवा, स्विटज़रलैंड

डी प्रोफ़ेसर ऑफ़ प्रिवेंटिव मेडिसिन, केक स्कूल ऑफ़ मेडिसिन; प्रोफ़ेसर ऑफ़ लॉ एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन, गोल्ड स्कूल ऑफ़ लॉ; निदेशक, विश्व स्वास्थ्य और मानव अधिकार कार्यक्रम, इंस्टीट्यूट फ़ॉर ग्लोबल हेल्थ, दक्षिणी कैलिफ़ोर्निया विश्वविद्यालय (यू.एस.सी.), लॉस एंजिल्स, सीए, यू.एस.ए.

सारांश

इस गाइड का उद्देश्य यौनिकता और यौन स्वास्थ्य से संबंधित अधिकारों के दावों के विकास में रुचि लेने वाले कार्यकर्ताओं के लिए जानकारी और संसाधन उपलब्ध कराना है। यौन अधिकारों की सीमाओं के विवादित प्रश्न से जुड़ने के बाद, यह गाइड उन नियमों और सिद्धांतों की जानकारी प्रदान करती है जिनके आधार पर मानव अधिकारों के दावों को विकसित किया जाता है और यौनिकता और यौन स्वास्थ्य पर लागू किया जाता है, और उस विकास को किस प्रकार कानून से जोड़ा जाता है और राज्य का दायित्व बनाया जाता है। यह समझ, यौन स्वास्थ्य और अधिकारों से संबंधित नीति और कार्यक्रम तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह निजता (प्राइवेसी), गैर–भेदभाव, स्वास्थ्य या आम तौर पर स्वीकार्य अन्य मानव अधिकारों जैसे सुसंगत मानव अधिकारों के आहवाहन का समर्थन करने के साथ–साथ राज्यों से यौन स्वास्थ्य के समर्थन संबंधी अपने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानूनी दायित्वों के तहत कार्यवाही की माँग करती है। ©2015 रिप्रोडक्टिव हेल्थ मैटर्स। एल्सेवियर बी.वी. द्वारा प्रकाशित। सर्वाधिकार सुरक्षित।

मुख्य शब्दः मानव अधिकार, कानून, यौन अधिकार, स्वास्थ्य, यौनिकता

प्रस्तावना

हालाँकि पिछले दशकों में ''यौन अधिकार'' शब्द पर राजनीतिक आम सहमति के लिए जमकर बहस की जाती रही है, लेकिन आम सहमति कभी बन नहीं पाई है।[1] **प्रतिरोध, देशों की इस बारे में बिल्कुल अलग समझ (और भय) के उन दावों की वजह से पैदा होता है कि ''यौन अधिकारों'' में क्या शामिल हैं और इसलिए उन्हें जकड़ सकता है। इस गाइड को गलतफ़हमियों दूर करने में मदद करने के लिए, यौन अधिकार मानव अधिकार कैसे और क्यों हैं स्पष्ट करने के लिए, यौन अधिकारों को मान्यता देने में राजनीतिक प्रगति का समर्थन करने के लिए, और विशेष रूप से उनके कानूनी आधारों को स्पष्ट करने के लिए तैयार किया गया है।**

यौन अधिकारों के मापदंडों को यौनिकता और यौन स्वास्थ्य के सार्वजनिक और निजी पहलुओं पर लागू मौजूदा मानव अधिकारों की पूरी शृंखला के रूप में परिभाषित किया गया है। यह गाइड इस बात पर ज़ोर देती है कि ''यौन अधिकारों'' का दायरा, हालाँकि प्रजनन अधिकारों से अलग तरह से जुड़ा हुआ है; जिसमें यौनिकता और उसके विविध रूप और अर्थ, इसमें प्रजनन के साथ उसका जुड़ाव शामिल है, उसपर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है, और यह दर्शाता है कि यौन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए अच्छी पद्धतियां लाने में किस प्रकार मानव अधिकार कानूनों का उपयोग किया जा सकता है और किया जाता रहा है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह गाइड, इस बात पर ध्यान केन्द्रित करती है और बताती है कि इन बातों को किस प्रकार अधिकारों से जुड़े कानूनों में प्रयोग एवं व्याख्या से जुड़े भलीभाँति स्वीकार्य नियमों का समर्थन प्राप्त है। यह गाइड उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो सरकार और राजनीति से जुड़े हैं और अपने प्रयासों को अंतर्राष्ट्रीय कानून में शामिल करने के माध्यम से प्रथाओं को बदलने, बहिष्करण खत्म करने और यौन स्वास्थ्य एवं अधिकारों में सुधार करना चाहते हैं। इसे तीन मुख्य भागों में बाँटा गया है; खंड-I : यौनिकता और यौन स्वास्थ्य से संबंधित मानव अधिकारों का दायरा, इसमें यौन स्वास्थ्य के क्षेत्र में सभी मानव अधिकारों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया है; खंड-II : कानून में मानव अधिकारों के स्रोत, इसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी रूप से बाध्यकारी दावों के रूप में अधिकारों के प्राधिकार का वर्णन किया गया है; और खंड-III : यौनिकता और यौन स्वास्थ्य के समर्थन में कानून और नीति में मानव अधिकारों के विकास, व्याख्या और उपयोग के लिए मार्गदर्शक नौ नियम और सिद्धांत।

यौनिकता और यौन स्वास्थ्य से संबंधित मानव अधिकारों का दायरा

पिछले दो दशकों या इससे अधिक अवधि के दौरान यौन अधिकारों के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखे गए हैं, और कुछ ऐसे ही अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों के आधार पर इस गाइड को तैयार किया गया है, जिन्हें 16 कन्टेन्ट्स ऑनलाइन की दुनिया में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता हैः www.rhm-elsevier.com Doi: 10.1016/j.rhm.2015.11.007 policy and programme design and reform इनमें शामिल हैंः i) यौन रुझान एवं जेन्डर पहचान पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायविद आयोग (आई.सी.जे.) के केस और कानूनों का संकलन, जो दुनिया भर से और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यौनिक अधिकारों के उपवर्ग की निर्णय विधि (केस लॉ) को एक साथ लाता है;[2] ii) यौन स्वास्थ्य पर 2014 वर्ल्ड एसोसिएशन (डब्ल्यू.ए.एस.) की यौन अधिकारों पर घोषणा, जिसका उद्देश्य, यौन अधिकार मानदंडों की व्याख्या करना और यौनिकता और यौन स्वास्थ्य को मानव अधिकार सिद्धांतों और मानकों के साथ संबंध स्थापित करना है;[3] iii) 2007 के योग्यकर्ता

सिद्धांत, जिनका एक प्रामाणिक बयान के रूप में गैर–सरकारी संगठनों और मानवाधिकार विशेषज्ञों द्वारा सविस्तार वर्णन किया गया है, जो कहता है कि यौन रुझान एवं जेन्डर पहचान के संदर्भ में मौजूदा मानव अधिकार सिद्धांतों और दायित्वों को किस प्रकार विशिष्ट मानव अधिकार का दावा करने के लिए क्रमशः लागू किया जाता रहा है, और किया जा सकता है;[4] iv) अंतर्राष्ट्रीय नियोजित पितृत्व महासंघ (इंटरनेशनल प्लैन्ड पैरेन्टहुड फ़ेडरेशन (आई.पी.पी.एफ़.) के यौन अधिकार : एक ऐसी घोषणा, जो एक संकलन है, जिसमें विस्तार से वर्णन किया गया है कि मौजूदा अधिकारों के सिद्धांतों को कैसे सर्वोत्तम तरीके से समझा जा सकता है ताकि सभी व्यक्तियों, युवा और बुज़ुर्गों – चाहे उनका जेन्डर/जेन्डर पहचान और यौन रुझान कुछ भी हो – की एक विशेषता के रूप में यौनिकता पर लागू किया जा सकता है,[5] v) और 'विश्व स्वास्थ्य संगठन की यौन स्वास्थ्य, मानव अधिकार और कानून' रिपोर्ट' को इस अंक में शामिल किया गया है, 85 जो मानव अधिकार मानकों को जनस्वास्थ्य डेटा और कानूनी मामलों के साथ यह दर्शाने के लिए संबंध स्थापित करता है कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में स्थित राज्य किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय मानवाधिकारों और अपने खुद के मानवाधिकार दायित्वों के सुसंगत कानूनी और अन्य तंत्रों के माध्यम से यौन स्वास्थ्य का समर्थन कर सकते हैं और करते हैं।[6]

इस गाइड में यौनिकता और अधिकारों के बारे में इन संकलनों के अलावा हम विश्व स्वास्थ्य संगठन की यौन अधिकारों की मान्य परिभाषा की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, क्योंकि इस परिभाषा का उल्लेख विभिन्न प्रकाशनों में यौन अधिकारों के संदर्भ बिंदु के रूप में बड़े पैमाने पर किया गया है। इस परिभाषा के अनुसार :

''यौन अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मानवाधिकार संधियों में पूर्व मान्यता प्राप्त, आम सहमति दस्तावेज़ में समर्थित और राष्ट्रीय कानूनों में निहित कुछ मानव अधिकारों के अनुरूप हैं। यौन स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण अधिकारों में निम्न शामिल हैं:

व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, स्वायत्तता और सुरक्षा का अधिकार

समानता और भेदभाव न किए जाने का अधिकार

यातना या क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सज़ा से मुक्त रहने का अधिकार

निजता का अधिकार

स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्य मानक (यौन स्वास्थ्य सहित) और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार

शादी करने और परिवार बनाने तथा इच्छुक जीवन साथी की स्वतंत्र और पूर्ण सहमति के साथ शादीशुदा जीवन में प्रवेश करने और शादी में एवं शादी की समाप्ति के समय समानता का अधिकार

अपने बच्चों की संख्या और दो बच्चों के बीच अंतर तय करने का अधिकार

सूचना और शिक्षा का अधिकार

विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार

अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए प्रभावी उपचार का अधिकार

मौजूदा मानव अधिकारों को यौनिकता और यौन स्वास्थ्य पर लागू करने से यौन अधिकार बनते हैं। यौन अधिकार, भभेदभाव के विरुद्ध संरक्षण के ढाँचे के भीतर, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करते हुए, अपनी यौनिकता को पूर्ण करने एवं व्यक्त करने तथा यौन स्वास्थ्य का लाभ उठाने के सभी लोगों के अधिकारों का संरक्षण करता है।''[7]

जैसा कि पहले बताया गया है, जहाँ तक प्रजनन और यौनिकता के विभिन्न पहलुओं के जुड़े होने का प्रश्न है, यह कुछ प्रजनन अधिकारों का यौन अधिकारों के रूप में भी नामकरण करने और उन मुद्दों पर कुछ मानव अधिकार सिद्धांतों को आम रूप से लागू करने में, दोनों में झलकता है।

उदाहरण के लिए, गर्भ को बनाए रखने या समाप्त करने के फैसले को, किसी महिला के निर्णय करने की क्षमता

के एक पहलू के रूप में देखा जा सकता है , जिसके तहत वह फैसला करती है कि यौन गतिविधि को माता–पिता बनने के फैसले से जोड़ें या अलग रखें, और अन्य अधिकारों के साथ स्वास्थ्य, निजता (प्राइवेसी) और गैर–भेदभाव के अधिकार का भी उपयोग करती है। इस प्रकार, हम उन साधनों को शामिल करते हैं, जिसके द्वारा यौनिकता से संबंधित अधिकार सिद्धांत किस प्रकार इस्तेमाल किए जाते हैं यहाँ हमारे मार्गदर्शन में गर्भ समापन की उपलब्धता एक मानव अधिकार बन रही है (विश्व स्वास्थ्य संगठन की मान्य परिभाषा के अनुरूप)।

एक अन्य दुविधा यौन अधिकारों और जेन्डर संबंधी अधिकारों के बीच उठती है। जहाँ जेन्डर पहचान और अभिव्यक्ति अपने–आप में यौनिकता या यौन व्यवहार की निर्धारक नहीं है, किस प्रकार किसी के द्वारा अभिव्यक्त जेंडर को इस बात का आधार बनाया जा सकता है, जिस पर राज्य का कानून कहता है कि कौन किसके साथ वैध रूप से यौन संबंध बना सकता है। इस प्रकार, जेंडर अभिव्यक्ति और पहचान के मानदंड, यौन अधिकारों के लिए महत्व रखते हैं, और उन्हें यौन अधिकारों के दायरे में शामिल किया जा सकता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की मान्य परिभाषा में शामिल मूल अधिकारों को संहिताबद्ध किया गया है – या उन्हें अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संधियों में कानून बना दिया गया है, और कई को राष्ट्रीय संविधानों और कानून में भी शामिल किया गया है।

मानव अधिकार कानून के स्रोत

अंतर्राष्ट्रीय संधियों या राष्ट्रीय कानून में निहित ('स्रोतबद्ध') मानवाधिकार के दावे, राज्यों को कार्यवाही करने के लिए मज़बूर कर सकते हैं। इस खंड में मूल मानव अधिकार कानून में निहित यौन अधिकारों के 'स्रोतों की जानकारी प्रदान की गई है।

अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संधियां, तथा राष्ट्रीय संविधान और कानून

अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून को अनिवार्य बनाने वाले सबसे आसानी से पहचाने जाने वाले स्रोत होती हैं संधियां, जिन्हें प्रसंविदा, अभिसमय, चार्टर और प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। ऐसी अनेक अंतर्राष्ट्रीय संधियां मौजूद हैं, जैसे कि बाल अधिकार कन्वेन्शन, या महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेन्शन।[†] अंतर्राष्ट्रीय कानून को उन सभी देशों द्वारा विस्तारित किया जाता है, जिन्हें प्रक्रिया में भाग लेने का समान अधिकार है, और संधि की पुष्टि के माध्यम से इसके अंतिम अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दायित्वों को अनिवार्य बनाने का समान अधिकार है। सभी राज्यों ने एक या अनेक अंतर्राष्ट्रीय संधियों की पुष्टि की है। किसी भी संधि की व्यापक पुष्टि यह बताती है कि राज्यों की प्रथाएं कुछ हद तक संधि के अनुरूप हैं। व्यापक पुष्टि उन राज्यों की प्रथा को भी प्रभावित कर सकती है, जिन्होंने संधि की पुष्टि नहीं की है। किसी विशेष संधि में निहित विधिसम्मत कानून के प्रति व्यापक प्रतिबद्धता, परंपरा का प्रमाण बन सकती है, या कोई ऐसी बात जिसे आम तौर पर स्वीकार किया जाता है कि सभी देशों के लिए कानून क्या होना चाहिए।[ǂ]

क्षेत्रीय संधियों, जैसे कि यूरोपियन कन्वेन्शन ऑफ़ ह्यूमन राइट्स या अफ़्रीकन चार्टर ऑफ़ ह्यूमन एंड पीपल्स राइट्स के बारे में हालाँकि इस गाइड में केवल सरसरी तौर पर चर्चा की गई है, लेकिन वे उसी तरह

[†]प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून (सीआईएल) भी राज्यों के लिए बाध्यकारी कानून का एक स्रोत है: यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्राचीनतम रूपों में से एक है और यह सरकारों द्वारा अपनी कार्यवाही के सार्वजनिक रूप से बताए गए कारणों के साथ, वास्तविक रूप से की गई कार्यवाही के परिणामी नियमों पर आधारित होता है। हम इस गाइड में सीआईएल के बारे में जानकारी नहीं प्रदान कर रहे हैं, हालाँकि, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय कानून की एक शाखा, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (सशस्त्र संघर्ष कानून, कुछ हद तक) में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिसे संघर्ष के समय बलात्कार रोकने के दायित्व के आधार के रूप में उद्धृत किया गया है। देखें: https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule93.

[ǂ]पूरी सूची के लिए मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय की वेबसाइट http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/ Pages/CoreInstruments.aspx देखें।

कार्य करती हैं, और उन देशों के समूहों द्वारा तैयार की गई हैं, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित एक विशेष भू–राजनीतिक क्षेत्र हैं।

राष्ट्रीय संविधानों और कानूनों में लगभग हमेशा गैर–भेदभाव, या मतदान का अधिकार जैसे मानव अधिकारों के तत्व शामिल होते हैं। राष्ट्रीय विधिक प्रणालियों से यह पता चलता है कि प्रत्येक राज्य के पास मानव अधिकारों को बढ़ावा और संरक्षण देने का प्राधिकार, ढाँचा और प्रक्रियाएँ किस हद तक उपलब्ध हैं। कुछ देशों में राष्ट्रीय संविधान और कानून, अधिकारों के संरक्षण के मामले में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के समान हैं या कुछ मामलों में उनसे अधिक मजबूत हैं। उदाहरण के तौर पर, माल्टा की संसद द्वारा 2015 में अंगीकृत माल्टा के वैध जेन्डर मान्यता कानून में जेन्डर पहचान और जेन्डर अभिव्यक्ति के संबंध में किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून से अधिक प्रगतिशील मानक और प्रक्रियात्मक नियम निहित हैं।[7] अन्य परिस्थितियों में, जिनके बारे में हम आगे और अधिक चर्चा करेंगे, राष्ट्रीय कानून, मानवाधिकारों को बढ़ावा देने वाले अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के विपरीत हो सकते हैं, उदाहरण के लिए, जब किसी राष्ट्रीय कानून में किसी महिला द्वारा गर्भनिरोधक सेवाओं के उपयोग के लिए पति की स्वीकृति की आवश्यकता होती है।[6]

अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं द्वारा इन सभी संधियों एवं कानूनों के कार्यान्वयन पर विशिष्ट प्राधिकृत निकाय नज़र रखता है, जिसका गठन इन संधियों के माध्यम से किया गया होता है। इस प्रकार, नीचे उल्लिखित मानवाधिकार समिति, उदाहरण के तौर पर, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (आई.सी.सी.पी.आर.) के कार्यान्वयन पर नज़र रखती है। मानव अधिकारों के अन्य स्रोतों में शामिल हैंः अंतर्राष्ट्रीय अदालतों की निर्णय विधि; संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार संधि निगरानी निकायों द्वारा जारी किए गए निर्णय।

नीचे दिए गए निर्णय विधि खंड में ऐसे उदाहरण दिए गए हैं, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय प्राधिकार निकायों ने पहले से मौजूद संधि आधारित या राष्ट्रीय संवैधानिक अधिकार मानकों की व्याख्या की है और उन्हें लागू किया है ताकि वे यौनिकता और यौन स्वास्थ्य से जुड़े अधिकारों के संरक्षण के स्रोत बन सकें। यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कानून, जिन्हें राज्यों के बीच किसी समझौते के फलस्वरूप आकार प्रदान किया जाता है, वे कभी पूर्ण नहीं होते, और ज़रूरी नहीं कि उनमें हमेशा सर्वोत्तम मौजूदा पद्धतियों को शामिल किया गया हो। अंतर्राष्ट्रीय कानून को निरंतर परिवर्तनकारी पद्धतियों एवं मानकों के एक समूह के रूप में स्थापित किया गया था, और मानव अधिकार कानून इस प्रतिवाद का हिस्सा है। दो उदाहरण जहाँ मानव अधिकार कानून को अंतर्राष्ट्रीय या क्षेत्रीय प्रणाली में स्थापित नहीं किया गया है, लेकिन गैर–भेदभाव, निजता और स्वास्थ्य मानकों को नए तरीके से लागू किया गया है, वे सेक्स वर्क और समलैंगिक विवाह से संबंधित हैं।

राजनीतिक घोषणाएँ

संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की राजनीतिक घोषणाएँ, जहाँ कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं, वहीं उन्हें उभरते वैश्विक मानक में योगदान देने वाली माना जा सकता है, खासकर जब एक ही बात को बार–बार दोहराया जाए, और विशेष रूप से तब, जब कानूनी बदलावों, नीति और कार्यपद्धति में भी उसे अपनाया जा रहा हो। यौन अधिकारों के मामले में, 1994 में बीजिंग प्लेटफ़ार्म फ़ॉर ऐक्शन के वक्तव्य से अधिक महत्वपूर्ण कोई भी दस्तावेज़ नहीं रहा है। पैरा 96 में कहा गया हैः ''महिलाओं के मानव अधिकारों के अंतर्गत अपनी यौनिकता से संबंधित सभी मसलों के बारे में किसी ज़ोर–ज़बर्दस्ती, भेदभाव और हिंसा के बिना स्वतंत्र और ज़िम्मेदार तरीके से निर्णय लेने का अधिकार शामिल है।'' यह कथन, अपने प्रयोग और विस्तार में जहाँ केवल महिलाओं तक सीमित है और स्वास्थ्य पर केन्द्रित है, यह अंतर–सरकारी सहमति वाला पहला

वक्तव्य है जिसे यौन अधिकारों के नाम से जाना गया। हाल ही में, लैटिन अमेरिका और कैरीबिअन के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग द्वारा आई.सी.पी.डी. के कार्यान्वयन के 20 वर्ष की अंतर–सरकारी लैटिन अमरीकी और कैरिबियाई समीक्षा में यह निष्कर्ष निकला है कि राज्यों को ''ऐसी नीतियों को बढ़ावा देना चाहिए जो लोगों को अपने अधिकारों का उपयोग करने में सक्षम बनाए, जिसके तहत सुरक्षित और पूर्ण यौन जीवन के अधिकार के साथ–साथ अपनी यौनिकता, यौन रुझान और जेन्डर पहचान के बारे में किसी ज़ोर–ज़बर्दस्ती, भेदभाव और हिंसा के बिना स्वतंत्र और ज़िम्मेदार तरीके से निर्णय लेने का अधिकार शामिल हो, और जो सूचना के अधिकार और अपने यौन स्वास्थ्य एवं प्रजनन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक साधनों की गारंटी दे।''[9]

अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय न्यायालयों की निर्णय विधि

संधियों के द्वारा बनाई गई विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अदालतों के कानूनी मामलों व यौन स्वास्थ्य पर अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मानकों को लागू किए जाने के दृष्टांत मिलते हैं, जिन्हें विवादित पक्षों को बाध्यकारी फैसले सुनाने और अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मानकों में योगदान करने की शक्ति प्राप्त है। रोम संविधि द्वारा बनाये गये अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को ऐसी शक्तियाँ प्राप्त हैं, और युद्ध अपराधों के मामले में तदर्थ अंतर्राष्ट्रीय अधिकरण और क्षेत्रीय मानव अधिकार संधि प्रणाली से जुड़ी क्षेत्रीय अदालतों, जैसे कि यूरोपीय मानव अधिकार अदालत और अंतर–अमेरिकी मानव अधिकार अदालत और अफ़्रीकी मानव एवं जनअधिकार अदालत को भी ऐसी ही शक्तियाँ प्राप्त हैं। अभी तक, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में ऐसे कोई अदालत मौजूद नहीं हैं।

इन सभी अदालतों ने यौनिकता और यौन स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों में सकारात्मक फैसले सुनाए हैं। इन फैसलों में गर्भनिरोध, गर्भ समापन, यौन शिक्षा और किशारों द्वारा यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग से संबंधित अधिकारों की पुष्टि के साथ–साथ यौन हिंसा से मुक्त रहने के अधिकार को बढ़ावा देना शामिल है। उन्होंने ट्राँसजेंडरों और लेस्बियन या गे लोगों के संगठन, निजता और गैर–भेदभाव के अधिकारों सहित समलैंगिक व्यवहार के संबंध में निजता के अधिकार के संरक्षण का समाधान किया है।[c] इन अदालतों का कार्य और जिस प्रकार वे नए तथ्यों और नई वास्तविकताओं पर मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कानूनी मानकों की व्याख्या और उपयोग करते हैं, वह सक्रियता और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार मानकों की ज़ारी व्याख्या का हिस्सा है। इसका एक विशिष्ट उदाहरण, यौन उत्पीड़न और बलात्कार की कानूनी समझ है। ऐतिहासिक रूप से, सामान्य आपराधिक, शांतिकाल की कानूनी परिभाषा का दायरा संकीर्ण था, जिसके अनुसार, बलात्कार का तात्पर्य, केवल किसी पुरुष द्वारा किसी ऐसी महिला जो उसकी पत्नी न हो, के साथ बलपूर्वक और उसकी इच्छा के विरुद्ध लिंग का योनि में प्रवेश कराते हुए किया गया यौनिक संभोग था। रवांडा और पूर्व यूगोस्लाविया में तदर्थ अधिकरणों के फलस्वरूप, 2010 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत ने बलात्कार के अपराध के तत्वों का विस्तार किया और व्यापक परिभाशा दी जिसके तत्वों को संघर्ष या गैर–संघर्ष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। अदालत के अनुसार, बलात्कार के अपराध में ऐसा बलपूर्वक हमला या आचरण शामिल है जिसके परिणामस्वरूप पीड़िता के शरीर के किसी भी हिस्से में किसी यौन अंग, किसी वस्तु या शरीर के किसी हिस्से द्वारा थोड़ा ही प्रवेश क्यों न हुआ हो, और यह परिभाषा इतनी व्यापक है कि यह किसी भी व्यक्ति पर लागू की

[c]जहाँ लेखकगण एल.जी.बी.टी.क्यू.आई. लोगों के अधिकारों पर विचार करने की माँग का समर्थन करते हैं, वहीं हम यह स्पश्ट करना चाहते हैं कि प्रत्येक फैसला किसका समर्थन करता है : उदाहरण के लिए, यदि मामले ने समलैंगिक यौन व्यवहार का समाधान किया है, तो यह, 'ट्राँस' लोगों तक गैर–भेदभाव सिद्धांत का विस्तार करने वाले मामले के रूप में सूचीबद्ध नहीं है। यह व्यवहार, यौन एवं जेन्डर से जुड़े कुछ अधिकारों की भेदभावपूर्ण प्रकृति को उजागर करता है, जिससे पता चलता है कि आगे और अधिक कार्य करने की ज़रूरत है।

जा सकती है, चाहे उसका लिंग या जेन्डर कोई भी हो।[10] उन फैसलों की, जो अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मानवाधिकार अदालतों के मानकों का प्रयोग करते हैं, एक हालिया समीक्षा से यह स्पष्ट हो जाता है कि जिन संधि कानूनों को वे लागू करते हैं, उनका यह मानना है कि वैवाहिक जीवन में भी बलात्कार हो सकता है और उसे अपराध माना जाना चाहिए, साथ ही बल की भूमिका, सहमति का न होना और सेवा एवं रोकथाम के मामले में बलात्कार के आरोपों को गंभीरता से लेने के राज्य के दायित्व, की कानूनी समझ के विकास को प्रदर्षित किया जाना चाहिए।[11,12] ऐसे फैसलों ने बलात्कार की कानूनी परिभाषा में क्रांतिकारी बदलाव लाया है, और इन तत्वों की राष्ट्रीय कानून में तेज़ी से पुष्टि की जा रही है, जिसके फलस्वरूप सभी लोगों को यौन हिंसा से अधिक सुरक्षा मिल रही है।

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि निगरानी निकाय के मानक

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संधि निगरानी निकाय, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों के कार्यान्वयन पर नज़र रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित विशेषज्ञ निकाय है। जहाँ सभी संधि निगरानी निकायों ने यौनिकता और यौन स्वास्थ्य को संबोधित किया है, वहीं महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव उन्मूलन समिति (सी.ई.डी.ए.डब्ल्यू.), बाल अधिकार समिति (सी. आर.सी.), और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार समिति (सी.ई.एस.सी.आर.) जैसी कुछ समितियाँ अक्सर यौन अधिकारों और यौन स्वास्थ्य से जुड़े मामलों और दावों से जूझती हैं।

इसके अलावा, व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह विभिन्न वैकल्पिक प्रोटोकॉलों के तहत– जिन्हें राज्यों द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाना चाहिए– और जो कुछ संधियों के साथ संलग्न अतिरिक्त तंत्र हैं, इन संधि निकायों के पास शिकायतें ला सकते हैं। इन शिकायतों के बारे में संधि निकायों द्वारा किए गए फैसले, संबंधित राज्यों के लिए आधिकारिक व्याख्या हैं, लेकिन वे दूसरे देशों का भी, उनके दायित्वों के अर्थ (को समझने) में मार्गदर्शन करते हैं, जो उन्होंने किसी संधि की पुष्टि कर स्वीकार किए हैं।

आई.सी.सी.पी.आर. के लिए संधि निगरानी निकाय, मानवाधिकार समिति द्वारा जारी टुनेन बनाम आस्ट्रेलिया पर 1994 का निर्णय यौन अधिकारों पर एक अत्यंत प्रासंगिक उदाहरण है। इस केस में, जिसमें आस्ट्रेलिया के एक व्यक्ति ने पुरुषों के बीच समलैंगिक सेक्स को अपराध मानने की तस्मानिया राज्य की शक्ति को चुनौती दी थी, समिति ने निर्णय सुनाया कि निजता (प्राइवेसी) में भेदभावपूर्ण दखल के विरुद्ध संरक्षण के अंतर्गत अंतरंग यौन व्यवहार के अपराधीकरण पर रोक, सेक्स भेदभाव के रूप में शामिल है।[13,14] इस निर्णय के अनुसरण में, आस्ट्रेलियाई सरकार ने मानव अधिकार (यौन व्यवहार) अधिनियम, 1994 अधिनियमित किया, जिसके अनुसार अब समलैंगिक यौन व्यवहार को अपराध नहीं माना जाता है।[15] इस नियम के बनाए जाने से समलैंगिक यौन व्यवहार से जुड़े कानून, और इसके बार–बार होने वाली निहितार्थ द्वारा यौन रुझान में बड़ी क्रांति देखी गई है, और फ़िजी[17] और दक्षिण अफ़्रीका[18] सहित अन्य देशों[16] में इसका उपयोग, समलैंगिक यौन व्यवहार से जुड़े कानून में सुधार के लिए एक आधार के रूप में किया जाता है।

यौन स्वास्थ्य और अधिकार के अन्य केस गर्भ समापन और गर्भनिरोध से जुड़े हुए देखे गए हैं। उदाहरण के लिए, सी.ई.डी.ए.डब्ल्यू. (सीडा) ने 2011 में एल.सी. बनाम पेरू के केस में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया, जिसमें एक 13 वर्षीय बलात्कार पीड़िता ने, जिसे लगा कि वह गर्भवती है, मकान से कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था, और अपनी रीढ़ की हड्डी पर चोट लगाा ली थी। उसे चिकित्सकीय गर्भसमापन कराने की अनुमति नहीं दी गई थी, और गर्भावस्था के कारण उसके रीढ़ के आपरेशन में देरी हो गई थी, जिससे वह गंभीर रूप से विकलांग हो गई थी। यह निर्धारण करने में कि पेरू द्वारा उसके अधिकारों का उल्लंघन किया गया था, सीडा ने खास तौर पर उपचार

के अधिकार, और लड़कियों द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग पर विपरीत असर डालने वाले उम्र एवं लिंग के आधार पर भेदभाव (जेन्डर असमानता) को उजागर किया है।[19]

इन केस–आधारित निर्णयों के अलावा, संधि निकाय सामान्य व्याख्यात्मक बयान भी जारी करते हैं, जिन्हें सिफ़ारिशों पर सामान्य टिप्पणी कहा जाता है, जो राज्यों को प्रत्येक संधि के तहत अपने दायित्वों के दायरे की बेहतर समझ विकसित करने का एक अन्य साधन हैं। यौन स्वास्थ्य के लिए अधिक प्रासंगिक सामान्य टिप्पणियों और सिफ़ारिशों में महिलाओं और स्वास्थ्य पर सी.ई.डी.ए.डब्ल्यू. की आम सिफ़ारिशें [24,20] स्वास्थ्य के अधिकार पर सी.ई.एस.सी.आर. की सामान्य टिप्पणी 14,21 और स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्य मानकों का लाभ उठाने के बाल अधिकार पर सी.आर.सी. की सामान्य टिप्पणी 1522 शामिल हैं। उदाहरण के लिए, सी.आर.सी. की सामान्य टिप्पणी 15 से स्पष्ट पता चलता है कि राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए कि लड़कियां अपने प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में स्वतंत्र और जानकारी–आधारित निर्णय ले सकें, और बच्चे की उभरती क्षमता के अनुसार यौन शिक्षा सुनिष्चित की जाए।[23] इन सामान्य व्याख्याओं को अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय माना जाता है, जिनसे संधियां विकसित हो सकती हैं। जहाँ ये टिप्पणियाँ अपने–आप में कानून नहीं हैं, लेकिन राज्यों द्वारा इन सिफ़ारिशों के अनुपालन में कार्य करने से, नई व्याख्या को संधि के संदर्भ में एक आधिकारिक बयान के रूप में जाना जाता है।[24] उदाहरण के लिए, 1992 में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर सी.ई.डी.ए.डब्ल्यू. की सामान्य सिफ़ारिश 19 के बाद, 23 राज्यों ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया कि उन्होंने महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध यौन हिंसा सहित, हिंसा से सुरक्षा के लिए किस तरह से अपने कानूनों में बदलाव किए थे, और किस प्रकार यह सुनिश्चित किया कि स्वास्थ्य सेवाएं ऐसे हिंसा के परिणामों से निपट सकें।

एक राज्य द्वारा समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपने के बाद, और उस राज्य के साथ 'रचनात्मक बातचीत', और सिविल सोसायटी के कार्यकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई शैडो रिपोर्टों पर विचार करने के बाद संधि निगरानी निकाय, रिपोर्ट सौंपने वाले राज्य को, ''निष्कर्ष टिप्पणियाँ'' जारी करता है। यह रिपोर्टिंग प्रक्रिया, राज्यों द्वारा किसी खास संधि के तहत अपने दायित्वों को पूरा किए जाने के लिए एक महत्वपूर्ण मानव अधिकार जवाबदेही तंत्र की स्थापना करती है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार के मानक

राष्ट्रीय स्तर पर, संविधान, संवैधानिक और उच्च स्तरीय समीक्षा के अन्य न्यायालयों और राष्ट्रीय विधान के फैसले (जिन्हें यहाँ ''राष्ट्रीय मानवाधिकार मानक'' कहा गया है) यौन अधिकारों और यौन स्वास्थ्य के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए पुर्तगाली संविधान, विशेष रूप से परिवार नियोजन के अधिकार[25] की गारंटी प्रदान करता है, और यौन शिक्षा पर कानून, प्राइवेट और सरकारी प्राथमिक, माध्यमिक और व्यावसायिक स्कूलों में यौन शिक्षा को अनिवार्य बनाता है।[26] दूसरा उदाहरण, भारत के उच्चतम न्यायालय का हालिया फैसला है, जो देश में कानून और प्रशासनिक गतिविधियों में पुरुष एवं महिला के द्विआधारी (बाइनरी) मानदंडों को तोड़ता है, और ट्रॉंसजेंडर लोगों को पहचान की मान्यता और समान अधिकार प्रदान करता है।[27] जहाँ राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले और विधान, मुख्य रूप से राज्य के अंदर या नियंत्रण में रहने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं पर बाध्यकारी हैं, वहीं वे दूसरे देशों में राष्ट्रीय न्यायालयों और विधायिकाओं के लिए महत्वपूर्ण उदाहरण और प्रेरक तर्क तथा मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं।

कुछ देश, कानूनी अधिकार और दायित्व सौंपने के लिए एक से अधिक प्रणालियाँ उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि धार्मिक सिद्धांत और रीति–रिवाज़ एवं परंपराएं, जिनके आधार पर लोगों को, कभी–कभार खास तौर पर महिलाओं को (जैसे कि धार्मिक कारणों से) दायित्व सौंपे जाते हैं, या किसी एक को मार्गदर्शन के लिए चुना जा

सकता है। कुछ देशों में विवाह, उत्तराधिकार और कुछ अपराधों को अलग–अलग प्रणालियों द्वारा शासित किया जाता है। हालाँकि, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सबसे मौलिक और शक्तिशाली सिद्धांत यह है कि राज्यों को अपने अंतर्राष्ट्रीय वादों को पूरा करने के लिए सभी स्तरों पर कार्य करना होगा। इस नियम को, लैटिन वाक्यांश, पैक्टा संट सरवांडा अर्थात् समझौते का पालन किया जाना चाहिए, के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। इस प्रकार, एक राष्ट्रीय सरकार, अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के आलोक में अपने कानूनों का मूल्यांकन करने के लिए अपने द्वारा अनुमोदित अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियो के आधार पर बाध्य है। राज्यों को यह छूट दी गई है कि वे इन कमियों या अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के उल्लंघन को अपनी समानांतर कानूनी प्रणाली के माध्यम से किस प्रकार दूर करते हैं, लेकिन उन्हें इस बात की हिमायत करने की अनुमति नहीं है कि उनका राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनी समीक्षा के अधीन नहीं है। ध्यान रहे कि अनेक देशों में (हालाँकि सभी में नहीं), जिनमें एक से अधिक कानूनी शासन हैं, उनकी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रतिबद्धताएं और राष्ट्रीय संविधान – आम तौर पर भेदभाव कानूनों के तहत – इस बात के मूल्यांकन का आधार बन सकते हैं कि मौजूदा प्रणाली में कौन – से कानून मानव अधिकारों की गारंटी देने में पीछे हैं।[6]

मानवाधिकार सिद्धांत और यौन अधिकारों, यौनिकता और यौन स्वास्थ्य से संबंधित नए मानकों के विकास के लिए उनका प्रयोग

इस खंड में नौ प्रमुख नियमों पर प्रकाश डाला गया है, जो यौन अधिकार के दावों के लिए प्रासंगिक मानव अधिकार मानकों और कानून के विकास और उनके उपयोग के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

मानव अधिकारों की सार्वभौमिकता, अपरिहार्यता और अविभाज्यता

मानव अधिकार सार्वभौमिक और अपरिहार्य, अविभाज्य, परस्पर आश्रित और परस्पर संबंधित हैं। वे सर्वभौमिक हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति समान अधिकारों के साथ पैदा होता है और समान अधिकार रखता है, चाहे उनका निवास स्थान कहीं भी हो, उनका जेंडर या वंश, अथवा उनकी धार्मिक, सांस्कृतिक या जातीय पृष्ठभूमि कुछ भी हो। वे अपरिहार्य हैं क्योंकि लोगों के अधिकारों को कभी छीना नहीं जा सकता है। वे अविभाज्य और परस्पर आश्रित हैं, क्योंकि राजनीतिक, नागरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक, सभी अधिकारों का महत्व समान है और एक–दूसरे के बिना किसी का भी अकेले पूरी तरह उपयोग नहीं किया जा सकता है। वे सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। किसी एक अधिकार से वंचित किया जाने से निश्चित तौर पर दूसरे अधिकारों के उपयोग में बाधा पड़ती है। उदाहरण के लिए, एच.आई.वी. के साथ जी रहे लोगों या समलैंगिक यौन रुझान रखने वाले लोगों के प्रति भेदभाव करने से उनके रोज़गार, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने पर असर पड़ सकता है। किसी एक अधिकार की पूर्ति, अक्सर पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी दूसरे अधिकार की पूर्ति पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य के अधिकार की पूर्ति, शिक्षा के अधिकार या सूचना के अधिकार की पूर्ति पर निर्भर हो सकती है।[28]

गैर–भेदभाव और समानताः अन्य सभी अधिकारों को आधार देने वाला अधिकारों का मूल सिद्धांत और अपने आप में एक अधिकार

गैर–भेदभाव के अंतर्गत, सभी मानव अधिकारों को लागू करने के लिए एक निहित मार्गदर्शक सिद्धांत, और राज्यों पर किसी भेदभाव के बिना कार्य करने और सभी व्यक्तियों को समानता तक ले जाने के लिए सकारात्मक रूप से कुछ विशेष कदम उठाने का एक खास दायित्व, दोनों ही आते हैं।[29,30]

गैर–भेदभाव एक समानता और यौन स्वास्थ्य के साधन के रूप में

गैर–भेदभाव के सिद्धांत का यौनिकता, यौन स्वास्थ्य और मानव अधिकारों से गहरा संबंध है। व्यक्तियों और समूहों के बीच असमानता, खराब यौन स्वास्थ्य सहित, खराब स्वास्थ्य के बोझ का एक बड़ा कारण है। असमानता को सेवाओं, संसाधनों के उपयोग में अंतर, लोगों द्वारा अपने जीवन को प्रभावित करने वाले कानून एवं नीति निर्माण में भागीदारी ना कर पाने के साथ–साथ अपने विरुद्ध किए गए शोषण का उपचार पाने में असमर्थ रहने के रूप में देखा जा सकता है।[31] भेदभाव, असमानता की प्रक्रियायों द्वारा संचालित होता है, जो शायद ही किसी व्यक्ति की केवल एक विशेषता से जुड़ी होती हैं, लेकिन अक्सर उन्हें विविध कारकों से बढ़ावा मिलता है। वास्तव में, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों में, भेदभाव का अर्थ, ''किसी भेद, बहिष्कार, प्रतिबंध या वरीयता देने से है, जो किसी जाति, रंग, लिंग, भाशा, धर्म, राजनीतिक या अन्य विचार, राष्ट्रीय या सामजिक मूल, संपत्ति, जन्म या अन्य स्थिति के आधार पर है, और जिसका उद्देश्य या प्रभाव, सभी व्यक्तियों द्वारा सभी अधिकारों एवं स्वतंत्रता को समान आधार पर उपयोग करने से इनकार करना या बाधित करना है।''[32,33] यह सूची और प्रतिबंधित आधार असीमित हैं। इस प्रकार, ''अन्य स्थिति'' के तहत, आयु, यौन रुझान, जेन्डर पहचान, विकलांगता, और एच.आई. वी. स्थिति को शामिल किया गया है, जो सभी यौन स्वास्थ्य पर असर डाल सकते हैं।[2,30,33,37]

भेदभाव के विभिन्न रूप एक–दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं, उन्हें कभी–कभार ''अंतरवर्गीय भेदभाव'' या ''बहु भेदभाव'' कहा जाता है। बाधाओं को पूरी तरह से समझने और सार्थक समानता की दिशा में कार्य करने के लिए विश्लेषण और उपचारों को न केवल भेदभाव के एक धुरी, जैसे कि लिंग एवं जेन्डर के आधार पर भेदभाव, बल्कि अन्य स्थितियों, जैसे कि जाति, आयु और राष्ट्रीयता के आधार पर भी ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।[29,30,36] सभी व्यक्तियों द्वारा स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्य मानकों सहित समान अधिकारों का उपयोग करने और समानता में कोई बाधा ना आए उस दिशा में कार्य करने के लिए, गैर–भेदभाव, राज्य के दायित्व का एक पहलू है।[21,22,29,30] कानून के समान संरक्षण सहित गैर–भेदभाव सुनिश्चित करने के उपायों के लिए समाज के सभी वर्गों के साथ–साथ स्वास्थ्य प्रणाली के भीतर संसाधन वितरण और प्राथमिकताओं के समाधान की नीतियों सहित व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों की आवश्यकता पड़ सकती है। उदाहरण के लिए, विकलांगता के साथ जी रहे लोगों, स्वदेशी लोगों, जातीय अल्पसंख्यकों, और ट्रॉंसजेंडर एवं इंटरसेक्स व्यक्तियों की जबरदस्ती नसबंदी को समाप्त करने के लिए कानूनी स्तर पर कार्यवाही की ज़रूरत है, साथ ही नीतियों और व्यवहार में, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रदानगी में यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि नसबंदी केवल संबंधित व्यक्ति के पूर्ण, स्वतंत्र और जानकारी–आधारित निर्णय करने पर ही की जाए।[32]

कानून, भेदभाव के एक स्रोत के रूप में

स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था में शामिल कानून, नीतियां, कार्यक्रम और पद्धतियां भी भेदभाव और स्वास्थ्य पर उल्लेखनीय असर डालने वाले अन्य मानव अधिकार उल्लंघनों के स्रोत हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, महिलाओं और पुरुषों के लिए उचित जेन्डर भूमिकाओं के बारे में मान्यताएं, जो अपेक्षित यौन आचरण का मार्गदर्शन करती हैं, अक्सर कानून का हिस्सा बन जाती हैं और महिलाओं और पुरुषों के जीवन और स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डालती हैं। कई कानून उन लोगों के साथ भेदभाव करते हैं जो जनाना एवं मर्दाना सामाजिक व्यवहार के सामाजिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, और जिन लोगों का यौन आचरण – प्रजनन के बिना सेक्स और विवाह के बाहर सेक्स सहित – अनुपयुक्त माना जाता है, या जिनका यौन आचरण जेन्डर भूमिका के लिए अपेक्षित सामाजिक व्यवहार के अनरूप नहीं है।

भेदभावपूर्ण मान्यताओं और रूढ़ियों के कुछ सबसे कठोर उदाहरण, दांडिक कानून के तत्व और संचालन में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ देशों में दांडिक कानून का उपयोग कुछ यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य जानकारी एवं सेवाओं पर पहुँच को रोकने के लिए, एच.आई.वी. संचरण के लिए दंड देने और सक्षम व्यक्तियों के बीच सहमतिपूर्ण व्यापक यौन व्यवहारों के लिए दंड देने के लिए किया जाता है। इन व्यवहारों एवं कृत्यों के अपराधीकरण के यौन स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य पर अनेक हानिकारक प्रभाव होते हैं। ऐसे लोग जिनके यौन एवं प्रजनन निर्णय और जिनके सहमतिपूर्ण यौन व्यवहार को दांडिक अपराध माना जाता है, उन्हें कलंकित किए जाने, गिरफ़्तार होने और मुकदमा चलाए जाने के डर से स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, पुलिस एवं दूसरे लोगों से अपने व्यवहार और कृत्यों को छिपाने की ज़रूरत महसूस हो सकती है। उनके साथ अक्सर स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है, जिससे उनके द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग की संभावना घट जाती है।

जो व्यक्ति कानून के विरुद्ध आचरण करते हैं या माना जाता है कि कर सकते हैं, अक्सर अलग–अलग तरह के दुर्व्यवहरों का निशाना बनते हैं, जिसमें हिंसा (यौन एवं गैर–यौन हिंसा), वसूली, उत्पीड़न और निजी व्यक्तियों या समूहों द्वारा ही नहीं बल्कि पुलिस द्वारा भी अक्सर दंड–मुक्ति के साथ अन्य उल्लंघन शामिल होते हैं।[6] अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार निकायों द्वारा अनिवार्य यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य जानकारी एवं सेवाओं के उपयोग के संबंध में दांडिक कानूनों का उपयोग, और सहमतिपूर्ण यौन व्यवहार के लिए उनके उपयोग को, मानव अधिकारों के विपरीत पाया गया है, और कई राज्यों ने अपने राष्ट्रीय कानूनों में तदनुसार बदलाव किए हैं।[6]

कई राज्यों ने भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा के लिए व्यापक उपाय किए गए हैं, या तो अपने राष्ट्रीय संविधान में सुसंगत गारंटी प्रदान कर या कानून का विस्तार कर, जो लिंग, जेंडर, यौन रुझान या स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर गैर–भेदभाव की स्पष्ट गारंटी प्रदान करे। कुछ राज्यों ने राष्ट्रीय कानून के माध्यम से यौन स्वास्थ्य से संबंधित सुरक्षा के विशिष्ट आधार परिभाषित किए हैं। ये कानून और संवैधानिक ढाँचे सरकारी और गैर–सरकारी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने और मूल्यांकन में सहायक होते हैं।[6]

भेदभाव को समाप्त करने के लिए राज्य की कार्यवाही

भेदभाव से निपटने का राज्य का दायित्व, राष्ट्रीय कानूनों के दायरे से आगे जाता है और इसमें भेदभाव को समाप्त करने और समानता की स्थिति लाने के लिए सार्थक कार्यवाही करने की बाध्यता भी शामिल होती है। कार्य करने का यह दायित्व जीवन के सभी क्षेत्रों – सार्वजनिक एवं निजी, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और नागरिक में पहुँचता है। जो उपाय किए जाते हैं वे उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होने चाहिए। उदाहरण के लिए, राज्यों को सार्वजनिक और निजी जीवन को अलग–अलग तरीके से संचालित करने की अनुमति है, जैसे कि जब कानून द्वारा यह स्थापित है कि सरकारी स्कूलों में व्यापक यौन शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, जबकि निजी क्षेत्र में कानूनी बाध्यता नहीं होगी। हालाँकि, राज्य फिर भी अन्य आम तौर पर सुलभ साधनों के माध्यम से व्यापक यौन शिक्षा प्रदान करने का दायित्व निभा सकते हैं। भेदभाव को समाप्त करने के राज्य के दायरे में उन कानूनों और पद्धतियों की समीक्षा और संशोधन करना भी शामिल है, जिनमें भेदभावपूर्ण तत्व मौजूद हैं, जैसे कि वे नियम जो महिलाओं और लड़कियों को उनकी वैवाहिक स्थिति और/या पति की स्वीकृति के आधार पर गर्भनिरोध संबंधी जानकारी और सेवाएं उपलब्ध कराते हैं (प्रत्यक्ष भेदभाव), या ऐसे कानून जो उनके सामने तो निष्पक्ष हैं, लेकिन उनका प्रभाव भेदभावपूर्ण है।[30,33] वास्तव में कुछ ''जेन्डर निष्पक्ष'' कानून भी ट्रॉंसजेंडर महिलाओं सहित सभी प्रकार की महिलाओं के लिए भेदभावपूर्ण हो सकते हैं, उदाहरण के लिए, जब कोई राज्य केवल महिलाओं के लिए आवश्यक सेवाएं, कम से कम प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं, प्रदान करने में असफल हो जाता है।[20,38]

गैर–भेदभाव का लक्ष्य केवल औपचारिक समानता का लक्ष्य नहीं है, जिसमें राज्य सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करता है और मानकों की समानता पर ध्यान देता है, बल्कि मौलिक समानता है, जिसके लिए अलग–अलग स्थित वाले व्यक्तियों के लिए अलग–अलग तरह के व्यवहार की ज़रूरत हो सकती है।[35] मौलिक समानता की जाँच इसके परिणामों में निहित हैः उदाहरण के तौर पर, क्या अलग–अलग स्थित वाले लोग (उदाहरण के लिए, ट्रॉंसजेंडर लोग, और विकलांगता के साथ जी रहे लोग) संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, सार्वजनिक और निजी जीवन में समान रूप से और समान क्षमता के साथ परिणामों को प्रभावित करने के लिए भागीदारी कर सकते हैं और निर्णय कर सकते हैं और आम तौर पर अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। राज्य द्वारा मौलिक समानता के लिए किए गए कोई भी उपाय, यह सुनिश्चित करने के लिए मानव अधिकार समीक्षा के अधीन हैं, कि वे अपने–आप में मनमाने या भेदभावपूर्ण नहीं हैं और स्वायत्तता के सिद्धांतों के अनुरूप, विविधता के लिए सम्मान और जेन्डर या नस्लीय रूढ़ियों से मुक्त हैं। एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार और किन परिस्थितियों में गर्भवती महिलाओं के साथ गैर–गर्भवती महिलाओं और पुरुषों से अलग व्यवहार किया जाता है।[29] एक अन्य उदाहरण यह धारणा है कि विकलांगता जैसा संज्ञेय भेद को नहीं समझ पाना भी अपने–आप में भेदभाव का ही एक रूप है।[39]

राज्य के दायित्वों में न केवल भेदभावपूर्ण कार्यवाही से बचना, बल्कि बाधाओं को दूर करने और असमानता की ऐतिहासिक विरासत के निवारण के लिए सकारात्मक कार्यवाही करना भी शामिल है। ऐसी परिस्थितियों में, एक अस्थायी विशेष उपाय के रूप में ऐसे ''सकारात्मक भेदभाव'' का निषेध नहीं है। उपचारात्मक विधायी या प्रशासनिक उपाय, जिन्हें ''अस्थायी विशेष उपाय'' कहा जाता है, उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों और राष्ट्रीय कानूनों में अनुमति दी जाती है; उनकी समानता के एक पक्ष के रूप में ही अनुमति नहीं दी जाती है, बल्कि ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों, जैसे कि किसी खास जातीय समूह या शरणार्थी महिलाओं के यौन स्वास्थ्य अधिकारों सहित समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यकता पड़ सकती है। इस प्रकार का उपचार उपलब्ध कराने वाले कानून को भेदभाव नहीं माना जाता है, जब तक कि जारी प्रासंगिकता में उनकी समीक्षा की जा रही हो।[40]

सम्मान, संरक्षण, पूर्ति करना

मानव अधिकार के मानकों से यह स्पष्ट है कि राज्यों के तीन तरह के दायित्व होते हैंः अधिकारों का सम्मान करना, उनका संरक्षण करना और उनकी पूर्ति करना।[20,21,41] यौन स्वास्थ्य के संदर्भ में अधिकारों का सम्मान करने का एक उदाहरण, कानूनों और ऐसे अन्य उपाय अपनाना हो सकता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि राज्य के प्रतिनिधि के रूप में पुलिस ऐसे व्यक्तियों को परेशान या उनका शोषण नहीं कर सकती, जो जेन्डर के अनुकूल कपड़े न पहनें या व्यवहार न करें। दूसरा उदाहरण, एक ऐसा कानून हो सकता है, जो विवाहित महिलाओं को परिवार नियोजन सेवाओं का उपयोग करने के लिए अपने पति की स्वीकृति लिए जाने की अनिवार्यता को हटा दे।

संरक्षण के दायित्व के तहत, राज्यों को कानूनों और नीतियों को इतना व्यापक बनाना चाहिए कि वे उन कार्यों या प्रथाओं के विरुद्ध पूर्ण संरक्षण प्रदान करें, जिनके कारण एक व्यक्ति दूसरे से कमतर बन जाता है। उदाहरण के तौर पर, इसमें ऐसे कानूनों का संशोधन करना शामिल है, जो सभी को यौन हमले से समान संरक्षण प्रदान नहीं करते हैं – जैसे कि जब किसी कानून में महिलाओं को शादी में या पुरुषों को यौन हमले के संभावित पीड़ित के रूप में शामिल नहीं किया जाता है – या यह सुनिश्चित करना कि कानून, बलात्कार से सुरक्षा के मामले में महिला यौन कर्मियों को दूसरी महिलाओं की तुलना में कम महत्वपूर्ण न माने। इसमें ऐसे कानून बनाना भी शामिल है, जो लोगों

द्वारा मीडिया में सटीक और विविध यौन जानकारी प्राप्त करने की बाधाओं को दूर करे, या ऐसे कानून बनाना, जो न केवल पुरुषों के बलात्कार को गंभीर दांडिक अपराध के रूप में मुकदमा चलाए जाने योग्य बनाए, बल्कि उपयुक्त सेवाएं भी सुनिश्चित करे। इन मामलों में दांडिक कानून एक हिस्सा है, लेकिन अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए अकेले पर्याप्त नहीं है।

यौनिकता और स्वास्थ्य के संबंध में अधिकारों की पूर्ति के उदाहरणों में यौन स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों का आवंटन शामिल है, उदाहरण के लिए उन सार्वजनिक शिक्षा अभियानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना जो विविध यौन रुझान और जेन्डर पहचान और अभिव्यक्ति वाले लोगों का सम्मान करने के बारे में चर्चा करते हैं, या ऐसा कानूनी ढाँचा स्थापित करते हैं, जिससे सिविल सोसायटी लोगों को संगठित, शिक्षित और परिवार में यौन शोषण से रक्षा हो सके।

यथोचित उपाय

यथोचित उपाय की अवधारणा, जिसके द्वारा राज्य का दायित्व है कि वह अधिकारों का सम्मान, रक्षा और पूर्ति करे, राज्यों और उनके कर्तव्यों के लिए समीक्षा के मानक की भूमिका निभाता है, ताकि आम तौर पर अधिकार सुनिश्चित हो सकें। क्योंकि सुरक्षा करना राज्यों का एक ठोस दायित्व है, अतः यदि वे विशिष्ट परिस्थितियों में अराजक तत्वों द्वारा उल्लंघनों से रक्षा करने में विफल होते हैं, तो वे जवाबदेह हैं। यौन स्वास्थ्य के संदर्भ में यह अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है – जहाँ उदाहरण के तौर पर, भेदभाव और हिंसा कुछ लोगों को, दूसरों के समान अपने अधिकारों का उपयोग करने में असमर्थ बना सकती है। यथोचित उपाय के सिद्धांतों के अनुरूप, राज्यों को ऐसे कृत्यों की रोकथाम, पड़ताल और दंडित करना चाहिए, जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत मान्यता–प्राप्त किसी भी अधिकार में बाधक होते हैं। राज्य, इन कानूनों के व्यावहारिक अनुप्रयोग और निरीक्षण के लिए, राष्ट्रीय तंत्र स्थापित करने के साथ–साथ इन मानकों के उल्लंघन का समाधान करने के लिए व्यापक उपाय सुनिष्चित करने के लिए बाध्य हैं। यथोचित उपाय के मानकों को ''महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन पर घोषणा'' जैसे संयुक्त राष्ट्र मानकों में शामिल किया गया है, जिसके अनुसार, राज्य ''महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के कृत्यों की रोकथाम, जाँच और राष्ट्रीय कानून के अनुसार दंडित करने के लिए यथोचित उपाय करे, चाहे उन कृत्यों को सरकार या निजी व्यक्तियों द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा हो।''[24,44]

मानवाधिकार निकाय, निजी कार्यकर्ताओं से भेदभाव, बहिष्कार और हिंसा के मामले में राज्य की निष्क्रियता की समीक्षा के मानक के रूप में यथोचित उपाय की अवधारणा का और अधिक उपयोग कर रहे हैं। वे धीरे–धीरे यथोचित उपाय के मानकों को समुदाय में यौन और जेन्डर हिंसा, घरेलू हिंसा और बलात्कार पर अधिक व्यापक रूप से लागू कर रहे हैं,[43,47] जिसके तहत न केवल दांडिक कानून बल्कि जेन्डर रूढ़ियों को मिटाने और सीमांत आबादी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान जैसी सकारात्मक निवारक कार्यवाही शामिल है।[19]

अधिकारों की निरंतर पूर्ति

अधिकारों की निरंतर पूर्ति का सिद्धांत यह मानता है कि कोई भी राज्य सभी अधिकारों को तत्काल और पूरी तरह पूर्ण करने की स्थिति में नहीं होगा। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य प्रणाली को पूरी तरह सुचारु बनाने के लिए वित्तीय, तकनीकी, साजो–सामान संबंधी एवं अन्य समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए, अतः स्वास्थ्य के अधिकार को पूरा करना एक निरंतर विकासशील प्रक्रिया है और इसमें हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है। इस नियम में कहा गया है कि, यौनिकता एवं यौन स्वास्थ्य से संबंधित अधिकारों सहित, उन अधिकारों को पूरी तरह प्रदान करने की दिशा में ''अपने उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए'' राज्य के मानव अधिकार दायित्वों

को पूरा करने की दिशा में यथासंभव स्पष्ट ईमानदार, ठोस और लक्षित कदम उठाए जाएं।[21,48] इस प्रकार, यह ज़रूरी है कि सभी देश अपने उपलब्ध साधनों के अधीन जानबूझकर पीछे हटे बिना अधिकारों को पूरी तरह प्रदान करने की दिशा में ठोस प्रयास करें। निरंतर पूर्ति के सिद्धांत का पूरक सिद्धांत 'गैर–पशगमन या पीछे ना जाने'' का है। पशगमन, अर्थात् सहमत समझौतों और वादों से किसी भी परिस्थिति में चाहे वह जानबूझकर हो या अनजाने में, पीछे जाने, की अनुमति नहीं है। अधिकारों की निरंतर पूर्ति के सिद्धांत में विधायी उपाय और न्यायिक उपचार के प्रावधान को अपनाने के साथ–साथ प्रशासनिक, वित्तीय, शैक्षिक और सामाजिक उपाय करना शामिल है।[21,43]

इस संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, अपने दायित्वों का पालन करने में किसी राज्य की अक्षमता और अनिच्छा के बीच भेद करता है। यदि भौतिक या ढाँचागत अक्षमता हो तो भी राज्यों को सहमत मानदंडों एवं लक्ष्यों की ओर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। हालाँकि तत्काल प्रभाव से प्रदान किए जाने वाले अधिकारों की संख्या सीमित है, जैसे कि यह सुनिश्चित करना कि कानून किसी के प्रति भेदभावपूर्ण न हो। उदाहरण के तौर पर, हिंसा या यौनिकता आधारित भेदभाव से कानूनी संरक्षण से किसी को भी इनकार नहीं किया जा सकता है, चाहे उसकी नागरिकता कोई भी हो, यह शरण चाहने वालों, शरणार्थियों, प्रवासी मज़दूरों और ऐसे अन्य लोगों पर भी लागू होता है, जो राज्य की सीमा या अधिकार क्षेत्र में हैं, उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए। दूसरी ओर, आवास या स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का दायित्व निरंतर पूर्ति के अधीन है जब तक कि राज्य अपनी सीमाओं के भीतर रह रहे प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचने में किसी भेदभाव के बिना ठोस कदम ले रहा है।[21,30]

जब ''उपलब्ध संसाधनों'' के मानक का इस्तेमाल इस बात का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, कि किसी राज्य ने अधिकारों की निरंतरपूर्ति के अपने कर्तव्य का पालन किया है अथवा नहीं, तब उसमें अंतर्राष्ट्रीय सहायता एवं सहयोग द्वारा प्राप्त मदद भी शामिल होती है। इस प्रकार, अधिकारों की निरंतर पूर्ति के किसी राज्य के दायित्व का मूल्यांकन, सभी उपलब्ध फ़ंड को ध्यान में रख कर किया जाता है, चाहे वह बहुपक्षीय और द्विपक्षीय सहायता से प्राप्त हुआ हो या निजी फ़ंड प्रदाताओं से, और यह धनी देशों द्वारा दूसरे देशों को दी गई सहायता पर भी लागू होता है।[21,49]

भागीदारी

अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून के तहत और सर्वसम्मति से किए गए समझौतों के अनुसार, यह सुनिश्चित करना राज्यों का दायित्व है कि लोग, अपने स्वास्थ्य से संबंधित मामलों सहित उन्हें प्रभावित करने वाले निर्णयों की प्रक्रिया में सक्रिय, जानकारी–आधारित भागीदारी करें।[21,50,52] निर्णय प्रक्रिया और नीतियों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के सभी चरणों में प्रभावित आबादी की भागीदारी को सतत विकास की एक पूर्व शर्त माना गया है,[53,55] और इस बात के मज़बूत साक्ष्य हैं, जो दर्शाते हैं कि प्रभावित आबादी की भागीदारी और स्वास्थ्य के सकारात्मक परिणामों के बीच गहरा संबंध है।[56,57] जब प्रभावित आबादी कार्यक्रम और नीति निर्माण में भाग लेती है, तो उनकी स्वास्थ्य ज़रूरतों और मानव अधिकारों का बेहतर समाधान होता है।[58]

यह भागीदारी, समुदाय द्वारा साथ मिलकर स्थानीय प्राथमिकताओं के समाधान की रणनीतियां बनाने से लेकर यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य के लिए समुदाय आधारित प्रतिक्रियाओं की प्रदानगी, या राष्ट्रीय नीति को बदलने की हिमायत करने वाले सामाजिक आंदोलन, तक हो सकती है। भागीदारी के अंतर्गत, व्यक्तियों, समुदायों या समुदाय आधारित संगठनों द्वारा यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सहित अपनी सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं या प्रणालियों के डिज़ाइन, क्रियान्वयन, प्रबंध या विकास में सक्रिय भागीदारी करना भी शामिल है।[59] साक्षरता, भाषा, सामाजिक स्थिति या अन्य कारकों के आधार पर शक्ति की भिन्नता जो उन लोगों को वर्जित कर सकती है जो लिए गए निर्णय से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं – जैसे कि महिलाएं और

लड़कियां – को अक्सर उनकी सार्थक भागीदारी को बढ़ावा देकर समाधान किया गया है।

प्रभावित आबादी, जैसे कि यौन कर्मियों और हिंसा पीड़ितों, की अपने स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कानूनों का मसौदा तैयार करने और उनकी समीक्षा करने में भाग न ले पाना, किए जा रहे भेदभाव तथा हिंसा में वृद्धि और खराब स्वास्थ्य का कारण और परिणाम दोनों है। उदाहरण के तौर पर, कुछ देशों में ट्रॉंसजेंडर, लेस्बियन, गे या यौन कर्मियों के समूह को संघों के रूप में पंजीकरण पर कानूनी प्रतिबंध है; दूसरे लोग उनकी अभिव्यक्ति (अपनी बात कहने) को अपराध मानने वाले कानून बनाते हैं। ये सभी उपाय, हिंसा के विरुद्ध या एच. आई.वी. की रोकथाम तथा स्वास्थ्य के लिए अधिक महत्व के अन्य मुद्दों पर उनके कार्य करने की क्षमता पर विपरीत असर डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय, दोनों ही स्तरों पर, न्यायालय और मानव अधिकार निकायों ने इस प्रकार के प्रतिबंधात्मक कानूनों को अभिव्यक्ति, संगठन और गैर–भेदभाव से संरक्षण के मूल अधिकार का उल्लंघन पाया है; इन फैसलों में समाज में भागीदारी के अधिकारों को सुनिश्चित करने के मूल सिद्धांतों की पुष्टि की गई है।[60,63] उदाहरण के तौर पर, जब यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने कहा कि एल.जी.बी.टी. संगठनों को मार्च करने और प्रदर्शन करने की अनुमति दी जानी चाहिए, तो वह जनजमाव और संगठन पर यूरोपीय कन्वेंशन के प्रावधानों के साथ–साथ गैर–भेदभाव के माध्यम से सभी व्यक्तियों के लिए नागरिक भागीदारी के सिद्धांतों की पुष्टि कर रहा था।[64]

अधिकारों पर अनुमत सीमा

1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाए जाने के बाद, ऐसा समझा गया है कि अपने अधिकारों और स्वतंत्रता का उपयोग करने में ''हर किसी को केवल ऐसी सीमाओं के अधीन रखा जाएगा जो दूसरों के अधिकारों और स्वतंत्रता का सम्मान करती हों और किसी लोकतांत्रिक समाज में केवल नैतिकता, लोक व्यवस्था और आम कल्याण की न्यायोचित ज़रूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से कानून द्वारा निर्धारित की गई हों।''[65] महत्वपूर्ण प्रश्न हमेशा यही रहा है कि इस बात का आंकलन कैसे करें कि राज्य ने अधिकारों और हितों के बीच सही संतुलन हासिल किया है, जब वह दूसरों के अधिकारों की रक्षा के लिए घोषित लक्ष्य के साथ कुछ कार्यों को सीमित करने के लिए नियम बनाता है।

यातना से संरक्षण, गुलामी से मुक्ति और मनमाने तरीके से जीवन से वंचित किए जाने से मुक्ति, जैसे कुछ अधिकार ऐसे भी हैं, जिन्हें किसी भी कारण से राज्य द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है।[66]

हालाँकि, कुछ मानव अधिकार संधियों में ऐसे प्रावधान हैं जो किसी राष्ट्र का अस्तित्व खतरे में पड़ने पर आपातकालीन परिस्थितियों में बहुत कम अधिकारों को अस्थायी तौर पर निलंबित करने की अनुमति देते हैं, लेकिन इन अधिकारों का निलंबन (''अवमान'') भी भेदभावपूर्ण तरीके से नहीं किया जा सकता है।[66] इसके अलावा, कुछ ऐसे अधिकार हैं, जिनके बारे में संधियों के ब्यौरे में सामान्य सीमित उपबंध शामिल हैंः उदाहरण के लिए, आम जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एकजुटता के कुछ अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन नए कानूनी मामलों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस अपवाद की गहन जाँच की जाए, ताकि यह साबित हो सके कि यह प्रतिबंध जन स्वास्थ्य के साक्ष्यों पर आधारित है, और अनावश्यक रूप से कुछ जन समूहों के खिलाफ़ भेदभाव नहीं करता है। यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय में निर्णीत एक महत्वपूर्ण मामले, जिसमें एच.आई.वी. पॉज़िटिव एक व्यक्ति की आवाजाही की स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, में यह फैसला सुनाया गया कि उस व्यक्ति की भावी यौन गतिविधियों पर किया गया अनिवार्य उपाय (ज़बरदस्ती अलगाव) न्यायोचित नहीं था।[67]

यह एक आम सिद्धांत है कि अधिकाँश अधिकारों को उस सीमा तक व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ तक वे किसी अन्य के अधिकारों के उपयोग का अतिक्रमण नहीं करते।[68,69] उदाहरण के लिए, यौन बातचीत, उचित

समय, स्थान और निर्धारित तरीके के अधीन है।[70] यौन स्वास्थ्य पर गंभीर असर के साथ व्यक्तियों को सीमित करने वाले कानून लागू करने का औचित्य साबित करने के लिए राज्यों द्वारा ''स्वास्थ्य'' और ''नैतिकता'' के आधारों को नियमित तौर पर लागू किया जाता रहा है। ऐसे कानूनों में वे कानून शामिल हैं, जो यौन कर्मी या ट्रॉंसजेंडर जैसे कुछ वर्ग की अभिव्यक्ति और एकजुटता को सीमित करते हैं, और वे कानून, जो समलैंगिक यौन संबंध या अन्य सहमितपूर्ण यौन व्यवहार को अपराध मानते हैं, वे कानून, जो कुछ प्रकार की यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को प्रतिबंधित करते हैं। हालाँकि, ऐसे प्रमुख मानवीय मानक हैं, जो दर्शाते हैं कि मानव अधिकारों का उपयोग सीमित करने के लिए ''नैतिकता'' या ''स्वास्थ्य'' का लागू करना अत्यंत ज़रूरी होना चाहिए और उन्हें मनमाने या भेदभावपूर्ण तरीके से लागू नहीं किया जा सकता है। उपर्युक्त 1994 का टूनेन निर्णय, पहले का एक ऐसा केस था, जिसने उजागर किया कि न तो किसी राज्य द्वारा नैतिकता के दावे का दबाव, न ही किसी ''स्वास्थ्य'' (एच.आई.वी. से सुरक्षा) का दावा, राज्य द्वारा आई.सी.सी.पी.आर. के तहत भेदभाव की समीक्षा को रोकने के लिए पर्याप्त है। पुराने और हाल के केस, दोनों से यह स्पष्ट होता है कि समलैंगिकता को स्वीकृति नहीं देना या यह धारणा कि यौन पहचान के बारे में बताना 'अश्लील' है, अभिव्यक्ति और जुड़ाव के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने या नकारे जाने का पर्याप्त आधार नहीं हैं।[60,71,72]

उपचार और समाधान का अधिकार

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और अनेक संवैधानिक कानूनों के तहत, राज्य का एक प्रमुख दायित्व, मानवाधिकारों के हनन का प्रभावी उपचार उपलब्ध कराना है, चाहे दोषी सरकारी या गैर–सरकारी कोई भी हो।[73,29] प्रभावी उपचार क्या है, इसका कोई निर्धारित मापदंड नहीं है, लेकिन इसमें निर्धारित प्रक्रिया और अनुरूपता शामिल होनी चाहिए, अर्थात् दंड और समाधान मेल खाने चाहिए, और क्षति की प्रकृति एवं गंभीरता से अधिक नहीं होने चाहिए। इसके अलावा सार्थक होने के लिए राज्य को यह प्रदर्शित करना चाहिए कि उसने यह सुनिश्चित करने के उपाय किए हैं कि एक ही तरह का उल्लंघन दोबारा न हो। यह कार्यवाही जिसे ''पुनरावृत्ति न होने की गारंटी'' कहा जाता है, प्रगतिशील उपचारों की एक महत्वपूर्ण विशेषता भी है।[65,66,74,80] गारंटी ऐसी होनी चाहिए कि राज्य की कार्यशैली में वास्तविक बदलाव दिखे – जो उल्लंघनों की रोकथाम के लिए कारगर उपाय करता हो। यौनिकता और यौन स्वास्थ्य के संदर्भ में, कारगर उपाय के अधिकार में ऐसा उपाय शामिल है, जो क्षति के जेन्डर एवं यौन संबंधी पहलुओं पर ध्यान देता हो।[42] उदाहरण के लिए, यदि कानूनी तौर पर अविवाहित महिलाओं को परिवार नियोजन की सुविधाएं उपलब्ध न हों, तो कानून में बदलाव कर उन्हें परिवार नियोजन संबंधी जानकारी और सेवाएं मुहैया कराना कारगर उपाय में शामिल होना चाहिए, चाहे उनकी वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो।

18 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए विशिष्ट कानूनी अधिकार

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के अनुसार, 18 वर्ष से कम आयु के लोग सभी मानव अधिकारों के हकदार हैं, लेकिन जब वे 18 वर्ष के हो जाते हैं, तो युवाओं के प्रति राज्यों के विशेष कानूनी दायित्व बदल जाते है। 18 वर्ष की उम्र होने पर प्रत्येक व्यक्ति प्रमुख मानवाधिकार संधियों और राष्ट्रीय संविधान और कानूनों के तहत अपने अधिकार पूरी तरह सुनिश्चित कर सकता है। 18 वर्ष से कम आयु के लोगों और 15 से 24 वर्ष आयु के किशोर एवं युवाओं सहित जनस्वास्थ्य/कार्यक्रम वर्ग में शामिल लोगों के कानूनी अधिकारों के बीच अंतर को समझना महत्वपूर्ण है।

आयु के कारण किए जाने वाले ये भेद, जो 18 वर्ष से कम आयु के लोगों के अधिकारों के समर्थन से संबंधित हैं, इन्हें भेदभाव के रूप में नहीं देखा जाता है। कुछ

विशिष्ट मानव अधिकार मानक उपलब्ध हैं, जिनसे किशोर स्वास्थ्य संबंधी बाल अधिकार समिति की सामान्य टिप्पणियों के साथ–साथ यह जानने में मदद मिलती है कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति किस प्रकार अपने अधिकारों का सार्थक उपयोग कर सकते हैं।[22,76,81,82] बचपन पर मानव अधिकार सिद्धांतों को लागू किया जाना, इस धारणा पर आधारित है कि अपने बारे में सोचने और करने की क्षमता एक उभरती हुई प्रक्रिया है: जैसे–जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनमें अपने अधिकारों का उपयोग करने की षक्ति बढ़ती जाती है। मानव अधिकार प्रणाली, बच्चे की उम्र बढ़ने के साथ उसकी शक्तियों में वृद्धि कर, और राज्य एवं माता–पिता की शक्तियों एवं दायित्वों में कमी कर, बच्चों के अधिकारों तथा माता–पिता, अभिभावक और राज्य की शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखती है।[22,76,81,82]

वयस्क होने के लिए 18 वर्ष की आयु सीमा का यह अर्थ नहीं है कि 18 वर्ष से कम उम्र के सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। बाल अधिकारों पर कन्वेन्षन के अनुच्छेद 5 में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि बच्चों की उभरती क्षमता, बच्चों द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग करने में सहायता के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि ऐसी मान्यता है कि कम उम्र के बच्चों की अपेक्षा अधिक उम्र के किशोरों को अधिक स्वायत्तता प्राप्त है। यह अवधारणा बच्चों को अपने जीवन के सक्रिय एजेंट, और बढ़ती स्वायत्तता के साथ अधिकार धारक होने की मान्यता को संतुलित करती है, जहाँ उन्हें अपनी कमज़ोरी के अनुसार संरक्षण पाने का हक़ है। यौन स्वास्थ्य के संबंध में, यह ज़रूरी है कि बच्चों की यौन शोषण और उत्पीड़न से रक्षा की जाए, लेकिन 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के भी किसी अन्य पक्ष की स्वीकृति के बिना यौनिकता और यौन स्वास्थ्य संबंधी सूचना और सेवाओं का उपयोग करने के विशिष्ट अधिकारों के साथ–साथ अपने विकास में सहायक अभिव्यक्ति और कार्य का अधिकार है।[22]

इस संबंध में यू.के. के कानून ने क्षेत्रीय और वैश्विक ध्यान एवं प्रयोज्यता की ओर ध्यान आकर्षित किया है। यू.के. के हाउस ऑफ़ लार्ड्स ने स्थापित किया कि डॉक्टरों द्वारा नाबालिगों को उनकी माता–पिता की सहमति के बिना गर्भनिरोध की सलाह एवं उपचार प्रदान करना वैध है, बशर्ते कुछ निर्धारित मानदंडों का पालन किया जाए।[83] न्यायाधीश द्वारा निर्दिष्ट मानदंड – जिन्हें फ्रेज़र दिशानिर्देश के रूप में जाना जाता है – का उपयोग यू.के. में और अन्य राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्वक मंचों पर किशोरों के लिए सेवा प्रावधान के मार्गदर्शक मानकों के रूप में किया जा रहा है। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, माता–पिता की सहमति के बिना गर्भनिरोध की सलाह एवं अन्य उपचार प्रदान करना वैध है, यदि स्वास्थ्य कर्मी/डॉक्टर संतुष्ट है कि युवा उसकी सलाह को समझेगा, उसे अपने माता–पिता को सूचित करने के लिए राज़ी नहीं किया जा सकता है, और यह कि उसके माता–पिता की सहमति से या सहमति के बिना गर्भनिरोध की सलाह एवं अन्य उपचार प्रदान करना उसके सर्वोत्तम हित में है।[84]

मानव अधिकार कानून की यह भी माँग है कि कानून, लड़कियों और लड़कों के बीच जेन्डर संबंधी रूढ़ियों, या ऐसी रूढ़ियां जो युवाओं द्वारा विविध जेन्डर अभिव्यक्ति या यौन रुझान के निर्णयों को रोकती हैं, के आधार पर कोई भेद न करे। जेन्डर संबंधी रूढ़ियां, यौनिकता संबंधी अधिकारों के निर्धारण का आधार नहीं होनी चाहिए: उदाहरण के तौर पर, शादी की उम्र समान (और 18 वर्ष) होनी चाहिए; और जहाँ यौन सहमति की उम्र शादी की उम्र से कम हो सकती है, वहीं यह लड़कियों और लड़कों, और विषमलैंगिक एवं समलैंगिक संबंधों के लिए समान होनी चाहिए। जेन्डर अभिव्यक्ति, लिंग, जेन्डर पहचान और यौन रुझान के संबंध में गैर–भेदभाव 18 वर्ष से कम उम्र के उभरते अधिकार धारकों पर भी लागू होता है।[22,30]

निष्कर्ष

मानव अधिकार कानून न तो स्थिर हैं, न तो सबके लिए मुफ़्त है : उन कुछ विशिष्ट नियमों के अनुसार इसका

उद्भव होता है, जो न केवल मानव अधिकार कानून बल्कि सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का मार्गदर्शन करते हैं। ऊपर उल्लिखित कार्यान्वयन और व्याख्या के नौ नियमों ने यौन अधिकारों और यौन स्वास्थ्य के समर्थक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून के मौजूदा निकाय के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इससे भी आगे, यह कहना उचित है कि 1960, 1970 और 1980 के दशक की संधियों का कोई भी प्रारूप निर्माता इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। इसलिए यह ऐसा है, जैसा कि होना चाहिए था : संधियों के प्रारूप निर्माताओं की कल्पना, कानूनी दायरे की अंतिम सीमा नहीं है। नए दावेदारों की भागीदारी, लोगों के बारे में नए विचार, व्यापार, संघर्ष, स्वास्थ्य और विकास के वैश्विक युग में देशों के बीच वार्ता, समझ विकसित करने के नए संदर्भ एवं सहयोगी बनना है, चाहे वह कोई शादी हो या युवाओं की क्षमता। यही वे विषय हैं, जहाँ यह गाइड कुछ 'मूलभूत नियम' बनाती है, जिनका उपयोग, यौन स्वास्थ्य और यौन विविधता का समर्थन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सत्ता के निरंतर विकास को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है।

वर्तमान सत्ता सही नहीं है – यह, मानव अधिकारों द्वारा संचालित परस्पर विरोधी विचारों के साथ संभावना और आदर्श के दोराहे पर खड़ी है। कई राज्य और अन्य कार्यकर्ता, अधिकारों की गतिशीलता पर इन सिद्धांतों को लागू करने का विरोध करते हैं, और यह दावा करते हैं कि या तो मानव अधिकार, अधिकारों की एक नियत सूची हैं, या लंबे समय से स्थापित रीति–रिवाज़ों के कारण, या इस कारण से कि विशेषकर यौनिकता को अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा से छूट है, इस सूची का उपयोग उनकी राष्ट्रीय प्रथा को बदलने के लिए नहीं किया जा सकता है। जैसा कि हमने अपनी टिप्पणी (इस अंक में 23/46, पृ. 7–15) में कहा है कि यौन अधिकार इन विवादों से मुक्त नहीं हैं, न ही वह प्रक्रिया, पूर्वाग्रहों, रूढ़ियों और सत्ता के खेल से मुक्त है, जो अधिकार बनाती है। यदि कानून कैसे विकसित होता है, इस बारे में सबसे रूढ़िवादी तर्क को स्वीकार भी कर लिया जाए, तो भी यह स्पष्ट है कि यह विकसित होता है, और इस गाइड में बताए गए सिद्धांत इस विकास का हिस्सा रहे हैं। मानव अधिकारों के एक उभरते हुए तत्व के रूप में यौन अधिकार, इस वैष्विक अधिकारों के विकास का एक हिस्सा हैं: वे विवश हैं, किंतु स्वतंत्रता और गरिमा के साथ हमारे सभी अधिकार सुनिश्चित करने के लिए सजग तरीके से आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र भी हैं।

संदर्भ

1. Hawkes S, Buse K. Sights set on sexual rights in global culture wars: implications for health. The Lancet Global Health Blog, 21 Sept 2015At: http://globalhealth.thelancet.com/2015/09/21/sights-set-sexual-rights-global-culture-wars-implications-health.
2. International Commission of Jurists. Sexual orientation, gender identity and justice: a comparative law casebook. Geneva: ICJ, 2011.
3. World Association for Sexual Health. Declaration of sexual rights. http://www.worldsexology.org/resources/declaration-of-sexual-rights/. 2014 Retrieved 30 June 2015.
4. Yogyakarta Principles. http://www.yogyakartaprinciples.org/. 2006 Retrieved 30 June 2015.
5. International Planned Parenthood Federation. Sexual rights: an IPPF declaration. London: IPPF, 2006.
6. WHO. Sexual health, human rights and the law. Geneva: World Health Organization, 2015.
7. WHO. Developing sexual health programmes: a framework for action. Geneva: WHO, 2010.
8. Gender Expression, Gender Identity and Sex Characteristics Act. Malta, 2015.
9. United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean [UNECLAC]. Montevideo: United Nations Economic

Commission for Latin America and the Caribbean, August 15 2013.

10. International Criminal Court Assembly of States Parties. Elements of crimes. The Hague, International Criminal Court, 2011, 2010. (Official Records ICC-PIDS-LT-03-002/11_Eng).
11. European Court of Human Rights. C.R. v. the United Kingdom (para. 42). Application nos 20166/92 and 20190/92, decided 22 November 1995. Strasbourg: European Court of Human Rights, 1995.
12. European Court of Human Rights. M.C. v Bulgaria. Application nos 39272/98, decided 4 December 2003. Strasbourg: European Court of Human Rights, 2003.
13. HRC. Views on Communication No. 488/1992: Toonen v. Australia. Geneva: United Nations Human Rights Committee, 1994. (UN Doc CCPR/C/50/D/488/1992).
14. Kismödi E, Cottingham J, Gruskin S, Miller AM. Advancing sexual health through human rights: the role of the law. Global Public Health, 2015;10(2):252–267.
15. Commonwealth of Australia. Human rights (sexual conduct) Act, No. 179, 1994. An Act to implement Australia's international obligations under Article 17 of the International Covenant on Civil and Political Rights. Canberra: Australian Government, 1994.
16. United Nations. Discriminatory laws and practices and acts of violence against individuals based on their sexual orientation and gender identity. In: Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights. New York: United Nations, 2011 (UN Doc. A/HRC/19/41).
17. Republic of Fiji High Court. Nadan and McCoskar v State. [2005] FJHC 500. Suva: Republic of Fiji, 2005. Decided on 26 August 2005.
18. Republic of South Africa. Constitutional Court. National Coalition for Gay and Lesbian Equality and Another v. Minister of Justice and Others. Case CCT 11/98, 1998. Decided 9 October 1998.
19. CEDAW. L.C. v. Peru. New York: United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 2011. CEDAW/C/50/D/22/2009.
20. CEDAW. General Recommendation No. 24: Women and health. New York: United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 1999. (UN Doc A/54/38).
21. CESCR. General Comment No.14: The right to the highest attainable standard of health. New York: United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 2000. (UN Doc E/C.12/2000/4).
22. CRC. General Comment No. 15: The rights of the child to the highest attainable standard of health. New York: United Nations Committee on the Rights of the Child, 2013. (UN Doc CRC/C/GC/15).
23. Roseman M, Miller A. Normalizing sex and its discontents: establishing sexual rights in international law. Harvard Journal of Law & Gender, 2011;34:2.
24. CEDAW. General Recommendation No. 19: Violence against women. New York: United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 1992. (Contained in UN Doc A/47/38).
25. Constituica Da Republica Portuguesa Constitution of the Portuguese Republic. Article 67 s. 2, 1976. (in Portuguese).
26. Portugal. Lei n.° 3/84, de 24 de Março, Educação sexual e r83 planeamento familiar (Law 3/84 on sexual education and family planning). 1984; and Lei n.° 60/2009 de 6 de Agosto, Estabelece o regime de aplicação da educação sexual emmeio escolar (Law 60/2009 on sexuality education), 2009.
27. Supreme Court of India. National Legal Services Authority v. Union of India & Ors. 2012. [Writ Petition (Civil) No. 400 of 2012 ('NALSA')].

28. UNFPA. Human rights principles. UNFPA website:. http://www.unfpa.org/fr/node/9206#sthash.kvmPDzH7. Dpuf Retrieved 3 July 2015. 29. CEDAW. General recommendation No. 28: Core obligations of States parties under article 2 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. New York: United Nations Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, 2010. (UN Doc CEDAW/C/GC/28).
30. CESCR. General comment No. 20: Non-discrimination in economic, social and cultural rights. New York: United Nations, 2009. (UN Doc E/C.12/GC/20).
31. WHO. Closing the Gap in a generation. Health equity through action on the social determinants of health. Geneva: World Health Organization, 2008.
32. WHO. Eliminating forced, coercive and otherwise involuntary sterilization: an interagency statement, OHCHR, UN Women, UNAIDS, UNDP, UNFPA, UNICEF and WHO. Geneva: World Health Organization, 2014.
33. HRC. General Comment No. 18: Non-discrimination. New York: United Nations Human Rights Committee, 1989.
34. OAS. General Assembly Resolution: Human rights, sexual orientation and gender identity. Washington DC: Organization of American States, June 3 2008. (OAS Doc AG/RES.2435 (XXXVIII-O/08)).
35. OAS. General Assembly Resolution: Human rights, sexual orientation and gender identity. Washington DC: Organization of American States, 4 June 2009. (OAS Doc. AG/RES.2504(XXXIX-O/09).
36. OAS. Human rights, sexual orientation and gender identity. Resolution AG/RES. 2653 (XLI-O/11). Washington DC: Organization of American States, 2013.
37. Council of Europe. Protocol No. 12 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. (ETS NO. 177) Strasbourg: Council of Europe, 2000.
38. CESCR. General Comment No. 16: The equal right of men and women to the enjoyment of all economic, social and cultural rights. New York: United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 2005. (UN Doc. E/C. 12/2005/4).
39. United Nations. Convention on the Rights of Persons with Disabilities. New York: United Nations, 2006. Adopted 13 December 2006, entered into force 3 May 2008 (UN Doc A/RES/61/106, 2515 UNTS 3). AM Miller et al. Reproductive Health Matters 2015;23(46):16–30 28
40. CEDAW. General recommendation No. 25, on article 4, paragraph 1, of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, on temporary special measures. New York: United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 2004.
41. Commission on Human Rights. Report of the United Nations Special Rapporteur on the right to food, Jean Ziegler. Geneva: United Nations Commission on Human Rights, 2006. (UN Doc. E/CN.4/2006/44).
42. United Nations. Declaration on the Elimination of Violence against Women. New York: United Nations, 1993. (UN Doc A/RES/48/104).
43. European Court of Human Rights. Kontrová v. Slovakia. Application no. 7510//04. Strasbourg: European Court of Human Rights, 2007.
44. European Court of Human Rights. Opuz v. Turkey. Application no. 33401/02. Strasbourg: European Court of Human Rights, 2009.
45. European Court of Human Rights. BrankoTomašić and Others v. Croatia.Application no. 46598/06. Strasbourg: European Court of Human Rights, 2009. Decided on 15 January 2009.
46. Inter-American Commission on Human Rights. Jessica Lenahan (Gonzales) et al. v. United States. In: Report No. 80/11, Case 12.626. Washington DC: Inter-American Court on Human Rights, 2011 Decided on 21 July 2011.

47. Inter-American Court of Human Rights. Caso González y otras ("Campo algodonero") v.México (Excepciónpreliminar, fondo, reparaciones y costas). Washington DC: Inter-American Court on Human Rights, 2009.

48. United Nations. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. New York: United Nations, 1966. (A/6316 (1966), 993 U.N.T.S. 3).

49. Bueno de Mesquita J, Hunt P. International assistance and cooperation in sexual and reproductive health: a human rights responsibility for donors. Colchester: University of Essex Human Rights Centre, 2008.

50. United Nations. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). New York: United Nations, 1979. Article 7 (b).

51. United Nations. Programme of Action of the International Conference on Population and Development. New York: United Nations, 1994.

52. CEDAW. General Recommendation No. 23: Political and public life. New York: Committee on Elimination of forms of Discrimination Against Women, 2007.

53. UNDP. Investing in Development. A practical Plan to Achieve the Millennium Development Goals. New York: United Nations Development Programme, 2005.

54. United Nations Development Group. The human rights based approach to development cooperation: towards a common understanding among UN agencies. At:. http://hrbaportal.org/the-human-rights-based-approach-to-developmentcooperation-towards-a-common-understanding-among-un- agencies. 2003(Accessed 1 May 2014).

55. United Nations Secretary-General. Global strategy for women's and children's health. New York: The Partnership for Maternal, Newborn and Child Health and the United Nations Secretary-General, 2010.

56. Ferguson L, Halliday E. Participation and human rights: impact on women's and children's health. What does the literature tell us? In: Women's and Children's Health: Evidence of impact of human rights. Geneva: World Health Organization, 2013.

57. WHO. Women's and Children's Health: Evidence of impact of human rights. Geneva: World Health Organization, 2013.

58. Potts H. Participation and the right to the highest attainable standard of health. Colchester: University of Essex, Human Rights Centre, 2008.

59. OHCHR. For concise summary see: What are human rights? United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights. At:. http://www.ohchr.org/en/issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx(Accessed 1 May 2014).

60. HRC. Fedotova v. Russian Federation. Communication No. 1932/2010. New York: United Nations Human Rights Committee, 2012.

61. United Nations. Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, Anand Grover. New York: United Nations, 2010. (UN Doc. A/HRC/14/20).

62. Bedford v Canada (AG) 2013 SCC 72, 3 SCR 1101, 2013 [Supreme Court of Canada, published 2013].

63. UNDP. Discussion paper: Transgender health and human rights. New York: United Nations Development Programme, 2013.

64. European Court of Human Rights. Bączkowski and Others v Poland. Application no. 1543/06. Strasbourg: European Court of Human Rights, 2007.

65. United Nations. Universal Declaration of Human Rights. New York: United Nations, 1948. (UN Doc. A/RES/3/217A).

66. United Nations. International Covenant on Civil and Political Rights. New York: United Nations, 1966. (UN Doc A/6316, 999 U.N.T.S. 171).

67. European Court of Human Rights. Kiyutin v Russia

App no 2700/10. European Court of Human Rights, March 10 2011.

68. United Nations. The Siracusa principles on the limitation and derogation provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights. New York: United Nations Economic and Social Council, 1985. (U.N. Doc. E/CN.4/1985/4, Annex).
69. HRC. General comment No. 22: The right to freedom of thought, conscience and expression. New York: United Nations Human Rights Committee, 1993. (UN Doc CCPR/C/21/Rev1/Add4).
70. European Court of Human Rights. KAOS G.L. v. Turkey. Application no. 4982/07. Strasbourg: European Court of Human Rights, 2007. AM Miller et al. Reproductive Health Matters 2015;23(46): 16–30 29
71. European Court of Human Rights. Handyside v. the United Kingdom. Application no. 5493/72. Strasbourg: European Court of Human Rights, 1976. Decided on 7 December 1976.
72. European Court of Human Rights. Alekseyev v. Russia. Application nos. 4916/07, 25924/08 and 14599/09. Strasbourg: European Court of Human Rights, 2010. Decided on 21 October 2010.
73. HRC. General Comment No. 31: The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties. New York: United Nations Human Rights Committee, 2004. (UN Doc CCPR/C/21/Rev.1/Add.13).
74. United Nations. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. New York: United Nations, 1965. (UN Doc. A/6014).
75. United Nations. Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. New York: United Nations, 1984. (UN Doc. A/39/51).
76. United Nations. Convention on the Rights of the Child. New York: Untied Nations, 1989.
77. United Nations. International Convention on the Rights of Migrant Workers and Their Families. New York: United Nations, 1990.
78. Council of Europe. European Convention on Human Rights. Rome: Council of Europe, 1950.
79. OAS. American Convention on Human Rights. San José, Costa Rica: Organization of American States, 1969.
80. Organization of African Unity. African Charter on Human and People's Rights. Banjul: Organization of African Unity, 1981. (OAU Doc. AB/LEG/67/3 rev. 5).
81. CRC. General Comment No. 3: HIV and the rights of the child. New York: United Nations Committee on the Rights of the Child, 2003. (UN Doc CRC/GC/2003/3).
82. CRC. General Comment No. 4: Adolescent health and development in the context of the Convention on the Rights of the Child. New York: United Nations Committee on the Rights of the Child, 2003. (UN Doc CRC/GC/2003/4).
83. House of Lords. House of Lords, Parliament of the United Kingdom. Gillick v West Norfolk and Wisbech Area Health Authority [1985] 3 All ER 402 (HL), 1985.
84. British Medical Association. Gillick competency and Fraser guidelines. Available at:

    https://www.nspcc.org.uk/British Medical Association. Consent, rights and choices in health care for children and young people. London: BMJ Publishing Group, 2001.
85. Sexual health, human rights and the law. Reproductive Health Matters, 2015;23(46): 193–195.

© Reproductive Health Matters.
All Rights reserved.
ISSN 0968-8080
Reproductive Health Matters 2015;23(46):85–95
Doi: 10.1016/j.rhm.2015.11.003

''यौनिकता? लाखों बातें दिमाग में आती हैं'': जेन्डर और यौनिकता पर चिली के किशोर युवाओं की सोच

ऐना के–जे मैकिटायर,[ए] ऐडेला आर मोन्टेरो वेगा,[बी] मैटे सैगबाकेन [सी,डी]

ए) शोधकर्ता, डिपार्टमेंट ऑफ़ कम्यूनिटी मेडिसिन, इंस्टिट्यूट ऑफ़ हेल्थ ऐंड सोसायटी, यूनिवर्सिटी ऑफ़ ऑस्लो, नौरवे। संपर्क : annakjmacintyre@gmail.com

बी) असोसिएट प्रोफ़ेसर और सेन्टर फ़ॉर रीप्रोडक्टिव मेडिसिन ऐंड इन्टीग्रल अडोलेसेंट डेवलपमेन्ट की निर्देशक, फ़ैकल्टी ऑफ़ मेडिसिन, यूनिवर्सिटी डे चिली, सैन्टियैगो, चिली

सी) असोसिएट प्रोफ़ेसर, डिपार्टमेंट ऑफ़ नर्सिंग ऐंड हेल्थ प्रमोशन, फ़ैकल्टी ऑफ़ हेल्थ साइंसेज़, ऑस्लो ऐंड आकेरशस, यूनिवर्सिटी कॉलेज, ऑस्लो, नौरवे

डी) शोधकर्ता, नैशनल सैन्टर फ़ॉर माइनौरिटी हेल्थ रिसर्च, ऑस्लो, नौरवे

सारांश

चिली पारंपरिक रूप से एक रूढ़िवादी देश है, लेकिन फिर भी पिछले दशक में यौन एवं प्रजनन अधिकारों के क्षेत्र में मिली कानूनी सफलताओं के कारण यौनिकता पर चर्चा को मुख्यधारा राजनीतिक, सामाजिक और मीडिया एजेन्डे में शामिल करने में मदद मिली है। इन बदलावों के मद्देनज़र ज़रूरी है कि हम समझें कि किशोर युवा यौनिकता को किस तरह से समझते हैं, जिससे उनकी यौन अधिकारों की समझ पर प्रभाव पड़ता है। यह अध्ययन सैन्टियैगो, चिली के किशोरों के साथ की गई चार विषय–आधारित सामूहिक चर्चाओं और बीस अर्ध–संरचित इंटरव्यू, और मुख्य सूचनादाता के साथ सात इंटरव्यू पर आधारित है। परिणाम दर्शाते हैं कि किशोरों की यौनिकता की समझ में काफ़ी विविधता है, जिनकी अभिव्यक्ति, रवैये और पर्यवेक्षण, उनके सामाजिक परिवेश के रूप में किए जाते हैं, और इन्हें बनाने में उनके समकक्षों, माता–पिता और शिक्षकों का असर रहता है। गैर–विषमलैंगिक लोगों के प्रति उनका रवैया सहयोगात्मक से लेकर उन्हें नकारने का पाया गया, और यौन विविधता की समझ पर मीडिया, चिकित्साकरण और जैविक परिभाषाओं का प्रभाव देखा गया। यौन अभिव्यक्ति में जेन्डर असमानताओं की व्याख्या जेनडरीकृत भाषा और व्यवहार विशेषकर जेन्डर रूढ़िबद्ध भूमिकाओं के पर्यवेक्षण, प्रतिबंधित महिला यौनिकता और महिलाओं के लिए खतरों को रेखांकित करती बहस के आधार पर की गई। कई किशोरों ने समानता के लिए सामाजिक बदलाव में जेन्डर और यौनिकता की व्याख्या की। चिली में इस बदलाव का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने और यौन अधिकारों की कानूनी व सामाजिक मान्यता के बीच की खाई को भरने के लिए ज़रूरी है कि किशोरों को जेन्डर समानता और यौन विविधता जैसे मुद्दों पर गंभीर रूप से सोचने के लिए प्रेरित किया जाए। ©2015 रीप्रोडक्टिव हेल्थ मैटर्स। एल्सेवियर बी.वी द्वारा प्रकाशित। सभी अधिकार आरक्षित।

प्रमुख शब्द : किशोर व युवा, यौनिक अधिकार, यौनिकता शिक्षा, लैस्बियन, गे, बाइसैक्शुअॅल और ट्रांस्जेन्डर मुद्दे, जेन्डर भूमिकाएं और जेन्डर मुद्दे, चिली

पृष्ठभूमि

यौनिकता मानव जीवन का एक केन्द्रीय अंश है।[1] यौनिकता की परिभाषाएं अक्सर व्यापक होती हैं, जिनमें *''सेक्स, जेन्डर पहचान और भूमिकाएं, यौन रुझान, यौनिकता, आनंद, अंतरंगता और प्रजनन''* [1]शामिल होते हैं और साथ ही ''आदर्श, इच्छाएं, प्रथाएं, प्राथमिकताएं और पहचानें'' [2]भी। यौनिकता पर सामाजिक–सांस्कृतिक नियमों, मान्यताओं, नैतिकताओं और निशिद्धताओं का और ''धार्मिक, चिकित्सकीय, कानूनी व सामाजिक संस्थानों की चौकसी का नियंत्रण रहता है''।[3] अधिकतर समाजों में यौन, नियमों का प्रमुख एजेंट है[3] धर्म और लैटिन अमरीका के संदर्भ में, कैथोलिक चर्च अभी भी यौन एवं प्रजनन अधिकारों को पूर्ण मान्यता देने का प्रमुख विरोधी है।[4] धर्म का प्रभाव उन देशों में प्रत्यक्ष है, जिन देशों में गर्भपात, अविवाहित किशारों को प्रजनन सेवाएं देने को आपराधिक मानने का व व्यापक यौन शिक्षा पर प्रतिबंध तथा गैर–विषमलैंगिक लोगों के विरुद्ध पक्षपात करने वाली नीतियां मौजूद हैं।

सेक्स, यौन पहचानों और यौन अधिकारों के वैश्वीकरण से सार्वजनिक और निजी व्यवहारों के बीच के अंतर को मिटाने में मदद मिलती है, जिसके कारण अक्सर यौनिकता और यौन अधिकारों पर वैश्विक स्तर और स्थानीय स्तर पर होने वाली चर्चाओं के बीच मतभेद पैदा हो जाता है।[3] चिली में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं द्वारा प्रकाशित रिपोर्टों में यह मतभेद स्पष्ट दिखाई देता है, जिनमें चिली सरकार द्वारा यौन एवं प्रजनन अधिकारों को संपूर्ण सुरक्षा ना दिए जाने की निंदा की गई है।[5] हालाँकि वैश्विक स्तर पर दबाव बनाना ज़रूरी है, लेकिन यह स्थानीय स्तर पर सतत बदलाव लाने के लिए पर्याप्त नहीं है, जब तक देश में नागरिक नेटवर्कों और संस्थाओं का सहयोग प्राप्त ना हो।[6] चिली में स्थानीय गैर–सरकारी संस्थाएं, जैसे कि फ़ंदसियॉन इग्वुआलेस (इक्वॅलिटी फ़ाउन्डेशन) और *मूविमिएन्टो पैरा ला इन्तेग्रेसियौं व्ही लिब्रासियौं होमोसैक्शुअल (मूवमेन्ट फ़ॉर होमासेक्शुअल इन्टीग्रेषन ऐंड लिब्रेशन)* यौन अधिकारों को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं के उदाहरण हैं।

यौन अधिकार आंतरिक रूप से यौनिक राजनीति से जुड़े हैं। चिली में, 1990 में लोकतंत्र की वापसी के तुरंत बाद के वर्षों से सतर्क गठबंधन शासन रहा है।[7] इस दौरान यौन और प्रजनन अधिकार मुद्दों पर चर्चा करने का कड़ा विरोध रहा, क्योंकि इसे नाजुक राजनीतिक शक्ति संतुलन के लिए खतरा समझा जाता रहा।[7,8] इस विरोध का जुड़ाव तानाशाह सरकार के बाद के समय में प्रमुख सत्ताधारी स्थानों पर रूढ़िवादी धार्मिक राजनीतिज्ञों और राजनीतिक सहयोगियों की मौजूदगी से भी किया गया है।[4,7,8]

2000 के दशक के मध्य में, चिली में जेन्डर और यौन अधिकारों को संबोधित करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति में महत्वपूर्ण बदलाव आया। इसमें शामिल था : वर्ष 2004 में तलाक को कानूनी मान्यता मिलना; वर्ष 2005 में गर्भवती और माँ बन चुकी विद्यार्थियों के शिक्षा के अधिकारों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने का कानूनी फ़रमान; 9 वर्ष 2010 में आपातकालीन गर्भनिरोधकों और यौन शिक्षा की गारंटी देने वाला कानून; वर्ष 2012 के गैर–भेदभाव कानून मेंयौन रुझान को शामिल किया जाना और वर्ष 2015 में सिविल यूनियन विधेयक।[1*] हालाँकि यह बदलाव काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी मुद्दे बाकी हैं, जिसमें सबसे विवादित है गर्भसमापन का गैर–अपराधीकरण। कासास और विवाल्दी[10] का कहना है कि गर्भसमापन कानून संशोधन के संदर्भ में अभी चिली एक चौराहे पर खड़ा है, जिसमें हाल के प्रयास शायद 24 साल के अपराधीकरण को समाप्त भी कर सकते हैं, या फिर संशोधन के प्रयास विफल हो जाएंगे।

हालाँकि चिली में जेन्डर समानता और यौन एवं प्रजनन अधिकारों के संबंध में महत्वपूर्ण राजनीतिक और

*चिलि में सबसे पहले समलैंगिक विवाह 22 अक्तूबर, 2015 को हुए।

कानूनी बदलाव अनुभव हो रहे हैं, लेकिन फ़िर भी सवाल बाकी हैं कि किस हद तक ये कानूनी और राजनीतिक बदलाव जेन्डर और यौनिकता की सांस्कृतिक और सामाजिक समझ में बदलाव को दर्शाते हैं। इन कानूनी और राजनीतिक बदलावों के संदर्भ में सामाजिक बदलाव की पड़ताल करना अति–रुचिकर होगा, जिसमें जाँचा जाए कि किशोर यौनिकता की क्या अवधारणा रखते हैं, जो उनकी यौन अधिकारों की समझ पर निहितार्थ हैं।

किशोरावस्था में महत्वपूर्ण विकास होता है, जिसमें काफ़ी छानबीन, प्रयोग तथा खोज की जाती है।[1] इस अवधि में, कई समाजीकरण एजेंट व्यक्ति की यौनिकता बनाने में भूमिका रखते हैं, जैसे कि परिवार, हमजोली, धर्म, मीडिया और चिकित्सा।[11,12] युवाओं को यौनिकता के बारे में जगह जगह से मिलने वाली जानकारी को छानना पड़ता है, जैसे कि माता–पिता से, शिक्षकों और दोस्तों से लेकर पोर्नोग्राफी और कमर्शियल मार्केटिंग तक। इसलिए वे यौनिकता के संदर्भ में किस बात को अच्छा समझते हैं और किसे बुरा, स्वस्थ या अस्वस्थ, स्वीकार्य या अस्वीकार्य, यह उनके विशिष्ट सामाजिक संदर्भ से ही निर्धारित होता है।

इस लेख में एक व्यापक अध्ययन के परिणाम दिए जा रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य था सैन्टियैगो, चिली में किशोरों की यौन स्वास्थ्य और यौनिकता के संबंध में जानकारी और सीखने के स्रोतों को समझना। ''जानकारी'' शब्द को उसके व्यापक रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें तथ्यों के रूप में पेश की गई यथोचित रूप से निष्पक्ष जानकारी और यौन शिक्षा का व्यवस्थित पाठ्यक्रम, तथा रवैये, मतों और प्रत्यक्ष व्यवहारों के ज़रिए सामने आने वाली व्यक्तिपरक जानकारी शामिल है। ''सीख'' से मतलब है एक व्यापक प्रक्रिया जो कि औपचारिक और अनौपचारिक, सक्रिय और निष्क्रिय, तथा व्यक्तिगत और सामूहिक प्रक्रिया, जिससे रवैये, मत और व्यवहारों का विकास होता है।

कार्यप्रणाली

सितंबर से दिसंबर 2013 के बीच जानकारी इकट्ठी की गई और इसमें विषय–आधारित सामूहिक चर्चाएं तथा अर्ध–संरचित इंटरव्यू शामिल थे। पहले लेखक ने स्पैनिश भाषा में सभी इंटरव्यू और चर्चाएं की। लेकिन, क्योंकि स्पैनिश उनकी मातृभाषा नहीं है, इसलिए एक स्थानीय अध्ययन सहयोगी के साथ इंटरव्यू टीम बनाई गई। यह सहयोगी सभी किशोरइंटरव्यू और चर्चाओं में मौजूद रहे, और उन्होंने नोट्स लिए, समय का ध्यान रखा, भाषा की गलतफ़हमियों को मिटाने में मदद की और अवधारणाओं तथा शब्दावली के सांस्कृतिक परिवेश को समझाया। सभी इंटरव्यू और चर्चाओं के ऑडियो रिकार्ड किए गए और उनको शब्द दर शब्द लिखा गया। अध्ययन कार्यप्रणाली पर और विस्तृत जानकारी के लिए देखें मैकिंटायर, मोन्टेरो वेगा और सागबाकेन।[13]

विश्वविद्यालय के दो छात्रों के साथ किए गए शुरुआती इंटरव्यू और एक उच्च विद्यालय में दो विषय–आधारित सामूहिक चर्चाओं से इंटरव्यू तकनीक का परीक्षण करने और चिली के संदर्भ में इंटरव्यू की रूपरेखा तैयार करने में मदद मिली। व्यक्तिगत इंटरव्यू पूरे करने के बाद, एक सरकारी विश्वविद्यालय में मानवशास्त्र के छात्रों के साथ शुरुआती परिणामों पर चर्चा करने और उभरते विषयों पर दो विषय–आधारित सामूहिक चर्चाएं की गईं। इन चर्चाओं से यह समझने का भी अच्छा मौका मिला कि किशोर अपने समकक्षों के साथ यौनिकता के विषय पर चर्चा किस प्रकार करते हैं। कुल 24 18–19 वर्षीय किशोरों ने जेन्डर के आधार पर चार अलग–अलग समूहों में विषय–आधारित चर्चाओं में भाग लिया – उच्च विद्यालय की विषय–आधारित चर्चा में सात लड़कियां और सात लड़के और विश्वविद्यालय की सामूहिक चर्चा में पाँच लड़कियां और पाँच लड़कों ने। समरूप नमूनों के आधार पर लड़के और लड़कियों का चुनाव किया गया, जिससे कि विविधता सीमित रहे और सुरक्षित माहौल में खुली चर्चा को बढ़ावा दिया जा सके, और जिन दिनों में उच्च विद्यालय में चर्चा किया जाना तय था, उन दिनों विद्यार्थियों की उपस्थिति में कमी

होने के कारण अवसरवादी नमूनों के आधार पर भागीदारों का चुनाव किया गया।[14]

कुल मिलाकर, 16 से 19 वर्ष के किशोरों के साथ 20 अर्ध–संरचित इंटरव्यू किए गए, जो सैन्टियैगो की इंडिपैन्डैन्सिया, रिकोलेटा और लास कोन्डेस नगरपालिकाओं के उच्च विद्यालयों में पढ़ते थे। अलग–अलग स्कूलों से भागीदार चुनने के पीछे कारण था कि ज़्यादा से ज़्यादा विविधता प्राप्त हो सके, चूंकि यह विद्यालय आकार, धार्मिकता (एक कैथोलिक और दो धर्म निरपेक्ष विद्यालय), शैक्षणिक किरण केंद्र, यौन शिक्षा कार्यक्रमों और छात्रों के सामाजिक–आर्थिक स्तर के आधार पर अलग हैं। [2†]हालाँकि भागीदारों के चुनाव में अधिकाधिक विविधता पद्धति चुनी गई, लेकिन व्यवहारिक सीमाओं के कारण उद्देश्यपूर्ण रैन्डम नमूनों और उद्देश्यपूर्ण रैन्डम तरीके से किशोरों के माता–पिता का चुनाव भी करना पड़ा।[14] अंततः चुने हुए भागीदारों में 10 महिलाएं और 10 पुरुष थे।

भागीदारों से पहले पूछा गया कि यौन स्वास्थ्य, यौन शिक्षा और यौनिकता की अपनी परिभाषा बताएं, जिससे कि अध्ययनकर्ता और भागीदरों के बीच इन मुख्य शब्दों की एक साझा समझ बनाई जा सके। बाकी सवाल साहित्य, शुरुआती इंटरव्यू और विषय आधारित सामूहिक चर्चाओं में दिए गए यौन स्वास्थ्य और यौनिकता संबंधी जानकारी के स्रोतों के बारे में थे : शिक्षक, दोस्त, पार्टनर, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, इंटरनेट, टेलिविज़न, फ़िल्में, विज्ञापन, रेडियो और धर्म। भागीदारों से पूछा गया कि वे जो जानकारी लेना चाहते हैं, उसमें उन्हें क्या जानकारी मिलती है, कैसे मिलती है, स्रोत कितना विश्वसनीय होता है, और जेन्डर किस प्रकार उनकी सीख को प्रभावित करता है। इंटरव्यू गाईड का लचीले तरीके से उपयोग किया गया, क्योंकि कुछ किशोर खुले सवालों के विस्तृत जवाब दे रहे थे, और कुछ के लिए अधिक जाँच–पड़ताल करने की ज़रूरत थी।

अंततः, सात प्रमुख जानकारी देने वालों के इंटरव्यू किए गए, जिससे कि किशोरों के इंटरव्यू से प्राप्त जानकारी का सत्यापन किया जा सके और किशोरों द्वारा तैयार किए गए विषयों पर वयस्कों का दृष्टिकोण भी प्राप्त किया जा सके। इन प्रमुख जानकारी देने वालों में शामिल थे – तीन विद्यालय के मनोवैज्ञानिक, तीन स्वास्थ्य कार्यकर्ता (दाई, बाल चिकित्सक और स्त्री–रोग चिकित्सक) और एक कैथोलिक पादरी जिन्हें किशोरों के साथ काम करने का अच्छा अनुभव था। इंटरव्यू के सवाल किशोरों के साथ किए गए इंटरव्यू और चर्चाओं के परिणामों और उपाख्यानों पर आधारित थे।

भागीदार चुनते समय, पहले लेखक ने संभावित भागीदारों के सामने इस अध्ययन को पेश किया, जिसमें उद्देश्य, कार्यप्रणाली और भागीदारी के नैतिक पहलुओं का विवरण दिया गया। इंटरव्यू से पहले, सभी भागीदारों से मौखिक और लिखित स्वीकृति ली गई। 18 वर्ष से कम उम्र के किशोरों के लिए, इंटरव्यू से पहले उनके माता–पिता की लिखित स्वीकृति के साथ–साथ किशोरों की सहमति भी ली गई।

कार्यक्षेत्र में आंकड़ों के विश्लेषण में जर्नल लिखना और रिकार्ड किए गए इंटरव्यू को लिखने के साथ–साथ इंटरव्यू के बाद सवाल पूछने और इंटरव्यू टीम में विश्लेषण–पूर्व की गईं चर्चाएं शामिल थीं। इन चर्चाओं के दौरान, रिकार्ड किए गए इंटरव्यू के लेखन का संशोधन किया गया और बार–बार उठने वाले तथा उभरते हुए विषयों पर चर्चा की गई। इसके आधार पर इंटरव्यू गाईड में छोटे–मोटे बदलाव किए गए, इंटरव्यू तकनीक में सुधार, डेटा सैच्युरेशन का मूल्यांकन और नए उभरते विषयों को परखा गया। कार्यक्षेत्र से लौटने के बाद ढाँचागत विश्लेषण टेलर–पॉवेल और रैनर के सामग्री विश्लेषण के पाँच चरण के आधार पर किया गया।[15] सभी इंटरव्यू और चर्चाओं की कोडिंग पहले लेखक द्वारा खुद हाथ से लिखी गई। शुरुआत में डेटा की वर्णनात्मक कोडिंग की गई, जिसके लिए साहित्य

[2†] जानकारी स्कूल की वैबसाइट और स्कूल के मनोवैज्ञानिकों से प्राप्त की गई।

और इंटरव्यू गाइड में दिए गए यौन स्वास्थ्य जानकारी के स्रोतों पर आधारित वर्तमान श्रेणियों का उपयोग किया गया। इन कोड्स को, प्राप्त हुई यौन स्वास्थ्य और यौनिकता जानकारी के विश्लेषण के आधार पर विस्तारित और पुनः कोडिफ़ाई किया गया। अंततः, श्रेणियों के विलीनीकरण से तीन प्रमुख विषय उभर कर आए, जिनमें से एक को इस लेख में बताया गया है। बाकी विषयों की रिपोर्ट अन्यत्र दी गई है।[13]

इस अध्ययन की कई सीमाएं हैं, जिनके कारण इन परिणामों का अन्यत्र उपयोग प्रभावित हो सकता है। चूंकि भागीदारी स्वेच्छा से थी, तो संभव है कि सैम्पल इन किशोरों के प्रति पक्षपातपूर्ण हो जो अपने अन्य समकक्षों के मुकाबले यौनिकता के विषय पर ज़्यादा दिलचस्पी रखते हों। इसके अलावा, चूंकि विश्वविद्यालय के छात्र मानवविज्ञान की पढ़ाई कर रहे थे, हो सकता है कि वे आम किशोरों के मुकाबले सामाजिक आलोचना करने में ज़्यादा रुचि रखते हों। बड़े होते हुए यौनिकता के अपने अनुभवों की विस्तार से व्याख्या करने में यादाश्त पक्षपाती भी हो सकती है। लेकिन इन सीमाओं को अगर किनारे रख दिया जाए, तो इस अध्ययन से चिली के किशोरों के यौनिकता पर दृष्टिकोण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं।

यूनिवर्सिटी ऑफ़ चिली, सैन्टियैगो में फ़ैकल्टी ऑफ़ मैडिसिन के नैतिकता बोर्ड और नौरवीजियन सोशल साइंस डेटा सर्विस ने इस अध्ययन को स्वीकृति दी है।

जाँच परिणाम

यौन स्वास्थ्य, यौन शिक्षा और यौनिकता को परिभाषित करना

यौन स्वास्थ्य की किशोरों की परिभाषा में जैविक विषमलैंगिक संबंधों पर ज़ोर दिया गया, क्योंकि इनसे गर्भधारण, यौन संक्रमणों, और गर्भनिरोधन के विषय जुड़े हुए हैं। यौन शिक्षा को आम तौर पर सीखने के एक तरीके के रूप में परिभाषित किया गया, जो कि सक्रिय या निष्क्रिय, सैद्धांतिक या व्यावहारिक होती है। जब उन्हें यौनिकता की परिभाषा देने के लिए कहा गया, तो ज़्यादातर भागीदार लंबी सोच के बाद बोले कि यौनिकता को शब्दों में कहना मुश्किल है। कुछ देर के बाद दिए गए जवाबों में छोटे जवाब, जैसे ''पुरुष और स्त्री'', या ''विषमलैंगिक और समलैंगिक''शामिल थे, और साथ ही, कुछ लंबे जवाब भी, जैसे किः

''यौनिकता... इसका कुछ और मतलब होता है। यौनिकता आपके अस्तित्व का तरीका हो सकती है, या उसका सीधा संबंध यौन क्रिया से, किसी व्यक्ति की यौनिकता, उनके व्यक्तित्व से हो सकता है।'' (पुरुष, 18 वर्ष, इंटरव्यू)

ज़्यादातर जवाबों में पुरुष या स्त्री के रूप में पहचान, यौन रुझान, पार्टनर संबंध और जैविक विकास के विषय शामिल थे।

जेन्डरीकृत यौनिकता : भूमिकाएं और प्रतिनिधित्व

किशोरों की यौनिकता की परिभाषा में, जो कि इंटरव्यू और विषय–आधारित सामूहिक चर्चाओं से उभर कर आई – पुरुष या स्त्री के रूप में पहचान, उनकी भूमिकाओं में फ़र्क़ तथा पुरुष और स्त्री यौनिकता के निरूपण विशेष रूप से उल्लेखनीय थे। कई भागीदारों ने, विशेषकर सामूहिक चर्चाओं में, जेन्डर–उचित चर्चा और व्यवहार के बीच दोहरे मापदंडों पर चर्चा की। प्राथमिक समाजीकरण एजेंट माता–पिता, शिक्षक और समकक्ष थे।

भागीदारों ने बताया कि किस प्रकार माता–पिता और शिक्षक महिला यौनिकता के बारे में एक प्रकार के जोखिम की तरह बात करते हैं, जिसका संबंध किशोर गर्भावस्था जैसे जैविक और सामाजिक–सांस्कृतिक बोझ से, और साथ ही यौन हिंसा के प्रति संवेदनशीलता बढ़ने से है। विश्वविद्यालय के एक छात्र ने अपने स्कूल में यौन शिक्षा की आलोचना करते हुए कहाः

''मुझे लगता है कि महिलाओं के साथ सेक्स की बात हमेशा ऐसे की जाती है कि यह कोई गंभीर बात है,

क्योंकि इसे एक प्रकार के जोखिम की तरह देखा जाता है (...) क्योंकि वे कम उम्र में गर्भवती हो सकती हैं। मुझे लगता है कि इसे (महिला यौनिकता) इतना कलंकित इसी लिए किया जाता है। इसके मुकाबले, पुरुषों के लिए तो यह एक खोज करने की चीज़ है (...) आरामदायक।'' (महिला, 18 वर्ष, सामूहिक चर्चा)

इसी प्रकार, एक पुरुष ने अपने और अपनी छोटी बहन के बीच माता–पिता द्वारा जेन्डरीकृत जोखिम के आधार पर अंतर को बतायाः

''मुझे लगता है कि वे मेरे मुकाबले उससे ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि वह एक महिला है और उसके लिए जोखिम ज़्यादा है।'' (पुरुष, 17 वर्ष, इंटरव्यू)

महिला यौनिकता को ज़्यादा छिपा हुआ बताया गया, जिसमें महिलाएं अक्सर ऐसा दिखाती हैं कि उन्हें यौन स्वास्थ्य और यौनिकता के विषय में कुछ पता ही नहीं है। इसके उदाहरण के रूप में बताया गया कि महिलाएं अक्सर अपने पुरुष समकक्षों के सामने कुछ बातें सेंसर कर देती हैं, यहाँ तक कि कभी–कभी अपनी महिला समकक्षों के सामने भी कुछ नहीं बतातीं। पुरुषों की सामूहिक चर्चा के भागीदारों ने चर्चा की, कि यह महिलाओं का सचेत निर्णय होता है जिससे वे अपनी सार्वजनिक छवि और निजी छवि में अंतर करती हैंः

''वे आम तौर पर जो बातें करती हैं और आपस में जो बातें करती हैं, उनमें बहुत फर्क़ है, कह सकते हैं कि वे शायद अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा अश्लील हो सकती हैं, लेकिन बाहर की दुनिया के सामने वो ... ज़्यादा सावधान रहती हैं, ज़्यादा औरतपन दिखाती हैं।'' (पुरुष, 19 वर्ष, सामूहिक चर्चा)

महिलाओं के अपनी ''सुशील महिला'' की छवि बनाए रखने की बात पुरुषों की तुलना में महिलाओं द्वारा अश्लील तस्वीरों (पोर्नोग्राफी) को देखने की स्वीकार्यता के विषय पर हुई सामूहिक चर्चा में भी सामने आईः

''मेरे हिसाब से इसे लोग बहुत कम स्वीकार करेंगे, कुछ हो सकती हैं (महिलाएं जो पोर्नोग्राफी देखती हैं) लेकिन (. . .) वो इस बारे में बात नहीं करतीं (. . .) आप उम्मीद करते हैं कि एक महिला अपना नारीत्व बनाए रखे। पुरुषों से आप आदिमानव होने की उम्मीद कर सकते हैं।'' (पुरुष, 17 वर्ष, इंटरव्यू)

इस प्रकार समानताएं देखना जेन्डर संबंधी दोहरे मापदंडों को दोहराता है, जिसके अनुसार, महिलाओं की यौनिकता की अभिव्यक्ति या यौन आनंद में उनकी रुचि को नारीत्व के विरुद्ध समझा जाता है। इसके अलावा, सभी इंटरव्यू में यौन शिक्षा की कक्षाओं में महिलाओं के बारे में इस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया गयाः ''शांत'', ''चुपचाप रहने वाली'', ''ज़्यादा मिलती–जुलती नहीं'', ''डरपोक'', ''परेशान'', ''शर्मीली'', ''संकोची'', ''देखना नहीं चाहती'', ''झिझकने वाली'' या ''दबी हुई''; जबकि पुरुषों को अक्सर ''बिना सोचे समझे काम करने वाला'' और ''जिज्ञासू'' बताया गया, जो कि कक्षाओं में मज़ाक करते व हसते रहते थे। एक पुरुष भागीदार ने भाषा में दोहरे मापदंडों के अपने अनुभवों के बारे में बताते हुए कहाः

''पुरुषों को ध्यान आकर्षण का केन्द्र होने की आदत होती है, तो उन्हें लगता है कि वो जो कहेंगे उसके बारे में कोई शिकायत नहीं करेगा (...) अगर एक पुरुष 'डिक' कहता है तो सब हंसते हैं, लेकिन अगर एक महिला 'डिक' कहे तो, 'उसने डिक क्यों कहा?' समझे? मतलब कि महिला को ही कलंकित किया जाता है।'' (पुरुष, 18 वर्ष, सामूहिक चर्चा)

व्यवहार के संबंध में, एक किशोरी माँ ने पुरुषों की यौन गतिविधियों के जश्न मनाने और महिलाओं की यौन गतिविधियों को कलंकित करने के संदर्भ में दोहरे मापदंडों के बारे में अपने विचार बताएः

''महिलाओं को शर्मीला होना चाहिए, और . . . अगर अश्लील शब्दों में कहा जाए, तो हर किसी के साथ नहीं सोना चाहिए (. . .) लेकिन अगर कोई पुरुष यही काम करता है (कई लोगों के साथ यौन संबंध बनाना), तो महिला को नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी और पुरुष के लिए यह मर्दानगी होगी। हमारा जीवन ऐसा ही है।'' (महिला, 18 वर्ष, इंटरव्यू)

इसके विपरीत, भागीदारों ने बताया कि किस तरह यदि कोई पुरुष सेक्स नहीं करना चाहता तो उसके दोस्त उसका कैसे मज़ाक उड़ाते हैं। इस मज़ाक में शामिल होता है, उससे पूछना कि वह ''आदमी कब बनेगा'', बोलना कि वह ''लोहे का बना है'', ''उसमें भावनाएं नहीं हैं'', ''ठंडा'' या पूछना कि कहीं वह समलैंगिक तो नहीं है।

इस जेन्डर आधारित दोहरे मापदंड का प्रभाव एक और पहलू पर पड़ता है, वह है आनंद। किशोरों ने समझाया कि हस्तमैथुन ही यौन आनंद से जुड़ा एक ऐसा विषय है, जिस पर औपचारिक स्कूलों में चर्चा होती है, हालाँकि पुरुषों के लिए इसे यौन विकास की प्राकृतिक प्रक्रिया समझा जाता है। स्कूल में काम करने वाले एक मनोवैज्ञानिक ने हस्तमैथुन के विषय पर शिक्षण के बारे में बतायाः

''लड़कियां अक्सर चुप रहती हैं, उन्होंने कहा कि लड़कियां वो नहीं करतीं', उन्होंने कहा कि वो कैसे करेंगी?' (...) मैंने उन्हें बताया कि महिलाएं भी हस्तमैथुन करती हैं, उनके लिए भी यह साधारण बात है क्योंकि यह अपने शरीर को जानने का एक हिस्सा है'। लेकिन उनका सवाल बना हुआ था 'पर क्यों?'' (स्कूल मनोवैज्ञानिक)

भाषा और व्यवहारों की इन सब वास्तविक्ताओं या जेन्डर असमानताओं के बावजूद, कई युवा भागीदारों ने पीढ़ीगत परिवर्तन के बारे में बताया, जिसके अनुसार, पारंपरिक जेन्डर आधारित दोहरे मापदंड अब चिली के समाज में लागू नहीं होते। इसके विपरीत, विश्वविद्यालय के उनसे उम्र में बड़े भागीदारों को इस बात पर शक था, जिनका कहना था कि चिली अभी भी एक मैचिस्ता'', ''रूढ़िवादी'' देश है।

यौनिक विविधता : नज़रिए और स्पष्टीकरण

यौनिकता की किशोरों द्वारा दी गई कई परिभाषाओं में यौन रुझान भी शामिल था और किशोरों से विशिष्ट रूप से पूछा गया कि उन्हें यौन रुझान के बारे में क्या और कहाँ से जानकारी मिली। समाजीकरण में भूमिका रखने वाले प्रमुख सामाजिक ढाँचों में से यह जानकारी देनेवालों में शिक्षक, माता–पिता, समकक्ष, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और मीडिया शामिल थे। यौनिक विविधता से जुड़े मुद्दों के बारे में बात करते समय समलैंगिकता शब्द का उपयोग किया गया, क्योंकि कई किशोर यौन रुझान शब्द से परिचित नहीं थे।

यह देखा गया कि भागीदारों ने यौनिक विविधता के विषय पर काफ़ी सरलता से बात की, जिसमें से कई लोगों ने कहा कि चिली में यह विषय अब वर्जित नहीं है। इस बदलाव के उदाहरण देते हुए उन्होंने विद्यालयों, सैन्टियैगो की सड़कों पर और मीडिया में समलैंगिक युगलों को देखा जाने के बारे में बताया। जैसे कि दो लड़कियों ने बतायाः

''जब हम बच्चे होते हैं, तो किसी समलैंगिक महिला या पुरुष को देखकर अजीब लगता है। लेकिन मैं अब सोचती हूँ कि यह हमारे समाज का एक हिस्सा हैं . . . अगर आप दो पुरुषों को हाथ पकड़े देखते हैं, तो कोई फर्क़ नहीं पड़ता . . . लेकिन पहले इसकी स्वीकृति नहीं थी, सवाल ही नहीं उठता था।'' (महिला, 18 वर्ष, इंटरव्यू)

''अब यह (समलैंगिक युगल) ज़्यादा दिखाई देते हैं। अब वे ज़्यादा हिम्मत कर रहे हैं।'' (महिला, 18 वर्ष, सामूहिक चर्चा)

जहाँ यह बढ़ती दृश्यता एक ओर समलैंगिक युगलों के प्रति सामाजिक स्वीकार्यता में बदलाव दर्शाती है, ''हिम्मत''शब्द का उपयोग दर्शाता है कि अभी भी उनके लिए खतरा है। एक और लड़की, जिसने कहा कि वह समलैंगिक युगलों की इज्ज़त करती है, ने अपने दोस्तों के साथ हुई चर्चा के बारे में बताया कि कैसे समलैंगिक युगलों को देखने से बच्चों पर संक्रामक प्रभाव पड़ सकता हैः

''हम में से किसी को नहीं लगता कि यह (समलैंगिक युगलों को) बच्चों द्वारा देखा जाना अच्छा है। क्योंकि

फिर वे सोचेंगे कि यह ठीक है और फ़िर हर कोई समलैंगिक बन जाएगा।'' (महिला, 16 वर्ष, इंटरव्यू)

एक भागीदार ने इस बढ़ती दृश्यता को ''बाइसेक्शुएलिटी का फैशन'' बताते हुए खेल के मैदानों में और समलैंगिक युगलों की सोशल नैटवर्किंग साइटों पर फ़ोटो और अपने समकक्षों को ''गे प्राइड'' में भाग लेते हुए टी.वी. पर देखने के अपने अनुभव बताए। एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने इस '' बाइसेक्शुएलिटी के फैशन'' को वयस्कों की यौन अधिकार चर्चाओं और अधिकार आंदोलनों पर मीडिया की खबरों से जोड़ाः

''मुझे लगता है कि यह हमसे जुड़ा है, वयस्कों और हम जो चर्चाएं करते हैं, सिर्फ़ किशोरों से नहीं, बल्कि पूरे समाज से, कि समलैंगिकता मान्य है। इससे कोई नाटक नहीं है, यह केवल खुद को व्यक्त करने का एक अलग तरीका है। लेकिन किशोरों के लिए (. . .) उनके बड़े होने की प्रक्रिया में वे अपनी यौन पहचान स्थापित करने के एक चरण से गुज़रते हैं (. . .) और आज के किशोर केवल सोचने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वो उसको अनुभव करके देखना चाहते हैं।'' (स्वास्थ्य कार्यकर्ता)

अन्य प्रमुख जानकारी देने वालों और विश्वविद्यालय की सामूहिक चर्चा के भागीदारों ने बताया कि आम तौर पर चिली के किशोर यौन व्यवहारों के बारे में ज़्यादा सोचते ही नहीं है, चाहे वह किसी भी यौन रुझान से संबंधित क्यों न हों। उनका कहना था कि यह युवा संस्कृति में बढ़ते यौनिकीकरण का परिणाम है, जिसका मुख्य कारण है मीडिया। इस ''यौनिकीकरण'' के उदाहरणों में शामिल है रैगेटन जैसा कामोत्तेजक संगीत, ज़रूरत से अत्यधिक यौन प्रेरित व्यापारिक माकेर्टिंग, ऑनलाइन पोर्नोग्राफी, सोशल नेटवर्किंग साइटों पर कामोत्तेजक विषयवस्तु का प्रकाशन और ''ग्रूमिंग''[3+] जैसे ऑनलाइन यौन शोषण। दो प्रमुख जानकारी देने वालों ने युवाओंके व्यवहारों को कामोत्तेजक बनाने का वर्णन बहुत अधिक यौनिक युवा आंदोलनों द्वारा ''पौन्सियो'' और 2000 के दशक में सैन्टियैगो के शहरी आदिवासियों के उदाहरण देकर किया।[4ø] इस तरह से बिना सोचे–समझे यौन गतिविधियों में हिस्सा लेने को किशोरों के यौन व्यवहारों को प्रभावित करने वाला माना जाता था।

विद्यालयों, घरों और समकक्षों के बीच भेदभाव के दृष्टिकोण से यौन रुझान के बारे में भी चर्चा की गई। जब वयस्कों से पूछा गया कि वे समलैंगिकता के बारे में क्या जानते हैं, तो ज़्यादातर भागीदारों ने यौन विविधता के बारे में अपने निजी विचारों के संबंध में अपनी जानकारी को बताया, और फिर बताया कि उनके यह विचार कैसे या किसके कारण बने। कई किशोरों ने बताया कि कैसे उनके शिक्षक और माता–पिताओं ने उन्हें गैर–विषमलैंगिक लोगों का आदर करना और स्वीकारना सिखाया। एक लड़की ने अपनी माँ द्वारा भेजे गए एक संदेश के बारे में बतायाः

''मैं जब बहुत छोटी थी, तब से उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे लोग (समलैंगिक) होते हैं, तुम्हें अलग–अलग तरह के लोग मिलेंगे जिनकी अलग–अलग चाहत होती है, तो तुम्हें उन्हें स्वीकारना होगा, असल में वे भी इंसान ही होते हैं।'' (लड़की, 18 वर्ष, इंटरव्यू)

कुछ अन्य लोगों को यौन विविधता को नकारने के संदेश मिलेः

''मेरी माँ को समलैंगिक लोग पसंद नहीं हैं, वे इसमें विश्वास नहीं करतीं क्योंकि वे धार्मिक हैं, मेरी माँ ईवानजेलिकल (रूढ़िवादी ईसाई) हैं (...) अगर मैं

[3+]ऑनलाइन ग्रूमिंग एक प्रकार का साइबर यौन शोषण है जिसमें शोषक शोषित के साथ, चैट रूम या सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक भावनात्मक ऑनलाइन रिश्ता बनाता है, अक्सर अपनी उम्र उसी के बराबर बता कर,। एक बार रिश्ता मज़बूत होने लगता है, ता शोषक ऑनलाइन यौन गतिविधि स्थापित करने की कोशिश कर सकता है, जिसमें वह शोषित को कामोत्तेजक फ़ोटो पोस्ट करने के लिए कहता है, ''सेक्स टॉक'' करता है या वेब कैमरे के सामने यौन गतिविधियों देखता/करता है। इसके अलावा संभव है कि वह व्यक्ति से मिलने को कहे।

[4ø]शहरी आदिवासी सामाजिक आंदोलन थे, जहां युवाओं को उनके पहनावे और रवैये की पहचानों के आधार पर समूहों में रखा जाता था। यह युवा अक्सर सार्वजनिक पार्कों या बड़ी कम उम्र के लोगों की पार्टियों में मिला करते थे, जहां वे ''पौन्सियो'' जैसी गतिविधियां करते थे, जिनमें शामिल था चुंबन करना और जितने लोगों के साथ हो सके उनके जननांगों को छूना/महसूस करना, चाहें वे किसी भी जेन्डर के हों।

लैस्बियन होती, तो मेरी माँ तो मर ही जातीं। वो कभी इसे स्वीकार नहीं करतीं।''(लड़की, 17 वर्ष, इंटरव्यू)

हालाँकि कई किशोरों ने शुरुआत में समलैंगिकता के बारे में अपने विचार बताते हुए इन शब्दों का प्रयोग किया जैसे, ''सम्मान'' और ''स्वीकार्यता'', लेकिन उनके विचारों में मतभेद बाद में नज़र आया, जैसे कि एक लड़के ने बाद में समलैंगिकों को ''घिनौना'' बताया, और एक लड़की ने कहा कि अगर उसकी कोई सहेली लैस्बियन होती तो ''भयानक'' होता। कुछ और का कहना था कि वे कुछ हालात में सम्मान दे सकते हैं:

''मैं जानता हूँ कि मुझे उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वे भी इंसान हैं और उनके यौन व्यवहार अलग हैं, अगर वे मुझे प्रभावित नहीं करते या मेरी जगह में नहीं आते, तो मैं उनका सम्मान करता हूँ। (लड़का, 16 वर्ष, इंटरव्यू)

''यौनिक विचलन''यानी तय से अलग की धारणा को यौन विविधता के चिकित्सीयकरण से जोड़ कर देखा जा सकता है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता और विद्यालयों ने किशोरों के समलैंगिक, लैस्बियन या बाएसेक्शुॅअल होने के शक पर मनोवैज्ञानिकों या मनोरोग चिकित्सकों के पास भेज कर यौन विविधता का चिकित्सीयकरण किया है। जब उनसे पूछा गया कि वे मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं से क्या अपेक्षा रखते हैं, तो प्रमुख जानकारी देने वालों ने गैर–विषमलैंगिक व्यक्ति की विशिष्ट ज़रूरतों के बारे में बताया कि उन्हें अपना यौन रुझान समझने, और अपने समकक्षों के बीच अपना रुझान बताने के लिए मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने यह भी कहा कि समलैंगिक रुझान को समझने के लिए बचपन में यौन शोषण हुआ है या नहीं, इसकी जाँच करना ज़रूरी है, हालाँकि उनका मानना था कि ज़्यादातर समलैंगिकता के मामले आनुवंशिक/जननिक होते हैं।

अंततः कई भागीदारों का कहना था कि उन्हें विद्यालय में बताया जाता है कि गैर–विषमलैंगिक रुझान का कारण हॉरमोन असंतुलन या जननिक होता है। एक भागीदार ने कक्षा में हुई एक चर्चा के बारे में बताया जिसमें विषय था कि कोई व्यक्ति जन्म से समलैंगिक होता है या बाद में बनता है, और एक अन्य भागीदार ने कक्षा में हुई एक प्रस्तुति के बारे में बताया जिसमें कक्षा के छात्रों ने चर्चा की कि समलैंगिकता एक बीमारी है या नहीं।

जेन्डर आधारित यौनिकता और यौन विविधता पर प्राप्त यह परिणाम इस अध्ययन में शामिल भागीदारों के विचार, अनुभव और दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। नीचे इन परिणामों से उभरते हुए प्रमुख मुद्दों, जैसे कि जेन्डर और यौनिकता के सामाजिक निर्माण, जिसका चिली में यौनिक और प्रजनन अधिकारों पर प्रभाव है, पर चर्चा की जा रही है।

जेन्डर और यौनिकता के निर्माण पर चर्चा

जेन्डर भूमिकाओं का समाजीकरण और दोहरे मापदंड

जीवन में जेन्डर समाजीकरण काफ़ी जल्दी शुरु हो जाता है जब बच्चों को पता चलता है कि उन्हें कौन सा जेन्डर दिया गया है, और साथ ही उन्हें बताया जाता है कि उनसे समाज किस प्रकार के व्यवहार की उम्मीद रखता है।[2] यह भूमिकाएं उन्हें घरों में सिखाई जाती हैं, जिन्हें बाद में उनके दोस्त, समकक्ष, विद्यालय और मीडिया मजबूत करते हैं, और इन्हें बदल पाना मुश्किल होता है।[1,16] यौनिकता को भी इसी प्रकार का एक सामाजिक निर्माण माना जा सकता है, जिसे समाजीकरण एजेंट रूप देते हैं, जिनके पास उचित और अनुचित यौन वस्तुओं और व्यवहारों को मान्यता देने की शक्ति होती है।[11] इस अध्ययन में यह शक्ति किशोरों की यौनिकता और जेन्डर पर समझ में परिवार, शिक्षा, चिकित्सा, धर्म और मीडिया के प्रभाव के रूप में नज़र आई।

चिली और लैटिन अमरीका में आम तौर पर, कैथोलिक धर्म ने ऐतिहासिक रूप से जेन्डर को दो भागों में बांटा हुआ है और परिवार में सख़्त जेन्डर भूमिकाएं दी गई हैं।[2] यह भूमिकाएं पितृसत्तात्मक ढाँचे के आधार पर निर्धारित की गई हैं, जिसमें पुरुष को प्रदाता के रूप में आर्थिक शक्ति दी गई है, और महिला को माँ के रूप में और घर की देखभाल में उसकी भूमिका के लिए पूजा जाता है।[17] यौन विविधता और महिलाओं का जेन्डर सशक्तिकरण (जिसमें आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी शामिल है) इन पारंपरिक भूमिकाओं को चुनौती देता है, जिससे जेन्डर–आधारित दमन और होमोफ़ोबिया जन्म लेता है। जिस समाज में जेन्डर भूमिकाएं ज़्यादा तरल होती हैं और पुरुष तथा स्त्री विशेषताओं के बारे में पूर्वधारणाएं नहीं बनाई जातीं, वहाँ समलैंगिकता को खतरे के रूप में देखे जाने की संभावना कम होती है।[18] इसलिए, जिन संदर्भों में होमोफ़ोबिया ज़्यादा होता है, वहाँ समलैंगिक बुलाए जाने का डर महिलाओं को अति–नारी सुलभ व्यवहार और पुरुषों को अति–मर्दाना व्यवहार अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।[19] लैटिन अमरीका में ''मैचिस्मो'' शब्द का इस्तेमाल अक्सर पुरुषत्व, मर्दानगी, शक्ति और प्रभुत्व की ज़रूरत से ज़्यादा अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, और दूसरी ओर, महिलाओं (और समलैंगिक पुरुषों) को निश्क्रिय और कमज़ोर समझा जाता है।[17] महिलाओं से सुशील–महिला और बहुत अधिक स्त्री सुलभ व्यवहार की उम्मीद की जाती है[19] निष्क्रिय और आज्ञाकारी बनी रहें,[20] और वर्जिन मेरी की तरह धार्मिक और पवित्र रहें।[17]

इस वर्तमान अध्ययन में, जेन्डर भूमिकाओं के समाजीकरण के लिए जेन्डर संबंधी दोहरे मापदंडों और व्यवहारों के रूप में उदाहरण दिए गए। भागीदारों ने बताया कि किस प्रकार एक महिला से उम्मीद की जाती है कि वह ''नारीत्व'' की प्रतिमा बन कर जिए, और सेक्स के बारे में बात करते हुए मज़ाकिया या अभद्र शब्दों का प्रयोग न करे, और न ही अश्लील तस्वीरें देखे, न हस्तमैथुन करे, न एक से ज़्यादा लोगों के साथ सेक्स करे, जबकि पुरुषों से उम्मीद की जाती है कि वे अपनी मर्दानगी और विषमलैंगिकता को साबित करें। यह दोहरे यौन मापदंड किसी भी तरह से चिली के लिए विशिष्ट नहीं हैं, जबकि विश्व भर में किए गए 268 गुणात्मक अध्ययनों में इस प्रकार के जेन्डर आधारित दोहरे मापदंडों के आधार पर यौन व्यवहारों को नियमित करना और महिलाओं की यौन अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित करना पाया गया।[21] महिलाओं द्वारा खुद पर ही पाबंदियां लगाना, यौन शिक्षा कक्षाओं में लड़कियों का शर्माना, और महिलाओं द्वारा हस्तमैथुन की संभावना पर विश्वास न करना – यह सब जेन्डर आधारित शर्म और अज्ञानता की अपेक्षा पर आधारित व्यवहारों की अभिव्यक्ति मानी जा सकती है। इससे यह भी पता चलता है कि किस तरह से लड़कियों के अंदर जेन्डर असमानता घर कर जाती है, क्योंकि उन्हें जीवनभर महिलाओं के ''उचित'' व्यवहार का पाठ पढ़ाया जाता है। इस प्रकार महिला यौनिकता, विशेषकर महिलाओं द्वारा यौन मुखरता और आनंद की अभिव्यक्ति को दबाया और कलंकित किया जाता है। इस प्रकार के जेन्डर दमन के प्रभाव केवल यौन आनंद की असमान पात्रता तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि यान हिंसा तक पहुँच जाते हैं। इक्वाडोर में किशोर गर्भधारण पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि समाजीकरण के दौरान सिखाई गई महिला निष्क्रियता और आज्ञापालन के ज़रिए, महिला यौन एवं प्रजनन स्वतंत्रता पर बंदिशें लगाई जाती हैं।[20] जेन्डर आधीनता के इस तरीके को न केवल महिला निष्क्रियता के प्रतीकात्मक रूप में छिपाकर, बल्कि, खुलकर यौन हिंसा के माध्यम से भी बढ़ावा दिया जाता है।[20]

महिलाओं के लिए जोखिम पर बहस

महिला यौन व्यवहार को प्रतिबंधित करने के लिए अक्सर महिला यौनिकता को स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से पुरुष यौनिकता के मुकाबले ज़्यादा जोखिम–भरा बताया जाता है। किशोर लड़कियों पर अनचाहे गर्भधारण और यौन संक्रमणों का स्वास्थ्य और सामाजिक–आर्थिक भार

ज़्यादा रहता है।[22] लेकिन किशोरों के समाजीकरण के माध्यम से उनमें यह विश्वास पैदा करना कि इसके कारण महिला यौनिकता को नियंत्रित करना सही है – इसके कारण कानूनी, सामाजिक और आर्थिक भेदभाव तथा जेन्डर असमानता की महिलाओं पर भार बढ़ाने में भूमिका को नकार दिया जाता है।[22] लुप्टन[23] ने जोखिम की युक्तिसंगत अवधारणा, जिसके तहत उसे एक निष्पक्ष रूप माना जाता है, की आलोचना की है, और कहा है कि जोखिम की अवधारणा असल में राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करती है। स्वास्थ्य सेवा के कार्यक्षेत्र में, दवाओं और रोग–विज्ञान के ज़रिये इस जोखिम की निरंतर गणना की जाती है, जबकि जिस सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में यह जोखिम जन्म लेता है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता।[23] अपनी ढाँचागत समीक्षा में, मार्सटन और किंग[21] ने उन सामाजिक–सांस्कृतिक पहलुओं की व्याख्या की है जिनका युवाओं के यौन व्यवहारों पर प्रभाव रहता है, जिसका यौन स्वास्थ्य से जुड़ाव है। इन पहलुओं में वे सामाजिक अपेक्षाएं जिनके कारण यौनिकता के बारे में बातचीत कर पाना और अतः सुरक्षित यौन संबंध बनाने की योजना बना पाना असंभव हो जाता है, सामाजिक कलंक जो महिलाओं को कॉन्डम रखने से रोकता है, हालाँकि उन्हें ही गर्भनिरोधन के लिए ज़िम्मेदार भी माना जाता है, और महिलाओं के खिलाफ़ यौन ज़बरदस्ती और हिंसा का सामान्यीकरण शामिल हैं।[21] इनमें से कई पहलू रिश्तों में जेन्डर आधारित शक्ति असमानताओं पर आधारित हैं, जिनके कारण सुरक्षित, सहमति पूर्ण और आनंददायक यौन संबंध सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी बांटने में रुकावट आती है।

नियंत्रक विषमलैंगिकता और यौनिकता का चिकित्सीकरण

महिलाओं के लिए जोखिम की अवधारणा के कारण यौन आनंद और हस्तमैथुन, वैकल्पिक यौन क्रियाएं जैसे कि मौखिक और गुदा सेक्स और साथ ही वैकल्पिक यौन रिश्तों जैसे कि लैस्बियन और ट्रॉंस्जेन्डर रिश्ते जैसे व्यापक मुद्दों पर चर्चा करना मुश्किल हो जाता है। यह स्पष्ट करता है कि किस प्रकार यौन विविधता की अवधारणाओं का सामाजिक निर्माण विद्यालयों और माता–पिता द्वारा दी जाने वाली नियामक विषमलैंगिकता जानकारी के आधार पर किया जाता है। जिसे ''सामान्य'' माना जाता है, उसे किसी अन्य चीज़ को ''असामान्य'' साबित करने के संदर्भ में ही वैध बनाया जाता है।[24] अतः विषमलैंगिक रिश्तों को लगातार समलैंगिकता की तुलना में वैध ठहराया जाता रहा है, और समलैंगिकता को एक विचलन के रूप में, जिससे कि यौन रुझानों के बीच एक प्रकार की दर्जाबंदी बना दी जाती है।[26] इस अध्ययन में, सामान्य और असामान्य यौन रुझान के बीच अंतर करने के लिए समलैंगिकता को जीवशास्त्र, जननिक, सामाजिक संदर्भ (जैसे कि फ़ैशन) या बचपन में यौन शोषण के इतिहास के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई। गैर–विषमलैंगिक रुझानों को समझने की चाह उन शोधों में स्पष्ट है जो जैविक और पर्यावरणीय पहलुओं की खोज कर रहे हैं, जो यौनिक रुझान के विकास में प्रभावी है।[25] लेकिन यौन रुझान को समझाने पर अत्यधिक ध्यान केन्द्रित रहने के कारण, उन सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर शोध पिछड़ गया, जो अभी भी ''सामान्य'' और ''असामान्य'' यौन रुझान के बीच अंतर करते हैं, और कई संदर्भों में यह बेहद महत्वपूर्ण हैं।

चिकित्सा विज्ञान भी यौनिकता को सामान्य–असामान्य के बीच परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। चिली में समलैंगिकता के चिकित्सीकरण का लंबा इतिहास है, जिसमें मनोरोग विज्ञान, मनोविज्ञान, जननिक और हार्मोनविज्ञान शामिल रहे हैं,[26] और एक कक्षा में यह चर्चा कि समलैंगिकता एक रोग है या नहीं, इसी की देन है। इस अध्ययन में प्रमुख जानकारी देने वालों ने जिस प्रकार के चिकित्सीकरण के बारे में बताया, वह समलैंगिकता का इलाज करने या उसे समझने के लिए नहीं, बल्कि उन युवाओं को मदद करने के लिए है जो अपने यौन रुझान को समझने की प्रक्रिया

में हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को लैस्बियन, गे और बाइसेक्शुॲल युवाओं के लिए जानकारी का अहम स्रोत माना गया है।[27] इसलिए यह एक दुर्भाग्यपूर्ण विरोधाभास है कि मनोचिकित्सकों के पास युवाओं को भेजे जाने से उन्हें ''असामान्य'' समझे जाने का जोखिम है, हालाँकि इन सेवाओं का उद्देश्य है कि वे उन युवाओं को सहयोग दें, जो शायद अपने सामाजिक दायरों में द्वेशपूर्ण माहौल का सामना कर रहे हैं।

यौनिक विविधता के प्रति रवैया

इस अध्ययन में किशोरों द्वारा यौनिक विविधता के विषय में खुलेआम तिरस्कार से लेकर पूरे सहयोग तक काफी व्यापक थे। इसे चिली के समाज में मौजूद रवैये का प्रतिबिम्ब माना जा सकता है। हालाँकि कई युवाओं ने बताया कि उनके शिक्षक और माता–पिता ने उन्हें, ''स्वीकारना'' और ''सहनशीलता'' जैसे शब्दों के माध्यम से, सिखाया है कि उन्हें भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन यह शब्द अपने आप में भेदभावपूर्ण रवैया दर्शाते हैं, जिनका मतलब है कि गैर–विषमलैंगिक रुझान अवांछनीय है और एक विषमलैंगिक व्यक्ति को उसे स्वीकार या सहन करना ज़रूरी है। इस प्रकार सहनशीलता' को प्रोत्साहित करना विविधता को अपनाने के विरुद्ध प्रतीत होता है।[24] जैसा कि इस अध्ययन में देखा गया, यौन विविधता को स्वीकारना या उसका सम्मान करना किसी प्रकार के व्यवहारों पर प्रतिबंध या दूरी बनाए रखने पर निर्भर हो सकता है, जो असल में भेदभावपूर्ण विचार या छूत के डर पर पर्दा डालने का प्रयास है।

कई किशोरों ने सामाजिक बदलाव के बारे में बताया कि अब समलैंगिकता के बारे में चर्चा करने पर कोई रोकटोक नहीं है और यौन अधिकार संस्थाएं चिली में यौन विविधता के विषय पर एक सकारात्मक सांस्कृतिक बदलाव के बारे में बताती हैं।[28] लेकिन इस सब के बावजूद, समलैंगिकों के विरुद्ध चली आ रही हिंसा यौन रुझान के आधार पर होने वाले भेदभाव के बारे में अभी भी याद दिलाती रहती है।[28]

निष्कर्ष

अपने यौन एवं प्रजनन अधिकारों को प्राप्त कर पाने की क्षमता का जुड़ाव कानूनी अधिकारों और सामाजिक स्वीकारिता, दोनों से है। इन अधिकारों की कानूनी और सामाजिक सुरक्षा सनिश्चित करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, खासकर एक ऐसे संदर्भ में जहाँ जटिल सांस्कृतिक, धार्मिक और नैतिक अवधारणाएं ''उचित'' यौन एवं जेन्डर अभिव्यक्ति को नियंत्रित करती हैं। इसलिए, चाहें यौन एवं प्रजनन अधिकारों के रास्ते से कानूनी, आर्थिक या संस्थागत बाधाएं हटा भी दी जाएं, बाहरी और आंतरिक सामाजिक–सांस्कृतिक बाधाएं फिर भी एक व्यक्ति को इन अधिकारों का लाभ उठाने से रोक सकती हैं।

इन चुनौतियों के अलावा, आजकल के किशोरों के सामने उनके आसपास के समाज द्वारा जेन्डर और यौनिकता के विषय पर अलग–अलग प्रकार के संदेश रखे जाते हैं। यौन व्यवहार से जुड़ी पारंपरिक धार्मिक नैतिकता जिसे कई किशोर अपने घरों या विद्यालयों में सीखते हैं, आज के ज़माने के किशोरों के सामने उपलब्ध हाइपर–सैक्शुअलाईज़्ड मीडिया के एकदम विपरीत है। इसी प्रकार, जेन्डर समानता और यौन अधिकारों के आंदोलनों की मीडिया रिपोर्टें, आज के किशोरों पर उनके परिवारों और दोस्तों की कड़ी जेन्डर अपेक्षाओं के दबाव के एकदम विरुद्ध हैं।

इतनी सारी विरोधाभासी जानकारियों को समझने के लिए ज़रूरी है कि बच्चों और किशोरों को जानकारी को आलोचनात्मक तरीके से ग्रहण करना सिखाया जाए, चाहें वे उन्हें किसी भी स्रोत से प्राप्त क्यों न हो रही हों, जिससे कि वे अपनी यौनिकता और यौन स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी–आधारित निर्णय ले सकें। इसके अलावा, जेन्डर समानता और यौन विविधता के प्रति आंतरिक और बाहरी बाधाओं का सामना करने के लिए यह ज़रूरी है कि बच्चों और किशोरों को उनके सामाजिक परिवेश में यौनिकता और जेन्डर के मतलब को समझने के लिए प्रेरित किया जाए। विश्वसनीय वयस्क, जैसे कि माता–पिता, शिक्षक और स्वास्थ्य सेवा

कार्यकर्ता इस समझ को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, जिससे कि बच्चों और किशोरों में आलोचनात्मक सोच को विकसित किया जा सके और बढ़ती उम्र में ही उनकी जेन्डर और यौनिकता के विषयों पर समझ विकसित की जा सके, जो कि मानव अधिकार और जेन्डर समानता पर आधारित हो।

चित्र : ''हमारी कल्पना का देश . . .'' भागीदारों द्वारा सड़कों पर चित्रकला, सैन्टियैगो, चिली। अक्तूबर 2013

मेरी चिली की कल्पना में सेक्स और प्यार है

मेरी चिली की कल्पना में समानता और सम्मान है

मेरी चिली की कल्पना गे है

मेरी चिली की कल्पना में अधिकारों की पूर्ति है

मेरी चिली की कल्पना में विवाह का संबंध सभी के लिए है

मेरी चिली की कल्पना में कोई असमानता नहीं है

मेरी चिली की कल्पना में ओर ज़्यादा सहनशीलता है

मेरी चिली की कल्पना में मैं अल्वारो फ़ेलिप से शादी कर सकता हूँ

आभार

हम इस अध्ययन में भाग लेने वाले सभी भागीदारों को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने अनुभव और विचार अध्ययन टीम के साथ बांटे। मैग्डालेना रिवेरा को कार्यक्षेत्र में अध्ययन सहयोगी के रूप में उनके योगदान के लिए विशेष धन्यवाद। इस अध्ययन में कार्यक्षेत्र के खर्चों के लिए आर्थिक सहयोग हैले फ़ाउन्डेशन से प्राप्त हुआ।

यह अध्ययन ऐना के–जे मैकिन्टायर की इंटरनैशनल कम्यूनिटि हेल्थ विषय पर की गई एम.फ़िल थीसिस पर आधारित है, जो मई 2014 में इंस्टिट्यूट ऑफ़ हेल्थ ऐंड सोसायटी, यूनिवर्सिटी ऑफ़ ऑस्लो, नॉरवे में जमा की गई।

संदर्भ

1. WHO. Defining sexual health. Report of a technical consultation on sexual health, 28–31 January 2002, Geneva. Geneva: WHO, 2006. [http://www.who.int/reproductivehealth/publications/sexual_health/defining_sexual_health.pdf].
2. Chant S, Craske N. Gender and sexuality. In: Chant, Craske, editors. Gender in Latin America. London: LatinAmerican Bureau, 2003.
3. Altman D. Global Sex. Chicago, IL: University of ChicagoPress, 2001.
4. Shepard B. The "double discourse" on sexual and reproductive rights in Latin America: The chasm betweenpublic policy and private actions. Health and HumanRights, 2000;4(2):110–143.
5. CEDAW. Concluding observations of the Committeeon the Elimination of Discrimination against Women:Chile. New York: United Nations, 2012. [http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAWCCHLCO5-6.pdf].
6. Craske N. Gender, politics and legislation. In: Chant, Craske, editors. Gender in Latin America. London: Latin American Bureau, 2003.
7. Guzmán V, Seibert U, Staab S. Democracy in the country but not in the home? Religion, politics and women"s rights in Chile. Third World Q+uarterly, 2010; 31(6):971–988.
8. Casas L, Ahumada C. Teenage sexuality and rights in Chile: from denial to punishment. Reproductive Health Matters, 2009;17(34):88–98 [http://www.rhm-elsevier. com/article/S0968-8080(09)34471-7/pdf].
9. Decree 79, Law 18.962. March 24 2005. r30
10. Casas L, Vivaldi L. Abortion in Chile: the practice under a restrictive regime. Reproductive Health Matters, 2014; 22(44):70–81.
11. DeLamater J. The social control of human sexuality.

In: McKinney, Sprecher, editors. Human Sexuality: The Societal and Personal Context. Norwood, N.J.: Ablex Publishing, 1989.

12. Schutt-Aine J, Maddaleno M. Sexual health and development of adolescents and youth in the Americas: Program and policy implications. Washington, D.C.: Pan American Health Organization, 2003. [http://www1.paho.org/English/HPP/HPF/ADOL/SRH.pdf].

13. Macintyre AKJ, Montero Vega AR, Sagbakken M. From disease to desire, pleasure to the pill: A qualitative study of adolescent learning about sexual health and sexuality in Chile. BMC Public Health, 2015;15(945)[http://www.biomedcentral.com/content/pdf/s12889-015-2253-9.pdf].

14. Patton MQ+. Q+ualitative Research and Evaluation Methods.Thousand Oaks, C.A.: Sage, 2002.

15. Taylor-Powell E, Renner M. Analysing Q+ualitative Data. Madison, W.I.: University of Wisconsin Extension, 2003. [http://learningstore.uwex.edu/assets/pdfs/g3658-12.pdf].

16. Bryson V. Feminist Political Theory: An Introduction. New York: Palgrave MacMillan, 2003.

17. Melhuus M. Configuring gender: Male and female in Mexican heterosexual and homosexual relations. Ethnos: Journal of Anthropology, 1998;63(3-4):353–382.

18. Kamano S, Khor D. Toward an understanding of cross-national differences in the naming of same-sex sexual/intimate relationships. NWSA Journal, 1996;8(1):124–141.

19. Worthen MGF. The cultural significance of homophobia on heterosexual women"s gendered experiences in the United States: a commentary. Sex Roles, 2014;71:141–151.

20. Goicolea I. Adolescent pregnancies in the Amazon Basin of Ecuador: a rights and gender approach to adolescents" sexual and reproductive health. Global Health Action, June 24 2010;3 [http://www.globalhealthaction.net/index.php/gha/article/view/5280/5726].

21. Marston C, King E. Factors that shape young people"s sexual behaviour: a systematic review. Lancet, Nov 4 2006;368:1581–1586.

22. UNFPA. Motherhood in childhood: Facing the challenge of adolescent pregnancy. New York: UNFPA, 2013. [http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/EN- SWOP2013-final.pdf].

23. Lupton D. Introduction: Risk and sociocultural theory. In: Lupton, editor. Risk and Sociocultural Theory: New Directions and Perspectives. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

24. Franck KC. Rethinking homophobia: Interrogating heteronormativity in an urban school. Theory and Research in Social Education, 2002;30(2):274–286.

25. Saewyc EM. Research on adolescent sexual orientation: Development, health disparities, stigma, and resilience. Journal of Research on Adolescence, 2011;21(1):256–272.

26. Cornejo JR. Configuración de la homosexualidad medicalizada en Chile. . Sexualidad, Salud y Sociedad, 9, Dec 2011109–136. [http://www.scielo.br/scielo.php?pid= S1984-64872011000400006&script=sci_arttext].

27. Rose ID, Friedman DB. We need health information too: A systematic review of studies examining the health information seeking and communication practices of sexual minority youth. Health Education Journal, 2013 July;72(4):417–430.

28. Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH). XIII Informe anual de derechos humanos de la iversidad sexual chilena (Hechos 2014). Santiago, Chile: MOVILH, 2015. [http://www.movilh.cl/documentacion/2014/XIIIInformedeDDHH2014-web.pdf].

© Reproductive Health Matters.
All Rights reserved.
ISSN 0968-8080
Reproductive Health Matters 2015;23(46):31–37
Doi: 10.1016/j.rhm.2015.11.005

संयुक्त राष्ट्र में यौनिक अधिकारों की पैरवी : वैश्विक विकास के अधूरे काम को पूरा करना

सायदा अली,[ए] शैनोन कोवाल्स्की,[बी] पॉल सिलवा[सी]

ए. प्रोग्राम ऑफ़िसर, इंटरनैशनल विमेन्स हैल्थ कोअलिशन, न्यू यॉर्क, यू.एस.ए

बी. डायरेक्टर ऑफ़ एडवोकेसी ऐंड पॉलिसी, इंटरनैशनल विमेन्स हैल्थ कोअलिशन, न्यू यॉर्क, यू.एस.ए। संपर्क : skowalski@iwhc.org

सी. डायरेक्टर ऑफ़ कम्यूनिकेशन्स, इंटरनैशनल विमेन्स हैल्थ कोअलिशन, न्यू यॉर्क, यू.एस.ए

सारांश

बीस साल पहले, सभी देशों की सरकारों ने स्वीकार किया कि हर व्यक्ति को अपनी यौनिकता के विषय में स्वतंत्रता से निर्णय लेने और उस पर नियंत्रण करने तथा उससे संबंधित सभी मामलों में ज़िम्मेदारी का मौलिक अधिकार है, जो किसी भी प्रकार के दबाव, भेदभाव और हिंसा से मुक्त हो। तब से वैश्विक स्तर पर यौन अधिकारों के कई पहलुओं पर सहमति बनी है, परंतु स्वयं ''यौन अधिकार'' शब्द अभी भी तय किए गए परिणामों से बाहर रखा जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों से अक्सर सहमति बनने के अंतिम चरण में हटा दिया जाता है। यह लेख संयुक्त राष्ट्र द्वारा यौन अधिकारों की लड़ाई पर अधूरे छोड़े गए काम पर हमारा दृष्टिकोण पेश करता है। हमारा दृष्टिकोण संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे आंदोलनों से सीखे हुए सबकों पर आधारित है और इसमें हमने कुछ ऐसी चालों को रेखांकित किया है जो रूढ़िवादियों द्वारा यौनिक अधिकारों को सीमा पर धकेलने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। यह लेख एक बार फ़िर से पुष्टि करता है कि यौनिक अधिकारों से संबंधित चर्चा और अवधारणाओं को और ज़्यादा सम्मिलित बनाने की आवश्यकता है, कि उसमें बदलाव लाने की काफ़ी क्षमता है और इससे आगे बढ़ने के सामूहिक पैरवी प्रयासों को सशक्त किया जाना चाहिए। © 2015 रीप्रोडक्टिव हैल्थ मैटर्स। एल्सेवीर बी. वी. द्वारा प्रकाशित। सभी अधिकार आरक्षित।

मुख्य शब्द : यौनिक अधिकार, सतत विकास, यौनिक रुझान और जेन्डर पहचान, संयुक्त राष्ट्र, यौनिकता

अक्तूबर 2013 की अफ़्रीका के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग की जनसंख्या और विकास पर अफ़्रीकी क्षेत्रीय कांग्रेस के परिणामों पर सहमति तैयार करने की प्रक्रिया के लगभग अंत में, माली सरकार के एक प्रतिनिधि ने अनुच्छेद 17 पर आपत्ति व्यक्त की। जिस अनुच्छेद पर सवाल उठाया गया वह विवादास्पद तो नहीं लगता :

''सभी लोगों के मानव अधिकारों को किसी भी प्रकार का भेद किए बिना, मान्यता और सुरक्षा देना, और सभी लोगों को कानून के सामने समानता तथा गैर–भेदभाव की गारंटी देना।''

माली के प्रतिनिधि का इस विषय पर अलग मत था। उनके अनुसार, इन शब्दों ''किसी भी प्रकार का भेद किए बिना'' के प्रयोग में एक छिपा हुआ एजेन्डा है, और यह सरकारों को लेस्बियन और गे लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए मज़बूर कर सकता है।

इस बात ने कमरे में मौजूद अन्य प्रतिनिधियों का भी ध्यान आकर्षित किया। एक के बाद एक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ कॉन्गो, बेनिन, कॉन्गो ब्रैज़्ज़ाविल, ईजिप्ट, एरिट्रिया, बुरुन्डी, नाइजर, टोगो, और युगान्डा के साथ कुछ अन्य प्रतिनिधियों ने ''किसी भी प्रकार का भेद किए बिना'' शब्दों के खिलाफ़ बोलना शुरु कर दिया। एरिट्रिया का तर्क था कि वे इसे ''गैर–अफ़्रीकी'' एजेन्डा मानते हैं। नाइजर ने ज़ोर दिया किया इस प्रकार की भाषा निस्संदेह उनके बीच विभाजन पैदा करने के लिए बनाई गई है।

लाइबीरिया के प्रतिनिधि ने ध्यान दिलाया कि यह मानव अधिकार वैश्विक उद्घोषणा और अफ़्रीकी क्षेत्रीय मानव अधिकार उपकरणों में उपयोग की गई मूल मानव अधिकार भाषा ही है। तनज़ानिया के प्रतिनिधि ने भी अपने सहकर्मियों को समझाने की कोशिश की : ''यह लोग जिन भी लोगों की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उनके भी मनुष्य होने के नाते अधिकार तो होंगे ही।''

चर्चा को बिगड़ता देख, प्रतिनिधि एक बंद दरवाज़ा बैठक के लिए चले गए। अंत में, भाषा में काफ़ी बदलाव कर दिया गया, जिससे लंबे समय से चले आ रहे मानव अधिकार के सिद्धांत को संस्कृति, धर्म और राष्ट्रीय कानूनों से निचले स्तर पर रख दिया गया :

''सभी लोगों के मानव अधिकारों को किसी भी प्रकार का भेद किए बिना, मान्यता और सुरक्षा देना, और कानून के सामने सभी लोगों को समानता तथा गैर–भेदभाव की गारंटी देना, जो राष्ट्रीय नीतियों, कानूनों, धार्मिक, नैतिक मूल्यों और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के अनुरूप हो।''[1]

इसके बावजूद भी कई सरकारों के प्रतिनिधि संतुष्ट नहीं हुए और बैठक के अंत तक, 16 सरकारों ने इस अनुच्छेद, और दो अन्य जिनमें लगभग ऐसे ही शब्दों का उपयोग हुआ है, पर आपत्ति रखी और चैड के प्रतिनिधि ने तो खुद को इस प्रक्रिया से अलग ही कर लिया।

सौभाग्य से गोष्ठी के कुछ माह बाद, यू.एन.एफ़.पी.ए. के प्रयासों के बाद, सभी ने अपनी आपत्ति को वापस ले लिया। लेकिन, आपत्तियों के वापस लिए जाने का ई.सी.ए. की वेबसाइट पर प्रचार नहीं किया गया और इन आपत्तियों की भावना बाद की संयुक्त राष्ट्र चर्चाओं में भी व्यक्त होती रही; और अभी हाल में पोस्ट–2015 के एजेन्डे पर रानजीतिक उद्घोषणा की चर्चाओं के दौरान भी व्यक्त की गई।[2]

यह कहानी संयुक्त राष्ट्र में यौनिक अधिकारों पर आपत्ति को और स्पष्ट करती है। यौनिक अधिकारों और लोगों का उनकी यौनिकता संबंधी मामलों पर पूर्ण नियंत्रण, जो कि किसी भी प्रकार के दबाव, भेदभाव और हिंसा से मुक्त हो, को मान्यता दिलाने के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर धीमी मगर निरंतर सफलता के बाद, इसका विरोध और भी तीखा और मुखर हो गया। अक्तूबर 2013 में अफ़्रीकी सरकारों द्वारा उठाई गई आपत्तियों जैसी ही आपत्तियां अब संयुक्त राष्ट्र

मुख्यालय में भी उठाई जाती हैं। यह विरोध दो प्रमुख मुद्दों पर केन्द्रित हैः विविध यौनिक रुझान और जेन्डर पहचान वाले लोगों के अधिकार (SOGI); और किशोरों, विशेषकर लड़कियों का अपने शरीर, यौनिकता और अंततः अपने जीवन पर नियंत्रण करने का अधिकार ।

यौनिक अधिकारों की मानव अधिकारों के रूप में परिभाषा

अपनी यौनिकता पर पूर्ण नियंत्रण और उससे जुड़े सभी मामलों में स्वतंत्रता तथा ज़िम्मेदारी से निर्णय लेने के अधिकार, जो किसी भी प्रकार के दबाव, भेदभाव और हिंसा से मुक्त हो, यह एक मौलिक मानव अधिकार है। वर्ष 2006 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने यौनिक अधिकारों की एक कार्यकारी परिभाषा जारी की, जो हर व्यक्ति के अपनी यौनिकता की अभिव्यक्ति तथा उसे निभाने तथा यौनिक स्वास्थ्य, जिससे दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं होता, पर केन्द्रित है। इस परिभाषा में कई ऐसे मानव अधिकारों को शामिल किया गया जिन्हें नीचे दिए जा रहे राष्ट्रीय कानूनों, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दस्तावेज़ों और अन्य सहमति पत्रों के अंतर्गत पहले से मान्यता प्राप्त हैः

- स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के उच्चतम मानकों को प्राप्त करने का अधिकार (जिसमें यौनिक अधिकार शामिल हैं);
- समानता और गैर–भेदभाव का अधिकार;
- विवाह करके परिवार बनाने और विवाह के रिश्ते में अपने साथी की स्वतंत्र और पूर्ण सहमति, और विवाह को भंग करने में समानता का अधिकार;
- दमन या हिंसक, अमानवीय या नीचा दिखाने वाले व्यवहार या सज़ा से मुक्त रहने का अधिकार;
- गोपनीयता का अधिकार;
- अपने बच्चों के बीच अंतर रखने और बच्चों की संख्या तय करने का अधिकार;
- जानकारी, तथा शिक्षा का अधिकार
- अपना मत रखने और खुद को व्यक्त करने की स्वतंत्रता के अधिकार; और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर प्रभावी हल पाने का अधिकार।[3]

अन्य संस्थाओं ने भी यौनिकता संबंधी सभी अधिकारों को शामिल करते हुए लगभग इससे मिलती–जुलती परिभाषाएं ही दी हैं (उदाहरण के लिए, इंटरनैशनल प्लैन्ड पेरेन्टहुड फ़ेडरेशन, वर्ल्ड असोसिएशन ऑफ़ सैक्शुॲल हैल्थ);[4,5] चाहें वे नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक या सांस्कृतिक पहलुओं से जुड़े हों और इनमें प्रजनन से जुड़े अधिकार भी शामिल हैं। सैक्शुॲलिटी पॉलिसी वॉच, शोधकर्ताओं और कार्यकर्ताओं का एक वैश्विक मंच ने दर्शाया है कि यौनिक अधिकारों की अवधारणा हमें यौनिक रुझान, भेदभाव और अन्य यौनिकता मुद्दों के बीच जुड़ावों को संबोधित करने में मदद करती है – जैसे कि शादी के बाहर यौन अभिव्यक्ति पर रोक या यौन कर्मियों का शोषण – और दमन के मूल कारणों की पहचान करने में भी मदद करती है।[6] इस नज़रिए से देखा जाए तो ''यौनिक अल्पसंख्यकों'' और ''यौनिक बहुसंख्यकों'' दोनों के लिए यौनिक अधिकारों में बदलाव लाने की काफ़ी संभावनाएं निहित हैं।

ऐसे ही यौनिक ''बहुसंख्यकों'' में से एक हैं महिलाएँ और लड़कियाँ। महिलाओं और लड़कियों की यौनिकता पर नियंत्रण रखना, उन पर रोज़मर्रा के जीवन में होने वाले शोषण का एक मुख्य कारण है। यौन हिंसा से लेकर बाल, जल्द और ज़बरदस्ती विवाह या महिला जननांग विकृति करने और उनके बाहर आने–जाने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी पर रोकटोक तक। यही लेस्बियन, गे, बाईसेक्शुॲल, ट्रॉंस्जेन्डर और इंटरसेक्स (एल.जी.बी.टी. आई.) लोगों, यौन कर्मियों, और उन सभी लोगों के साथ होता है जो यौनिक और जेन्डर नियमों को पार कर जाते हैं और उनके साथ हिंसा, कलंकित किए जाने और भेदभाव होने के खतरे और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यौनिक अधिकार अन्य मानव अधिकारों का आनंद

उठाने में समर्थन करते हैं और ये अधिकार समानता और न्यायपूर्ण जीवन की मूल आवश्यकता हैं।

संयुक्त राष्ट्र में एक यौनिक अधिकार आंदोलन ने जन्म ले लिया है, जिसमें नागरिक समाज संस्थाएं, जैसे कि एल.जी.बी.टी.आई. समूह, एच.आई.वी. और स्वास्थ्य समूह, नारीवादी एवं महिला समूह और प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकार समूह शामिल हैं।[7] इन समूहों के प्रयासों के परिणामस्वरूप, ''यौनिक अधिकार'' शब्द का उपयोग इकोनोमिक कमिशन फ़ॉर लेटिन अमेरिका ऐंड द कैरिबियन और इकोनोमिक ऐंड सोशल कमिशन फ़ॉर एशिया ऐंड द पेसिफ़िक के क्षेत्रीय अंर्त–सरकारी सहमति प्रक्रियाओं में और परिभाषित भी किया जा रहा है।[1] जैसे कि अगले खंड में चर्चा की गई, वैश्विक स्तर पर 1990 के दशक के बाद से यौनिक अधिकारों के कई पहलुओं पर सर्व सहमति बन चुकी है। लेकिन ''यौनिक अधिकार'' शब्द को वैश्विक अंर्त–सरकारी अनुबंधों से हटा दिया जाता है, और वह भी अक्सर सहमति प्रक्रिया के अंतिम क्षणों में।

हमने कितना फ़ासला तय किया है?

संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न मंचों में जेन्डर और यौनिकता पर 1948 की मानव अधिकारों पर वैश्विक उद्घोषणा के बाद से ही चर्चा चली आ रही है। 1990 के दशक की कीर्तिमान संयुक्त राष्ट्र गोष्ठियों के बाद से यह चर्चाएं पिछले 20 वर्षों में और तेज़ हो गई हैं, विशेषकर कायरो में 1994 में हुई इंटरनैशनल कॉन्फ़्रेन्स ऑन पॉपुलेशन ऐंड डेवलपमेन्ट (आई.सी.पी.डी.) और 1995 में द फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ़्रेन्स ऑन विमेन इन बीजिंग।[8] इन गोष्ठियों और उसके बाद इनकी समीक्षाओं ने वैश्विक यौनिक अधिकार आंदोलन को महत्वपूर्ण लाभ दिए हैं।

हालाँकि कायरो में सहमति बनाना काफ़ी मुश्किल रहा, लेकिन आई.सी.पी.डी. कार्यक्रम में यौनिक और प्रजनन स्वास्थ्य और प्रजनन अधिकारों को अभूतपूर्व मान्यता मिली। जहाँ होली सी, और उसके लैटिन अमरीकी समर्थकों और कुछ इस्लामिक देशों द्वारा प्रणालीबद्ध विरोध दस्तावेज़ से ''यौनिक अधिकार'' शब्द को बाहर रखने में सफ़ल रहा, वहीं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों की परिभाषा ने आगे बनने वाली सहमतियों के लिए रास्ता साफ़ किया।[9] उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 7.3 और 7.4 में ''सुरक्षित और संतोषजनक यौन जीवन''; ''जीवन और आपसी संबंधों को बेहतर'' बनाने के लिए यौनिक स्वास्थ्य के महत्व; और शिक्षा की ज़रूरत जिससे कि सुनिश्चित किया जा सके कि किशोर ''अपनी यौनिकता के प्रति सकारात्मक और ज़िम्मेदार हैं''; और साथ ही, अपने प्रजनन संबंधी निर्णय लेने और दमन, भेदभाव और हिंसा से मुक्त अपने यौनिक तथा प्रजनन स्वास्थ्य के उच्चतम मानकों को प्राप्त करने के अधिकारों को पूरा करने के लिए जानकारी और सेवाओं की ज़रूरत है।[10]

एक साल बाद, बीजिंग में, कई नारीवादी यौनिक अधिकारों के अधूरे रहे काम को पूरा करने के लिए तत्पर थे।[8] हांलाकि ''यौनिक अधिकार'' शब्द का इस बार भी घोर विरोध हुआ, लेकिन इस बार वार्ताकारों ने बीजिंग प्लेटफ़ॉर्म फ़ॉर ऐक्शन के अनुच्छेद 96 पर सहमति बना ली, जिसमें कहा गया है कि :

> *''महिलाओं के मानव अधिकारों में अपने यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सहित उनका नियंत्रण और स्वतंत्रता और ज़िम्मेदारी से अपने यौनिकता से संबंधित सभी निर्णय लेना शामिल है जो कि दमन, भेदभाव और हिंसा से मुक्त हो...''*[11]

शब्दों का यह इस्तेमाल अभूतपूर्व था – किसी भी वैश्विक दस्तावेज़ में यौन अधिकारों को परिभाषित करने का पहला प्रयास। फिर भी नारीवादियों, एल.जी.बी.टी.आई. कार्यकर्ताओं और मानव अधिकार कार्यकर्ताओं के लिए यह निराशाजनक था कि सरकारों ने वैश्विक स्तर पर इस क्षेत्र में काम को बहुत धीमी गति से आगे बढ़ाया।

लेकिन फिर भी प्रयास जारी रहे। वर्ष 2003 में जेनेवा में हो रहे कमिशन ऑन ह्यूमन राइट्स में, ब्राज़ील ने अन्य

सरकारों या नागरिक संगठनों के साथ चर्चा किए बिना ''मानव अधिकार और यौन रुझान'' पर एक प्रस्ताव पेश किया गया। हालाँकि ब्राज़ील ने सीमित स्तर पर ही विरोध की अपेक्षा की थी, लेकिन इस प्रस्ताव पर बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, और पाकिस्तान तथा होली सी ने कुशलता से प्रक्रियात्मक कारणों का सहारा लेते हुए, इस प्रस्ताव को अगले साल के लिए स्थगित कर दिया।[8] स्थगित किए जाने से दक्षिणी देशों को मौका मिल गया कि वे ब्राज़ील पर इस प्रस्ताव को सहयोग ना देने का दबाव बना सकें; वर्ष 2005 में ब्राज़ील ने इस प्रस्ताव को ही वापस ले लिया।

इस महत्वपूर्ण गतिरोध के सामने, कार्यकताओं के समूहों के बीच भी मतभेद पैदा हो गया कि उन्हें यौन रुझान (और अंततः जेन्डर पहचान) पर आधारित भेदभाव को संबोधित करने पर ज़ोर देना चाहिए, या व्यापक स्तर पर ''यौनिक अधिकारों'' का दावा करना ज़्यादा फ़लदायक होगा।[8] इस बीच, वर्ष 2004 में स्वास्थ्य के अधिकार पर स्पैशल रैपर्टियर ने एक रिपोर्ट ज़ारी की जिसमें आज तक के संयुक्त राष्ट्र दस्तावेज़ों के मुकाबले, सबसे ज़्यादा व्यापक रूप से यौनिक अधिकारों की पड़ताल की गई थी।[12] आगे के वर्षों में, नई संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार काउंसिल (एच.आर.सी.) में मानव अधिकारों, जेन्डर और यौनिक पहचान पर उद्घोषणाएं की गईं, जिससे कि एक बार फिर इस दिशा में उत्साह बड़ा।[13] अंततः वर्ष 2011 और 2014 में, यौन रुझान और जेन्डर पहचान पर दो अभूतपूर्व प्रस्तावों को वोटों में बहुत कम बहुमत से स्वीकृत किया गया।[14,15]

इसी तरह, हाल में किशोरों और युवाओं के यौनिक अधिकारों पर चर्चा ने गति पकड़ी है। अप्रैल 2012 में, 45वें कमिशन ऑन पॉपुलेशन ऐंड डेवलपमेन्ट (आई.सी.पी.डी.) में एक सप्ताह की गहन चर्चाओं के बाद, सरकारों ने किशोरों और युवाओं के उनकी यौनिकता पर निर्णय और नियंत्रण के अधिकार को मान्यता दे दी।[16] दो महीने बाद, रियो. 20, संयुक्त राष्ट्र की सतत विकास पर गोष्ठी में इस अधिकार की पुष्टि की गई।[17] और हाल ही में, जुलाई 2015 में, एच.आर.सी. ने बाल, जल्द और ज़बरदस्ती विवाह पर एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें पहली बार सभी लड़कियों के अपनी यौनिकता पर नियंत्रण और उससे संबंधित सभी निर्णय स्वतंत्रता से लेने के अधिकार को मान्यता मिली है।[18]

जैसे कि पहले भी बताया गया है, यौनिक अधिकारों के क्षेत्र में 2014 के बाद की आई.सी.पी.डी. गोष्ठियों में भी महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। अगस्त 15, 2013 को मोन्टेवीडियो, उरुगुवे में आयोजित लैटिन अमेरिकन ऐंड कैरिबियन इंटर–गवर्नमेन्टल कॉन्फ्रेन्स ऑन पॉपुलेशन ऐंड डेवलपमेन्ट में क्षेत्र की 38 सरकारों की यौनिक अधिकारों को परिभाषित करने के लिए एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व सहमति बनी :

> *''ऐसी नीतियों को बढ़ावा दें जो लोगों को अपने यौन अधिकारों का प्रयोग करने में सक्षम करें, जिनमें ज़बदरदस्ती, भेदभाव और हिंसा के बिना सुरक्षित और संपूर्ण यौन जीवन जीने, और साथ ही अपनी यौनिकता, यौन रुझान और जेन्डर पहचान संबंधी सभी निर्णय स्वतंत्रतापूर्वक, सूचना के आधार पर, स्वैच्छिक रूप से और ज़िम्मेदारी से, उनके यौनिक अधिकारों का प्रयोग करने में मदद करें और उनके लिए जानकारी के अधिकार तथा उनके यौनिक स्वास्थ्य और प्रजनन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक तरीके सुनिश्चित करें।''*[19]

यह मान्टेवीडियो सहमति आज तक के यौनिक अधिकारों पर सहमति का सबसे दूरदर्शितापूर्ण दस्तावेज़ है, जिसका श्रेय विविध प्रकार के नागरिक समाज पैरवीकारों द्वारा प्रभावी और रणनीतिक पैरवी को जाता है, जिनमें कई देशीय और एफ़्रो–वंशी, कैरिबियन और युवा लोग शामिल हैं।[8] उरुगुवे, क्यूबा, अर्जेन्टीना, ब्राज़ील, कोलम्बिया, दि डोमिनिकन रिपब्लिक और मैक्सिको ने इन चर्चाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।[20]

सितंबर 2013 में बैंकॉक में आयोजित सिक्स्थ एशियन ऐंड पैसिफ़िक पॉपुलेशन कॉन्फ्रेन्स में सरकारों ने ऐसे ही

एक सकारात्मक परिणाम दस्तावेज़ को स्वीकृति दी, जिसमें मानव अधिकारों को सभी जनसांख्यिकी और विकास कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय तत्व माना गया है। सरकारों ने सहमति दी कि ''सभी महिलाओं और लड़कियों के मानव अधिकारों का सम्मान, सुरक्षा और पूर्ति की जाएगी, जिसमें उनके यौनिक और प्रजनन अधिकार भी शामिल हैं'' (अनुच्छेद 11) और ''सेक्स, जेन्डर, उम्र, वंश, जाति, वर्ग, पलायन की स्थिति, विकलांगता, एच.आई.वी. स्थिति और यौन रुझान और जेन्डर पहचान के आधार पर उनकी संवेदनशीलता और भेदभाव को कम किया जाए और मिटाया जाए'' (अनुच्छेद 15)।[21] इस प्रस्ताव के खिलाफ़ केवल तीन देशों ने वोट दिया (ईरान, रूस और अज़रबेजान)।

4 अक्तूबर 2013 को समाप्त हुई ऐफ़्रिकन रीजनल कॉन्फ़्रेन्स ऑन पॉपुलेशन ऐंड डेवलपमेन्ट में भी उद्घोषणा की गई जिसमें कई जगहों पर यौनिक और प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों की पुष्टि की गई।[1] लेकिन, जैसे कि हमने पहले भी बताया है, सहमति बनाने की प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण बन गई जब कुछ देशों ने व्यापक मानव अधिकार की भाषा को शामिल करने का विरोध यह कह कर किया कि इसे एल.जी.बी.टी.आई. लोगों के अधिकारों की रक्षा के रूप में भी समझा जा सकता है। दुर्भाग्यवश, इस विरोध ने अन्य संयुक्त राष्ट्र मंचों पर भी समलैंगिकों के विरुद्ध अकारण डर को पनपाया है, जिसके कारण रूढ़िबद्ध सरकारों ने पहले स्वीकृति मिल चुकी भाषा पर भी यह कहते हुए आपत्ति उठा दी कि वे यौनिक रुझान और जेन्डर पहचान से संबंध रखते हैं, जैसे कि ''किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना मानव अधिकार'', ''जेन्डर'', और ''अंतरंग सहभागी द्वारा हिंसा''। नई और पुरानी कट्टरवादिता तथा अतिवाद ने बदलते सामाजिक और पारिवारिक ढाँचों और जेन्डर नियमों को नकारते हुए, अपने लिए समर्थन बढ़ाने की कोशिश की है।[22]

यौनिकता शिक्षा की भाषा पर भी अब नए जोश से विरोध होने लगा है। हालाँकि सरकारों ने आई.सी.पी.डी. के समय सहमति दे दी थी कि किशोरों के लिए यौनिकता, प्रजनन, और यौनिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य पर व्यापक शिक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, लेकिन उसके बाद से इस पर चर्चा ज्वलंत बनी हुई है। हाल में, एक छोटे पर मुखर समूह, जिसमें ज़्यादातर अरब और अफ़्रीकी देश तथा होली सी शामिल थे, ने इस चर्चा को और गर्मा दिया है। यह समूह पहले के दस्तावेज़ों की भाषा को तरल बनाने में सफल नहीं हुआ – और असल में ''व्यापक यौनिकता शिक्षा'' शब्दों पर पहली बार वैश्विक स्तर पर सहमति एक एच.आर.सी. प्रस्ताव के आधार पर ही बनी थी – लेकिन इस मुद्दे पर सहमति बनना अभी भी मुश्किल है।[23]

इस विरोध के बावजूद, यौनिकता अधिकारों की मांग कर रहे देशों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2014 में सी.पी.डी. चर्चाओं के दौरान, 59 देशों, जिसमें विश्व के दक्षिणी देश भी शामिल थे, ने यौनिक अधिकारों की भाषा पर सहमति व्यक्त की। उसी वर्ष, सतत विकास लक्ष्यों पर जनरल असेम्बली के ओपन वर्किंग ग्रुप के एक सत्र के दौरान, 58 देशों ने दक्षिण अफ़्रीका द्वारा प्रस्तुत एक वक्तव्य पर भी हस्ताक्षर किए जिसमें स्वास्थ्य और जेन्डर समानता लक्ष्यों के अंतर्गत ''यौनिक और प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों'' के लक्ष्य तय करने की माँग की गई।[24]

1990 के दशक की स्थिति के विपरीत, जब यौनिक अधिकारों पर चर्चा अक्सर नारीवादियों में भी मतभेद पैदा कर दिया करती थी, आज नारीवादियों के बीच सहमति है कि सभी के लिए, जिसमें एल.जी.बी.टी.आई. लोग शामिल हैं – यौनिक अधिकारों के सम्मान, सुरक्षा और पूर्ति को बढ़ावा देना प्राथमिकता है। वर्ष 2013 के बाद से, महिलाओं की स्थिति पर आयोग में एक बार फ़िर से महिला अधिकार समूह सक्रिय हुआ है; इसमें विश्व भर की विविध नारीवादी संस्थाएं शामिल हैं, और उन्होंने यौनिक अधिकारों को मान्यता दिलाने को अपना मूल सिद्धांत बना लिया है जिसमें यौन कर्मियों और लेस्बियन, बाईसेक्शुअॅल और ट्रांस्जेन्डर महिलाओं के अधिकार शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 2015–पर्यन्त विकास ऐजेन्डे पर संयुक्त राष्ट्र में चल रही चर्चाओं में,

कुछ प्रमुख नागरिक संस्थाओं के समूह, जिसमें विमेन्स मेजर ग्रुप, दि मेजर ग्रुप ऑन चिल्ड्रन ऐंड यूथ, बियॉन्ड 2015 और दि ह्यूमन राइट्स कौकस शामिल हैं, ने ''यौनिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों'' को मान्यता दिलवाने के लिए मिलकर काम किया। इस मुद्दे को मिली गति का फ़ायदा उठाने और वैश्विक स्तर पर इसे बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं द्वारा निरंतर, रणनीतिक और संयोजित प्रयास किया जाना ज़रूरी है।

आगे के लिए दिशाएं

दिसंबर 2014 में, संयुक्त राष्ट्र नीति–निर्माण प्रक्रिया में यौनिक अधिकारों के पक्ष को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त पैरवी रणनीतियों की खोज करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य गठबंधन (आई.डब्ल्यू.एच. सी.) में अलग–अलग क्षेत्रों और विविध समूहों का प्रतिनिधत्व करते हुए, नारीवादी और एल.जी.बी.टी.आई. कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। कार्यकर्ताओं ने माना कि ''यौनिक अधिकार'' शब्द को मान्यता मिलना अपने आप में एक रानजीतिक रूप से शक्तिशाली कदम होगा, लेकिन इस शब्द को परिभाषित करने और इससे जुड़ी गलत धारणाओं को हटाने की सख़्त ज़रूरत है। चर्चा को यौनिक न्याय की ओर मोड़ दिया जाए, तो जो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय पहलू लोगों को उनके जीवन जीने और यौनिक अधिकार प्राप्ति में प्रभावित करते हैं, उन्हें और अच्छे तरीके से संबोधित किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण से, यौनिक अधिकारों को प्रजनन अधिकारों से अलग कर उन्हें एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ परिभाषित करना होगा, न कि किसी प्रकार की हानि या बीमारी के इलाज के दृष्टिकोण से।

आई.डब्ल्यू.एच.सी. की यौनिक अधिकार गोष्ठी में शामिल कार्यकर्ताओं ने पैरवी प्रयासों को सम्मिलित, सहयोगी और अनेक मुद्दों से जोड़ने की आवश्कता को पहचाना। यौनिक अधिकारों के लिए नारीवादी संगठनों को तब तक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा जब तक कि उनके बीच यौन कर्मियों और ट्रॉंसजेन्डर महिलाओं को शामिल करने के विषय में मतभेद बने रहेंगे। यौनिक अधिकारों की पैरवी में किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा जाना चाहिए; यौन कर्मियों, एल.जी.बी.टी.आई. और अन्य जेन्डर नियमों को चुनौती देने वाले लोग, विकलांगता के साथ जी रहे लोग, महिलाएँ और लड़कियाँ, किशोर और बच्चे, सब को बराबर की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके साथ ही, यौनिक अधिकार पैरवीकारों को सरकारों द्वारा संस्कृति और परंपरा के नाम पर दिए जाने वाले तर्कों को भी गलत साबित करना होगा। किसी भी यौनिक अधिकार की पैरवी का केन्द्रीय मुद्दा यह होना चाहिए कि संस्कृति और मूल्यों को फिर से किस प्रकार समझा जाए और सुधार किया जाए, और इस चर्चा को बदलना कि महिलाओं के शरीर और यौनिकता पर किस का ''अधिकार'' है।

नारीवादी और एल.जी.बी.टी.आई. आंदोलनों की एक प्रमुख ताकत उनकी अलग–अलग देशों में एकजुटता के साथ पैरवी करने की क्षमता है। जहाँ इस प्रकार का संगठित प्रयास काफ़ी सफल रहा है, जो कि पिछले 20 वर्षों की उपलब्धियों से स्पष्ट है, लेकिन बिना आर्थिक संसाधनों के इस सफलता को बनाए रखना मुश्किल होगा। इसलिए ज़रूरी है कि आर्थिक सहयोग देने वाली संस्थाएं नारीवादी, एल.जी.बी.टी.आई. और उनसे जुड़ी संस्थाओं और उनका नेतृत्व करने वालों (विशेष रूप से युवा पीढ़ी) को सशक्त करें, और सुनिश्चित करें कि सभी स्तरों पर बदलाव लाने वाले उनके चुनौतीपूर्ण तथा लंबी चलने वाली पैरवी के प्रयासों के लिए आर्थिक सहयोग मिलता रहे। पैरवीकारों के लिए समीक्षा करने और रणनीति बनाने की जगहों के लिए भी आर्थिक सहयोग दिया जाना चाहिए।

यौनिक अधिकारों के लिए संघर्ष तब तक चलता रहेगा, जब तक मानव अधिकारों का संघर्ष, ''बिना किसी प्रकार के भेदभाव के'', चलेगा।

संदर्भ

1. United Nations Economic Commission for Africa. Addis Ababa Declaration on Population and Development in Africa beyond 2014 (ECA/ICPD/MIN/2013/4).ttp://www.unfpa.org/sites/default/files/event-pdf/declaration-final-e1351225.pdf.
2. Girard F. Taking ICPD beyond 2015: negotiating sexual and reproductive rights in the next development agenda. Global Public Health, 2014;9(16)http://dx.doi.org/10.1080/17441692.2014.917381.
3. World Health Organization. Defining sexual health. updated 2010. http://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual_health/sh_definitions/en. 2006.
4. International Planned Parenthood Federation. Sexual rights: an IPPF declaration. London: IPPF, 2006. (http://www.ippf. org/resource/Sexual-Rights-IPPF-declaration).
5. World Association of Sexual Health. Declaration of sexual rights. http://www.worldsexology.org/resources/declarationof-sexual-rights. 2014.
6. Saiz I. Bracketing Sexuality: human rights and sexual orientation – a decade of development and denial at the UN. Sexuality Policy Watch Working Papers, No. 2, November 2005.
7. Miller AM, Roseman MJ. Sexual and reproductive rights at the United Nations: frustration or fulfilment? Reproductive Health Matters, 2011;19(38).
8. Girard F. Negotiating sexual rights and sexual orientation at the UN. In: Parker, Petchesky, Sember, editors. SexPolitics: reports from the, front lines.
9. International Women's Health Coalition. The Cairo Consensus: the right agenda for the right time. New York: International Women's Health Coalition, 1995.
10. International Conference on Population and Development Programme of Action. http://www.unfpa.org/publications/international-conference-population-and-development programme-action. 1994.
11. Fourth World Conference on Women Platform for Action. Fourth World Conference on Women Platform for Action. http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/health.htm. 1995.
12. Commission on Human Rights. Report of the Special Rapporteur, Paul Hunt, on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health (E/CN.4/2004/49, para 54). http://www.who.int/medicines/areas/human_rights/E_CN_4_2004_49_Add_1.pdf.
13. Corrêa S, Germain A, Sen G. Feminist mobilizing for global commitments to the sexual and reproductive health and rights of women and girls. In: Chesler, McGovern, editors. Women and Girls Rising: progress and resistance around the world. New York: Routledge, 2015. p.51–69.
14. Human Rights Council. Resolution on human rights, sexual orientation and gender identity A/HRC/RES/17/19).http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/17/19.
15. Human Rights Council. Resolution on human rights,sexual orientation and gender identity (A/HRC/RES/27/32).http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/27/32.
16. Commission on Population and Development. Resolution 2012/1 on adolescents and youth (E/2012/25). http://www.un.org/en/development/desa/population/pdf/commission/2012/country/Agenda%20item%208/Decisions%20and%20resolution/Resolution%202012_1_Adolescents%20and%20Youth.pdf.

17. United Nations. Resolution adopted by the General Assembly on 27 July 2012 (A/RES/66/288). http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&Lang=E.

18. Human Rights Council. Resolution on strengthening efforts to prevent and eliminate child, early and forced marriage (A/HRC/29/L.15). http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/29/L.15.

19. Economic Commission for Latin America and the Caribbean. Montevideo Consensus on Population and Development. http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/21860/S20131039_en.pdf.

20. Garita A. Moving toward sexual and reproductive justice: a transnational and multigenerational feminist remix. In: Baksh, Harcourt, editors. The Oxford Handbook of Transnational Feminist Movements. New York: Oxford University Press, 2015.

21. Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. Report of the Sixth Asian and Pacific Population Conference (E/ESCAP/APPC(6)/3). http://www.unescapsdd.org/files/documents/Report%20of%20the%20Sixth%20APPC.pdf.

22. Corrêa S, Parker R, Petchesky R. Sexuality, Health and Human Rights. London: Routledge, 2008.

23. Human Rights Council. Resolution on accelerating efforts to eliminate all forms of violence against women (A/HRC/29/L.16/Rev.1). http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/29/L.16/Rev.1.

24. Joint statement to the OpenWorking Group on the Sustainable Development Goals. http://icpdtaskforce.org/resources/2014-07-16-SDGgs13thsessionJointStatement%20_DELIVERED.pdf. 2014.

© Reproductive Health Matters.
All Rights reserved.
ISSN 0968-8080
Reproductive Health Matters 2015;23(46):7–15
Doi: 10.1016/j.rhm.2015.11.006

विरोध के स्वर और रोष – यौन अधिकारों की राजनीति और कानून को समझना

ऐलिस एम. मिलर,[ए] सोफ़िया ग्रस्किन[बी] जेन कॉटिन्घम,[सी] एस्टर किसमोडी,[डी]

ए. सह–निदेशक, ग्लोबल हेल्थ जस्टिस पार्टनरशिप ऑफ़ द येल लॉ स्कूल एंड स्कूल ऑफ़ पब्लिक हेल्थ, येल लॉ स्कूल, न्यू हेवन, सी.टी., यू.एस.ए.। पत्राचारः alice.miller@yale.edu

बी, प्रोफ़ेसर ऑफ़ प्रिवेंटिव मेडिसिन, केक स्कूल ऑफ़ मेडिसिन; प्रोफ़ेसर ऑफ़ लॉ एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन, गोल्ड स्कूल ऑफ़ लॉ; निदेशक, विश्व स्वास्थ्य और मानव अधिकार कार्यक्रम, इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ, दक्षिणी कैलिफ़ोर्निया विश्वविद्यालय (यूएससी), लॉस एंजेलिस, सी.ए., यू.एस.ए.

सी, स्वतंत्र परामर्शदाता, जिनेवा, स्विटज़रलैंड

डी, यौनिकता, जेन्डर, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और मानव अधिकार की अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार वकील, ग्लोबल हेल्थ जस्टिस पार्टनरशिप ऑफ़ द येल लॉ स्कूल एंड स्कूल ऑफ़ पब्लिक हेल्थ, येल लॉ स्कूल, न्यू हेवन, सी.टी., यू.एस.ए.

सारांश

हालाँकि पहले विश्व स्तरीय चर्चाओं में अक्सर संस्कृति, राष्ट्र और धर्म के नाम पर यौन अधिकारों का विरोध होता रहा है, लेकिन अब विरोधी, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार ढाँचे को नकारने की बजाय उनका उपयोग करने लगे हैं। इस व्याख्या में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विरोधियों द्वारा अन्य अधिकारों के साथ–साथ यौन अधिकारों को नकारने के प्रयास के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सिद्धांत और इसकी कानूनी प्रगति की गहन समझ यह उजागर करती है कि किस प्रकार यौन अधिकारों का विरोध करने के लिए अधिकारों का प्रयोग अंततः विफल होना चाहिए और होगा। इस व्याख्या में यौन अधिकारों के विरोधियों द्वारा ''अधिकार'' के तीन प्रकार के दावों पर संक्षिप्त चर्चा की गई हैः अधिकारों के संरक्षण के लिए अधिकारों को सीमित किया जाना, लिखित रूप, और सार्वभौमिकता, तथा यौन अधिकारों का विरोध करने हेतु उनके उपयोग के औचित्य और प्रभाव को उजागर किया गया है। चूंकि यौनिकता और प्रजनन का आपस में अंतर्संबंध है और विरोध का सामना करने पर वे अलग होते नज़र आते हैं, अतः संघष का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है और यह पैरवी, कार्यक्रम एवं नीतियों पर असर करता है। इस व्याख्या का उद्देश्य भी यही समझना है कि यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों का विरोध करते समय अधिकारों के सिद्धांतों के आम तर्कों का प्रयोग किया जाता है, जिनका विरोध करने के लिए उन्हें समझना ज़रूरी है। © 2015 रिप्रोडक्टिव हेल्थ मैटर्स। एल्ज़ेवियर बी.वी. द्वारा प्रकाशित। सर्वाधिकार सुरक्षित।

मुख्य शब्दः यौन अधिकार, कानूनी विकास की विधियां और राजनीति, सार्वभौमिकता, टकराव में अधिकार, यौन अधिकारों को वैध बनाना

परिचय

जो लोग यौन स्वास्थ्य और अधिकारों के उपयोग को आगे बढ़ाने वाले कार्यक्रमों और नीति का समर्थन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों का उपयोग करते हैं, उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यौनिकता और यौन स्वास्थ्य के कार्य का समर्थन करने के लिए मानव अधिकारों के उपयोग को अक्सर नैतिकता या संस्कृति का अपमान कहते हुए विरोध किया जाता रहा है, लेकिन नई और उल्लेखनीय बात अब यह हुई है कि यौन अधिकारों के विरोध का तरीका बदल गया है। जहाँ कानूनी दायित्वों का विरोध करने के लिए यौन अधिकारों पर ''परंपरा''', ''नैतिकता'', ''धर्म'' या ''संस्कृति'' के दावों के नाम पर कुछ हमले जारी हैं,[1*] वहीं अब यौन अधिकारों के विरोध के लिए इन तर्कों के साथ अधिकारों की भाषा को भी जोड़ दिया गया है। जैसा कि हम नीचे स्पष्ट कर रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि अब हमलों में मानव अधिकार को खारिज नहीं किया जाता है, बल्कि अधिकारों की भाषा और सिद्धांतों का उपयोग करके, संधि की व्याख्या की ओर ध्यान दिए जाने, सार्वभौमिकता, और अन्य अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ अधिकारों को सीमित करने की जरूरत की ओर ध्यान दिए जाने सहित भाषा और अधिकार के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। इस व्याख्या का उद्देश्य, यौन अधिकारों पर हाल के हमलों की नई शैली और विषय–वस्तु का विश्लेषण करना और इन हमलों का खंडन करने के लिए अधिकारों के आधार की रूपरेखा प्रस्तुत करना है। यौन अधिकारों के पैरोकार, मानव अधिकार नियमों का इस्तेमाल कर उन अधिकारों के दावों की चुनौतियों का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन हमें यह मान लेना चाहिए कि ऐसा करते समय हम यौनिकता से जुड़े अधिकारों के विरोध की चल रही प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। इस प्रयास के समर्थन में इस व्याख्या के साथ, इस खंड में मानव अधिकारों के विकास को आम तौर पर संचालित करने वाले नियमों एवं सिद्धांतो और विशेष तौर पर यौनिकता एवं यौन स्वास्थ्य पर मानव अधिकारों को लागू करने की एक मार्गदर्शिका (गाइड) भी शामिल की गई है।

यौन अधिकारों का विरोध

यौन अधिकारों की दिशाएं और विरोध के अनेक रूप हैं। विरोध का दायरा व्यापक है, और इस तथ्य से जुड़ा हुआ है कि यौन अधिकारों की विषय–वस्तु विस्तृत है और इसका प्रजनन अधिकारों से घनिष्ट संबंध है। 'यौन अधिकारों' और 'यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों', दोनों को बार–बार विवाद के विषय के रूप में प्रस्तुत करना, हमें प्रेरित करता है कि हम बताएं कि''यौन अधिकार'' प्रजनन अधिकार के दायरे में आ सकते हैं किंतु वे उनसे भिन्न हैं। हमने सैद्धांतिक, प्रामाणिक, प्रासंगिक और राजनीतिक कारणों से इन अधिकारों के बीच मनमाने ढंग से भेद किए जाने का विरोध किया है। कुछ लोग इस विरोध को विडंबना समझ सकते हैं, क्योंकि इनमें से एक लेखक (मिलर) ने लगभग एक दशक पहले यह कह दिया था कि पहचान करने की ज़रूरत है कि कौन–से अधिकार, ''यौन अधिकार हैं लेकिन प्रजनन अधिकार नहीं हैं''। लेकिन मिलर का तात्पर्य, उन यौन अधिकारों की ओर ध्यान आकृष्ट करना था जो प्रजनन अधिकार नहीं थे; यौनिकता को प्रजनन अधिकार से अलग समूह में रखना नहीं था, बल्कि यह बताना था कि यौनिकता का प्रजनन

[1*]हम अधिकांश चर्चाओं में तीन शब्दों का प्रयोग करते हैं– संस्कृति, परंपरा और नैतिकता। लगभग सभी धर्मों, चाहे वह ईसाई हो, इस्लाम, हिंदू, यहूदी, बौद्ध या कोई अन्य मत ही क्यों न हो, के बारे में ऐतिहासिक और क्षेत्रीय तौर पर अलग–अलग उल्लेख किए जाने और यौन व्यवहार या प्रजनन क्षमता को विनियमित करने में राजनीति क्षेत्र के शक्तिशाली व्यक्तियों का हाथ रहा है। पिछले पच्चीस से तीस वर्षों से रिप्रोडक्टिव हेल्थ मैटर्स और अन्य क्षेत्र के विद्वानों ने ''यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों'' के नए आयामों के विरोध का एक अत्यंत गहन और अलग आकार प्रदान किया है, जो मानव अधिकरों पर वैश्विक सम्मेलन (1993), जनसंख्या और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (1994) और बीजिंग में महिलाओं पर चौथा विश्व सम्मेलन (1995) के दौरान ''वैश्विक आकर्षण'' का विषय रहा है। ''रूढ़िवादिता'' और धार्मिक समूहों द्वारा यौन अधिकारों के विरोध की कुछ आम बातों के गहन विश्लेषण के लिए कृपया देखें: Freedman, Lynn P. The Challenge of Fundamentalisms. Reproductive Health Matters Volume 4, Issue 8, 55–69

से संबंध सहित, इसके विविध रूप और अर्थों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। सहस्राब्दी के आरंभ तक ऐसा नियमित आधार पर नहीं हो रहा थाः यौनिकता के बारे में बहुत सी चर्चाओं में इसे प्रजनन के तहत माना जाता था, जबकि दूसरी चर्चाओं में यौन अधिकारों को केवल समलैंगिक व्यवहार से ही जोड़कर देखा जाता था, और इस विधा में उसे कभी भी प्रजनन से नहीं जोड़ा गया।[1] हम मानते हैं कि यौन अधिकारों में न केवल यौन व्यवहार या यौन रुझान के आधार पर भेदभाव से मुक्त होने का अधिकार शामिल किया जाए बल्कि यह भी स्वीकार किया जाए कि किस प्रकार मानव अधिकारों को लोगों द्वारा गर्भनिरोधक और गर्भसमापन सुविधाओं का उपयोग करने और यह निर्धारित करने के लिए लागू किया गया है कि कब और क्या यौन व्यवहार, प्रजनन की ओर ले जाता है।

मोटे तौर पर हमारा यह मानना है कि यौन अधिकार, लोगों को यह आज़ादी देते हैं कि वे निर्धारित करें कि उनकी यौनिकता के क्या मायने हैं, और उसी दृढ़ संकल्प पर कार्य करें। उदाहरण के लिए, गर्भसमापन से संबंधित अधिकार, यौन अधिकारों के दायरे के अधिकार हैं, जब तक कि वे उन सेवाओं का हिस्सा हैं, जिनमें गर्भनिरोधक सेवाएं शामिल हैं, और जो विषमलैंगिक यौन व्यवहार को प्रजनन से अलग रखकर देखता है। कुछ ऐसे प्रजनन अधिकार हैं, जैसे कि स्वस्थ मातृत्व और शिशु जन्म से संबंधित अधिकार, जिनका यौनिकता से कम संबंध है, और इन्हें इस व्याख्या में चर्चा किए गए यौन अधिकारों के दायरे में शामिल नहीं किया गया है। निश्चित रूप से मातृ स्वास्थ्य के यौनिकता से जुड़े पहलू हैं, जिन्हें तब शामिल किया जाएगा, जब लेस्बियन महिलाओं को स्वीकार्य मानदंडों (शादी) से बाहर रहने के कारण प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं, जैसे कि कृत्रिम प्रजनन प्रौद्योगिकी या मातृ स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं के उपयोग में भेदभाव या बहिष्कार का सामना करना पड़ेगा। इसी प्रकार प्रजनन के गैर–जैविक पहलू भी हैं, जैसे कि गोद लेना, जो स्पष्ट रूप से जेन्डर, यौन रुझान और जेन्डर अभिव्यक्ति से संबंधित अधिकारों से जुड़े रहे हैं। इन उदाहरणों से हमें पता चलता है कि यौनिकता और प्रजनन से संबंधित अधिकारों का घनिष्ट संबंध है और किसी एक या दूसरी श्रेणी के अधिकारों का कड़ाई से आबंटन करना ठीक नहीं है।

पहले, और आज भी कई संदर्भों में,यौन अधिकारों पर हमले – चाहे उन्हें औपचारिक रूप से किसी भी तरह से वर्गीकृत किया गया हो – अक्सर नैतिकता या संस्कृति की भाषा में किए जाते है। इस विधा में मानव अधिकारों की भाषा को अप्रासंगिक माना जाता है या उसे पूरी तरह, जेन्डर संबंधों और विशेष रूप से विभिन्न समाजों द्वारा दावा की गई संस्कृतियों और परंपराओं के लिए, एक नए और विनाशकारी दृष्टिकोण के उत्प्रेरक के रूप में घोषित किया गया है। इस तरह के हमलों को देखते हुए, यौन स्वास्थ्य और अधिकारों के पैरोकारों ने अपने दावों को इस ओर केन्द्रित किया कि अधिकार किस प्रकार कारगर हुए हैं, अर्थात् वे दर्शाते हैं कि मानव अधिकार, जैसे कि अत्याचार और अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार से मुक्त होने के अधिकारों को यौन हिंसा के विरुद्ध सुरक्षा के लिए लागू किया जा सकता है और किया जाना चाहिए।[2] इस तरह से स्वास्थ्य एवं अधिकारों के तर्कों को साथ लाना, नए तथ्यों जैसे कि व्यक्तियों को अपनी यौन और जेन्डर पहचान व्यक्त करने या अपने प्रजनन जीवन का निर्धारण करने के लिए ज़रूरी भौतिक और सांस्कृतिक स्थितियों की गारंटी के लिए सूचना और भेदभाव न किए जाने का अधिकार लागू करना – पर मानव अधिकारों के स्वीकृत सिद्धांतों को लागू किए जाने पर निर्भर था। जहाँ इसे अभी तक पूरी तरह हासिल नहीं किया जा सका है, वहीं मानव अधिकारों के उभरते कार्य के हिस्से के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के तहत, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के लिए अधिकारों से संबंधित तर्क के अभिनव प्रयोग को स्वीकार कर लिया गया था।[3] हालाँकि, वहीं यौन अधिकारों के विरोधियों ने इन बातों का विरोध करने के लिए मानव अधिकारों के तर्क का उपयोग नहीं किया। जैसा कि चौथे विश्व महिला सम्मेलन में कार्यवाही के अंतिम मंच के रूप में स्वीकार

किए जाने को होली सी की बाध्यताओं में प्रदर्शित किया गया है, यौन अधिकारों को स्थानीय, विविध संस्कृतियों को हानि पहुँचाने वाले अधिकारों या यौन निर्णय लेने के इनकार को न्यायोचित ठहराने वाले विभिन्न लिखित सिद्धांतों को पुनः स्वीकार कर इनकी निंदा की गई।[4]

तथापि, आज जो कार्यकर्ता केवल धार्मिक ग्रंथों या परंपरा या नैतिकता के दावों पर निर्भर रहा करते थे, अब यौनिकता पर अधिकारों को लागू किए जाने के लिए मानव अधिकारों की भाषा और विधियों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हालाँकि उनके ''मानव अधिकारों'' के दावे अक्सर नैतिक और धार्मिक तर्क पर आधारित होते हैं, और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सिद्धांतों की पुश्टि किए जाने के साथ–साथ गलतबयानी के दिखावटी मिश्रण वाला यौन अधिकारों के विरोधियों का यह नया तरीका, यौन और प्रजनन अधिकारों के पैरोकारों के लिए एक खास चुनौती बन गया है।[5]

कई मायनों में इस मुद्दे पर लड़ाई कि ''यौन अधिकार मानव अधिकार हैं' अथवा नहीं, एक विभाजनकारी रणनीति रही हैः किसी को भी संदेह नहीं है कि 'निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार' नहीं है, केवल इसलिए कि 'निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार' शब्द किसी नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (आई.सी.सी.पी.आर.) के अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से नज़र नहीं आता, या किसी अन्य संधि में उसे विशेष रूप से उद्घोषित नहीं किया गया है।[6] प्रत्येक व्यक्ति इस बात से सहमत है कि इस तरह के अधिकार, विभिन्न और अनेक संबंधित अधिकारों द्वारा प्राप्त सुरक्षा से मिलकर बनते हैं। इसी प्रकार, ''यौन अधिकार'' शब्द, अनेक मौजूदा अधिकारों को व्यक्त करने का सुविधाजनक संक्षिप्त रूप है, जिन्हें मानव के व्यक्ति और यौन स्वास्थ्य के एक पहलू के रूप में यौनिकता से संबंधित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मानवाधिकार निकायों द्वारा लागू की गई कई संधियों में देखा जा सकता है। इस प्रकार लागू किए गए अधिकारों में – स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्य मानक के अधिकार, व्यक्ति की सुरक्षा, सूचना और अभिव्यक्ति, यातना, क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार से मुक्ति, और संबंध जोड़ने, जीवन, निजता और भेदभाव नहीं किए जाने के अधिकार शामिल हैं।[7–12]

हालाँकि, प्रमुख अवधारणा – व्यक्ति के एक अधिकार योग्य पहलू के रूप में यौनिकता – वही है जिस पर ''यौन अधिकार'' शब्द के विरोधी अनुमान लगाना चाह रहे हैं। यौन अधिकारों के अनेक विरोधी, पूरे मानव अधिकारों को यौनिकता से जोड़ देने से यौनिकता के नैसर्गिक विचारों को उत्पन्न होने वाले खतरे को समझते हैं। यदि व्यवहार में अधिकारों का तात्पर्य, विविध लोगों को अपने शरीर और जीवन के बारे में निर्णय लेने की सार्थक क्षमता सुनिश्चित करना है (''आत्म–मर्यादा'' जैसा कि पेसेस्की ने एक बार लिखा था)[13] – साथ ही ऐसे निर्णय लेना है कि क्या यौन कृत्य का परिणाम प्रजनन हो सकता है या किसके साथ यौन अंतरंगता रखी जाए, और सार्वजनिक और निजी व्यवस्थाओं में इस तरह के 'आत्म–मर्यादा' के लिए संस्थागत और भौतिक स्थितियां सुनिश्चित करने के बारे में फैसले करने हैं – तो यौनिकता की कोई एक विधा को नहीं निर्धारित किया जा सकता है। इसके अलावा, यौन निर्णय लेने की अवधारणा के साथ, यौनिकता को (''पुरुष'' या ''महिला'' होने के दो आधार वाले असमलैंगिक रचना के) शरीर, जिसे देवता या प्रकृति ने केवल एक ही उद्देश्य – प्रसव के लिए बनाया है, से सीधे बाहर नहीं निकाला जा सकता है। यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये विरोधी जिन यौन अधिकारों को रोकने की बात करते हैं, वह केवल कुछ फ़रेबी उदार अधिकारों के रूप में यौन निर्णय लेना ही नहीं है। यौनिकता और इससे जुड़े मानव अधिकारों पर सार्वजनिक और निजी बहस करने के साथ–साथ इसके बदलते अर्थ, मौजूदा नियमों की चुनौतियों का सामना करने और व्यापक कानूनी और सामाजिक सुरक्षा के सरोकार भी हैं। इस संदर्भ में राजनीतिक क्षेत्र की माँग महत्वपूर्ण है कि वैश्विक न्याय के एक आंदोलन के हिस्से के रूप में संसाधनों का अधिक निष्पक्षता से

उपयोग करने के साथ ही सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार किया जाए।

शब्दावली का भ्रम

यौन अधिकारों को लेकर विवाद को हाल ही में उस तथाकथित विवादित तरीके में स्पष्ट कर दिया गया है, जिसमें अमेरिकी सरकार ने यौन अधिकारों को अपनाया है। सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महिला कार्यकारी बोर्ड को दिए गए एक नीतिगत बयान में अमेरिका ने कहा है कि वह मानव अधिकार और विकास संबंधी चर्चाओं में (वाक्यांश 'यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों' सहित) ''यौन अधिकार'' शब्द का प्रयोग करना शुरू कर देगी। कुछ पैरोकारों द्वारा इस बयान को एक कदम आगे बढ़ने के रूप में देखा गया।[14] 1995 के बीजिंग महिला सम्मेलन में अपनाए गए कार्यवाही मंच के पैरा 96 को उद्धृत करते हुए अपने स्पष्टीकरण में अमेरिका के इस बयान में कहा गया है कि यौन अधिकारों की अपनी सोच में ''सभी व्यक्तियों के अधिकारों को शामिल किया गया है ताकि अपनी यौनिकता से संबंधित मामलों पर नियंत्रण रखा जा सके और उनके बारे में स्वतंत्र रूप से और ज़िम्मेदारी पूर्वक निर्णय लिया जा सके....।'' हालाँकि, इस सोच का प्रस्ताव करते हुए अमेरिका विचित्र रूप से इस घोषणा से पीछे हटते हुए भी देखा गया यह कहते हुए कि यौन अधिकार या यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार शब्द, ऐसे ''अधिकारों को व्यक्त करते हैं, जो कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं हैं। यौन अधिकार मानव अधिकार नहीं हैं और वे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में निहित नहीं हैं ...।''[15]

इसलिए, यह बयान जहाँ यह प्रदर्शित करने में उपयोगी साबित हो सकता है कि संभवतः वैश्विक व्यवस्था में यौन अधिकारों को एक व्यापक नीति की उक्ति के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, वहीं वो एक तरह से ''एक कदम आगे बढ़ना, और दो कदम दायं–बाएं'' जैसी चाल हैः यदि अमरीका ने केवल यह घोषित कर दिया होता कि यौन अधिकार भी अधिकारों के एक ऐसे समूह का हिस्सा हैं, जिनमें से कुछ बाध्यकारी स्थिति पर पहुँच गए हैं और दूसरे अभी भी लचीले कानून में उभर रहे हैं, लेकिन ये सभी मानव अधिकारों की संकल्पना का हिस्सा हैं, तो यह बयान राजनीति और मानव अधिकार कानून के सह अस्तित्व की अनुमति देता।

यहाँ थोड़ी देर रुक कर इस बात पर विचार करना ज़रूरी है कि क्यों एक मज़बूत राज्य को किसी यौन अधिकारों के बयान को, एक ही समय में, उपयोग करना पड़ता है और फिर पीछे भी हटना होता है। यह सिद्धांत, स्थानीय और वैश्विक दोनों है, और कानून एवं राजनीति में निहित है, जो यौन अधिकारों पर आम संघर्ष के लक्षण हैं। हमारी राय में, अमरीकी सरकार का यौन अधिकारों को ''बाध्यकारी'' के रूप में मान्यता प्रदान करने का विरोध, यौन अधिकारों को एक संकीर्ण अमरीकी कैंची की ब्लेड के बीच फंसने जैसा है : जिसमें प्रत्येक ब्लेड की एक अलग ऐतिहासिक जड़े हैं, एक ओर अमरीकी संवैधानिक और शीतयुद्ध से ग्रसित अधिकारों को सीमित रखने वाली ऐसी हठी विरासत है, जिसमें केवल कानूनी और राजनीतिक अधिकार ही कानूनी रूप से बाध्यकारी थे और यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित अन्य स्वास्थ्य और सामाजिक अधिकार ''अपेक्षित'' थे; वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस में गर्भ समापन विरोधी घरेलू विधायकों, जिनको आज भी शक्तिशाली सम्मान मिलता है, जिनके हाथ में विदेश में अमरीका की प्रजनन स्वास्थ्य नीति की डोर और आर्थिक नियंत्रण है। इस दोहरी मार से एक नीति वक्तव्य आया, जो कानून के आकार में दुर्बोध है, पर शायद अमरीका को यौनिकता और यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य के काम में मानव अधिकारों के प्रयोग को वैध बनाने की दशकों से की जा रही पैरवी, एक समर्थक के रूप में प्रस्तुत करने में उपयोगी हो सकता है।

यौन अधिकारों के विरोधियों द्वारा मानवाधिकार कानून की ओर रुख

हमने यहाँ यौन अधिकारों के विरोधियों की तीन विभिन्न आक्रमण शैलियों को उजागर किया हैः (क) लिखित

रूप में होना – यह दावा कि संधियों में जो केवल लिखित रूप में मौजूद है, उनका ही अधिकार के रूप में दावा किया जा सकता है; (ख) अधिकार के दावों का प्रतिकार करना; और (ग) ''सार्वभौम'' को मानव अधिकारों के एक पहलू के रूप में समझे जाने को बदलने का प्रयास करना। अन्य लेखकों ने धार्मिक समूहों द्वारा यौन अधिकारों को सीमित करने के अन्य तर्कों पर ज़ोर दिया है (जैसे कि यौनिकता को केवल वैवाहिक जीवन और परिवार की सीमा में बांधकर रखना)।[6]

इस बात का परीक्षण करते समय कि अधिकारों की माँग का किस प्रकार यौन अधिकारों को सीमित करने में उपयोग किया जाता है, हम इस बात पर ज़ोर देते हैं कि आगे का रास्ता यह दावा करने में नहीं है कि मानव अधिकार अखंड और अपरिवर्तनीय नहीं हैं। इसके विपरीत, हम दो मुख्य विचारों पर ज़ोर देते हैं। पहला, मानवाधिकार कानून, सभी कानूनों की तरह नई प्रथा शुरू करने के लिए बनाया गया है। ऐसे बहुत कम स्थान हैं, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्याख्या नहीं की गई है। अधिकारों के उपयोग एवं अर्थ को लेकर विवाद, अधिकारों को वैश्विक अर्थ प्रदान करने की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। दूसरे, यह विवाद सभी के लिए मुफ्त नहीं हैः कुछ नियम और सिद्धांत होते हैं जो मानव अधिकारों की व्याख्या की उलझन का मार्गदर्शन करते हैं। यह हमारा तर्क है कि हम विवाद को स्वीकार कर सकते हैं, चाहे हम कुछ कार्यकर्ताओं को ''बेकार'' ही क्यों न कहें। उदाहरण के तौर पर यौन विविधता या गर्भनिरोधकों और गर्भ समापन सेवाओं के उपयोग के खिलाफ तर्कों का मुकाबला यह बता कर किया जा सकता है कि यौन अधिकारों के विरोधी किन मानव अधिकार सिद्धांतों (जैसे कि गैर–भेदभाव, या बच्चे के बदलते अधिकार) की अनदेखी कर रहे हैं।

''शाब्दिक रूप''

यौन अधिकारों के विरोधियों का दावा है कि अधिकारों की वैधता का एकमात्र निर्धारक, स्पष्ट पाठ (शाब्दिक रूप) होता है। 2011 के सैन होज़े के विरोध–पसंद रुढ़िवादी लेखकों के एक उच्च स्तरीय समूह द्वारा लिखे गए लेख का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय कानून की विषय–वस्तु बनाम गर्भ समापन को आधिकारिक रूप से ''दोहराना'' हैं।[16] लेखकों का दावा है कि ''गर्भ समापन का अधिकार'' जैसा कुछ मौजूद नहीं है, क्योंकि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि में विशिष्ट शब्द ''गर्भ समापन का अधिकार'' नहीं मिलता है, और लेखकों का दावा है कि संधि निकायों को नए दायित्वों के निर्माण के लिए संधियों की व्याख्या करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। यह यौन अधिकारों की प्रगति को रोकने के उपाय का एक स्पष्ट उदाहरण है और जहाँ तक संधि कानून के वास्तविक व्यवहार का सवाल है, यह अपनी अशुद्धि के लिए उल्लेखनीय है। ''पाठ'' को एकमात्र निर्धारक माने जाने के इस दावे को, अंतर्राष्ट्रीय कानून की एक संधि आधारित पूरी शाखा के अस्तित्व जो व्याख्यान पर आधारित है– संधि कानूनों पर विएना कन्वेंशन ने गलत साबित कर दिया है।[17] इसके अलावा, मोटे तौर पर मानव अधिकार संधि के प्रावधानों को मूल अवधारणाएं प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। अधिकार का किस प्रकार उपयोग किया जाता है, यह हमेशा से कार्यान्वयन और उभरते ब्यौरों पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर कोई भी यह सवाल नहीं करेगा कि इंटरनेट डेटा और साइबर निगरानी के उपयोग पर भी निजता का अधिकार लागू होता है। आई.सी.सी.पी.आर. के 1966 के मसौदे में इंटरनेट के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं है, फिर भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना पर विशेष दूत ने हाल ही में सूचना और इंटरनेट पर निजता के आपसी संबंध के बारे में एक रिपोर्ट जारी की है। जहाँ उनके प्रस्तावित मानदंडों की विषय–वस्तु में से कुछ विवादित थे, लेकिन किसी भी राज्य ने इस विचार से इनकार नहीं किया कि निजता और सूचना अधिकार डिजिटल दुनिया के लिए प्रासंगिक हैं।[18]

मानव अधिकारों को लागू किए जाने के विकास में इस स्पष्ट सामान्य व्यवहार के बावजूद, सैन होज़े के आलेख संधियों के पाठ के बारे में मज़बूत दावों को अपने तर्क का

आधार मानते हैं और विशेष रूप से संधि निकायों बनाम राज्यों की शक्ति के बारे में दावों पर भरोसा करते हैं। दुर्भाग्यवश वे अपने ''प्राधिकार'' के कारण पिछले पच्चीस साल के न्यायशास्त्र, विद्वानों के लेखन और राज्य की प्रक्रिया, जिसने प्रासंगिक संधियों में लेख के अर्थ को समझने के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि निकायों के अधिकार को स्वीकार किया है और इसके साथ–साथ यूरोपीय या अंतर अमरीकी मानवाधिकार न्यायालयों जैसे संधि निकायों की शक्ति जो बदलते समय की माँग को देखते हुए अधिकारों संबंधी कानून के विकास के बारे में मार्गदर्शन देते हैं को भूल गए हैं या उन्हें अनदेखा कर देते हैं।[19] सैन होज़े के आलेख का उदाहरण स्पष्ट हैः क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घोषणाओं और आई.सी.पी.डी. + 20 प्रक्रियाओं में अपनाए गए दस्तावेज़ों, खासकर मोंटेवीडियो कथन के द्वारा इसकी स्थिति के स्पष्ट निराकरण से इसका दायरा बहुत कम हो गया है।[20]

इसलिए, जहाँ यह सच है कि ''यौन अधिकार'' या गर्भ समापन के उपयोग की विशिष्ट गारंटी, या यौन रुझान के आधार पर भेदभाव न किया जाना, संयुक्त राष्ट्र की किसी भी संधि में कहीं भी लिखित रूप में नहीं है, अतः स्पष्ट तौर पर लिखित भाषा के अभाव में मामला खत्म नहीं होताः जैसा कि हम यहाँ और अन्य जगहों (गाइड) में देखते हैं कि गर्भ समापन के अधिकार सहित यौन अधिकारों को मानव अधिकारों के निर्धारित नियमों के अनुसार स्थापित किया जा रहा है।

आम तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार के विकास के नियम सभी अंतरराष्ट्रीय कानून के नियमों द्वारा संचालित होते हैं। उल्लेखनीय है कि हालांकि, अंतरराष्ट्रीय कानून में इस विचार के लिए विशेषज्ञ समर्थन बढ़ा है। कि चूंकि मानव अधिकार कानून राज्यों के नियंत्रण वाले लोगों के अधिकारों और जीवन को प्रभावित करता है, वहाँ इस बारे में प्रमुख मतभेद हैं कि मानव अधिकारों के विशय वस्तु की उत्पत्ति सामान्य अंतरराष्ट्रीय कानून से भिन्न कैसे हो सकती हैः यह अंतर, मानव अधिकारों को और अधिक संरक्षण दिए जाने के पक्ष में है।

इसके अलावा, जो लोग यह दावा करते हैं कि राज्य, संधि विकास का अंतिम मध्यस्थ बना रहता है, वहाँ इन अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का अनुपालन करने के राज्य व्यवहार में पर्याप्त अनुपालन यह स्पष्ट करता है कि इन संधि समितियों द्वारा इन ''अतिरिक्त शाब्दिक'' व्याख्याओं को कानूनी बल प्रदान किया जा रहा है। जो लोग राज्यों के साथ मिलकर काम करते हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कई राज्य, राष्ट्रीय कानूनों को बदलने के लिए केवल संधि संबंधी दायित्वों का ही हवाला नहीं दे रहे हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ समझौतों और राजनीतिक रूप सहमत मानकों का भी हवाला दे रहे हैं, जिसका अर्थ यह है कि उन्हें (राज्यों को) लगता है कि इन मानकों में ऐसा करने के लिए पर्याप्त अधिकार हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधि और विशेषज्ञ बयानों का हवाला देते हुए ''तीसरे जेन्डर'' को मान्यता प्रदान करने संबंधी भारतीय संवैधानिक न्यायालय का हाल का एक निर्णय, इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण है।[21]

यौन रुझान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा के संबंध में, अब वास्तव में एक सहमत संधि मौजूद है – भेदभाव और असहनशीलता पर 2013 की अंतर अमरीकी संधि – जिसके पाठ में इन आधार पर पहले से ही संरक्षण प्रदान करने वाले विभिन्न राष्ट्रीय संविधानों और कानूनों के अलावा ''यौन रुझान'' और ''जेन्डर पहचान'' शब्द भी शामिल हैं।[22] यह स्पष्ट है कि यौनिकता के संबंध में कानूनी सिद्धांत का विकास निर्विवाद है और अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत के एक मामले के रूप में लिखित रूप में होने का तर्क पर्याप्त नहीं है।

अधिकार के दावों का प्रतिकार करना

यौन अधिकारों के विरोधियों का एक अन्य प्रयास, अधिकार के दावों, जैसे कि जीवन के अधिकार के संदर्भ में ''भ्रूण का व्यक्तिगत अस्तित्व'', या अभिव्यक्ति का अधिकार एवं विचारों की स्वतंत्रता के संदर्भ में धार्मिक अधिकारों के प्रतिकार के प्रयास में देखा जा सकता है। यह प्रयास विभिन्न रूप ले सकता है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय कानून और संवैधानिक न्यायालय के कुछ

ऐसे निर्णय हैं जो व्यक्तियों की धार्मिक अभिव्यक्ति और उन लोगों के धार्मिक विवेक को सही ठहराते हैं जो सार्वजनिक सेवाओं में समलैंगिक युगलों के प्रति समान व्यवहार को नकारते हैं और उन लड़कियों और महिलाओं के लिए सेवाएं प्रदान करने से इनकार करते हैं जो अपनी प्रजनन क्षमता को सीमित करना चाहती हैं।[23]

यह सच है कि कुछ अधिकार, जैसे कि यातना या गुलामी से मुक्ति परम अधिकार हैं, और यह कि अन्य अधिकारों, जैसे कि निजता, अभिव्यक्ति और संघ बनाने के अधिकारों को कुछ निश्चित परिस्थितियों में प्रतिबंधित किया जा सकता है। हालाँकि, जिन नियमों द्वारा अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, उन्हें कड़े मानकों द्वारा परिभाषित किया जाता है, जो सुनिश्चित करते हैं कि उपाय कानून के अनुरूप, आनुपातिक, प्रभावी और लोकतांत्रिक समाज के लिए अनिवार्य होने चाहिए, और वे भेदभाव रहित होने चाहिए।[24*] कुछ अधिकार, जैसे कि विचारों या मान्यताओं को धारण करने के अधिकार निरंकुश हैं, जबकि किसी व्यक्ति या सरकार द्वारा इन विचारों के आधार पर की जाने वाली कार्यवाही बहुत सीमित है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की अनैतिकता के बारे में कोई विचार रख सकता है, लेकिन इन विचारों के कारण, उसके आवासीय या शैक्षिक अवसरों को नकार नहीं सकता।[25] एक उदाहरण के रूप में, वैचारिक मान्यताओं के संरक्षण के पक्ष में तर्क (''विवेक अनुच्छेद'') – यह है कि यह कुछ धार्मिक ''अभिव्यक्ति'' को सीमित करने में भेदभावपूर्ण है – जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून की एक पूर्ण परीक्षा में विफल रहता है, क्योंकि अधिकारों को केवल उसी सीमा तक अभिव्यक्त किया जा सकता है, जब तक कि वे किसी दूसरे के अधिकारों को हानि नहीं पहुँचाते। इस प्रकार, धर्म की अभिव्यक्ति को सीमित किया जा सकता है, लेकिन वहीं तक जो दूसरों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए आवश्यक हो।[26]

किसी धार्मिक व्यक्ति के विवेक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को तभी सीमित किया जा सकता है जब वह दूसरे व्यक्ति के अधिकारों (जैसे कि उसकी प्रजनन क्षमता को नियंत्रित करने या शादी करने के अधिकार का प्रयोग करने) के उपयोग में हस्तक्षेप करे। गर्भ समापन सेवाओं के प्रावधान या समलैंगिक शादी को रोकने के लिए चिकित्सा या प्रशासनिक कर्मियों द्वारा ''विवेक अनुच्छेद'' पर आधारित तर्कों का इस्तेमाल किया गया है गर्भ समापन के मामले में, मानव अधिकार कानून के नियमों के तहत किसी भी व्यक्तिगत सेवा प्रदाता को उनके धार्मिक विश्वासों के विपरीत गैर–आपातकालीन सेवा प्रदान करने के लिए मज़बूर नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, किसी आपातकालीन चिकित्सा के मामले में जहाँ रेफरल उपलब्ध या उपयुक्त नहीं है, वहाँ महिला के कानूनी गर्भ समापन के अधिकार परविवेक अनुच्छेद का तर्क लागू नहीं होगा। इसी प्रकार, यदि शादी करने का (या शादी नहीं करने का) अधिकार एक मौलिक अधिकार माना जाता है, या तो धार्मिक विश्वास का हवाला देते हुए राज्य के कर्मचारियों द्वारा समलैंगिक युगलों या अविवाहित व्यक्तियों के साथ अलग–अलग बर्ताव को कानून के वास्तविक व्यवहार तक ही सीमित रखना पड़ता है। इस सिद्धांत का प्रयोग, हाल ही में ई.सी.एच.आर. के एक केस में पाया गया है, जहाँ एक ओर तो व्यक्ति के विश्वास को समलैंगिक विवाह की निंदा करने के लिए उचित ठहराया गया, वहीं दूसरी ओर इस विश्वास के आधार पर शादी का लाइसेंस जारी करने के लिए उस व्यक्ति द्वारा इनकार करने पर रोक लगा दी गई।[27]

[1*]हम यहां देखते हैं कि 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों की बातचीत, संबंधों या सूचना मागने के अधिकारों को वयस्कों से अलग प्रतिबंधित किया जा सकता है, लेकिन बाल अधिकारों पर समिति ने यह स्पष्ट किया है कि यदि परिवार गैर–भेदभाव के मुख्य सिद्धांतों के खिलाफ़ जाते हैं और जेन्डर संबंधी रुढ़ियों का विरोध करने और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की ज़रूरत सहित, बच्चे की उभरती क्षमता का सम्मान करने में विफल होते हैं, तो उनके विरोध के बावजूद इन प्रतिबंधों की जांच की जा सकती हे और इन्हें हटाया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए इस खंड (23/46,bl अंक के पृ. 16-30) में हमारी ''गाइड'' देखें।

हाल ही में, बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने का दावा कर रही राष्ट्रीय सरकारों की आड़ में देशों के भीतर ''अधिकारों के प्रतिकार के दावे'' का एक अन्य वर्ग उभर कर सामने आया है। ये कानून उम्र के अंतर को पहचानने में विफल रहे हैं और वे इस धारणा पर आधारित हैं कि 18 वर्ष से कम उम्र के सभी लोग इस तरह के ''बच्चे'' हैं, जिन्हें यौन विचारों से अनजान रखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यह विचार कि 18 वर्ष से कम उम्र लोगों को ''समलैंगिकता'' या परिवार के विविध रूपों के बारे में सुनकर नुकसान पहुँचेगा, उनमें से एक उत्तेजक कारण है जो उन राष्ट्रीय कानूनों को प्रोत्साहित करता है, जिनमें ''बच्चों के'' अधिकारों के नाम पर समलैंगिक (गे) अधिकारों के बारे में बोलने पर रोक लगा दी गई है।[28] हालाँकि यह सिद्धांत कम से कम दो आधारों पर विफल रहता है। पहला, जैसा कि बाल अधिकारों पर समिति (सी.आर.सी.) ने गैर–भेदभाव के अपने व्याख्यात्मक सिद्धांतों और बच्चे के सर्वोत्तम हित में ध्यानपूर्वक कहा है कि बच्चों को भी यौनिकता, यौन स्वास्थ्य और अपनी उभरती क्षमता के अनुसार अलग पहचान और प्रथाओं के बारे में जानकारी मांगने, और उसका आदान–प्रदान करने का अधिकार है।[29–31] दूसरा, वचन, जैसे कि यौन पहचान और जेन्डर अभिव्यक्ति विविधता के बारे में चर्चा को केवल तभी सीमित किया जा सकता है, यदि राष्ट्रीय सुरक्षा या जनस्वास्थ्य को खतरे सहित दूसरों को वास्तविक हानि का सबूत हो।[10,12]

''सार्वभौमिकता'' के तर्क

राज्य और अराजक तत्व भी यौन अधिकारों के उभरते दावों पर रोक लगाने के लिए 'सार्वभौमिकता' का उपयोग कर रहे हैं। इसका एक उदाहरण 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में सीरिया द्वारा दिया गया एक बयान है। सत्तावन राज्यों की ओर से यौन रुझान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा पर अन्य सरकारों के तर्कों का खंडन करने की माँग करते हुए सीरिया ने ''विशेष लोगों के समूह'' के लिए ''नए अधिकारों' के विरुद्ध एक बयान का नेतृत्व किया, कि जिन अधिकारों पर उन्होंने हक़ जमाया है वे किसी भी सर्वमान्य दस्तावेज़ का हिस्सा नहीं हैं।[32] अभी हाल ही में 2014 में मानवाधिकार परिषद में कई सदस्य देशों (ईजिप्ट और रूस के नेतृत्व में) ने ''परिवार और उसके सदस्यों की सुरक्षा'' एजेंडा मद पर बहस और संस्थानीकरण की माँग की। उन्होंने मानवाधिकार संधियों में मान्यता प्राप्त एक समान संरचना के रूप में ''परिवार'' पर ध्यान केन्द्रित करने और ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों के दावों को खारिज करने की माँग की, जिनके अधिकारों को परिवार की विभिन्न संरचनाओं के कारण नुकसान पहुँच रहा है। विवाहित महिलाओं के अधिकार, इस तरह के नुकसान का उदाहरण हैं जहाँ वैवाहिक बलात्कार या हिंसा में हस्तक्षेप नहीं किया जाना, कानून में संहिताबद्ध है, अथवा समलैंगिक व्यक्तियों के युगलों के अधिकार, जहाँ समलैंगिक विवाह की अनुमति नहीं है।[33]

आम सभा और परिषद, दोनों ही चर्चाओं में अलग–अलग स्थित व्यक्तियों, या व्यक्तियों जिनके अधिकार संबंधी दावे (विवाहित महिलाएं और घरेलू हिंसा) या जिनकी चिंताओं को मूल पाठों में नहीं लिखा गया है, के अधिकारों को खारिज करने के लिए ''सार्वभौमिकता'' के बारे में कहा गया। सीरिया के नेतृत्व वाले बयान के मामले में, ''विशेष लोगों के समूह'' के संदर्भ में उभरते अधिकारों को विशेष अधिकार के रूप में दिखाने की कोशिश की गई; क्योंकि सार्वभौम घोषणा का मसौदा तैयार करते समय, एल.जी.बी.टी. आई. लोगों या यौन रुझान से संबंधित अधिकारों कीकल्पना नहीं की गई थी, मानव अधिकारों द्वारा संरक्षित यौन भेद के किसी भी दावे को सार्वभौमिक अधिकारों से ''गढ़ा गया'' है (अर्थात् वे विशेष अधिकार हैं)। परिवार पर परिषद चर्चा के मामले में, यौन अधिकारों के विरोधी ''परिवार'' की अवधारणा का उपयोग करना चाहते हैं – जो इस सार्वभौमिक अधिकार दस्तावेज़ में दिखता है और परिवार को एक वास्तविक अधिकार धारक के रूप में पुनःस्थापित करता है। लेकिन मानव अधिकार ''परिवार'' द्वारा धारित नहीं

होते हैं। दोनों ही उदाहरणों में, राज्य ''सार्वभौमिक अधिकारों'' की अपनी व्याख्या के प्राधिकार के लिए ऐतिहासिक समझ और बनाए हुए अधिकार धारकों पर निर्भर हैं, और अधिकारों के दावों को खारिज करने के लिए इन अधिकारों की उभरती व्याख्याओं का खंडन कर रहे हैं।

अधिकारों की उत्पत्ति को खारिज करने के प्रयास भी एक अन्य त्रुटिपूर्ण तर्क पर आधारित होते हैं। अपने सबसे बुनियादी स्वरूप में, ''अधिकारों की सार्वभौमिकता'' का तात्पर्य यह है कि मानव अधिकार, वे अधिकार हैं जो हर किसी को उपलब्ध होने चाहिए चाहे वह दुनिया के किसी भी हिस्से में रहता हो: अलग–अलग स्थानों पर स्थित व्यक्तियों पर मौलिक अधिकार किस प्रकार लागू किए जाएं, इसका निर्धारण करने के लिए, जैसा कि अन–नईम ने बीस साल पहले टिप्पणी की थी, एक न्यूनतम आम निर्धारक या प्रक्रिया के करार से अधिक की ज़रूरत होती है, और न ही कुछ सरकारों द्वारा अधिकारों की विषय–वस्तु की पुष्टि से इनकार, अधिकारों की नई विषय–वस्तु को रोक सकता है।[34] अधिकारों के उद्भव के विभिन्न क्षणों में, राज्य इन अधिकारों के संबंध में अलग–अलग विचार रखते हैं। यह वही क्षेत्र है, जिसमें हम विभिन्न भौगोलिक–राजनीतिक स्थितियों में किंतु वर्तमान में यौन अधिकार से जुड़े कानूनी विकास के नियमों के अनुसार संघर्ष करने के लिए सहमत हैं, जिसमें यौन अधिकार वर्तमान में स्थित हैं। मानवाधिकार को इतना नम्य बनाया गया है कि वह स्थानीय और क्षेत्रीय विविधता के अनुरूप ढल सकता है, वहीं यह राज्यों को लगातार प्रेरित कर रहा है कि यह बताएं कि उनकी प्रणाली सभी व्यक्तियों की गरिमा, समानता और स्वतंत्रता के अधिकारों के लिए किस तरह उपयुक्त है। यह स्वीकार करना और इस विचार के साथ कार्य करना महत्वपूर्ण है कि प्रणाली को अधिकारों के असमान विकास के लिए तैयार किया गया है।[19] अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून इस विचार पर आधारित है कि राज्यों के बीच असहमति होने पर, एक नई और अधिक मानवीय आम सहमति से अधिकारों के संरक्षण को आगे ले जाया जा सके। इस प्रकार, प्रणाली अधिकारों के विकास को राज्य की राजनिति की अस्थायी प्रकृति से संबद्ध देखती है।

अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार, प्रतिवाद के एक खुले मैदान के रूप में

इस प्रकार, परमेश्वर की पवित्रता का दावा करने वाले राज्य और अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े अराजक तत्व, अपने ''धर्म'' और ''नैतिकता'' संबंधी मूल तर्क में यह बात जोड़ रहे हैं कि उनके दावों का समर्थन करने के लिए अधिकार आधारित तर्क मौजूद हैं। उपर्युक्त मुद्दों के अलावा, हमारे समक्ष अन्य चुनौतियां हैं, जैसे कि जीवन के अधिकार में ''भ्रूण जीवन'' को शामिल करने के लिए अनुच्छेद (6) की व्याख्या करने के लिए मानवाधिकार समिति के समक्ष हाल ही में प्रस्तुत की गई अपील।[35] यौन अधिकारों के विरोधी, संधि निकायों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर अपने गठजोड़ में और अधिक आम तौर पर संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक मंचों में विरोध करने के लिए नैतिकता आधारित तर्कों से हटकर कानून के क्षेत्र को चुन रहे हैं। गर्भ समापन या परिवार नियोजन पर सूचना के अधिकार के उपयोग को अपराधमुक्त करने के लिए अधिकारों के दावों के उपयोग के इच्छुक हममें से कुछ लोगों की तुलना में ''भ्रूण जीवन'' के अधिकार के समर्थकों के अधिकारों के दावों के प्रयास अब स्वतः बंद नहीं हैं। क्यों ''भ्रूण जीवन'' या धार्मिक अपवाद का उनका दावा, गर्भ समापन सेवाओं के उपयोग या यौन विविधता के अधिकार को खारिज नहीं कर सकता है, इसका जवाब, अधिकारों के भीतर ही निहित है।

इस व्याख्या का उद्देश्य, यौन अधिकारों के विरोधियों द्वारा अपने तर्क के समर्थन के लिए मानव अधिकारों की शक्ति के उपयोग की दिशा में मुड़ने की ओर ध्यान आकर्षित करना है। हमें इस बदलाव पर ध्यान देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यौन अधिकारों के विरोधी कुछ खास कानूनी सिद्धांतों को न चुनें और दूसरों की अनदेखा न करें। मानव अधिकारों

के बुनियादी सिद्धांत, अधिकार के दावों पर तत्काल रोक नहीं लगाते, बल्कि वे अंततः एक साथ काम करते हैं ताकि प्रतिगामी दावों को खारिज किया जा सके। यह अधिकार के दोनों पक्षों का वह प्रतिवाद है जिसे हम यौन अधिकार के पैरोकारों से मानव अधिकारों को आगे ले जाने के प्रयास की प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में देखने के लिए कहते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर मानव अधिकार प्रणालियों का मानना है कि अधिकारों का उद्भव, राज्यों की प्रकृति और उनकी राजनीति से जुड़ा हुआ है। ये प्रणालियां, परम एवं अनंत सत्य के वाहकों के रूप में राज्यों के दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करती, बल्कि अधिकारों पर अंतर्राज्यीय और अंतर–राज्यीय संघर्ष को इस टूल्स के सेट सहित समानता, स्वतंत्रता, विविधता और न्याय के लिए कार्य करने के वैध अवसरों के रूप में देखती हैं। यौनिकता, मानवता के प्रत्येक क्षेत्र में, जिनके लिए हम अधिकार चाहते हैं, राजनीति के माध्यम से बनती है, लेकिन वहीं यह राजनीति के अधीन नहीं होना चाहती है। यौनिकता, यौन स्वास्थ्य और यौन विविधता के लिए कार्य करना, अधिकारों में सबसे खराब – या सबसे अच्छी तरह की राजनीति को उजागर करने में समर्थ है।

आभार

लेखकगण, अनुसंधान और संपादकीय सहायता के लिए रेचल लिप्स्टीन का आभार ज्ञापित करना चाहते हैं।

संदर्भ

1. Miller AM. Sexual but not reproductive: exploring the junction and disjunction of sexual and reproductive rights. Health and Human Rights, 2000;4(2):68–109.
2. WHO. Sexual health, human rights and the law. Geneva: World Health Organization, 2015.
3. Cook RJ. Bringing rights to bear on reproductive and sexual rights: an analysis of the work of UN treaty monitoring bodies. New York: Center for Reproductive Law and Policy, 2003.
4. For the text of the Holy See"s written reservation, see Women UN. Report of the Fourth World Conference on Women. Beijing: UN Commission on the Status of Women, 1995159–160. (UN Doc A/CONF.177/20/Rev.1).
5. Coates Amy L, et al. The Holy See on sexual and reproductive health rights: conservative in position, dynamic in response. Reproductive Health Matters, 2014; 22(44):114–124.
6. See: What is a fair trial? A basic guide to legal standards and practice. New York: Lawyers Committee for Human Rights, 2000. (https://www.humanrightsfirst.org/wpr21 content/uploads/pdf/fair_trial.pdf).
7. Yogyakarta Principles. http://www.yogyakartaprinciples. org/. 2006.
8. OHCHR. Born free and equal: sexual orientation and gender identity in international human rights law. Office of the High Commissioner for Human Rights: New York and Geneva, 2012.
9. WHO. Defining sexual health: report of a technical consultation on sexual health, 28–31 January 2002. Geneva: World Health Organization, 2006.
10. Kismödi E, Cottingham J, Gruskin S, et al. Advancing sexual health through human rights: the role of the law.Global Public Health, 2015;10(2):252–267.
11. IPPF. Sexual rights: an IPPF declaration. London: International Planned Parenthood Federation, 2006.
12. WAS. Declaration of sexual rights. World Association for Sexual Health, 2014. (http://www.worldsexology.org/resources/declaration-of-sexual-rights/).
13. Petchesky RP. The Body as Property: a Feminist Re-Vision. In: Ginsburg, Rapp, editors. Conceiving the New World Order: The Global Politics of Reproduction. Berkeley: Berkeley University Press, 1995.

14. Gass Henry. America"s small change on 'sexual rights" could have a big impact. http://www.csmonitor.com/USA/USA-Update/2015/0918/America-s-small-change-on sexual-rights-could-have-big-impact. Sep. 18, 2015.

15. Erdman R. Remarks at the UN Women Executive Board, by Richard Erdman, Senior Advisor and Acting ECOSOC Ambassador. New York: United States Mission to the United Nations, Sept. 15, 2015. (http://usun.state.gov/remarks/6831).

16. The San Jose Articles can be read here: http://www.sanjosearticles.com/?page_id=2. See also for a timelycritique: http://www.alternet.org/story/152868/what_are_the_%22san_jose_articles%22_don%27t_be_fooled_by_the_conservative_global_elites%27_latest_ploy_to_attack_science,_women,_and_the_united_nations.

17. Vienna Convention on the law of treaties. , vol. 1155 Vienna: United Nations Treaty Series, May 23, 19691–18232.

18. U.N. General Assembly. Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression. New York: United Nations, 2011. UN Doc. A/66/290.

19. Miller A, Roseman MJ. Normalizing sex and its discontents: Establishing sexual rights in international law. Harvard Journal of Gender and the Law, 2011;34(2):314–375.

20. United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean [UNECLAC]. Montevideo consensus on population and development. Montevideo: United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Aug. 15, 2013.

21. Supreme Court of India. National Legal Services Authority v. Union of India, WP (Civil) No 604 of 2013.http:// supremecourtofindia.nic.in/outtoday/wc40012.pdf. April 15, 2014.

22. Organization of American States. Inter-American Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination and Intolerance (A-69). http://www.oas. org/en/sla/dil/docs/inter_american_treaties_A-69_ discrimination_intolerance.pdf. 2013.

23. Siegel R, Nejaime D. Conscience and the culture wars. The American Prospect. http://www.prospect.org/article/conscience-and-culture-wars. Summer, 2015.

24. UN Commission on Human Rights. The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights. UNESCO. http://www.refworld.org/docid/4672bc122.html. 1984 Sept 28(UN Doc. E/CN.4/1985/4).

25. See: Using religion to discriminate. American Civil Liberties Union. https://www.aclu.org/feature/using-religion-discriminate.

26. Brandt-Young C, Lee J. Religion isn't a free pass to discriminate against employees. American Civil Liberties Union. https://www.aclu.org/blog/speakeasy/religion-isnt- free-pass-discriminate-against-employees?redirect=blog/ womens-rights-religion-belief/religion-isnt-free-pass-discriminate-against-employees. Sept. 17, 2012.Conscientious objection and reproductive rights: international human rights standards. AlsoNew York: Center for Reproductive Rights, 2013 July. http://reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/_Conscientious_FS_Intro_English_FINAL.pdf

27. European Court of Human Rights. Eweida and Others v.The United Kingdom, no. 51671/10, ECHR 2013. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-115881.

28. Russian Federation Collection of Legislation. On Amendments to Article 5 of the Federal Law "On Protection of Children from Information Harmful to

Their Health and Development“ and to Certain Legislative Acts of the Russian Federation with the Aim of Protecting Children from Information that Promotes the Denial of Traditional Family Values. No. 26, Item 32082013. (http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=44554-6&02 [http://perma.cc/Y2WQ EFXH]). For an unofficial translation of the law, see Russia”s “Gay Propoganda“ Law. Russian federal law #135-FZ [Erin Decker trans.]. School of Russian &Asian Studies, Aug. 13, 2013. (Available from: http://www.sras.org/russia_gay_propaganda_law).

29. CRC. General Comment No. 3: HIV and the rights of the child. New York: United Nations Committee on the Rights of the Child, 2003. (UN Doc CRC/GC/2003/3).
30. CRC. General Comment No. 4: Adolescent health and development in the context of the Convention on the Rights of the Child. New York: United Nations Committee on the Rights of the Child, 2003. (UN Doc CRC/GC/2003/4).
31. Thoreson R. Comment: From child protection to children”s rights: Rethinking homosexual propaganda bans in human rights. Law Yale Law Journal, 2015;124(4):882–1345.
32. Response to SOGI Human Rights Statement. Read by Syria to the UN General Assembly. http://www.corteidh.or.cr/tablas/Amicus/AMICUS%20CURIAE%20TRANSMITIDOS%20EL%2012%20DE%20SEPTIEMBRE%20foliados/19% 20-%20ANEXO%2020%202758-2759.pdf. Dec.18, 2008.
33. FIDH. Defending the Universality of Human Rights. Available at. https://www.fidh.org/en/international-advocacy/united-nations/un-defending-the universality-of-human-rights-priority-hrc29. June 2014.
34. An-Na'im AA. Human rights in cross-cultural perspectives: a quest for consensus. Philadelphia: University of Pennslyvania Press, 1995.
35. See a statement on the appeal from a coalition of NGOs: http://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/Joint%20Statement%20-%20HRC%20Day%20of%20Discussion%20on%20the%20Right%20to%20Life%20-20Final.pdf

© Reproductive Health Matters.
All Rights reserved.
ISSN 0968-8080
Reproductive Health Matters 2015;23(46):96–106
Doi: 10.1016/j.rhm.2015.11.01596

एक बहु–सांस्कृतिक मानवाधिकार ढाँचे के माध्यम से यौनिकता शिक्षा के प्रति नकारात्मक प्रतिक्रियाओं का सामना करना

वेरा पाइवा,[ए] वेलेरिया एन. सिल्वा[बी]

ए प्रोफ़ेसर, सोशल साइकॉलॉजी, साओ पाओलो विश्वविद्यालय, साओ पाउलो, एसपी ब्राज़ील। पत्राचारः veroca@usp.br

बी मास्टर इन प्रिवेंटिव मेडिसिन, इंस्टीट्यूट ऑफ साइकॉलॉजी/साओ पाओलो विश्वविद्यालय, साओ पाउलो, एसपी ब्राज़ील।

सारांश

यौनिकता शिक्षा, इसके प्रोटोकॉल और योजना निर्माण, उस सतत परिवर्तनशील राजनीतिक परिवेश का हिस्सा हैं, जो अधिकांश देशों में यौनिकता की विशेषता को व्यक्त करते हैं। ब्राज़ील में मानव अधिकारों के सिद्धांतों ने एड्स महामारी के प्रति देश की प्रतिक्रिया को एक स्वरूप प्रदान किया है, और परोक्ष रूप से स्कूलों में यौनिकता शिक्षा की सार्वजनिक स्वीकार्यता को प्रेरित किया। हालाँकि, 2011 के बाद से, जब इस क्षेत्र में कई कट्टरपंथी आंदोलन उभरे, इसके फलस्वरूप यौनिकता से संबंधित सभी मामलों में लगातार हो रहे विरोधों के कारण स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों ही नीतियों ने अपने कदम पीछे खींचने शुरू कर दिए हैं। इस लेख में एक बहु–सांस्कृतिक अधिकार आधारित ढाँचे और यौनिकता शिक्षा के लिए निरंतर सहमति के बारे में वार्ता का दायरा बढ़ाने वाले उपयोगी सिद्धांतों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए, स्वास्थ्य के लिए मानव अधिकार आधारित सिद्धांतों की पड़ताल की गई है। बहु–सांस्कृतिक मानव अधिकार (एम.एच.आर.) सिद्धांतों के दो आयामों के बारे में चर्चा की जा सकती है : संचार प्रक्रिया, जो सहमति की गारंटी देती है तथा सामुदायिक करार और रचनावादी मनोसामाजिक–शिक्षा की विधियां। सहमति की अपनी सतत प्रक्रिया में, एम.एच.आर. सिद्धांत ने अलग–अलग जीवन मूल्यों को स्वीकृति प्रदान की है और सहभागी स्कूलों/शहरों में यौनिकता शिक्षा के विरोध को समाप्त किया है, जिससे समानता और व्यापक यौनिकता शिक्षा के अधिकार के संरक्षण के विचार को सफलतापूर्वक कायम रखा है, जो समूह की एकजुटता को नहीं तोड़ता और मतभेदों की स्वीकार्यता की गारंटी देता है। © 2015 रिप्रोडक्टिव हेल्थ मैटर्स। एल्ज़ेवियर बी.वी. द्वारा प्रकाशित। सर्वाधिकार सुरक्षित।

मुख्य शब्दः मानव अधिकार, यौनिकता शिक्षा, एच.आई.वी./एड्स, किशोर, रोकथाम

प्रस्तावना

यौन शिक्षा, इसके प्रोटोकॉल और योजना निर्माण, उस सतत परिवर्तनशील राजनीतिक परिवेश का हिस्सा हैं, जो अधिकांश देशों में यौनिकता की विशेषता को व्यक्त करते हैं। लैटिन अमरीका में, 1980–1990 के दशक में सत्तावादी शासनों से लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर बदलाव के परिणामस्वरूप मानव अधिकार आधारित अभिनव सार्वजनिक नीतियां बनीं, जिनसे इस धारणा को बढ़ावा मिला है कि स्वास्थ्य का प्रोत्साहन और संरक्षण, अधिकारों के प्रोत्साहन और संरक्षण से अभिन्न रूप से जुड़े होते हैं। ब्राज़ील में, इस नज़रिए ने एच. आई.वी./एड्स के लिए देश की प्रतिक्रिया को एक स्वरूप प्रदान किया है और परोक्ष रूप से स्कूलों में यौनिकता शिक्षा की सार्वजनिक स्वीकार्यता को प्रेरित किया है। हालाँकि, 2011 के बाद से, जब इस क्षेत्र में कई कट्टरपंथी आंदोलन उभरे, इसके फलस्वरूप यौनिकता से संबंधित सभी मामलों में लगातार हो रहे विरोधों के कारण स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों ही नीतियों ने अपने कदम पीछे खींचने शुरू कर दिए हैं। ''नागरिकता'' की अवधारणाएं (''यौनिक नागरिकता' सहित) जो पिछले दशकों की स्वास्थ्य नीतियों पर केन्द्रित थीं, अब उन चुनौतियों के अधीन हैं, जो मौजूदा राजनीतिक माहौल को व्यक्त करती हैं। अप्रत्याशित रूप से, ब्राज़ील अब विरोध का एक प्रतीकात्मक मामला प्रतीत होता है।[1,2]

1996 में, जब देश में एच.आई.वी. महामारी पर प्रगतिशील जनस्वास्थ्य कार्य शुरू किया गया, तब ब्राज़ील के शिक्षा मंत्रालय ने, स्कूलों में स्वास्थ्य और रोकथाम परियोजना के तत्वावधान में {एस.पी.ई. (Saúde e Prevenção nas Escolas) संघ के 27 राज्यों (और लगभग 600 शहरों) के स्कूलों के पाठ्यक्रम में यौन शिक्षा को एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के रूप में लागू किया।[3] लगभग दो दशकों तक, एस.पी.ई. ने निवारक जानकारी का प्रचार–प्रसार किया, कॉन्डम और गर्भनिरोधकों के उपयोग को बढ़ावा दिया, और यौनिकता संबंधी कलंक और भेदभाव के उन्मूलन के लिए कार्य किया। इसके अंतर–क्षेत्रीय प्रयास ने वैज्ञानिक सूचना के अधिकार, जेन्डर संबंधों और यौन विविधता के बारे में चर्चा करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया, और गैर–भेदभाव और नागरिकता शिक्षा का समर्थन किया।[4] एस.पी.ई. के दृष्टिकोण में सरकारी स्कूलों में केवल संयम कार्यक्रमों को अनुमति न देकर और प्राइवेट स्कूलों में कॉन्डम के उपयोग पर केन्द्रित करने वाले प्रयास आरंभ करने, और यदि स्वीकार्य है तो परिसर में कॉन्डम उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित कर ''शांति की संस्कृति'' (गैर–भेदभाव और अहिंसा) को बढ़ावा देने के साथ–साथ हानि को कम किया जाना शामिल था।

हालाँकि, रूढ़िवादी और मुख्य रूप से ईवानजेलिकल क्षेत्र के विस्तार के कारण धार्मिक परिदृश्य बदल गया है। 1980 की जनगणना के अनुसार, 90% ब्राज़ील निवासी कैथोलिक थे और इस दशक की लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया के दौरान 1988 में संविधान रचना के समय, कैथोलिक मुक्ति के धार्मिक आंदोलन ने मानव अधिकार आधारित नीतियों के गठजोड़ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्हें ज़मीनी स्तर के संगठनों और प्रमुख धर्मगुरुओं (बिशप) का समर्थन प्राप्त था। हालाँकि 1989 में, वेटिकन ने ''देशी'' बिशपों के स्थान पर ''धार्मिक'' बिशप और संगठनों तथा वेटिकन समर्थक समूहों को नियुक्त करना शुरू कर दिया था – यह एच.आई.वी./एड्स के जवाब में धर्मशास्त्र मुक्ति आंदोलन को उखाड़ फेंकने और यौन नीतियों को प्रभावित करने के लिए वेटिकन द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम था।[5] 1990 के दशक में नए ईवानजेलिक आंदोलनों का उदय देखा गया, जिनका टी.वी. और रेडियो के बड़े नेटवर्क द्वारा प्रचार–प्रसार किया गया और इसे कर में छूट संबंधी नीतियों का लाभ प्रदान किया गया। 2010 की जनगणना से पता चलता है कि ईवानजेलिक अनुयाइयों की जनसंख्या 2000 के 15% से बढ़कर 2010 में 22% हो गई (कैथोलिक 65% और गैर–धार्मिक 8: थे)।[6] ईवानजेलिक आंदोलनों में

धर्मांतरण के तरीकों को अपनाया जाता है जहाँ दूसरे पंथों को ''काफ़िर'' या ''शैतानी'' माना जाता है, और जैसा कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में देखा गया है, यह राजनीतिक सत्ता हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

जून 2015 में, रूढ़िवादी ईसाई–कैथोलिक राजनेताओं की एक राष्ट्रीय कार्यवाही ('बाइबल गठबंधन') ने कई नगर निगम की शैक्षिक योजनाओं से ''जेन्डर'', ''विविधता'' और ''यौनिकता'' संबंधी विषयों को सफलतापूर्वक हटा दिया। राष्ट्रीय स्तर पर, वही गठबंधन, समलैंगिकता को एक बीमारी के रूप में परिभाषित करने और एच.आई.वी. संचरण और असुरक्षित गर्भपात की जटिलताओं से पीड़ित महिलाओं की देखभाल करने वाले चिकित्साकर्मियों के अपराधीकरण का प्रस्ताव कर रहा है। इस बनावटी प्रतिक्रिया के ब्रीज़ीलियाई रूप, जिसे रिचर्ड सेनेट ''(शहर की बजाय) जनजातीय राजनीति)''[7] का नाम देते हैं, में राजनीतिक आंदोलन ने प्रमुख महानगरीय क्षेत्रों और राज्यों की राजधानियों को भी बुरी तरह प्रभावित किया है, जो आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी प्रभावित करेगा।

दुर्भाग्यवश, रुढ़िवादी ईसाइयों के दो दशकों से चल रही राजनीतिक लामबंदी के परिणाम और भी बदतर हो सकते हैः रोकथाम की शिक्षा और कॉन्डम का उपयोग घट रहा है और 1990 के दशक में जन्मे (15–24 वर्ष की आयु वाले) युवाओं में इसी आयु वर्ग के 1970 के दशक में जन्मे युवाओं की तुलना में एच.आई.वी. के मामले 3.2 गुना अधिक हैं; पुरुषों के साथ संबंध बनाने वाले युवाओं (एम.एस.एम.) में यह 6.4 गुना अधिक है।[8] अनेक देशों[9] की तरह, ब्राज़ील में भी अधिकांशतः युवतियों और युवा एम.एस.एम. में एच.आई.वी. के मामले बढ़ रहे हैं, और प्रतिवर्ष लगभग 12,000 गर्भवती महिलाएं एच.आई.वी.+ हैं,[10] जबकि वर्ष 2008 से माँ से बच्चे में संचार 3.5% पर स्थिर हो गया है। तथापि, एस. पी.ई.–हेल्थ और स्कूल में रोकथाम कार्यक्रम के कार्यान्वयन के हाल के एक विश्लेषण से पता चलता है कि आम तौर पर देश भर के अधिकांश पब्लिक स्कूलों में रोकथाम के बारे में नहीं बल्कि सेक्स के जोख़िम और ख़तरों के बारे में जानकारी देने के लिए ''विशेषज्ञों'' को आमंत्रित किया जाता है (इनमें अधिकांशतः चिकित्सा कर्मी होते हैं, जिन्हें यौन शिक्षा का कोई अनुभव नहीं होता है)।[11]

आम तौर पर, विभिन्न तथाकथित धर्मनिरपेक्ष संस्थाओं – स्कूलों और प्रजनन स्वास्थ्य केन्द्रों में यह देखा गया है कि स्पष्ट रूप से नाम लिए बिना यहाँ ईसाई जीवन–मूल्यों पर अधिक ज़ोर दिया जाता है।

स्वास्थ्य संबंधी मानव अधिकार आधारित सिद्धांत का मानना है कि मानव अधिकारों के उल्लंघन या उन्हें अनदेखा करने में वृद्धि से मनोसामाजिक कष्ट, रुग्णता और मृत्युदर बढ़ेगी।[12] वैश्विक परिदृश्य में साक्ष्यों से यौनिकता, प्रथाओं और आबादियों के अपराधीकरण करने वाले खराब कानूनों की महामारी का नकारात्मक असर का पता चल चुका है।[13] जैसा कि सेनेट कहते हैं, जनजातीयता विनाशकारी हो सकती है; अब चुनौती यह है कि विविधता को महत्व देने वाले और धार्मिक, आर्थिक, नस्लीय, जातीय भिन्नता वाले और भिन्न जेन्डर एवं लिंग की अवधारणा वाले लोगों में समन्वय स्थापित करते हुए ''दूसरों को उनकी शर्तों पर प्रतिक्रिया किस प्रकार व्यक्त की जाए''।[7]

इस लेख में बहु–सांस्कृतिक अधिकार आधारित ढाँचे और यौनिकता शिक्षा के लिए स्थायी सहमति संबंधी वार्ता को व्यापक बनाने वाले फलदायी प्रयासों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

व्यापक यौनिकता शिक्षा के उपयोग के विस्तार और उसे जारी रखने के लिए हमें कुछ सवालों के जवाब की ज़रूरत थीः स्कूलों में – छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और विभिन्न शैक्षिक अधिकारियों के साथ नारीत्व, मर्दानगी और दांपत्य की विभिन्न अवधारणाओं पर किस प्रकार चर्चा की जाए? विभिन्न धार्मिक और नैतिक संगठनों में किस प्रकार छात्रों के रोकथाम के अधिकार और यौन और प्रजनन अधिकारों को बढ़ावा दिया जाए?

इस लेख में एच.आई.वी. की रोकथाम और प्रजनन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली परियोजना की स्वीकार्यता बढ़ाने की सतत प्रक्रिया प्रस्तुत की जाएगी। निरंतर सहमति, सुदृढ़ और स्थायी यौनिकता शिक्षा कार्यक्रम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण सूचक हैः वह सहमति जो सामुदायिक भागीदारी से उभरती है और भागीदारी जो स्वीकार्यता को बढ़ावा देती है – स्वास्थ्य के प्रति ऐसे मानव अधिकार आधारित दृष्टिकोण के दो प्रमुख सिद्धांत, जो इस संरचना की जानकारी प्रदान करते हैं।[14,15]

ढाँचा

यह ढाँचा, यौनिकता के सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य, जो जेन्डर सिद्धांतों और 1990 के दशक में एच.आई.वी. की रोकथाम और यौनिकता शिक्षा के क्षेत्र में स्थानीय प्रयोगों से प्रेरित था।[16,17] एच.आई.वी. और एच.आई.वी. से जुड़े कलंक के प्रसार को कम करने, जेन्डर, यौन, जातीय और नस्लीय विविधता की समझ को बढ़ाने, और एक सक्षम स्कूली शिक्षण परिवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2000 के दशक के आरंभ में स्कूलों में विविधता के सम्मान को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं में वृद्धि देखी गई।[18] ये दोनों ही पाउलो फ्रेयरे के कार्य द्वारा प्रदर्शित, महत्वपूर्ण शिक्षण और लैटिन अमरीकी परंपरा से बहुत अधिक प्रेरित थे।[19]

हमारे कुछ महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देने के लिए स्वास्थ्य के मानव अधिकार आधारित दृष्टिकोण[20] में यौनिकता शिक्षा की आरंभिक परियोजनाओं के माध्यम से संशोधन किया गया। परिणाम केन्द्रित तरीकों (जैसे कि गर्भनिरोधकों और कॉन्डम का इस्तेमाल) के विपरीत, रचनवादी और मानव अधिकार आधारित, दोनों ही सिद्धांत प्रक्रियाओं पर ध्यान केन्द्रित करते हैं।[12,14,15]

बहु–सांस्कृतिक मानव अधिकार (एम.एच.आर.) दृष्टिकोण

सांतोस[21] की बहु–सांस्कृतिक मानव अधिकारों की अवधारणा, यौनिकता शिक्षा के एम.एच.आर. दृश्टिकोण का आधार हैः इसका उद्देश्य, मानव अधिकारों के सार्वभौम और विशेष आयामों से समझौता किए बिना, मतभेद को स्वीकार करने और अधिकारों को बढ़ावा देने में समानता की पुष्टि करने की दुविधा से निपटना है।

उद्धारक भाषा के रूप में मानव अधिकारों में संशोधन करने के लिए सेंटो बताते हैं कि विभिन्न सांस्कृतिक परंपराएंः जैसे कि हिंदू परंपरा में धर्म, या इस्लाम परंपरा में उम्मा और मानव गरिमा की विविध अवधारणाएं एकसाथ मौजूद रहती हैं। प्रत्येक सांस्कृतिक परंपरा संदर्भ से अलग अपने खुद के जीवन–मूल्यों को वैध (और बेहतर) समझती है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में, दूसरी सभी संस्कृतियां हमेशा अधूरी रहेंगी। इसके अलावा, सभी संस्कृतियां व्यक्तियों और सामाजिक समूहों को दो मूल प्रदानुक्रमों में बांटती हुई प्रतीत होती हैंः विभिन्न समरूप इकाइयों (नागरिकों या विदेशियों) के बीच समानता और विभिन्न सामाजिक पहचानों (लिंगों के बीच, जातियों के बीच, धर्मों के बीच) के बीच पदानुक्रम बनाने वाले भेद।

अतः हमारी अपनी संस्कृतियों और परंपराओं के अधूरेपन को पहचानना सांस्कृतिक विनम्रता का एक अनिवार्य आधार हैः हम व्यक्त वैश्वीकरण की प्रक्रिया में रहते हैं, विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं के साथ संव्यवहार करते हैं, इन सभी का लक्ष्य सार्वभौमिक वैधता होता हैः ''सार्वभौमिकता के स्वयंभू पद से बोलते हुए''।[22] समानता के साथ ही शांति और न्याय की महत्वकांक्षा का एहसास करने के लिए हम हमेशा मानव गरिमा की विभिन्न संकल्पनाओं के बीच संवाद–जो एक अंतर–सांस्कृतिक संवाद है– पर निर्भर रहेंगे।

सांतोस का ''डायाटॉपिकल हर्मेनेयुटिक्स'' कार्यवाहीके लिए तीन सिद्धांत प्रदान करता है। सर्वप्रथम, संवाद उचित होना चाहिए और और पारस्परिक रूप से सुगम (''विभिन्न पदों की व्याख्या करते हुए) और वार्ताओं एवं परंपराओं में मानव गरिमा की विभिन्न अवधारणाएं समाहित करते हुए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दूसरे, व्याख्याओं में सभी सांस्कृतिक परंपराओं के अधूरेपन को

व्यक्त होना चाहिए (और इसी तरह यौनिकता संबंधी सभी बातों में)। बातचीत की प्रक्रिया में अपरिहार्य तनाव उभरेगा, क्योंकि इतिहास वर्चस्व, शक्तियों और असमानताओं को जन्म देता है। अंत में, जब दो अंतर–सांस्कृतिक अनिवार्यताओं को स्वीकार किया जाए, तो समझौते के लिए खुलापन आ सकता है :

क. विभिन्न प्रारूपों में से वह प्रारूप, जो पारस्परिकता के विस्तृत दायरे का प्रतिनिधित्व करते हुए दूसरे को मान्यता प्रदान करने में किसी भी सीमा तक जा सकता है, उसे चुना जाना चाहिए;

ख. जब भी मतभेद से हीन भावना उत्पन्न हो, समानता की रक्षा करें और जब समानता के फलस्वरूप चरित्र विरूपण हो तो मतभेद का साथ दें।

विरोध की आशंका वाले शिक्षा अधिकारियों और स्कूल प्राधिकारियों की शुरुआती प्रतिक्रिया के विपरीत, पूरी सहमति प्रक्रिया के दौरान चर्चा किए गए ये दो तरीके संवाद को निरंतर बनाए रखने में योगदान करते हैं।

यौनिकता शिक्षा के एम.एच.आर. सिद्धांत का एक अन्य पहलू यह मानता है कि अधिकारों में हम सभी भागीदार हैं: स्वयं को एक अधिकार धारक और एक सक्रिय मानव अधिकार एजेंट मानते हुए व्यक्ति को यह स्वीकार करना चाहिए कि दूसरों में भी अधिकार निहित हैं; अन्यथा हम अधिकार के बजाय एक विशेषाधिकार का वर्णन करते रहेंगे![23]

अधिकार धारकों के बीच एकजुटता और पारस्परिकता को बढ़ावा देने वाले डायाटॉपिकल हर्मेनेयुटिक्स पर आधारित संवाद को बढ़ावा देने वाली एम.एच.आर. प्रक्रियाएं, बॉक्स 1 में यथावर्णित चार क्षणों का समर्थन करती हैं।

कुल मिलाकर, बहु–सांस्कृतिक मानव अधिकार (एम. एच.आर.) आधारित यौनिकता शिक्षा एक मनो–सामाजिक प्रयास है, जो यौनिकता के सांस्कृतिक और सामाजिक आयामों की समझ को बढ़ावा देती है, स्वयं और दूसरों की देखभाल करने के लिए रोकथाम के साधनों (परीक्षण, हार्मोनल और एंटीरेट्रोवाइरल आधारित परीक्षणों सहित) की सुलभता का विस्तार करती है, और उन संवादों के माध्यम से यौनिकता शिक्षा में सुधार करती है, जो असमानता और अधिकारों का उल्लंघन किए बिना मतभेदों को समझते हैं, इस प्रकार यह समानता और एकजुटता का सृजन करती है। कॉन्डम और गर्भनिरोधक के उपयोग या केवल संयम कार्यक्रम को बढ़ावा देने पर आधारित अधिक प्रचलित तरीके के एक विकल्प के रूप में, एम.एच.आर. विधियां दो डोमेन में संवादात्मक हैं: संचार प्रक्रिया जो सहमति और सामुदायिक करारों को गारंटी देती है (ऊपर संकलित प्रति एम.एच.आर. परिप्रेक्ष्य); और 1990 के दशक से महत्वपूर्ण और मुक्तिदाता शिक्षण से विकसित रचनावादी मनोसामाजिक–शिक्षा के तरीके।[12,14,15,17,18,24]

बॉक्स 1. यौनिकता शिक्षा के बहु–सांस्कृतिक मानव अधिकार सिद्धांत के चार क्षण

1) आपसी बातचीत को एक स्थायी सहमति की प्रक्रिया के दौरान विशेषज्ञों के सहयोग के रूप में परिभाषित करना।

यौनिकता शिक्षा के पेशेवर तकनीकी–वैज्ञानिक जानकारी रखते हैं, जो परिभाषा के अनुसार एक अस्थायी विशेषज्ञता है। इस तकनीकी–वैज्ञानिक विशेषज्ञता को लगातार अद्यतन किया जाना चाहिए और लोगों के साथ उनके दिन–प्रतिदिन के ज्ञान और उनके दैनिक जीवन में विशेषज्ञता के बारे में बातचीत करनी चाहिए। अतः निम्नलिखित क्षण, प्रतिभागियों के साथ सहयोगात्मक कार्य के हैं।

2) प्रत्येक समूह और समुदाय के लिए यौनिकता–अधिकार सिद्धांत का विश्लेषण।

2.1 यौनिकता, जेन्डर और यौन व्यवहारों के कौन से अर्थ सभी लोगों के बीच और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित किए जा रहे हैं?

2.2 राजनेता किस प्रकार अपने अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक नीतियों को परिभाषित करते हैं?

2.3 कौन से कानून यौनिकता पर विपरीत असर डालते हैं?

2.4 शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के अधिकारी और सेवाप्रदाता यौनिकता शिक्षा के बारे में क्या विचार रखते हैं? यौन और प्रजनन अधिकारों का जितना अधिक सम्मान किया जाता है, हिंसा और शोषण, अनचाहा गर्भधारण और एच.आई.वी. के मामले उतने ही कम होते हैं।

3) यौनिकता से संबंधित सेवाओं की गुणवत्ता का विभिन्न आयामों में विश्लेषण करना।

3.1 नगरपालिका में किशोरों और युवाओं के लिए सेवाओं की क्या उपलब्धता है?

3.2 उन सेवाओं की सुलभता की स्थिति क्या है, जो युवाओं के अनुकूल, भौतिक रूप से सुलभ और भेदभाव रहित होनी चाहिए?

3.3 सेवाओं की स्वीकार्यता क्या है – उनकी गुणवत्ता का संकेत, या इस बात का आश्वासन कि लोगों के जीवन–मूल्यों और समुदाय या समूह की सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान किया जाता है, साथ ही पेशेवर देखभाल सेवाओ की नैतिकता का ध्यान रखा जाता है।

3.4 क्या व्यक्तियों और समूहों की भागीदारी की गारंटी है, ताकि वे अधिकारों को बढ़ावा देने और उनके संरक्षण के लिए जिम्मेदार लोगों को चुनौती दे सकते हैं?

3.5 क्या मानव अधिकारों के प्रचार–प्रसार और जागरूकता की गारंटी है?

3.6 क्या क्रॉस–प्रोग्रामिंग और बहु–क्षेत्रीय एकीकरण असमानता की विविध आयामों को व्यक्त करते है?

ऐसे पेशेवर जो पूरी जानकारी प्रदान करते हैं और सिफ़ारिश की गई प्रथाओं के नैतिक–राजनीतिक और तकनीकी–वैज्ञानिक अर्थ के प्रति जागरूक हैं, जिनसे तकनीकों और प्रथाओं का मूल्यांकन और पुनःकल्पना की जा सकती है, उनके द्वारा मानव अधिकार धारकों के रूप में उपयोगकर्ताओं का अधिक सम्मान किए जाने की संभावना होती है।

4) दैनिक जीवन में असमानताओं का पता लगाना, कम से कमः

4.1 स्कूल में सत्ता में अंतर और पदानुक्रम;

4.2 जीवन–मूल्यों और सांस्कृतिक परंपराओ के बारे में विवाद;

4.3 राजनीतिक और आर्थिक संदर्भ;

4.4 नस्लीय–जातीय और जेन्डर असमानताएं;

4.5 पीढ़ियों के बीच के मतभेद;

4.6 स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग में अंतर।

असमानता विश्लेषण की सबसे रोचक शुरुआत, मानव अधिकार उल्लंघनों को व्यक्त करने वाले दैनिक जीवन के दृश्यों को एकत्र करना और उनपर चर्चा करना है।

प्रतिभागियों को नागरिकों (अधिकार धारकों) के रूप में माना जाता है, जो वैज्ञानिक विशेषज्ञों और जानकारी के साथ अपने स्वयं की भलाई के सह–निर्माण हेतु बातचीत में शामिल होते हैं। इस तरह की बातचीत में विविध जीवन–मूल्य, तरीकों को शामिल किया जाता है, और स्कूल या स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों में परस्पर सम्मान के माहौल में, यौन व्यवहार के अनपेक्षित परिणाम के प्रति प्रतिभागियों की असुरक्षा को कम करने वाले सामाजिक एवं कार्यक्रम से जुड़े संदर्भों की परख होती है।

कार्यपद्धति

इस लेख में सरकारी हाई स्कूलों में, शिक्षा अधिकारियों, स्कूल के वयस्क समुदाय (स्कूल प्रबंधकों, अभिभावकों और शिक्षकों), और छात्रों से सहमति सहित अनचाहे गर्भधारण और एच.आई.वी. रोकथाम परियोजना[25] के लिए सहमति प्राप्त करने और उसे बनाए रखने की प्रक्रिया पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

एम.एच.आर. ढाँचे के माध्यम से विश्लेषण किया गया और पूर्व परियोजनाओं[14,26] के आधार पर तैयार किए गए – कार्यक्रम की स्वीकार्यता, बढ़ती भागीदारी, और सतत सहमति प्रक्रिया के स्थायित्व पर अध्ययन किया गया और प्रधान जाँचकर्ता और इस आलेख के प्रथम लेखक द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। शोध टीम के सदस्यों ने कठोर प्रेक्षणों का आयोजन किया और स्वीकार कर लेने और मानाकरी–आधारित सहमति पर हस्ताक्षर करने के बाद, इस प्रक्रिया को फील्ड नोट्स, फिल्मों और टेप में दर्ज किया।

संवादात्मक बैठकों और शिक्षा अधिकारियों के साथ साक्षात्कार से परियोजना का आरंभ हुआ। संघीय और क्षेत्रीय स्तर पर परियोजना का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, हमने स्कूलों के प्रधानाचार्यों और शैक्षणिक समन्वयकों से अनुमोदन का अनुरोध किया। एम.एच. आर. ढाँचे की एक प्रस्तुति के माध्यम से अनुसंधान टीम ने समुदाय की भागीदारी और स्वायत्तता के मूल सिद्धांतों के बारे में विचार–विमर्श करने के लिए सभी स्तर के अधिकारियों और हरेक स्कूली समुदाय के सदस्यों को शामिल किया। इन वार्ताओं के बाद, मतभेदों का सम्मान करने की अवधारणा पर ज़ोर देते हुए मानव अधिकारों के अंतर्निहित दृष्टिकोण की एकजुटता की धारणा के साथ परियोजना की कार्यप्रणाली के बारे में बताया गया। शोध टीम द्वारा शामिल किया गया एक प्रमुख विषय, संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता था, जिसमें विभिन्न धर्मों और जीवन–मूल्यों का सम्मान किया जाना ज़रूरी है।

2013 में, स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालयों की दो बैठकों में स्कूलों में एस.पी.ई./स्वास्थ्य एवं रोकथाम परियोजनाओं का संरक्षण करते हुए मौजूदा राजनीतिक संदर्भ का किस प्रकार संचालन किया जाए, इस बारे में आम सहमति बनी। पहला समझौता यह था कि जब तक पूरा स्कूल न चाहे, भभाग लेने वाले शहरों और सरकारी स्कूलों की पहचान गुप्त रखी जाए। दूसरे चरण में स्थानीय शिक्षा अधिकारियों से, और उसके बाद सहमति प्रक्रिया में शामिल करने के लिए, स्कूल समुदाय से मिलना था।

बाधाएं और सीमाएं

माता–पिता और ईवानजेलिक आस्था के प्रतिनिधियों, तथाकथित ''ईवानजेलिक अनुयाइयों'' दोनों ही से संभावित नकारात्मक प्रतिक्रिया के भय को दो शहरों में बाधाओं के रूप में दर्ज किया गया था। इन शहरों के अधिकारियों ने शोध टीम को करार पत्र (अहस्ताक्षरित) लौटाए बिना, या साफ़ तौर पर 'नहीं' कहे बिना परियोजना से इनकार कर दिया; अनौपचारिक बातचीत से पता चला कि इसका कारण स्थानीय चुनाव और बढ़ती कट्टरपंथी राजनीतिक एकजुटता थी।

सात सरकारी स्कूलों ने परियोजना में भाग लेने के लिए सहमति व्यक्त की, जो देश की विविधता को व्यक्त तो कर रहे थे लेकिन उनका प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे। ये स्कूल, नीचे उल्लिखित खराब स्थितियों में थेः

(क) एक तटीय शहर जो अपने इकोटूरिज़्म और कैथोलिक तीर्थ स्थान के रूप में प्रसिद्ध है; (ख) एक अंतर्देशीय टाउन, जो इस क्षेत्र का कृषि–व्यापार और परिवहन केन्द्र है, यहाँ ईवानजेलिक समुदायों की बहुतायत है; (ग) सियरा में दूर दराज स्थित गाँव, जो मूल रूप से एफ्रो–ब्राज़ील के गुलामों की शरण स्थली था, जो राज्य की नीतियों के विरोधी और कट्टर ईवानजेलिक समुदाय की बढ़ती आबादी का घर था; (घ, ड., च, छ) शहरी क्षेत्रों के निर्धन इलाके।

प्रत्येक स्थिति में स्कूल प्रबंधकों के साथ तीन से पाँच बैठकें आयोजित की गईं, और स्थानीय स्वास्थ्य और शिक्षा अधिकारियों के साथ कम से कम एक बैठक आयोजित की गई। परियोजना के लिए सहमति बनाने के लिए माता–पिता और शिक्षकों के साथ दो से चार ''वार्तालाप दौर'' आयोजित किए गए और आगे की सहमति प्रक्रिया से जुड़े हुए प्रधानाचार्यों, शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों के साथ कई और दौर भी आयोजित किए गए।

शोध टीम को जिस पहली बाधा का सामना करना पड़ा, वह समय प्रबंधन था, जो एम.एच.आर. कार्यप्रणाली के उपयोग को सीमित कर सकता है। दैनिक जीवन के अनुभवों और डायाटॉपिकल हेर्मेनेयुटिक्स के बारे में बातचीत और कहानियों को सुनने के लिए समय की आवश्यकता होती है। यह कार्यप्रणाली प्रभावित ''नागरिकों–प्रजा'' की भागीदारी – या अपनी यौनिकता और स्वयं की देखभाल करने के प्रभारी अधिकार धारकों – जो एम.एच.आर. कार्यप्रणाली, विशेष रूप से इस लेख में उल्लिखित प्रस्तावित कार्यों की स्वीकार्यता के अन्य सभी आयामों की गारंटी देता है; विरोध के संदर्भों में एक साधारण कार्य नहीं है!

दूसरी बाधा थी वित्तीय संसाधनों की कमी, जिसकी वजह से हम 18 महीने के अध्ययन के बाद इस परियोजना का विस्तार उन इच्छुक स्कूलों में न कर सके जो हमारे पर्यवेक्षण के अंदर इसे कायम रखना चाहते थे। हम इसका दो शहरों में विस्तार कर सके, और शहर ख और ग को चुना, जहाँ शिक्षकों ने पाठ्यक्रम की योजना (2015–16) में यौनिकता शिक्षा को शामिल किया है।

स्कूल समुदाय की सहमति को कायम रखना

प्रक्रिया की शुरुआत में अतिरिक्त बैठकों की ज़रूरत, सहमति के लिए अधिकाधिक विरोध को दर्शाती है। हालाँकि कुछ मामलों में, इस परियोजना और समुदाय की भागीदारी में बढ़ रही रुचि के कारण बैठकों की संख्या में वृद्धि हुई थी।

सभी स्कूलों में सबसे अधिक उपयोगी पहला सिद्धांत, 1948 के मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के इतिहास के बारे में बात करना था। ''मानवाधिकारों का उद्भव कहाँ हुआ, आप के लिए उनका क्या महत्व है?'' जैसे कुछ प्रश्नों ने माता–पिता और शिक्षकों को अपने ही समुदाय के इतिहास में नरसंहार और चरम हिंसा के अनुभवों के बारे में बात करने के लिए प्रेरित किया। दूसरों ने ''गैर मध्यस्थता वाले मानव संघर्ष के अंतिम विनाशकारी क्षमता के उदाहरण'' के रूप में जापान पर गिराए गए पहले परमाणु बमों के बारे में बात की (माता–पिता–शिक्षक–छात्र बैठक का निष्कर्ष)। आम तौर पर भाग लेने वाले माता–पिता की साक्षरता का स्तर कम था। लेकिन दूर दराज और पहाड़ों और वर्षावनों में स्थित गाँवों में भी, माता–पिता यह स्पष्ट करने में समर्थ थे कि वे उस मानव अधिकार को मानते हैं, जो 1988 में मानव अधिकार आधारित संविधान अपनाए जाने और तानाशाही का अंत होने के बाद, ब्राज़ील में एक सकारात्मक सांस्कृतिक बदलाव का संकेत है।

सामूहिक रूप से मानव अधिकारों की एक सूची तैयार कर या घोषणा पत्र की प्रस्तावना पढ़ने के साथ वार्ता की शुरुआत करना बहुत सशक्त कदम थाः लोग दुनिया में स्वतंत्र और समान गरिमा तथा स्वतंत्रता, न्याय और शांति की स्थापना के अभिन्न अधिकारों के साथ पैदा हुए हैं।

परियोजना के नेतृत्वकर्ताओं ने सत्ता के पदानुक्रम (या उसके अभाव) के लिए ज़िम्मेदार मनोसामाजिक और संरचनात्मक कारकों पर चर्चा केन्द्रित की, जिससे उनका सामना करने के लिए सामूहिक जागरूकता को बढ़ावा मिला। चुनौती यह थी कि सभी विभिन्न विचारों की स्वीकार्यता बनाए रखते हुए और समूह की एकजुटता को तोड़े बिना समानता और व्यापक यौनिकता शिक्षा के अधिकार का समाधान किया जाए। प्रतिभागियों को लगातार एक धर्मनिरपेक्ष वातावरण में ''अधिकार धारकों (sujeito de direitos, agents) के रूप में बातचीत में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया गया था। ''एजेंट'' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जो कुछ कर रहा है या कुछ हैः अधिकारों के एजेंट के रूप में प्रतिभागियों को पारस्परिकता के सिद्धांत से मार्गदर्शन लेना चाहिए।

शहर के अधिकारियों, स्कूलों के प्रधानाचार्यों, समुदाय के नेताओं और माता–पिता के विरोध से निपटने के लिए अब तक का सबसे उपयोगी सवाल यह था कि, ''क्या रोकथाम और स्वयं की देखभाल के बारे में जानकारी होना और एक गैर–अनिवार्य यौनिकता के बारे में नवीनतम वैज्ञानिक आम सहमति सहित सूचित न किया जाना सही है क्योंकि कुछ लोग अपने बच्चों को भाग लेने की अनुमति नहीं देंगे?'' व्यापक स्वास्थ्य देखभाल और जानकारी, जो ब्राज़ील में एक सार्वभौम संवैधानिक अधिकार (''मुफ़्त और सबके लिए'') है, प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के दायित्व के रूप में, ''स्वास्थ्य के अधिकार'' पर चर्चा की शुरुआत करना एक उत्कृष्ट विचार था।

हमने बार–बार देखा कि किस प्रकार यौनिकता, और यौन अधिकारों का विचार, समानता, स्वतंत्रता और गरिमा के विचारों पर विवाद करने के लिए एक प्रमुख अखाड़ा है।[27] मातापिता की भागीदारी ज़्यादातर अपने बच्चों की स्कूलों में यौनिकता शिक्षा तक पहुँच और स्कूलों में रोकथाम की ओर से थीः ''हमें नहीं पता कि इसे कैसे करना है!''; इन मुद्दों पर हमें स्कूल के सहयोग की ज़रूरत है। कभी भी माता–पिता द्वारा कार्यक्रम के विरोध में आवाज नहीं उठाई गई थी। ऐसे वयस्क जिन्हें चिंता थी कि यौनिकता शिक्षा से यौन गतिविधियां बढ़ेंगी, ने इन उपयोगी सवालों को ध्यान से सुनाः ''क्या यह टी.वी. और इंटरनेट देखने से भी बुरा है?'' या ''क्या आप उन चीज़ों को नियंत्रित कर सकते हैं जिनका वे सोशल मीडिया के माध्यम से आदान–प्रदान करते हैं और अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं?''

कुछ वयस्कों ने इस बारे में चिंता व्यक्त की थी, कि गैर–पारंपरिक जेन्डर पहचान या गैर–विषमलैंगिक रुझान से कैसे निपटा जाए, और चर्चा का सबसे अधिक उपयोगी सवाल यह था कि, ''आप किस तरह सुनिश्चित करते हैं कि युवा जो देरी से यौन संबंधों की शुरुआत करना चाहते हैं (या जिनकी सेक्स में कोई दिलचस्पी नहीं है), उन्हें ''यौनविमुख'' होने के ताने, कलंकित किए जाने या भेदभाव से कैसे बचाया जाए, जैसे सभी स्कूलों में ऐसा ही भेदभाव एल.जी.बी.टी. छात्रों के साथ किया जाता देखा गया है? हम, यौन विमुखता के साथ–साथ समलैंगिकता और विविध जेन्डर पहचान और जेन्डर प्रदर्शन को समानता और रोकथाम के बारे में चर्चा का एक हिस्सा कैसे बना सकते हैं?''

''यह जानना अच्छा है कि हमारे छात्र और बच्चे कौन हैं और वास्तव में वे करते क्या हैं''

मानव अधिकारों की दृष्टि से प्रतिभागियों को प्रस्तुत की गई चर्चा जो किशोरों में पहली बार यौन संबंध बनाने की औसत आयु, कॉन्डम इस्तेमाल करने, एच.आई.वी. के प्रसार और गर्भावस्था दरों के राष्ट्रीय डेटा पर आधारित थी, में चर्चा, सहमति और स्कूल समुदाय की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ थी।

स्थानीय अधिकारियों, शिक्षकों, अभिभावकों और अपने बच्चों सहित माता–पिता के साथ – सभी स्तरों पर बैठकों में शोध टीम ने इस बात को उजागर किया है कि

जहाँ जीवन–मूल्य और धार्मिक आस्था यौनिकता के बारे में राय और व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं, वहीं ब्राज़ील के युवाओं में यौन व्यवहार की विविधता एक सच्चाई है, जैसा कि राष्ट्रीय सर्वेक्षण के सभी आंकड़ों से प्रदर्शित होता है। किशोरों के विभिन्न धार्मिक जुड़ावों के कारण अलग–अलग यौन व्यवहार नहीं प्रदर्शित होते हैं, चाहे हम चर्चों से जुड़े हुए युवाओं की रोज़मर्रा की जिंदगी के बारे में ही सर्वेक्षण करें।[14]

यह स्पष्ट हो गया है कि सभी स्कूलों में यौनिकता शिक्षा की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए, जब उनसे पूछा गया कि स्कूलों में यौनिकता शिक्षा को कब शुरू किया जाना चाहिए, तो छात्रों ने 18, 17.....16 वर्ष की उम्र पर अपने हाथ नही उठाएः अधिकांश ने इसके लिए 12 और 14 वर्ष के बीच की उम्र को आदर्श उम्र माना। इन बैठकों में वयस्कों और स्थानीय सरकार के शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भाग लेने और छात्रों के विचार जानने की अनुमति ने परियोजना के लिए समर्थन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

इन बैठकों से इनमें शामिल सभी लोगों को यह स्पष्ट करने में मदद मिली कि 1980–90 के दशक के दौरान एड्स को एक गलत धारणा से प्रतिस्थापित किया गया है कि ''एड्स अब कोई समस्या नहीं है, (क्योंकि) इसे नियंत्रित किया गया है''। बैठकों से यह भी स्पष्ट हो गया कि युवतियों ने आपातकालीन गर्भनिरोधकों को अपनाया है।

इस परियोजना द्वारा दी गई यौनिकता और रोकथाम की जानकारी, मान्यताओं और प्रथाओं के सर्वेक्षण के शुरूआती परिणामों में जब राष्ट्रीय डेटा की तुलना में स्थानीय कमियों का पता चला तो उसके बाद सहमति और दृढ़ हो गई। सर्वेक्षण में माता–पिता की आवश्यक सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया का पालन किया गया, और गुमनाम व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने के लिए पॉमटॉप हैंडहेल्ड उपकरणों का प्रयोग किया गया। सर्वेक्षण और अध्ययन गतिविधियों का उच्च स्तर पर पालन किया गया था और यह स्कूलों की प्रोफ़ाइल को दर्शाता थाः 42% कैथोलिक, 37% ईवानजेलिकल, 14% घोषित गैर–धार्मिक और 7% अन्य धर्मों से संबद्ध थे। औसत आयु 16.7 वर्ष थी, इनमें 59% लड़कियां और 41% लड़के थे; 34% छात्रों ने स्वयं को श्वेत और 66% ने गैर–श्वेत (अफ़्रीकन–ब्राज़ीलियाई, स्वदेशी और मिश्रित) बताया।

14–19 वर्ष आयु के लिए राष्ट्रीय आंकड़ों के समान सभी स्कूलों के परिणामों में निम्न शामिल थेः 97% यौनिकता शिक्षा और कंडोम के उपयोग का समर्थन करते हैं; यौन संबंधों की शुरुआत की औसत आयु 14.6 वर्ष थी (लड़कियों के लिए 15 वर्ष और लड़कों के लिए 14.3 वर्ष); 69% छात्रों ने पहले संभोग में कॉन्डम का इस्तेमाल करना बताया; और 10–17% छात्रों ने किसी समलैंगिक के साथ कम से कम एक बार सेक्स करने की बात स्वीकार की थी। ज़्यादातर का मानना था कि लगभग 12 वर्ष की आयु में यौन शिक्षा शुरू कर देनी चाहिए; 20–40% छात्रों को कॉन्डम का इस्तेमाल कैसे करना है या एच.आई.वी. जाँच के लिए कहाँ जाना है इस बारे में पता नहीं था; और 40% छात्रों ने ''प्यार और साथी में विश्वास'' को आत्म सुरक्षा का तरीका बताया। धार्मिक जुड़ाव इनमें से किसी भी कारक में कोई उल्लेखनीय अंतर नहीं था।

स्कूल के वयस्क समुदाय ने माना कि परिणामों पर ''ध्यान देने की ज़रूरत'' है और 'विज्ञान के क्षेत्र में विश्वास'' व्यक्त किया और कहा कि ''साथ मिलकर कुछ करने की ज़रूरत है''। स्कूलों में, स्वीकार्यता प्रक्रिया का पहला परिणाम था, जहाँ अधिक भागीदारी से पता चला कि समुदाय की भागीदारी संभव है।

एक शहर में, और माता–पिता की सहमति के विपरीत, शिक्षकों द्वारा क्षमता निर्माण के पालन और छात्रों के उत्साह के विपरीत, स्कूल के प्रधानाचार्य ने परियोजना के कार्यान्वयन में बाधा खड़ी कर, माता–पिता और शिक्षकों की भागीदारी को सीमित करने की कोशिश की, जो अंत में असफल हो गया।

यौन जोख़िम और स्वास्थ्य या यौन अधिकार और एजेंट (सुजीटोस)?

शिक्षक प्रशिक्षण और ''प्रोजेक्ट–एजेंट'' के रूप में छात्रों की भागीदारी, के माध्यम से यौन व्यवहार के ख़तरों और जोख़िमों के बारे में प्रचार–प्रसार और (अच्छे) व्यवहार के रूप में प्रदर्शित यौन स्वास्थ्य की मौजूदा मानक परिभाषा ने युवाओं के साथ जीवंत विचार–विमर्श करने का अवसर प्रदान किया। इस समय अवधि के ढाँचे में यह नवीनतम सहमति का अपेक्षित चरण है, जो समुदाय के जुड़ने और भागीदारी का एक अच्छा संकेत है।

जैसा कि एम.एच.आर. ढाँचे में प्रत्याशित था, प्रत्येक स्कूल ने विभिन्न गतिविधियों को अपनाया, जिनके लिए स्कूल समुदाय के सहयोग और उनके साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता थी। स्थानीय संदर्भ का सम्मान करते हुए एस.पी.ई. और इसी तरह की अन्य परियोजनाओं में बार–बार बदलाव किए गए। समुदाय की अधिक भागीदारी से गतिविधियों के लिए अधिक समय मिला और पाठ्यक्रम में और सतत सहमति और समुदाय को जोड़ने के लिए अधिक गतिविधियों को शामिल किया गया।

पाठ्यक्रम की प्रमुख गतिविधियों में शामिल थेः 1. अपने शरीर और यौनिकता को व्यक्त करने के लिए अपने ही शब्दों, ज्ञान और कल्पना का उपयोग कर लघु समूह चर्चाएं और शिक्षकों और साथियों से इस विषय में चर्चा करना कि कैसे विषमलैंगिक और समलैंगिक जोड़े, एच. आई.वी. और अन्य यौन संचारित संक्रमणों से बच सकते हैं। 2. मिट्टी या स्थानीय आटा लेप का उपयोग करते हुए ''शरीर के प्रजनन और यौन अंगों'' को प्रदर्शित करने वाले आर्ट प्रोजेक्ट, और उसके बाद स्थानीय यौन संस्कृति के बारे में चर्चा करना और अर्थ को स्पष्ट कर और व्याख्या करके छात्रों को गतिविधियां करवाना। 3. चीजों, शब्द, और दृश्यों या परिदृश्यों के सृजन में प्रतिभागियों को शामिल करना, जो प्यार, डेटिंग और सामाजिक अनिवार्यता के रूप में सेक्स से जुड़ी छोटी कहानियों के माध्यम से जीवंत हो उठते हैं या एच.आई. वी. संक्रमण, अनचाहे गर्भधारण, अंतरंग साथी द्वारा हिंसा का कारण बनने वाले वास्तविक या काल्पनिक परिदृश्य उपस्थित करना, तदुपरांत डिकोडिंग और उस पर काम करना। 4. बड़े समूह के सत्रों में विशिष्ट दृश्यों पर चर्चा करने के लिए फ़िल्मों का उपयोग करना। 5. छात्रों के बीच प्रतियोगिता करवाना कि ''लड़कियों और लड़कों में कौन कितनी तेज़ी से कॉन्डम को गुब्बारे के रूप में फुला सकता है'' और यह दिखाना कि कॉन्डम फूटने में कितना समय लगता है, और वे कितने बड़े फूल सकते हैं।

छात्रों ने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य तैयार करने के लिए परिवार के बज़ुर्ग सदस्यों से भी यौनिकता शिक्षा के बारे में उनकी किशोरावस्था के अनुभवों के बारे में पूछा। स्कूल के समारोहों में, छात्रों ने कॉन्डम डिस्पेन्सर की सजावट के लिए चित्रों का इस्तेमाल किया, इसके लिए कुछ ने अपनी धार्मिक कल्पना शक्ति का प्रयोग किया।

लड़कों और लड़कियों के बीच रोकथाम संबंधी जानकारी का अंतर और गैर–प्रमाणिक यौन कथानक और रुझान, जैसे कि गर्भवती हो जाने के बारे में भेदभावपूर्ण रवैया, वे तरीके थे जिनके आधार पर अधिकांश स्कूलों में जेन्डर से जुड़ी सत्ता और संबंधों के बारे में चर्चा की गई; दो स्कूलों में यौन हिंसा और शोषण, उभरते हुए जेन्डर मुद्दे थे, जबकि एक स्कूल में चर्चा की शुरुआत का विषय ट्रॉंसजेंडर लड़की का बाहर निकलना था।

महानगरीय इलाकों में अज्ञात यौन दृश्य और कथानक[28] ने विशेष ध्यान आकर्षित किया। हमने अलमॉन्डेगास (मीट बॉल) और लावायाटो (कार वॉश) के बारे में जानकारी हासिल की। मीट बॉल, नृत्य करती हुई भीड़ में दर्जनों लोगों का समूह है, जो इस बात का द्योतक है कि यह समूह एक शुद्ध माँस का रूप है जिसका नृत्य करते समय गुमनाम रूप से यौन उपभोग करना चाहिए। फंक नृत्य पार्टियों (पैनकाडॉओ) में, जो फ़ावेलास में बहुत लोकप्रिय हैं, बिना पैंट पहने लड़कियां दीवार से टिककर, ''अपने शक्तिशाली फुहारों'' से उन्हें

''आपका भविष्य आपके चयन पर निर्भर होता है'':
बच्चों की धार्मिक कल्पना का उपयोग करते हुए कॉन्डम डिस्पेन्सर के लिए तैयार किया गया एक चित्र।

अंदर से धोने के लिए विभिन्न लड़कों की प्रतीक्षा करती हैं, जैसे कि कार वॉश स्थानों में (गाड़ियों के साथ) होता है। जो युवक और युवतियों इस जीवन शैली को अपनाते हैं और स्कूल जाते हैं, उनके बारे में हम गर्भनिरोधकों के इस्तेमाल या गर्भधारण करने में भेदभाव का सामना करने की कहानियां सुन सकते हैं। एक लड़की बहुत कठोर और हाल ही में धर्मांतरण किए ईवानजेलिकल माता–पिता से भागकर अपने समाजीकरण का सामना कर रही थी।

अंतिम विचार

यौनिकता का इतिहास निश्चित रूप से ''किसी विषय जिसका निरंतर परिवर्तन होता रहा है, का इतिहास'' रहा है।[29] सतत सहमति के माध्यम से, जिससे स्वीकार्यता आती है, जो इसके स्थायित्व का एक महत्वपूर्ण पहलू है, यौनिकता शिक्षा में समुदाय की भागीदारी को व्यक्त करने के लिए निरंतर परिवर्तन, एक अच्छा शब्द भी है।

एम.एच.आर. सिद्धांत में, यौनिकता और यौनिकता शिक्षा दोनों की प्रवाही और प्रासंगिक परस्पर निर्भर सामाजिक गतिविधियों के रूप में कल्पना की गई है। सहमति की अपनी सतत प्रक्रिया में, इस सिद्धांत ने अलग–अलग मूल्यों को मूर्त रूप की अनुमति दी और प्रतिभागी स्कूलों/शहरों में यौनिकता शिक्षा के विरोध को अनदेखा कर दिया गया; गैर–भागीदार परिवारों और किशोरों ने अपने स्कूल में इस परियोजना का विरोध नहीं किया। शिक्षकों और छात्रों की सक्रिय भागीदारी से डेटा एकत्र किया गया, किशोरों की (अस्वीकार्य) सक्रिय यौनिकता के तर्क को नकार दिया, जो पश्चिमी यूरोपीय देशों[30] को छोड़कर दुनिया के अन्य हिस्सों में[13] यौनिकता शिक्षा को नकारने का काफ़ी प्रचलित तर्क है। हाल के वर्षों के मानक और नैतिकताकारी जोख़िम–निवारक मॉडलों को चुनौती दी गईः कि हर किसी के लिए, या प्रत्येक यौन दृश्य या संदर्भ, और प्रत्येक नैतिक एवं धार्मिक नज़रिए के लिए यौन भाषा एक ही नहीं हो सकती; यौन नागरिकता को केवल ''उपभोक्ता अधिकारों'' (एक पूर्वनिर्धारित यौनिकता, पूर्वनिर्धारित अच्छा व्यवहार करने का अधिकार) तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। शिक्षा का (स्वास्थ्य के रूप में) उपभोग नहीं बल्कि सह–उत्पादन किया जाना चाहिए।[19]

मानव अधिकारों की भाषा ने स्वायत्तता और गरिमा की अलग–अलग परिभाषाओं तथा यौनिकता के सामाजिक संगठन संबंधी बहस की सफलतापूर्वक मध्यस्थता की है। अधिकारों की भाषा से पता चला है कि 'वांछनीय' या 'अस्वीकार्य' की परिभाषाएं किसी विशेष समुदाय और ऐतिहासिक क्षण के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। अधिकारों की पूर्ति अक्सर, किशोरों के अनुकूल परीक्षण साइटों के कारण स्थानीय सरकारों की कार्यक्रम संबंधी ज़िम्मेदारियों से जुड़ी थी।

संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों और साक्ष्य ने एम.एच.आर. जैसी मानव अधिकार आधारित यौनिकता शिक्षा परियोजनाओं का समर्थन किया है।[31] खुद की पहचान बनाने और अधिकारों के धारक के रूप में दूसरों को मान्यता प्रदान करने से दूसरी परियोजनाओं में भागीदारी बढ़ी है और विविधता की गारंटी मिली है, जैसा कि यू.एस.ए. की एक परियोजना द्वारा केवल–संयम कार्यक्रमों की प्रतिक्रिया में देखा गया।[32] लेकिन प्रत्येक देश के इतिहास पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि हम मानव अधिकारों के सिद्धांतों की किस प्रकार अवधारणा और अनुभव करते हैं, इसका निश्चित तौर पर फ़र्क पड़ता है।

इस सिद्धांत को अपनाने का सबसे बड़ा अवरोध यह है कि लोग किस प्रकार मानव अधिकारों की अवधारणा करते हैंः बहु–सांस्कृतिक मानव अधिकार (एम.एच.आर.) सिद्धांत वहाँ लाभदायक हैं, जहाँ राजनीतिक इतिहास, सामाजिक न्याय से जुड़ी गरिमा के विचार पर ज़ोर देता है और अधिकारों की दृष्टि से नागरिकता को परिभाषित करता है। फिर भी, जहाँ मानव अधिकार सिद्धांत, पारस्परिकता के सिद्धांत को महत्व नहीं देते हैं, और कोई समूह सार्वभौमिकता के स्वयंभू पद से बोलते हुए

अपने मूल्यों की उसी प्रकार परम वैधता का दावा करता है – जिस प्रकार ब्राज़ील के मौजूदा संदर्भ में – जो लोग ईसाई कट्टरपंथी आंदोलनों को अपनाते हैं (या डरते हैं) तो भिन्न–भिन्न जीवन–मूल्य वाले लोगों के अधिकारों पर विपरीत असर पड़ेगा।

यह देखते हुए कि ऐसी कोई सार्वभौम यौनिकता शिक्षा मौजूद नहीं है, जो दोषरहित हो, किन्हीं खास छात्रों और सामाजिक समूहों के लिए भिन्न–भिन्न सिद्धांत हानिकारक हो सकते हैं।[33] एम.एच.आर. आधारित यौनिकता शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य, हानियों को रोकना और कम करना और व्यापक यौनिकता शिक्षा के किशोर अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक सुदृढ़ सहभागी कार्यक्रम जारी रखना है।

वेब से जुड़ी इस दुनिया में, बढ़ती विविधता और वैकल्पिक यौनिकता, जेन्डर पहचान और प्रदर्शन, जिनके लिए यौनिकता शिक्षा के अंतर्गत मान्यता की आवश्यकता होती है, वह कानून के बल पर या धार्मिक उपदेश से खत्म नहीं होगी। कमियों से भी रचनात्मक विरोध और अभिनव विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। हम आशा करते हैं कि यह बहु–सांस्कृतिक मानव अधिकार सिद्धांत अन्य पहलों को एक ही दिशा में प्रेरित कर सकता हैः मतभेद और विविधता को असमानता का कारण नहीं बनने देना चाहिए।

आभार

हम, लुइसा एलन और समीक्षकों का उनकी टिप्पणी तथा संशोधन प्रक्रिया के दौरान समर्थन और परामर्श के लिए मैगाली मारकेस का आभार व्यक्त करना चाहते हैं।

हम, अपने सहयोगियों और अध्ययन साइटों की शोध टीम : ज़ीमेना पामेला डियाज़ बरमुडेज़, एडगर हम्मन, मारिया क्रिस्टीना एन्ट्यूनेस, रिकार्डो कास्को, ग्रैज़िएल ताग्लीयमेन्टो, मौरो निस्कियर सांचेज़, बारबरा रिबेरो डी सूज़ा डायस, लौरा मालागुटी मॉडर्नेल, ज़ोओ पाउलो फ़र्नांडीस, इसाबेल पिसेले, और क्लेलिया प्रेस्टेस का भी आभार ज्ञापित करते हैं।

वेरा पाइवा "Avaliação da estratégia de prevenção da gravidez não planejada e das DST / AIDS por meio da inclusão de dispensadores de preservativos em escolas de ensino médio" नामक शोध परियोजना की प्रमुख जाँचकर्ता थीं, और इस परियोजना को Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq/Universal &Pq1C) द्वारा प्रायोजित किया गया था। फंड, स्वास्थ्य मंत्रालय/डी.एन. एड्स, यूनेस्को और यू.एन.एफ़.पी.ए. से प्राप्त हुए थे।

संदर्भ

1. Malta M, Beyrer C. The HIV epidemic and human rights violations in Brazil. JIAS, 2013;16:18817.
2. Silva, Guerra, Sperling. Sex education in the eyes of primary school teachers in Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Brazil. Reproductive Health Matters, May 2013;21(41):114–123.
3. Brasil/Ministério da Educação. Home Page. http://portal.mec. gov.br/index.php?Itemid=578(& accessed in April 2015).
4. Brasil/Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Saúde e prevenção nas escolas: guia para a formação de profissionais de saúde e de educação. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.
5. Paiva V, Ferrara AP, Parker R, et al. Religious Coping and Politics: Lessons from the Response to Aids. Temas em Psicologia, 2013;21(3):883–902(http://pepsic.bvsalud.org/pdf/tp/v21n3/en_v21n3a10.pdf).
6. Teixeira F, Menezes R. Religões em movimento: o censo de 2010. Vozes: Petrópolis, 2013.
7. Sennet R. Together. London/New York: Yale University Press, 2012.
8. Grangeiro A. A política de saúde para o enfrentamento da aids. Apresentação na audiência pública. 11 de junho de 2015. Brasília: Câmera dos Deputados, 2015.

9. Idele P, Gillespie A, Porth T, et al. Epidemiology of HIV and AIDS among adolescents: current status, inequities, and data gaps. Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes, 2014;66(Suppl. 2):S144–S153.

10. Brasil/Ministério da Saúde. Boletim Epidemiológico HIV/Aids. 2014. (Ano III (1)).

11. Lombardi CA. Relatório Final da Avaliação (produto 4). Brasília: UNESCO, 2014.

12. Paiva V. Social Psychology and Health: Socio-Psychological or Psychosocial? Innovation of the Field in the Context of the Brazilian Responses to AIDS. Temas em Psicologia, 2013;21(3):551–569.

13. Paiva V, Ferguson L, Aggleton P, et al. The Current State of Play of Research on the Social, Political and Legal Dimensions of HIV. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 2015;31(3):477–486.

14. Paiva V, Garcia J, Santos AO, et al. Religious communities and HIV prevention: an intervention-study using human rights based approach. Global Public Health, 2010;5: 280–294.

15. Gruskin S, Tarantola D. Universal access to HIV prevention, treatment, and care: assessing the inclusion of human rights in international and national strategic plans. IDS, 2008;22(Suppl. 2):S123–S132.

16. Paiva V. Sexuality, condom use and gender norms among Brazilian teenagers. Reproductive e Health Matters, 1993;2:98–109.

17. Paiva V. Gendered scripts and the sexual scene: promoting sexual subjects among Brazilian Teenagers. In: Parker, Aggleton (Org.). Culture, Society and Sexuality. A reader. 2nd edition. New York: Routledge. 2007. pp. 427-442.

18. Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos /CLAM. Diversity in School. Rio de Janeiro: CEPESC, 2012.

19. Gadotti M, Torres CA. Legacies. Paulo Freire: Education for Development. Development and Change, 2009;40(6): 1255–1267.

20. Gruskin S, Tarantola D. Health and Human Rights. In: Gruskin, Grodin, Marks, editors. Perspectives on Health and Human Rights. London: Routledge, 2005.

21. Santos BS. Subjetividade, cidadania e emancipação. In: Santos, editor. Pela mão de Alice. O social e o político na pós-modernidade. São Paulo: Cortez, 2003.

22. Santos BS, Nunes JA. Introdução. Para Ampliar o cânone do reconhecimento. In: Santos (Org.) Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo multi-cultural.Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 2003. pp 23.

23. Ayres JRC, Paiva V, Franca-Jr I. From Natural History of Disease to Vulnerability: changing concepts and practices in contemporary public health. In: Parker, editor. Routledge Handbook of Global Public Health. London: Routledge, 2010. p.98–107.

24. Paiva V. Analysing sexual experiences through 'scenes': a framework for the evaluation of sexuality education. Sex Education, Londres, 2005;5(4):345–359.

25. Paiva V, Merchan-Hamann E, Bermudez XPD, et al. Avaliação da Estratégia de Prevenção da Gravidez não planejada, das Dst / Aids em Escolas De Ensino Médio. In: Projeto CNPq/Universal. Brasil: Conselho Nacional de Pesquisa, 2012.

26. Paiva V. Everyday Life Scenes: methodology to understand and reduce vulnerability in a human rights perspective [Cenas da Vida Cotidiana: Metodologia para Compreender e Reduzir a Vulnerabilidade na Perspectiva dos Direitos Humanos]. In: Paiva, Ayres, Buchalla. (Org.). Vulnerabilidade e Direitos Humanos. vol I .Curitiba: Juruá Editora, 2012, p. 165-208.

27. Garcia J, Parker R. From global discourse to local action: the makings of a sexual rights movement? Horizontes Antropológicos, 2006;12(26):13–41.

28. Simon W, Gagnon JH. Sexual scripts. In: Parker, editor. Culture, society and sexuality. London: UCL Press, 1999. p.29–38.

29. Weeks J. The importance of being historical. In: Aggleton, Parker, editors. Routledge handbook of sexuality, health and rights. New York: Routledge, 2010. p.28–36.

30. The Alan Guttmacher Institute (AGI). Can more progress be made? Teenage sexual and reproductive behavior in developed countries. Executive Summary. New York: AGI, 2001.

31. Boonstra HD. Advancing sexuality education in developing countries: evidence and implications. Guttmacher Policy Review, 2011;14(3 (https://www. guttmacher.org/pubs/gpr/14/3/gpr140317.html).

32. Marques M, Ressa N. The Sexuality Education Initiative: a programme involving teenagers, schools, parents and sexual health services in Los Angeles. Reproductive Health Matters, 2013; 21(41):124–135.

33. Jones T. A Sexuality Education Discourses Framework: Conservative, Liberal, Critical, and Postmodern. American Journal of Sexuality Education, 2011;6(2):116.

रिप्रोडक्टिव हैल्थ मैटर्स
अंक 1, 2006
यौनिकता एवं अधिकार

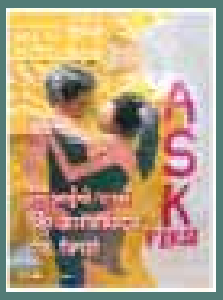

रिप्रोडक्टिव हैल्थ मैटर्स
अंक 4, 2009
एचआईवी/एड्स और मानवाधिकारः एक विमर्श

रिप्रोडक्टिव हैल्थ मैटर्स
अंक 7, 2013
यौनिकता और प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार : एक राजनैतिक मुद्दा

रिप्रोडक्टिव हैल्थ मैटर्स
अंक 2, 2007
युवाओं के यौनिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य व अधिकार

रिप्रोडक्टिव हैल्थ मैटर्स
अंक 5, 2011
अपराधीकरण

रिप्रोडक्टिव हैल्थ मैटर्स
अंक 8, 2014
यौनिकता, जेंडर और युवा अधिकार

रिप्रोडक्टिव हैल्थ मैटर्स
अंक 3, 2008
मातृ मृत्यु एवं रुग्णता

रिप्रोडक्टिव हैल्थ मैटर्स
अंक 6, 2012
गर्भ समापन और अधिकार

रिप्रोडक्टिव हैल्थ मैटर्स
अंक 9, 2015
यौनिक व प्रजनन स्वास्थय से जुड़ी नीतियाँ व कानून

crea

7 मथुरा रोड, जंगपुरा बी,
नई दिल्ली - 110 014, भारत
दूरभाष: 91-11-24377707, 24378700/01
फैक्स: 91-11-24377708
ई-मेल: crea@creaworld.org
वेबसाईट: www.creaworld.org

REPRODUCTIVE HEALTH matters

444, हाईगेट स्टूडियोज़
53-79, हाईगेट रोड,
लंदन एम डब्ल्यू 5,
1 टी एल, यू. के.
दूरभाष: 44-20-7267-6567
फैक्स: 44-20-7267 2551